मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

2014-2015

वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही
के अंत में बजट के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की
प्रवृत्तियों की समीक्षा का परिणाम

तथा

राजकोषीय उत्तरदायित्व और
बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधीन
(उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और 7(3)(ख) के तहत)
सरकार के दायित्वों को पूरा करने में हुए फेर-बदल
को स्पष्ट करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग

मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

विषय-सूची

1	**संभावनाएं और चुनौतियां**	**1**
	वृहत आर्थिक समीक्षा	1
	विशिष्ट क्षेत्रों की संभावनाएं और चुनौतियां	4
	विकास की संभावनाएं	13
2	**केन्द्र सरकार के वित्त-साधन**	**23**
	अप्रैल-सितंबर, 2014 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की पुनरीक्षा	23
	प्राप्तियां	23
	व्यय	27
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित किए गए संसाधन	28
	घाटा	28
	मध्य-वर्षीय एफआरबीएम बेंचमार्क की तुलना में आकलन	30
	निष्कर्ष	31
3	**अर्थव्यवस्था पर एक नजर**	**33**
	2014-15 के पूर्वार्ध में हुआ विकास	33
	कृषि और खाद्य प्रबंधन	37
	उद्योग और अवसंरचना	41
	कीमतें	45
	मुद्रा और बैंकिंग	48
	पूंजी बाजार	57
	व्यापार	62
	भुगतान संतुलन	66
	सामाजिक क्षेत्र	75

अनुबंध I

आम बजट 2014-15 की मुख्य घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति अ.1

अनुबंध II - सारणियां

मुख्य संकेतक अ.52

2013-14 तथा 2014-15 की पहली छमाही के दौरान भारत के भुगतान शेष की मुख्य मदें अ.53

मौद्रिक समीक्षा अ.54

अवसंरचना क्षेत्र तथा सार्वभौमिक मध्यवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां अ.55

कर-राजस्व अ.56

कर-भिन्न राजस्व अ.57

पूंजी प्राप्तियां अ.58

आयोजना व्यय अ.59

आयोजना-भिन्न व्यय अ.64

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित संसाधन अ.71

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अ.72

अध्याय I

संभावनाएं और चुनौतियां

1. वृहत आर्थिक समीक्षा

1.1 जुलाई, 2013 में, भारत द्विअंकीय मुद्रास्फीति, अधिक और बढ़ते चालू खाता घाटे (कैड) तथा रुपए के गिरते मूल्य के चलते वृहत आर्थिक संकट से लड़खड़ा रहा था चूंकि कैड के अपने प्रमात्रात्मक सुलभता को समाप्त करने के संकेत देकर पूंजी को बाजार से खींच लेने के निर्णय के परिणामस्वरूप निवेशक के मनोभाव कटुता में परिवर्तित हो गए थे। भारत उभरते बाजार देशों के मध्य पांच प्रसिद्ध और उभरते देशों के समूह में ब्राजील, इण्डोनेशिया, तुर्की और द. अफ्रीका के साथ शामिल हो गया था।

1.2 लगभग अठ्ठारह महीनों से परिदृश्य पूरी तरह बदला है वृहत-आर्थिक स्थिरता अपनी पटरी पर वापस आ गई है, सुधार किए जा रहे हैं, विदेशी वातावरण भारत के पक्ष में हो गया है और इन सबके साथ निर्णायक आर्थिक बदलाव के लिए दबावरहित राजनीतिक शासनकाल के साथ नई सरकार सत्ता में आई है। एक शासनादेश जिसने बाजार को उत्साह से भर दिया है। मार्च में भारतीय स्टाक बाजार तेजी से बढ़ते विदेशी पूंजी प्रवाह से लाभ उठाते हुए, सर्वाधिक उभरते बाजारों में 33 प्रतिशत (डालर में) पर चढ़ा है। इस समय भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक चिंगारी के रूप में उभरा है और एक ऐसे बड़े देश के रूप में सामने आया है जिसे भारतीय मुद्रा कोष के धीमे विकास से नहीं जूझना होगा।

1.3 चित्र 1.1 वृहत आर्थिक मोर्चे पर आए बदलाव को दर्शाता है। उन पांच प्रसिद्ध देशों के लिए एक वृहत-आर्थिक असुरक्षा सूचकांक तैयार किया गया है (एमवीआई) जिसमें एक देश की मुद्रास्फीति दर चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे (ये सभी जानकारी आईएमएफ के नवीनतम वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक से ली गई है) सभी को शामिल किया गया है। इस प्रकार यह सूचकांक एक देश से दूसरे देश समय-समय पर तुलनीय है। वर्ष 2013 में भारत 10.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर, 7.5 प्रतिशत बजट घाटा और जीडीपी के 4.7 प्रतिशत चालू खाता घाटे को मिलाकर बने 22.4 के सूचकांक मूल्य के साथ अत्यधिक संवेदनशीलता के शीर्ष पर या जो अन्य देशों में कहीं अधिक था। वर्ष 2013 अधिक चालू खाता घाटे (लगभग 8 प्रतिशत) में तुर्की ने भारत को पीछे छोड़ दिया। तब से भारत के भाग्य में नाटकीय बदलाव आया और इसने वृहत-आर्थिक आपदा सूचकांक एमवीआई पर बेहतर प्रदर्शन किया जबकि अन्य देशों की स्थिति यथावत बनी रही अथवा स्थिति में मामूली सुधार दिखा। फिर भी यह चार्ट भारत की सुधरी हुई स्थिति का उल्लेख करता है क्योंकि वर्ल्ड इकानोमिक आउटलुक ने संभवतः वर्ष 2014 में भारत की मुद्रास्फीति का अधिक आकलन किया है। लेकिन भारत को अपने वृहत आर्थिक आधार को लेकर पूरी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय पंद्रह से ऊपर सूचकांक मूल्य अच्छा है (12 से नीचे मूल्य - अगर कहें 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति, 2 प्रतिशत कैड तथा 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा - एक अधिक सुरक्षित वृहत आर्थिक स्थिति है)।

---

[1] *3 मार्च, 2014 और 15 दिसम्बर, 2014 के मध्य एसएण्डपी बीएसई 100 सूचकांक।*

चित्र 1.1 वृहत आर्थिक असुरक्षा सूचकांक
(मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटे तथा राजकोषीय घाटे को मिलाकर)

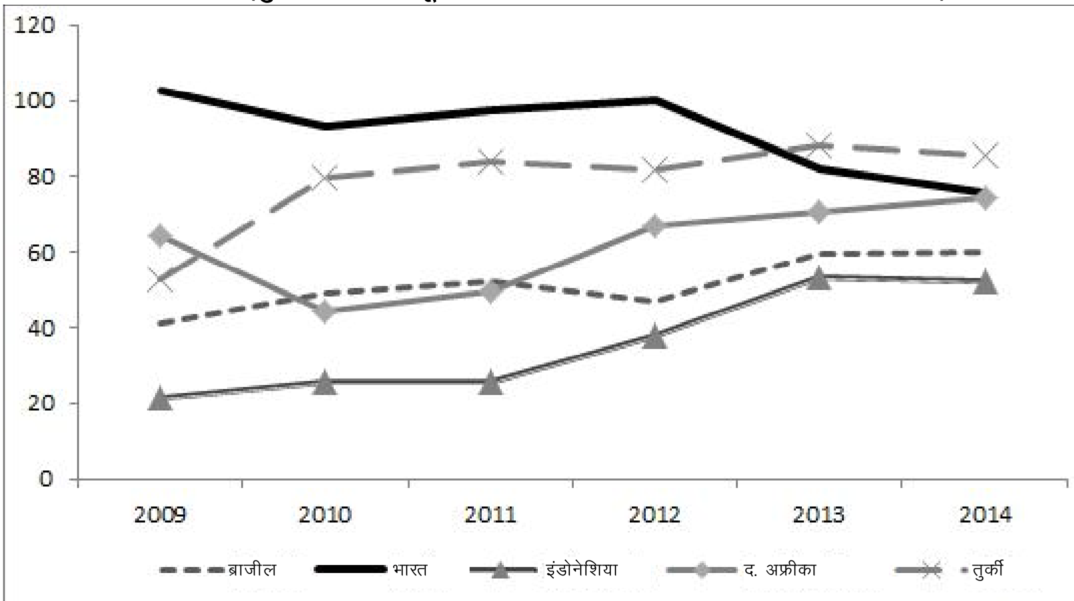

स्रोत : लेखम का परिकलन

1.4 फेड के "टेपर टेन्ट्रम" से भारत की संवेदनशील स्थिति, विकास की धीमी गति के बारे में निवेशक की अवधारणा के कारण है। कइ वर्षों तक औसतन लगभग 9 प्रतिशत विकास दर के बाद लगभग 12 तिमाहियों में भारत की विकास दर में गिरावट आई है और वित्तवर्ष 2014 की अंतिम 2 तिमाहियों में यह कम होकर 5 प्रतिशत से भी नीचे पहुँच गई है (चित्र 1.2)

चित्र 1.2 : वास्तविक सघउ की तिमाही विकास दर

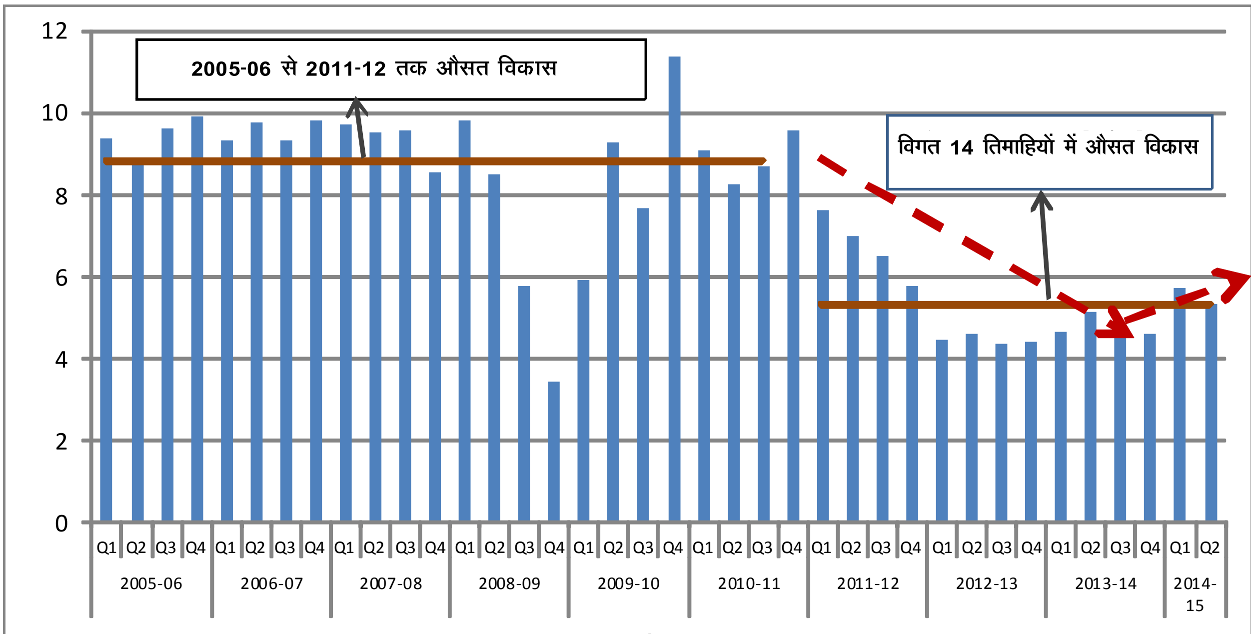

स्रोत :केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.5 हालांकि जबरदस्त सुधार के संकेत को समझना बहुत जल्दबाजी होगी। उभरते रूप से संकेत मिलता है कि विकास में गिरावट निम्नतम बिन्दू तक पहुँच गयी है। नवीनतम दो तिमाहियों में विकास में लिखे सुधार से यह व्यक्त होता है।

1.6 वृहत आर्थिक सुधार तथा सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों के परिणामस्वरूप निवेशक का भरोसा बढ़ा है दिए गए प्रमुख सुधारों की संक्षिप्त सूची में शामिल हैं:

- डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना, और इस क्षेत्र में निवेश के नए मार्ग बनाना।
- गैस की कीमतें प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट 4.2 अमरीकी डालर से बढाकर 6.17 अमरीकी डालर करना (33 प्रतिशत बढोतरी) और मूल्यनिर्धारण को पारदर्शिता तथा स्वतः अन्तरराष्ट्रीय मूल्य से जोड़ना जिससे कि बड़े पैमाने पर गैस की आपूर्ति को बढावा मिले और तत्पश्चात विद्युत क्षेत्र की अड़चने कम हो।
- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा में 49 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करना और निवेश में 100 प्रतिशत एफडीआई का लक्ष्य रखना।
- राष्ट्रीय स्तर पर कुकिंग गैस सब्सिडी के स्थान पर सीधे अंतरण करना।
- व्यय प्रबंधन आयोग स्थापित करना जो व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए योजना की रूप रेखा तैयार करेगा।
- निलामी और बड़े निजी क्षेत्र की प्रविष्टी से कोयला क्षेत्र में सुधार लाना।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना जिसके अन्तर्गत 11 दिसम्बर, 2014 तक 9 करोड़ से अधिक नए खाते खोले जाएंगे, के वित्तीय समावेशन के लिए बड़े कार्यक्रम कार्यान्वित करना।
- आधार कार्यक्रम के तहत कवरेज बढाने पर निरंतर जोर देना, एक बिलियन भारतीयो को नामांकित किए जाने का लक्ष्य रखना।
- सोने पर प्रमात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाना।
- पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र भेजना।
- राजस्थान में श्रम सुधारों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति सुकर करना, राज्यों के द्वारा किए गए और अधिक सुधारों के उदाहरण रखना, इन श्रम कानूनों को समेकित करना तथा उन्हें पारदर्शी बनाना; और
- विनिवेश के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना।

1.7. मुद्रास्फीति मोर्चे पर अगस्त, 2013 में आरबीआई द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में ब्याज दरों में की गई वृद्धि (75 आधार बिन्दु) और अर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट के रूप में स्फीतिकारी नीति एवं कार्यढांचे का व्यापक संकेत देना - इन सबने नीतिगत विश्वसनीयता को बढ़ाया। इससे राजकोषीय समेकन बनाए रखने, खाद्य पदार्थों के स्टाक को जारी करने और चावल तथा अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पहले 3-3.5 प्रतिशत की लगभग दो अंक के आसपास था को महत्वपूर्ण रूप से कम करने द्वारा इस सरकार के कार्यों से काफी महत्वपूर्ण मदद मिली है।

1.8 चालू खाते के संबंध में पिछले वर्ष स्वर्ण पर प्रशुल्क बढ़ाना और प्रतिबंध लगाना (दो चरणों में इसे उदार बनाया गया पहले मई में और फिर नवम्बर 2014 में) दो महत्वपूर्ण कदम थे इनसे चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली और तत्पश्चात विदेशी वित्तपोषण की स्थिति बनी। कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाने और निवेश और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के संबंध में निवेशक के भरोसे में प्रगति में सहयोग करने के लिए कई नीतिगत कदमों ने अहम भूमिका निभाई।

1.9 इसी समय विदेशी वातावरण भारत के पक्ष में परिवर्तित हो गया है। इस वित्त वर्ष में भारत की प्रमुख आयातित वस्तुओं पेट्रोलियम, स्वर्ण, कोयला, वनस्पति तेल, उर्वरक तथा चांदी (जो कुल मिलाकर जीडीपी का 12 प्रतिशत तथा कुल आयातों का 51 प्रतिशत बैठते हैं) की वैश्विक कीमतें पर्याप्त रूप से कम हुई है। कुछ मामलों में कीमतों में काफी कमी हुई है - तेल के मामले में 40 प्रतिशत, जिससे जीडीपी द्वारा भारित औसत गिरावट जीडीपी का लगभग 1.8 प्रतिशत (यदि भारत के तेल निर्यात की बात करें तो जीडीपी का लगभग 1.5 प्रतिशत) है।

4 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

अल्पावधिक विकास संभावना

1.10 आर्थिक समीक्षा 2013-14 (जुलाई 2014 में प्रकाशित) में यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 5.4-5.9 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि के साथ ही धीरे-धीरे उभरने की आशा है। यह नोट किया जाए कि सीमा से कम वृद्धि रहने की संभावना के निम्नलिखित कारण रहे- (i) निवेश चक्र को और गति देने के लिए किए गए सुधारों का मन्द प्रभाव (ii) कुछ एशियाई देशों में खासतौर से चीन में कम विकास की संभावना जो भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करेगी (iii) मुद्रास्फीति के बढ़ते स्तर जो पालिसी दर घटाने के लिए आरबीआई के कार्यक्षेत्र को सीमित करते हैं। (iv) सामान्य से कम मानसून की संभावना आर्थिक सुधारों की संभावनाएं और कतिपय प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में खासतौर से अमरीका की उम्मीद से अधिक सुदृढ़ स्थिति से भारतीय पुनरुत्थान में मदद मिलने की संभावना है।

1.11 निवेश को अभी उल्लेखनीय ढ़ंग से रफ्तार पकड़नी है लेकिन अच्छी दिशा में, महंगाई काफी कम हुई है, मानसून का विकास पर जैसा प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी वैसा नहीं हुआ और वस्तुओं की कम होती कीमतों के रूप में भारत को आपूर्ति की बढ़ी प्रमात्रा का झटका लगा जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5 प्रतिशत बैठता है। इस वर्ष की समाप्ति पर विकास दर लगभग 5.5 प्रतिशत हो सकती है।

2. निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए संभावना और चुनौतियां

राजकोषीय चुनौतियां

1.12 यह वर्ष चार वजह से खासतौर से चुनौतियों से भरा वर्ष है जिसका उल्लेख नीचे दिए गए बॉक्स 1.1 में विस्तारपूर्वक किया गया है।

- कराधार संभावना से कम था। इसका श्रेय अप्रत्याशित रूप से कम हुई मुद्रास्फीति को जाता है।
- राजस्व लक्ष्य आशा से अधिक लगाया गया।
- बजट पर व्ययों का अनावश्यक बोझ, और
- उपरोक्त के अलावा घाटे के लक्ष्य चक्र-पूर्व राजकोषीय नीति में प्रभावशाली ढ़ंग से दर्शाए गए हैं। - समेकन जब संभावना से कम विकास हुआ - जो अनुकूल समय में महत्वाकांक्षी रहा जो बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी असमान्य है।

बाक्स 1.1: वित्त वर्ष 2015 के बजट तैयार करने में आने वाली चुनौतियां

मध्यवार्षिक राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की वचनबद्धता के अनुक्रम में और अल्पावधि में वृहत आर्थिक स्थितरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2015 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है जो कि पिछले वर्ष के 4.5 प्रतिशत से कम है।

राजस्व के दृष्टिकोण से बजट का विश्लेषण करने पर पाया गया कि यह महत्वकांक्षी लक्ष्य था। बजट में 13.4 प्रतिशत

की मामूली जीडीपी वृद्धि और 1.5[1] की कर वृद्धि का अनुमान लगाया गया। राजस्व के अधिक आकलन से जीडीपी में मामूली वृद्धि के अधिक आकलन के साथ-साथ उछाल के अधिक अनुमान हो सकता है।

हम यहां इन दो कारकों में राजस्व के समग्र रूप से अधिक आकलन का सादे तरीके से विश्लेषण करते हैं[2] । हमारा अनुमान है कि यो दो कारक कुल मिलाकर लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अथवा वित्त वर्ष 2015 में जीडीपी का 0.84 प्रतिशत भाग लाएंगे जो की एक बड़ी गिरावट है जो इस समय हावी है।

विकास की आशावादिता के कारण अधिक अनुमानः भारत में महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति में नरमी के साथ-साथ क्षमता से कम वास्तविक विकास में निरुत्साह का अर्थ होगा कि मामूली स.घ.उ. विकास लगभग 10.6 प्रतिशत होगा न कि बजट में निर्धारित 13.4 प्रतिशत। आशा है कि इससे राजस्व आशावादिता 27,000 करोड़ रुपए तक या स.घ.उ. का 0.22 प्रतिशत होगा।

आशावादी उछाल के चलते अधिक अनुमानः राजस्व आशावादिता का दूसरा कारण उछाल के पूर्वानिमानों से संबंधित है। नीचे की सारणी पिछले पांच वर्षों के लिए मुख्य राजस्व के मदों के लिए औसत उछाल दर्शाती है और बजट में निहित पूर्वानुमानों के साथ तुलना की गई है। कई मामलों में पूर्वानुमानित उछाल पूर्व निष्पादन से बहुत अधिक थी।

आशावाद प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अधिक था। उदाहरण के लिए सेवा करों के मामले में अनुमानित राजस्व की तुलना में पूर्वानुमानित लचीलापन 26,000 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 0.2 प्रतिशत) था। बजट मे सेवा करों में 31 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि का अनुमान (पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में) था। इनमें से कुछ आशावाद सेवाओं के लिए कराधार का विस्तार करने के कारण रहा होगा, परन्तु अनुमानित उछाल का स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं किया गया। कुल मिलाकर लचीलापन का पूर्वाअनुमान से लगभग 78,000 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 0.62 प्रतिशत) तक हो सकता था।

इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती प्रभावों का अत्यधिक भार, जो पहले से ही चली आ रही सब्सिडी को आगे जारी रखना दर्शाता है, इस राशि का सही-सही अनुमान लगाना कठिन हे लेकिन यह 0.3 के दायरे से स.घ.उ. के अधिकतम एक प्रतिशत तक पहुँच सकती है।

इसलिए, इस वर्ष राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन करते समय निर्धारित की गई पूर्व की लागतों और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आशावादी राजस्व, मुद्रास्फीति के अप्रत्याशित रूप से कम होने के कारण और क्षमता से कम विकास के कारण भी उपभोक्ता का लाभ सरकार के लिए हानि होने का कारण है। दूसरे भाग का निहितार्थ यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार भारत चक्रीय अनुकूल राजकोषीय नीतियों का अनुसरण करने वाले इन कारकों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद वित्त वर्ष 2015 के लिए राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

[1] कर उछाल को समतुल्य आधार, प्रारूप, प्रारुपिक सांकेतिक स.घ.उ. में विकास के प्रति राजस्व विकास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। कर लचीलापन अनिवार्य रूप से कर उछाल है जो कराधार या कर दरों में परिवर्तनों के लिए नियंत्रण करती है। पूर्व में उछाल के अनुमान मोटे तौर पर लचीलापन अनुमान है क्योंकि विचाराधीन अवधि और कुछ अपवादों सहित कराधार या दरों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। हमने वैकल्पिक कर आधारों के साथ उछाल के अनुमानों की जांच की है (उदाहरण के लिए उत्पाद करों के लिए स.घ.उ. का विनिर्माण, सेवा करों के लिए सेवा स.घ.उ. और मोटे तौर पर इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त किए हैं।

[2] यह नोट किया जाए कि सृजित राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन को उछाल के उत्पाद और स.घ.उ. विकास दर के रूप में लिखा जा सकता है। वित्त वर्ष 2015 में राजस्व का अत्यधिक अनुमान उछाल के अत्यधिक अनुमानों का परिणाम है (सारणी में कालम 5) उछाल का प्रतिफल अत्यधिक अनुमान होता है (बजटीय उछाल और ऐतिहासिक उछाल के बीच अंतर) वित्त वर्ष 15 की सांकेतिक वृद्धि दर और वित्त वर्ष 14 में कर संग्रहण (अनंतिम वास्तविक) सांकेतिक वृद्धि दर। अत्यधिक आशावादी स.घ.उ. विकास लक्ष्य के परिणामस्वरूप अत्यधिक अनुमान के परिकलन के लिए इसी प्रविधि का अनुसरण किया जाता है।

सारणी - केन्द्रीय बजट 2014-15 में राजस्व के अधिक लक्ष्य का आकलन

कर	आधार	पूर्ववर्ती उछाल (2008-09 से 2013-14)[1]	उछाल (बजट 2014-15)[2]	उछाल के अधिक आकलन के कारण अधिक राजस्व का अनुमान (करोड़ रुपए में)[3]	सांकेतिक स.घ.उ. वृद्धि अधिक आकलन के कारण अधिक राजस्व का अनुमान (करोड़ रुपए में)[4]	कुल अधिक लक्ष्य (कालम 5+ कालम 6)	कुल अधिक लक्ष्य (स.घ.उ. के % के रूप में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
सीमा शुल्क [5]	आयात	0.6	1.3	12,772	2,892	15,664	0.12
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	**स.घ.उ.**	0.4	1.6	21,556	1,898	23,455	0.19
सेवा कर	**स.घ.उ.**	1.4	3.0	26,225	6,061	32,287	0.26
अप्रत्यक्ष कर	**स.घ.उ.**	0.8	1.9	57,861	11,116	68,976	0.55
निगम कर	**स.घ.उ.**	0.9	1.1	8,367	1,171	9,539	0.08
आय कर	**स.घ.उ.**	0.9	1.3	10,082	5,992	16,075	0.13
अप्रत्यक्ष कर	**स.घ.उ.**	0.9	1.2	20,144	15,964	36,108	0.29
समग्र कर	**स.घ.उ.**	**0.8**	**1.5**	**78,005**	**27,079**	**105,084**	**0.84**
अधिक अनुमानों में हिस्सा (प्रतिशत बिन्दुओं में)	-	-	-	**0.62**	**0.22**	**0.84**	-
अधिक अनुमानों में हिस्सा (प्रतिशत में)	-	-	-	**74.2**	**25.8**	**100**	-

स्रोत : वित्त मंत्रालय. टिप्पणियां:

क) 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए 2013-14 के लिए बजटीय सघउ 1,28,76,653 करोड़ रुपए है जबकि 2014-15 में अभी तक प्राप्त की गई 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से वास्तविक सघउ 1,25,58,711 करोड़ रुपए है।

ख) वर्ष 2010-11 में, मुख्य रूप से निगम कर, सीमा शुल्कों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण तथा पूर्ववर्ती वर्षों में कर राजस्व संग्रहों के खराब प्रर्दशन के कारण सकल कर राजस्व में त्वरित वृद्धि का रुख था।

ग) वर्ष 2013-14 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में गिरावट का रुख देखा गया।

1. वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान सांकेतिक सघउ की औसत वृद्धि दर कर राजस्व की औसत वृद्धि दर के अनुपात के रूप में परिकलित। पारंपरिक उछाल के परिकलन के लिए वैकल्पिक नमूना अवधियों पर भी विचार किया जा सकता था। लंबे नमूना जोखिम जिनमें 9 अवधियां शामिल हैं जिनमें कराधार और दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। चुना गया नमूना, यद्यपि छोटा और संकट बाद की अवधि तक सीमित हैं, परन्तु उसमें दर्शाए गए महत्वपूर्ण नीति संबंधी बदलाव नहीं हैं।
2. वर्ष 2014-15 में सांकेतिक सघउ की बजटीय वृद्धि-दर, 2013-14 के कर राजस्वों की वृद्धि दर (अनंतिम वास्तविक) के अनुपात के रूप में परिकलित।
3. पारंपरिक तथा बजट 2014-15 की उछाल के बीच अंतर वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक सघउ की वृद्धि दर तथा 2013-14 में कर संग्रहण (अंतिम वास्तविक) के गुणनफल के रूप में परिकलित।
4. वर्ष 2014-15 के लिए बजटीय सघउ की वृद्धि दर तथा वास्तविक सघउ की वृद्धि दर के बीच अंतर, पारंपरिक उछाल तथा वर्ष 2013-14 में कर संग्रहण (अंतिम वास्तविक) के गुणनफल के रूप में परिकलित।
5. सीमा शुल्क के लिए, उछाल आयातों की वृद्धि दर के आयात शुल्क संग्रहण की वृद्धि दर के अनुपात के रूप में परिकलित किया गया है।

मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति

1.13 हाल के महीनों में एक नाटकीय वृहत आर्थिक घटनाक्रम मुद्रास्फीति में गिरावट रही है, चित्र 1.3 देखें। नवंबर की मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत मुद्रित की गई। यह नवम्बर, 2014 में 11.2 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद नाटकीय गिरावट दर्शाता है। ये निम्न संख्याएं केवल बुनियादी प्रभावों के कारण नहीं हैं (आज उच्च मुद्रास्फीति है क्योंकि पिछले वर्ष इस समय कम मुद्रास्फीति थी) यहां तक कि अद्यतन तीन महीनों (औसत) हेडलाइन मुद्रास्फीति की गति 2.4 प्रतिशत है, जो (वित्त वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही) में 11.8 प्रतिशत से नीचे गिर गई है, जो लड़खड़ाती गिरावट है।

चित्र 1.3: सीपीआई (नई श्रृंखला) मुद्रास्फीति

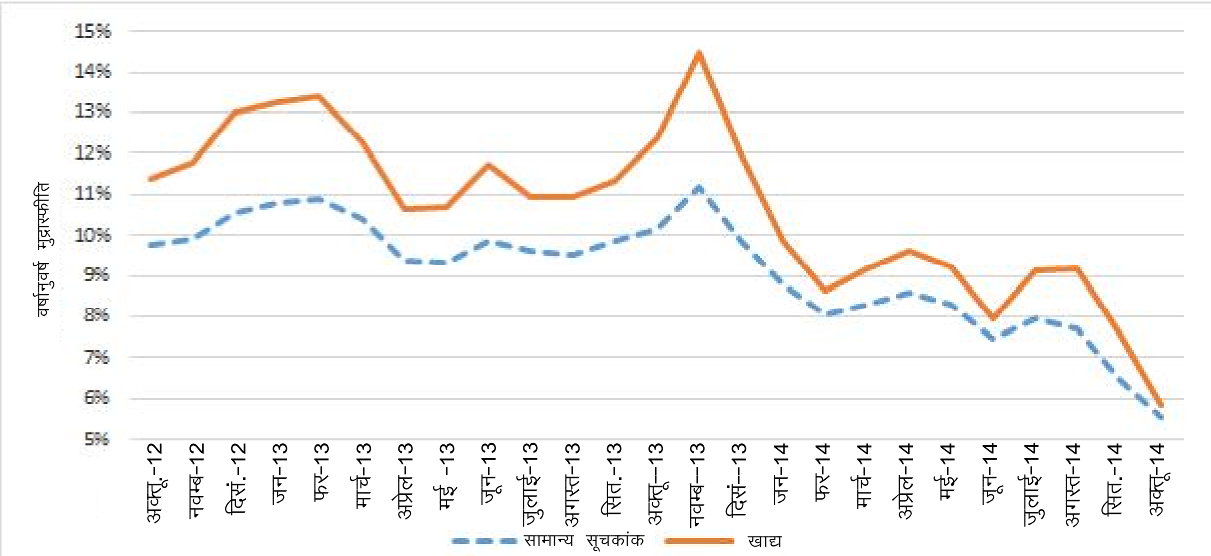

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

1.14 इसके अतिरिक्त इन घटनाक्रमों की प्रत्याशा थी। हाल ही सितंबर 2014 में 2015 के लिए आरबीआई का अनुमान 7.4 प्रतिशत था, जो लगभग 200 आधार बिन्दुओं का समग्र अनुमान दर्शाता है। यह अधिकांश वित्तीय बाजार आकलनों के लिए भी लागू होता है।

1.15 मुद्रास्फीति की 2015 की मात्रा का आकलन करने और मौद्रिक नीति को आगे बढाने के लिए नवीनतम प्रवृत्तियों को समझना महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति में गिरावट चार कारकों के कारण आई, जिन पर बाद में विस्तृच चर्चा की गई हैः-

क. कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट;

ख. पण्य, खासतौर से तेल की कीमतों में गिरावट;

ग. क्षमता की अपेक्षाकृत निरंतर कायम आर्थिक कमजोरी; और

घ. नीति निर्माण संबंधी विश्वसनीयता

क. कृषिः चूंकि कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का लगभग 50 प्रतिशत बैठता है। हेडलाइन पर इसका निर्णायक प्रभाव होता है। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर खास नजर डालने की जरूरत है।

- जनवरी 2011 से खाद्य, तेल और भोजन और खाद्यन्न के लिए विश्व बैंक का खाद्य मूल्य सूचकांक क्रमशः (अक्टूबर 2014) तक 20.27 और 29 प्रतिशत गिरा है।
- इसके अतिरिक्त ग्रामीण मजदूरी की विकास दर पिछले पांच वर्षों के लिए औसत 18 प्रतिशत (शीर्ष पर 26 प्रतिशत) रहने के बाद अब तेजी से घटते हुए एक अंकीय रह गई है (चित्र 1.5 देखें)। यह कृषि में सुदृढ़ अवस्फीतिकारी दबाव दर्शाता है और श्रम बाजार में मन्दी का संकेत देता है।
- इसके अतिरिक्त सरकार ने सचेत रहकर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की वृद्धि दर कम की है। 2007 से 2013 तक औसत 12 प्रतिशत रहने के बाद चावल और गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मौजूदा वित्त वर्ष में कम करके 3.8 प्रतिशत पर लाया गया है।

ख. तेल की कीमतें: वस्तुओं, विशेषकर तेल की कीमतों में गिरावट ने मुद्रास्फीति कम कर दिया है। तेल और पेट्रोलियम के आयात में लगभग 37 प्रतिशत बैठता है और स.घ.उ. का 9 प्रतिशत बैठता है। इस वर्ष तेल की कीमत लगभग 40 प्रतिशत गिरी और गिरती मुद्रास्फीति में इसका सकारात्मक और सतत योगदान रहा।

ग. आर्थिक क्रियाकलाप: आशा की किरण दिखाई देने के बावजूद अभी तक मजबूत सुधार नहीं हो पाया है (सिंहावलोकन अध्याय III में है)।

- अधिकांश हालिया तिमाहियों में मुख्यतया कृषि के सकारात्मक निष्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में 5.3 प्रतिशत विकास हुआ।
- निजी निवेश में तेजी नहीं आयी है, और कारपोरेट संतुलन पत्रों की खराब स्थिति के द्वारा इसमें अड़चन आई।
- अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों का निष्पादन, जो पूर्वार्ध में 5.6 प्रतिशत बढ़ा था, जो क्षमता की अपेक्षाकृत कम था और ऋण में मूक तेजी वर्तमान कमजोरी को इंगित करती है।

घ. मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता: लम्बे समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था बिना किसी विश्वसनीय मौद्रिक नियंत्रण के अपसरित होती जा रही तथापि, 2013 के अंत से इसमें सराहनीय रूप से उलटफेर हुआ है। चित्र 1.4 में इसकी व्याख्या की गई है।

1.16 लगभग छह वर्षों (2007 की तीसरी तिमाही से 2013 की तीसरी तिमाही तक) तक भारत ने मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता खो दी जो ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति लगातार द्विअंकीय थी, तब नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरों में परिलक्षित हुआ। दशक में पहली बार भारत में मुद्रास्फीति तुलनात्मक देशों से अधिक हो गई। (चित्र 1.4)

चित्र 1.4 वास्तविक नीति दर

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

1.17 वास्तविक ब्याज दरों के वापस सकारात्मक दायरे में बढ़ने से 2013 के अंत से उसमें उलटफेर हुआ है और आज की स्थिति के अनुसार वह केवल 2 प्रतिशत से अधिक है (तीन माह अग्रवती आधार पर)। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के जरिए मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता प्राप्त कर ली गई है। अपनी ओर से आरबीआई ने पिछले वर्ष जुलाई से नीति दरें बढ़ाई है और अर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें से दोनों लचीली मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने की चेष्टा का संकेत दिया गया है। ऐसा करके आरबीआई द्वारा स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति पर काबू पाने की क्षमता दर्शायी गई है।

1.18 परंतु मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सरकार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, यदि कुछ हद तक कम मान्यता दी गई। ऐसे समय पर जब खाद्य की उपलब्धता की चिन्ता बनी हुई थी उस समय स्टॉक जारी करके, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से काबू में रखकर गिरते विश्व कीमतों के साथ-साथ सरकार के कार्य कृषि से उत्पन्न मुद्रास्फीति के आवेग को कम किया है।

मुद्रास्फीति की संभावना

1.19 मौद्रिक नीति की अवस्थिति का निर्धारण केवल विगत घटनाक्रमों से नहीं किया जाएगा अपितु आने वाले स्फीतिकारी आवेग के आकलन द्वारा किया जाएगा। ऊपर विचार किए गए चार कारकों में से अति महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र होगा। परन्तु कृषि पर चर्चा करने के पहले अन्य कारकों के लिए संभावना पर विचार करना उपयोगी है।

1.20 तेल मूल्य : तेल मूल्यों में कमी का रूझान उलट जाएगा, इसका जोखिम हमेशा बना रहता है। तथापि, तेल के मूल्यों में नमी का रूख बने रहने की काफी अधिक संभावना है जिसके कम से कम तीन कारण हैं। चीन और यूरोप सहित विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में मांग में लगातार कमी हो रही है। अमरीका में तेल और शेल गैस के उत्पादन में वृद्धि के कारण आपूर्ति पक्ष में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है तथा ओपेक देशों की और विशेषकर बड़ा तेल उत्पादक देश सउदी अरब का तेल पर एकाधिकार में निरंतर कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में असामान्य रूप में कम ब्याज चक्र समाप्त होने और भविष्य में दर में वृद्धि होने की संभावना से तेल को भूमि के भीतर रखे जाने की तुलना में उसे निष्कर्षित करना अधिर लाभप्रद है और इससे भविष्य में आपूर्ति में अधिक वृद्धि होगी तथा तेल का मूल्य कम स्तर पर बना रहेगा। उच्च दरें वित्तीय आस्ति पुनःआबंटन को वस्तुओं और विशेषकर तेल को अमेरिकी वित्तीय लिखतों में एक वर्ग की श्रेणी से बाहर कर देगी।

1.21 आर्थिक क्रिया कलाप : वर्तमान वित्त वर्ष में महत्वाकांक्षी राजस्व में कमी के फलस्वरूप व्यय में कटौती की संभावना है जिससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर इस कारण की व्यय गुणक उच्च होने लगते हैं। अतः भविष्य में मुद्रास्फीति पर सकल मांग का दबाव कम बना रहेगा।

1.22 कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि : कृषि क्षेत्र को व्यापार योग्य और गैर-व्यापार योग्य संघटकों में बांट कर एक उपयोगी स्थिति प्राप्त की जा सकती है (हमेशा यह मानते हुए कि इन दोनों के बीच सीमारेखा काफी धुंधली है)। व्यापार योग्य और गैर-व्यापार योग्य स्थिति जिन्स के अनुसार बदलती रहती है और यह स्थिति तिलहनों और दालों के मामले में अधिक और समय के आधार पर भी अधिक बदलती रहती है क्योंकि सरकार की नीति अर्थव्यवस्था को विदेशी मूल्यों से अप्रभावी बनाए रखने का प्रयास करती है जो हमेशा एक सी नहीं होती जो इस बात पर निर्भर है कि प्राथमिकता उत्पादक को दी जा रही है या उपभोक्ता को। हाल ही में घरेलू मूल्य अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से संबद्ध हुए हैं।

1.23 व्यापक रूप में, कृषि क्षेत्र में मूल्य वृद्धि के निर्धारक तत्वों में विदेशी और घरेलू दोनों घटक शामिल हैं-ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्यों को समायोजित करने के लिए निरंतर उत्पन्न हो रहे दबावों का संयोजन है। घरेलू मांग दबाव अर्थव्यवस्था की मजबूती और राजकोषीय घाटे की स्थिति और घरेलू मोर्चे पर पारिश्रमिक से जुड़े मूल्य दबाव पर निर्भर करता है और उसमें सरकारी कार्यक्रमों से स्थायित्व आ सकता है।

1.24 आगे देखने पर, हमें कृषि क्षेत्र में मुद्रा स्फीति के इन विदेशी और घरेलू निर्धारकों के लिए दृष्टिकोण की अलग से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, विश्व स्तर पर कृषि वस्तुओं के मूल्यों के कम स्तर पर बने रहने की आशा है जिसमें 2014 की तुलना में 2015 में 1 प्रतिशत कमी आने की संभावना है। इससे न्युनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि पर प्रमुख प्रभाव पड़ेगा। गेहूँ और चावल में एफओबी मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) काफी सन्निकट हैं। इस कारण, इस बात की संभावना है कि एमएसपी में मामूली मूल्य वृद्धि (3-3.5 प्रतिशत) का हाल का रूझान जारी रहेगा जिससे मुद्रास्फीति जन्य दबाव कम होगा।

1.25 वास्तव में प्रभावी घटनाक्रम घरेलू संदर्भ में है और यह पारिश्रमिक संबंधी दबाव से जुड़ा है। जैसाकि नीचे चित्र 1.5 में दर्शाया गया है। 2012 से पारिश्रमिक में वृद्धि तेजी से घटी है, जिसके कारण ग्रामीण श्रम बाजार में एक नाटकीय

बदलाव आया है। अर्थव्यवस्था में नरमी और मनरेगा व्यय में कमी। गत दो वर्षों में 3 और 36 प्रतिशत की गिरावट) एक साथ देखी गई है) यदि ये रूझान जारी रहे तो ग्रामीण विकास की गति मंद हो सकती है और मुद्रास्फीति जन्य दबाव आगे और कम होगा।

चित्र 1.5: ग्रामीण मजदूरी ग्रोथ(प्रतिशत)

स्रोतः श्रम ब्यूरो

1.26 यह एक रोचक तथ्य है कि बाजार प्रतिभागियों ने सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमानों में मुद्रास्फीति के अधिकाधिक कम होने का अनुमान लगाया है और कुछ का अनुमान है कि मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाए गए अनुमान से भी कम होगा। अतः हम तीन प्रमुख बाजार प्रतिभागियों के आकलनों का औसत प्राप्त करते हैं और कुछ मामलों में उनका अनुकूल दृश्य लेकर दिसंबर 2014 से शुरू करके आगामी पांच तिमाहियों के अंत की स्थिति के संदर्भ में औसतन 5.3,5.4,5.1,5.2 और 5.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है।

मौद्रिक स्थिति

1.27 इस पृष्ठभूमि को देखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के ऋण नीति संबंधी आंकड़ों को देखते हुए इस अनुमान के तहत कि ब्याज दरें वित्त वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही तक वर्तमान स्तरों पर बनी रहेगी, मौद्रिक नीति की स्थिति पर नजर रखना उपयुक्त होगा।

1.28 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमानित मुद्रास्फीति के प्रोफाइल को देखते हुए जिसमें जनवरी 2016 के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करना शामिल है, वर्तमान नीतियां हमेशा के ही समान कठोर प्रतीत होती हैं। अपरिवर्तित नीति को मानकर वास्तविक ब्याज दरें ऐसे स्तर पर पहुँच जाएगी जो एक दशक पहले थी। किंतु उस समय (2000 के दशक के आरंभ से मध्य के वर्षों तक) अर्थव्यवस्था में काफी उलट-फेर चल रहा था, जो तेजी से बढ़ रहा था और परिसंपत्तियों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। इसके अतिरिक्त, यदि मुद्रास्फीति अन्य दबाव में ऊपर बनाए गए अनुसार कमी जारी रही और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य में काफी वृद्धि हो जाती तब भी नीति संबंधी स्थिति कठोर बनी रहेगी।

1.29 मौद्रिक नीति की स्थिति का मूल्यांकन करने का पूरक तरीका समग्र मौद्रिक स्थिति सूचकांक (एमसीआई) का अध्ययन करना है जो घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों की मांग पर प्रभाव को सूचित करता है। अतः यह सूचकांक मौद्रिक नीति की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए ब्याज दरों को वास्तविक विनिमय दरों से संयोजित करता है। इस सूचकांक में सामर्थ्य और दुर्बलता दोनों है किंतु यह वास्तविक ब्याज दरों पर निर्भरता को अतिरिक्त आयाम प्रदान करता है। एमसीआई में यह परिकल्पना की जाती है कि विनिमय दरों का सकल मांग पर प्रभाव पड़ता है और इसे मौद्रिक संदर्भ में किए गए मूल्यांकनों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि विनिमय दरें घरेलू नीति द्वारा प्रभावित हो सकती है, और यही बात लेन-देन ओपन पूंजी लेखाओं और सभी आस्तियों में अपूर्ण संपोषणीयता की दशाओं में भी सत्य है, अतः एमसीआई जैसे व्यापक सूचकांक का सहारा लेना उपयुक्त है।

चित्र 1.6: आरबीआई के अंतर्गत वास्तविक नीति दर और एमसीआई और वैकल्पिक मुद्रास्फीति अनुमान

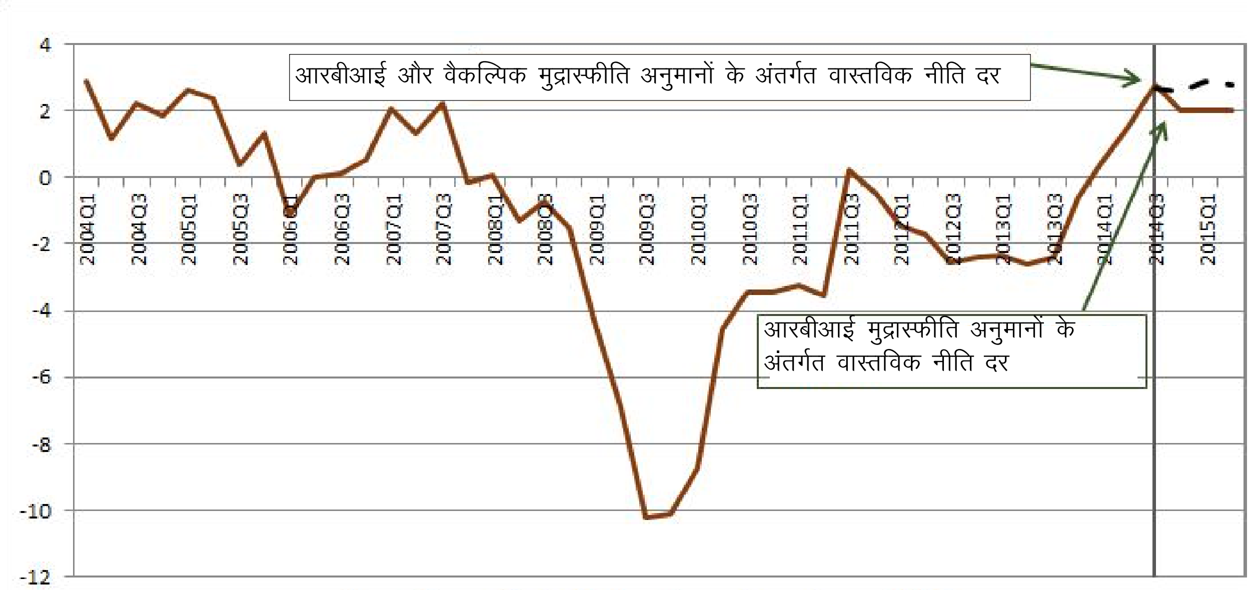

स्रोतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्लेक्ट मार्केट एनालाएसीस एंड एमओएफ

चित्र 1.7: आरबीआई और वैकल्पिक मुद्रास्फीति अनुमानों के अंतर्गत एमसीआई

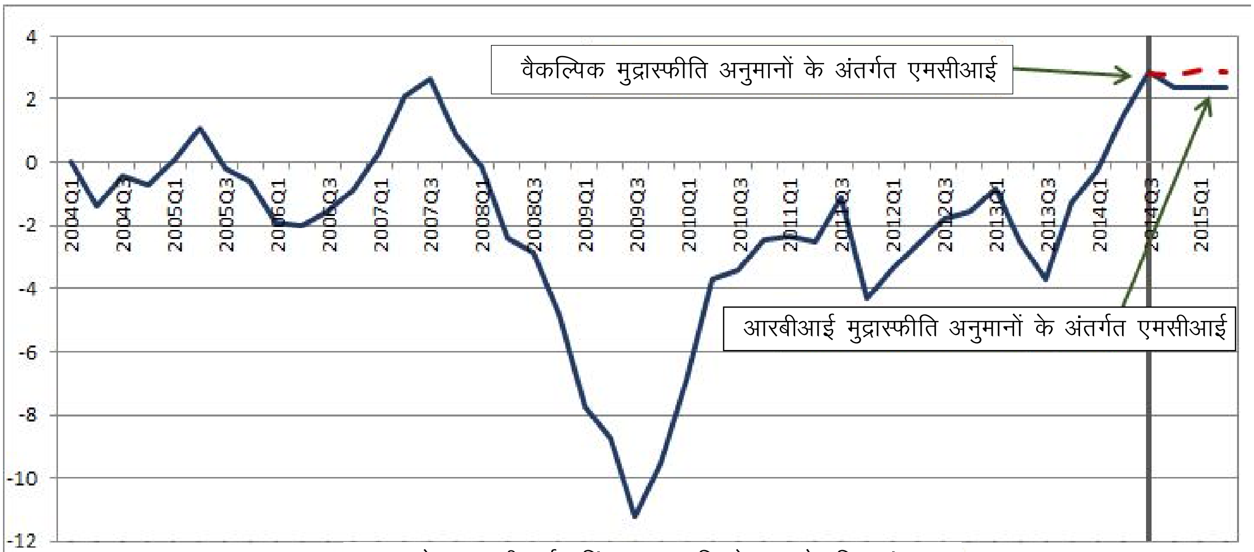

स्रोतः आरबीआई, चुनिंदा बाजार विश्लेषक और वित्त मंत्रालय

1.30 एमसीआई और वास्तविक नीति दर चित्र 1.6 और 1.7 में आलेखित की गई है। विनिमय दरों के प्रभाव को शामिल करने से यह तस्वीर सामने आती है कि हाल के वर्षों में मौद्रिक स्थितियां सर्वाधिक कठोर स्थिति में रही है। जैसाकि चित्र 1.6 से स्पष्ट है, वास्तविक नीति दर का अनुमानित पथ और साथ ही वैकल्पिक मुद्रास्फीति अनुमान के अंतर्गत एमसीआई भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति अनुमानों के अंतर्गत प्राप्य पथ से अधिक है। इससे यह पता चलता है कि यदि वर्तमान मौद्रिक नीति को जारी रखा जाए तो वह अब तक की वह काफी कठोर नीति सिद्ध होगी।

किंतु आज की वास्तविक दरों और हाल की विगत स्थिति (2004 और 2007) में समानता विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि तब अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी जबकि वर्तमान में सुधार अभी शुरू हो रहा है।

विदेशी क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण

1.31 उच्च और लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा चालू खाता घाटा (सीएडी), जिसने गत वर्ष के संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, में अब पर्याप्त कमी आई है। 2013-14 की आर्थिक समीक्षा में चालू खाता घाटा (सीएडी) 45 बिलियन अमरीकी डॉलर (स.घ.उ. का 21 प्रतिशत) होने का अनुमान लगाया गया है। जिसे पूंजी/वित्तीय प्रवाह के स्थायी स्रोतों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

1.32 आर्थिक समीक्षा के बाद हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में तेल और सोने के मूल्यों में गिरावट आना और साथ ही नवंबर, 2014 में स्वर्ण क्षेत्र में छूट की घोषणा करना शामिल है। अभी हाल की पिछली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत दर्ज किया गया है। पूरे वर्ष के संदर्भ में चालू खाता घाटा 2 प्रतिशत के आस-पास बने रहने का अनुमान है और यह अनुमान नवंबर में जारी उदारीकरण नीति के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में सोना आयात किए जाने तथा तेल के मूल्यों में वृद्धिकारी प्रभाव के समाप्त हो जाने के कारण है जो अभी आंकड़ों में प्रतिबिंबित नहीं हुआ है और जिससे चालू खाता घाटे में वार्षिक आधार पर 1.5 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

1.33 चिंता का एक अन्य कारण निर्यात वृद्धि में कमी आना और गैर तेल और गैर सोना, आयातों में वृद्धि होना है जो प्रतिस्पर्धा के क्षीण होने के प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो सितंबर, 2013 के बाद से वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हुआ है । (चित्र 1.8)यहां एक रोचक तथ्य यह है कि व्यापारिक भागीदारों के बावजूद भारत में उच्च मुद्रास्फीति द्वारा केवल 3% का योगदान किया जा रहा है जबकि अन्य मुद्राओं की तुलना में रूपये के मूल्य में शेष 7% की वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में हाजिर और वायदा बाजारों दोनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप के बावजूद पूंजी प्रवाह में वृद्धि प्रतिस्पर्धा के लगातार घटने का कारण है। इन प्रवाहों के लाभ और निर्यात तथा चालू खाते पर उनके प्रभाव पर विचार करना एक निरंतर वृद्धिशील महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

चित्र 1.8 नाममात्रिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दरें, निर्यात आधारित सूचकांक (36 मुद्राएं)

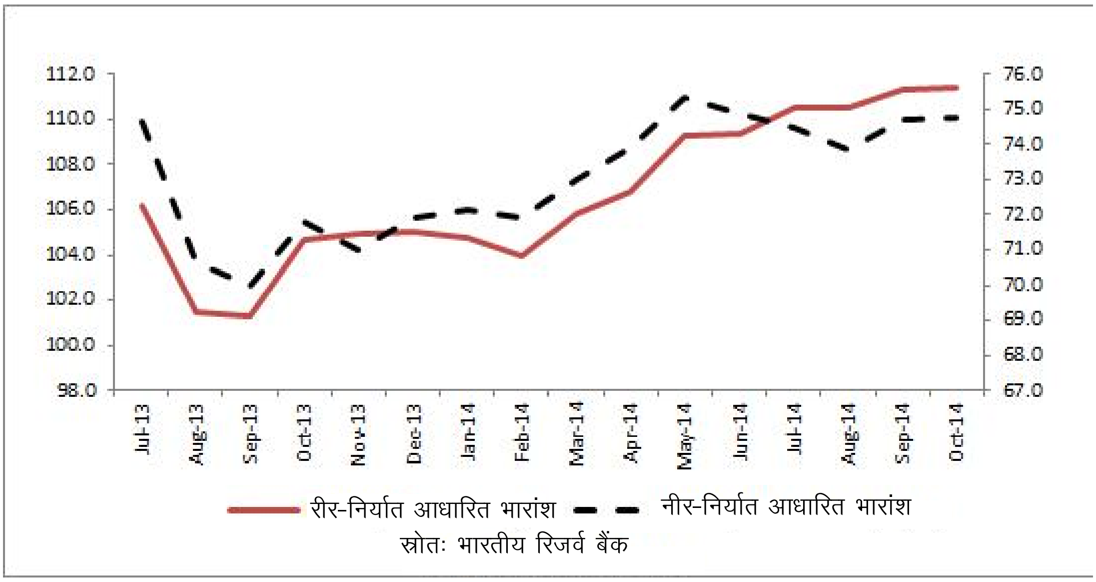

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

1.34 2014-15 की पहली छमाही में निवल वित्तीय/पूंजी संबंधी स्थिति स्वस्थ बनी रही है । अप्रैल-अक्टूबर 2014 में निवेश प्रवाह का स्तर (एफडीआई जोड़ एफआईआई) इस वर्ष के संदर्भ में चालू खाता घाटा के अनुमानिक स्तर से अधिक है। इस कारण पूंजी प्रवाह के 60 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल अनुमान से काफी अधिक हो जाने की उम्मीद है । भारतीय रिजर्व बैंक में इस अतिरिक्त प्रवाह के एक हिस्से का आमेलन कर दिया है। जिसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन के आधार पर एक उल्लेखनीय आरक्षित भंडार सृजित हुआ है। अमरीकी डॉलर के मजबूत होने के कारण परिसंपत्तियों के भंडार में समतुल्य राशि की वृद्धि नहीं हुई है। वैश्विक आर्थिक घटनाओं के कारण इसमें गिरावट का जोखिम बना हुआ है किंतु फिलहाल विदेशी क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण प्रतिकूल नहीं है।

3. विकास की संभावनाएं

1.35 मध्यावधिक आर्थिक विकास वृहत आर्थिक स्थिरता (जो भारत में बनी हुई है) और निजी क्षेत्रों के लिए निवेश के लिए एक उपयुक्त माहौल सृजित करने पर निर्भर करता है और नई सरकार ने इसे अब तक लागू किए गए अपने नीतिगत सुधारों में इसे प्रयोग में लाया है । मौलिक रूप से, भारत का मध्यावधिक विकास से संबंधित नजरिया काफी उत्साहवर्द्धक है और लगभग 7.8 प्रतिशत वृद्धि की रुझान दर पहुंच के भीतर होनी चाहिए (रौड्रिक और सुब्रमण्यम, 2004)3 । बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर और निवेश का सस्ते श्रम में उपयोग करके भारत अपने विकास के लक्ष्य के निकट आसानी से पहुंच सकता है और दीर्घावधि में एक मजबूत आधारशिला रख सकता है।

3 डी.रौड्रिक और ए. सुब्रमण्यम (2004), ''भारत 7 प्रतिशत या इससे अधिक दर पर विकास क्यों कर सकता हैः अनुमान और संकेत''- अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का वर्किंग पेपर ।

1.36 किंतु भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निवेश में कोई टिकाऊ उछाल नहीं आया है और जैसाकि चित्र 1.9 से सूचित होता है।

चित्र 1.9 : परियोजना से संबंधित दृष्टिकोण

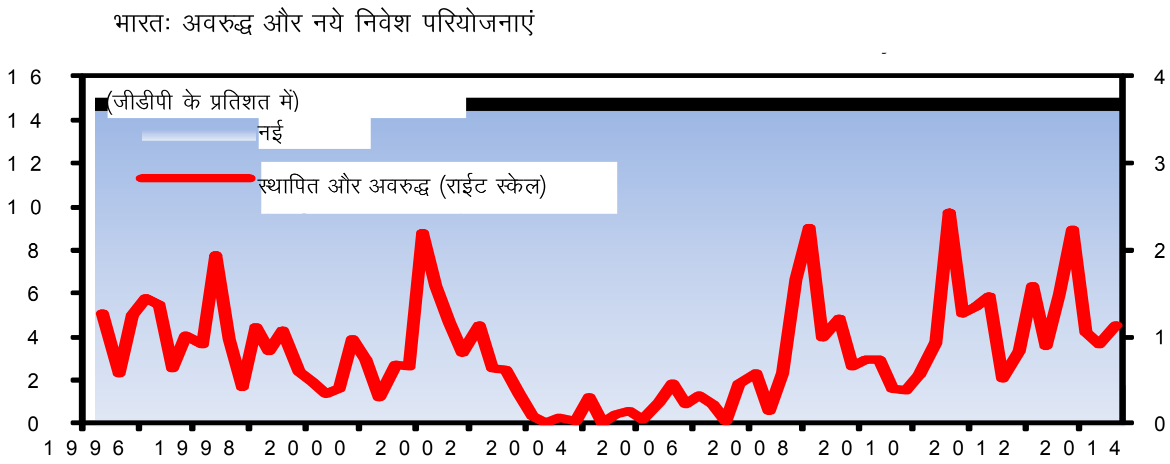

स्रोत : सीएपीईएक्स डाटाबेस और आईएमएफ कर्मचारी परिकलन

1.37 विदेशी क्षेत्र से आमतौर पर कठोर रुख प्रदर्शित होता रहा है। किंतु वर्तमान समय में अमरीका में सामान्य मौद्रिक नीति में क्रमिक बदलाव से उन्नत बृहत आर्थिक स्थिति, विदेशी क्षेत्र में व्यापक संतुलन तथा आरक्षित भण्डार किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए एक बीमा के रूप में है, को देखते हुए भारत के लिए कम जोखिम है और रूस में चालू गतिरोध की स्थिति, तेल तथा कृषि जिंसों के मूल्यों के संदर्भ में विदेश में व्याप्त माहौल जैसी कुछ आपवादिक घटनाओं को छोड़कर इसमें कोई प्रतिकूल बदलाव आने की संभावना नहीं है।

1.38 इससे भिन्न, भारत को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो प्रायः घरेलू स्वरूप की होती हैं । उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभवों से संबंधित हैं, जिसके कारण विशेषकर अवसंरचना और निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) के रूप में निर्धारित से अधिक निवेश करना पड़ा। भारत में 18 लाख करोड़ रुपये (स.घ.उ. का लगभग 13 प्रतिशत) करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं पर काम चालू है जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं । इसके अतिरिक्त, इससे निम्न और घटती हुई कारपोरेट लाभकारिता का पता चलता है क्योंकि एक तिहाई से अधिक प्रतिष्ठानों का हित कवरेज अनुपात एक से कम है (ब्याज भुगतानों को करने के लिए उधार ली गई राशि को प्रयोग में लाया जाता है)। कारपोरेट क्षेत्र में अति-ऋण ग्रस्तता जिसमें मध्यम ऋण-इक्विटी अनुपात 70 प्रतिशत है, विश्व में सर्वाधिक ऋण ग्रस्तता से जूझ रहे कारपोरेट सेक्टरों में शामिल है। कारपोरेट क्षेत्र से इस प्रकार की लहर बैंकिंग क्षेत्र में भी पहुंची है जहां पुनर्गठित परिसंपत्तियों का आकलन कुल परिसंपत्तियों का लगभग 11-12 प्रतिशत किया गया है । जोखिम से बचने के लिए किए जा रहे क्रियाकलापों के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र रियल सेक्टर को ऋण देने में अधिकाधिक असमर्थ तथा अनिच्छुक होता जा रहा है।

1 डी.रौड्रिक और ए. सुब्रमण्यम (2004), ''भारत 7 प्रतिशत या इससे अधिक दर पर विकास क्यों कर सकता हैः अनुमान और संकेत''- अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का वर्किंग पेपर ।

1.39 भारत वर्तमान समय में विपत्ति के दौर से गुजर रहा है जिससे ''भारतीय अभिलक्षणों से युक्त तुलन पत्र सिंड्रोम'' की संज्ञा दी जा सकती है। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में रियल एस्टेट और इक्विटी क्षेत्र में उछाल के बाद के जापान और वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने के बाद अमरीका के समान भारत में तुलन पत्र अत्यधिक विस्तृत होते हैं । भारत का मामला अमरीका की तुलना में जापान के अधिक अनुरूप है क्योंकि भारत में प्रतिष्ठानों का तुलन-पत्र (और न कि उपभोक्ताओं का) अति विस्तृत होता है जिससे भावी निवेश/व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

1.40 इस सिंड्रोम में तीन सुस्पष्ट भारतीय अभिलक्षण शामिल हैं । पहला, मंदी या आर्थिक ठहराव की स्थिति से नहीं जूझ रहा है। भारत में आर्थिक विकास सभी कठिनाइयों के बावजूद अभी भी 5.5 प्रतिशत बना हुआ है न कि एक प्रतिशत या ऋणात्मक ।

1.41 दूसरा, भारतीय रियल सैक्टर में कमियां न केवल दुर्बल वृहत आर्थिक मांग के साथ सह-स्थित होती हैं बल्कि यह कुछ मजबूत मांग के साथ भी सह-स्थित होती है (कम से कम आपूर्ति के सापेक्ष) जो मामूली उच्च मुद्रास्फीति और मामूली उच्च चालू खाता घाटा के रूप में प्रदर्शित होती है। जापानी और अमरीकी बैलेंस शीट में मंदी को मूल्य में विचलन के साथ संबंधित किया गया । यूरो क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक भिन्न परिणाम यह है कि भारत की राजकोषीय ऋण ग्रस्तता (अर्थात् पूंजी की समस्या) उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार लाने में सहायक है जबकि यूरो क्षेत्र में मुद्रा प्रसार के कारण स्थिति अत्यधिक खराब होती जा रही है । एक अन्य परिणाम यह है कि राजकोषीय पंप-प्राइमिंग भारत के संदर्भ में विकल्प से कमतर सतर का है।

1.42 तीसरा, संभवतः यह अधिक सुस्पष्ट तथ्य है । भारत में तुलन-पत्र की समस्या अंशतः सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय समस्याओं से उत्पन्न हुई है इससे तथाकथित सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए अवसंरचना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

1.43 चित्र 1.10 और 1.11 में इसे प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक पूंजी निर्माण में वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत हुई तथा निजी कारपोरेट क्षेत्र में निवेश में पूर्वी एशिया शैली में बहुत कम अवधि के दौरान काफी अधिक वृद्धि हुई और यह 2003-04 के 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 17.3 प्रतिशत हो गया जो स.घ.उ.के लगभग 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि को सूचित करता है।

चित्र 1.10 : सकल नियत पूंजी निर्माण की वृद्धि दरें (प्रतिशत)

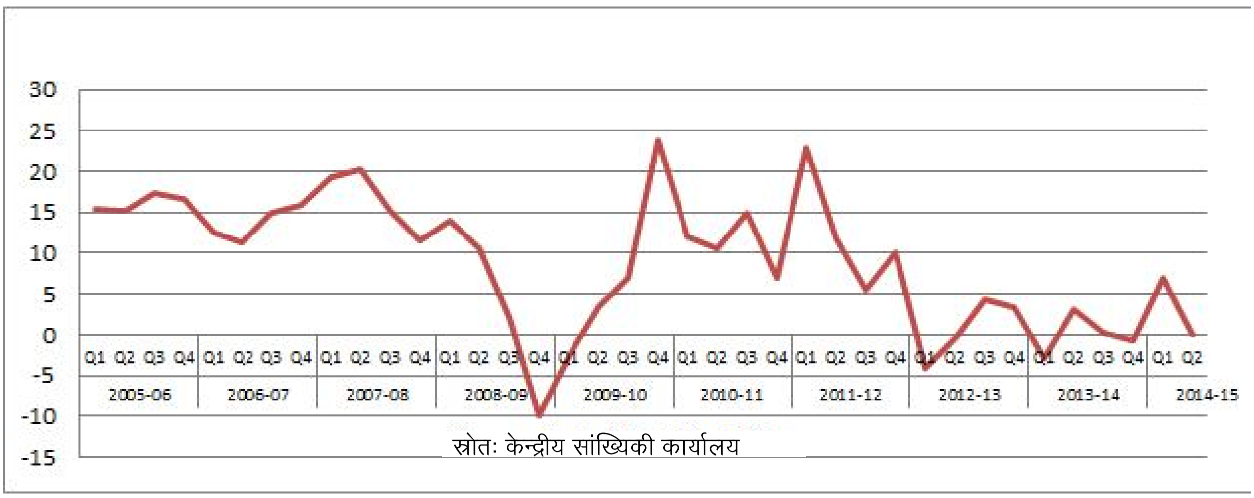

चित्र 1.11 : सकल नियत पूंजी निर्माण की वृद्धि दरें (प्रतिशत)

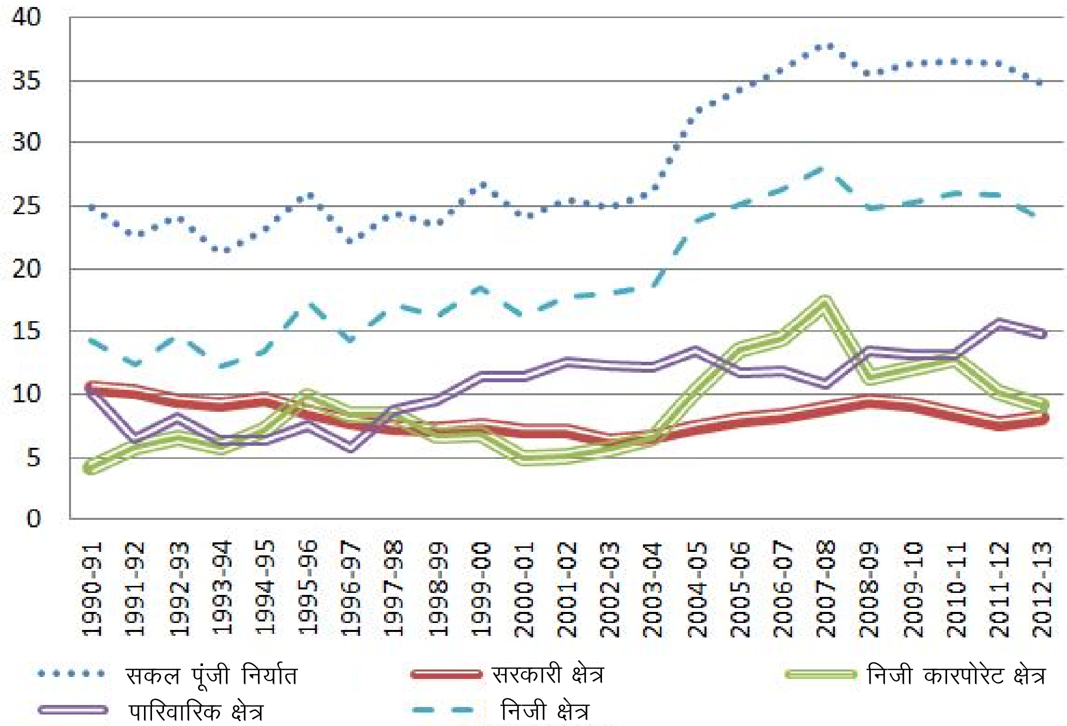

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.44 जैसे-जैसे विकास की धूम मन्द होती है, परियोजनाएं विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारणों से खट्टाई में पड़ जाती है, और विपदाग्रस्त आस्तियां छोड़ जाती हैं। इस स्टॉक समस्या से मुनाफा गम हो रहा है और इसलिए निवेश भी कम हो रहा है। अपेक्षाकृत कमजोर संस्थाओं के चलते यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। कारगर कानूनी प्रक्रिया (कारपोरेट ऋण पुर्नसंरचना प्रणाली और सारफेसी, अधिनियम) चल रहा है जो निवेशकों, ऋणदाताओं,उपभोक्ताओं और कर दाताओं के बीच पिछले के निर्णयों की हानि को साझा कर सकता है।

भावी कार्यक्रम

1.45 प्रथमतः पिछली अवरूद्ध परियोजनाओं को और शीघ्रता से शुरू किए जाने की जरूरत यह प्रक्रिया पहले ही शुरु की जा चुकी है। जहां गत्यावरोध कोयले और गैस की आपूर्तियों की तेना है, वहां कोयला क्षेत्र क्षेत्र के व्यवस्थित सुधारों और उच्चतम न्यायालय ने जिन कोयला खंडों का आबंटन रद्द कर दिया है, उनकी नीलामी तथा गैस की कीमत में वृद्धि के गैस की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी होगी,से मदद मिलेगी। तेज गति से पर्यावरणीय समाशोधनों, भूमि और श्रम सुधार कानूनों पर भी विचार करना छोड़कर (बाक्स 2.3 में कुछ सुझाव जा चुके विचार देखें कि किस तरह हालिया भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 का,दुर्बल वर्गों की रक्षा करते हुए, ऐसा उद्देश्य है जिसे कमजोर नहीं किया जा सकता, सुधार करके निवेश मार्ग की अड़चनें कम की जा सकती है)।

1.46 किंतु इस ढेर से निपटने के बावजूद प्रवाह की समस्या आने वाली हैः विशेषकर अवसंरचना में नया निजी निवेश आकर्षित करना। सार्वजनिक निजी भागीदारी नमूना कम सफल रहा है। अतीत के बोझ को आवंटित करने की मुख्य अतनिर्हत करने समस्या-भंडार जिससे कारपोरेट और बैंकों का तुलना पत्र आक्रांत है-भी यथाशीघ्र सुलझाया जाना है। इस अनुभव की आवृति की अनिश्चतता और ललक संदेहास्पद है।

1.47 इस संदर्भ में, संवृद्धि को आगे बढ़ते रहने वाली एक प्रधान इंजिन के रूप में सार्वजनिक निवेश को पुनरूज्जीवत करते न कि निजी निवेश को इसके स्थान पर लाने बल्कि सार्वजनिक निवेश को पुनरूज्जीवित करके उसका पूरक बनाने से जुड़े इस मामले पर विचार करना अनिवार्य प्रतीत होता है। चित्र 1.5 से जाहिर होता है कि एक और निजी कारपोरेट

निवेश में उठान आया तो दूसरी और सार्वजनिक निवेश भी व्यापार उत्कर्ष के दौर में लगभग 3 प्रतिशत अंक तक बढ़ा और जिस प्रकार कारपोरेट निवेश 2007-08 से 2013-14 के बीच 8 प्रतिशत अंकों तक गिर गया उसी प्रकार सार्वजनिक निवेश भी लगभग 1.5 प्रतिशत अंकों तक घटा अधोमुखी दौर में अतिचक्रीय सार्वजनिक निवेश उन राजकोषीय लक्ष्यों से अंशतः प्रेरित रहा है जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष के अंत की ओर वृहत् कटौतियां करनी पड़ी है, क्योंकि वित्तीय समेकन के दबाव दिखाई पड़ गए हैं।

बाक्स 1.2ः व्यावहारिक सुधारः भूमि अधिग्रहण कानून का मामला

पृष्ठभूमि

नया भूमि अर्जन अधिनियम औपचारिक रूप से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरटीएफसीटीएलएआरआर एक्ट) (इसके बाद नया अधिनियम के रूप में संदर्भित) कहा जाता है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 'पुराना अधिनियम' कहा जाता है। यद्यपि भूमि राज्य का विषय है। (राज्य सूची की प्रविष्टि 18), किंतु संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण (भूमि अर्जन सहित) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में आता है।

'प्रमुख क्षेत्र की अवधारणा के अंतर्गत संप्रभु सरकार द्वारा भूमि के अनिवार्य अर्जन (यद्यपि प्रतिकर सहित) की शक्ति विश्वभर के कानून में सुपरिभाषित है। जनतांत्रिक अपने संदर्भ में इस शक्ति का प्रयोग 'सार्वजनिक प्रयोजना' हेतु किया जाना है। पद 'सार्वजनिक प्रयोजन' बहुत व्यापक है और इसमें निजी तौर पर संपन्न परियोजनाएं शामिल हैं यदि उनसे अप्रत्यक्ष रूप में जनहित या समाज का कुछ व्यापक हित (वर्धित कर राजस्व या रोजगार सहित) शामिल है। कतिपय किस्मों की बाजार विफलता के समाधान के लिए अर्जन हेतु राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में प्रबल औचित्य भी होता है। प्रथमतः उनके विकासपरक परियोजनाओं के लिए भूखंड चाहिए। कोई भी व्यक्ति बाजार में निजी क्रय-प्रक्रिया को बिक्री से इन्कार करके या बाजार मूल्य से अधिक कीमत की मांग करके ठप कर सकता है, भले ही अधिकांश भूस्वामी बेचने के इच्छुक हो। द्वितीयतः भारतीय परिवेश में, भूमि के हक अक्सर विवादित होते हैं और निजी क्रेता को विक्रेता से बेहतर हक नहीं मिलता, और इससे बाजार के कारोबार हतोत्साहित होते हैं। जब भूमि सरकार द्वारा अर्जित की जाती है तो हक विषयक त्रुटियां अपने आप कानून से दुरूस्त कर ली जाती हैं तथा आबंटिती को बेदाग हक प्राप्त होता है। ऐसे अनिवार्य अर्जन के उपबंध आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है।

इस बात पर सर्व सहमति हुई है कि पुरानी भूमि अर्जन क्रियाविधि गंभीर दोषों से भरी हुई है : प्रभावित समुदायों से लापरवाह परामर्श, अपेक्षित भू-क्षेत्र का आकार घटाने और विकल्पों को तलाश करने पर कम या बिल्कुल ध्यान न देना, भूमि पर आश्रितों के (जैसेकि काश्तकार और साझा उत्पादक) पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) संबंधी उपबंधों का अभाव गैर अत्यावश्यक मामलों में अत्यावश्यकता के उपबंधों के दुरुपयोग की संभावना और अर्जित भूमि के बदले नाकाफी प्रतिकार पर गंभीर आग्रह। नए अधिनियम से इन सभी मामलों का विशिष्टतः समाधान होता है।

नए अधिनियम के उपबंध अवधारणा रूप में त्रुटिहीन हैं। किंतु कानूनी विचार से भ्रम और मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस अधिनियम के प्रारूप में सुधार की गुंजाइश है।

व्यवहारिक दृष्टिकोण से यद्यपि नए अधिनियम में अनेक परिवर्तनों की आवश्कता है, वर्तमान में शीघ्र कार्य निष्पादन तथा नए अधिनियम की विशेषताओं में छेड़छाड़ किए बिना न्यायोचित क्रियान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव तीन खन्डों में है, जिन्हें नियमों और अधिसूचनाओं, तात्कालिक (और राजनीतिक तौर पर अविवादास्पद) उपायों, जिनके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है, तथा अन्य उपायों के द्वारा लागू किया जा सकता है।

केन्द्रीय विधायन के बिना नियमों अथवा अधिसूचनाओं के जरिए लागू किए जा सकने वाले प्रस्तावः

1. विशेष कार्यों की छूट देने वाली अधिसूचनाएं जारी करनाः अधिनियम में चौथी अनुसूची है जिसमें कतिपय विशिष्ट प्रकार्यों, जिनकी भूमि अर्जन की अपनी प्रक्रिया है, की सूची दी गई है। केन्द्र सरकार को उक्त सूची में नए कार्यों को जोड़ने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 105 इन अधिनियमों में यथा-निहित प्रक्रियाओं को जारी रखने की

अनुमति देता है। किन्तु इसके लिए केन्द्र सरकार को नए अधिनियम के अनुरूप वित्तीय प्रतिपूर्ति विनिर्दिष्ट करने तथा आर एंड आर लाभों पर एक अधिसूचना जारी करनी होगी।

यह अधिसूचना सरकार को नए अधिनियम लागू होने के एक साल के भीतर जारी करना होती है। विशेष अधिनियम के तहत अनुदेश या नियम जारी करते समय परिवर्धित/संशोधित या सरलीकृत एस.आई.ए तथा परामर्श प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नए अधिनियम की हितकारी विशिष्टताओं को बहाल रखना चाहिए। ऐसे प्रस्तावों को मुख्य सिद्धांतों के साथ तथा न्यूनतम अधिग्रहण सुनिश्चित करते हुए सामाजिक लाभ की संरचना के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित होना चाहिए, तभी अधिकांश अवसंरचनाओं में परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण ज्यादा तेजी से संभव है।

2. **आशोधित एस.आई.ए नियमः**

यह कार्य व्यापक रूप से इस बात पर आधारित है कि वह व्यक्ति, जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जानी है, ग्रामीण - गरीब और संवेदनशील रूप से विपन्न है। इसके प्रतिकूल नतीजे भी हो सकते हैं। (असाधारण रूप से ऊंची लागत और अनावश्यक संपन्नता)। जब जमीन उन लोगों से अधिगृहीत की जाती है जो शहरी, धनी और शिक्षित है (भविष्य में ज्यादातर अधिग्रहण शहरी या अर्धशहरी इलाकों से की किए जाने है) नए अधिनियम में एसआईए प्रक्रिया का सुस्पष्ट और निश्चित उल्लेख नियमों में किया जाना चाहिए। नियमों को समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा गरीबों के लिए प्रतिस्थापित व लक्षित करते हुए परिवर्धित किया जाना चाहिए। जो कमजोर वर्ग के लोग नहीं है उनके लिए सरलीकृत और आसान प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।

3. **निजी खरीदों के लिए उच्च सीमा विनिर्दिष्ट करना** अधिनियम में कहा गया है कि यदि कोई खरीददार विनिर्दिष्ट सीमा के बाहर कोई खरीद करता है तो (राज्य की सैलग्नता के बिना स्वेच्छया से) आरएंडआर मुहैया कराना होता है। यह सीमा अभी विनिर्दिष्ट है, इसे उस स्तर तक निर्धारित किए जाने की जरूरत है जिससे कि यह एक तरफ विक्रेता के हितों तथा इसके साथ ही दूसरी तरफ दूसरे की विकास संबंधी जरूरत को पूरा कर सके। जिससे कि भूमि के अधिग्रहण और विकास से जुड़े निजी खरीददारों को उचित प्रोत्साहन मिल सके।

4. **राज्यों को संशोधन की अनुमतिः** चूंकि यह मामला समवर्ती सूची में आता है। केंद्र सरकार को इस अधिनियम के कुछ उपबंधों को संशोधित करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता देने में हिचकना नहीं चाहिए।

कानून में बदलाव की जरुरत

प्रतिनिधि मूलक आपराधिक कानून मं बदलावः सरकारी तथा कंपनी निदेशकों के लिए उनके अधीनस्थों द्वारा उनकी जानकारी के बगैर किए जाने वाले गलत व अनुचित कार्यों के लिए विविध प्रतिनिधि मूलक आपराधिक प्रक्रिया चलाए जाने का कानून लागू किया गया है और इसमें बचाव के लिए सबूत जुटाने की जवाबदेही भी इन्हे आधिकारियों पर डाली गई है।

सरकारी कर्मचारियों के दूराचार से सम्बन्धित अपराधों को भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार अधिनियम, लोकपाल अधिनियम पर आधारित विविध कानूनों द्वारा समुचित रूप में कवर किया गया है।

अधिकारियों की जानकारी के बिना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले आपराधिक कार्यों के लिए नई अपराधिक पेनल्टी के आने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में लगे अधिकारी हतोत्साहित होंगे। जबतक जहां अभियोग आसानी से साबित हो (सिर्फ लापरवाही नहीं) नये अधिनियम को गेम-चेन्जर नही बनाया जा सकता। इस प्रयोजन के लिए अध्यादेश पर विचार किया जा सकता है।

अन्य परिवर्तन जिनपर कानून बनाया जाना चाहिएः

इसके अतिरिक्त विविध प्रारूपी त्रुटियों और अस्पष्टताओं को सुधारे जाने के लिए नीचे लिखे नव परिवर्तनीय सुझाव किए गए हैं। जिनपर ओर अधिक विचार किए जाने की जरुरत है।

- एक नया खंड शुरू किया जाए जिसमें बाजार मूल्य के ऊपर के अतिरिक्त मुआवजा अदा किया जाएगा। लेकिन यह तभी होगा बशर्ते जमीन का मालिक इस बात पर सहमत हो कि वो कोर्ट-कचहरी का दरवाजा नही खटखटाएगा अर्थात जमीन के मालिक को नीचे लिखे विकल्प दिए जा सकते हैः (क) बाजार की कीमत के

साथ 30 प्रतिशत अधिक मुआवजा तथा इसके सथा-साथ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकार या, (ख)- 200% (शहरी) से 400% शहरी का बाजार मूल्य और भविष्ट में अतिरिक्त मुआवजे के लिए वाद लाने के अधिकार के साथ पूर्वजों की अभिस्वीकृति।

- आवश्यकता तात्कालित खंड (जिसमें एस.आई.ए. प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाता है) बहुत संकुचित (रक्षा-राष्ट्रीय सुरक्षा आदि ही हैं) है। इसे विस्तृत किए जाने की जरूरत है।
- निजी तौर किए जाने वाले खरीद वार्ताओं के लिए आर.एंडआर, अनुसूचित क्षेत्रों में ही लागू होनी चाहिए या उन जगहों पर जहां ऐसी कोई शिकायत हो और जहां सरकार के पास ऐसा जरूरी समझने के पर्याप्त आधार हो।

* *ये विचार 09 दिसम्बर 2014 को आयोजित "नार्थ ब्लाक पालिसी चर्चा" के प्रथम सत्र में निःस्तत उदगार है। जिनमें भूमि अधिग्रहण और सुधार सम्बन्धी व्यवहारिक उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।*

1.48 सार्वजनिक निवेश का मामला त्रि-आयामी होता जा रहा है पहला इसमें परियोजनाएं है जैसे कि सड़के सार्वजनिक सिंचाई सुविधाएं और आधारभूत रूप से जुड़ना जिसमें निजीक्षेत्र यहां पर आने को उत्सुक न हों। दूसरे पीपीपी के पिछले अनुभवों से यह सबक रहा है कि भारत के कमजोर संस्थानिक निकायों को देखते हुए परियोजना लागू कराने की लागत और जोखिम बहुत ज्यादा हैं इसके अलावा भूमिअधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृतियों पर भी बहुत समय लगता है और इनपुट सामग्री की आपूर्ति एक जैसी नही होती (ये सभी बातें कुल मिलाकर परियोजना में बाधक होती हैं) जबकि सरकारी क्षेत्र इन्हे ज्यादा कुशलता से निपटान कर लेता है। तीसरा- विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधा बुनियादी सुविधाओं का अभाव है विधुत आपूर्ति और केनक्टिविटी का अभाव ही वो अहम कारण है जो विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करता है।

1.49 इन कारणों से विशेषकर कमजोर संस्थानों के अन्तर्गत पिछले सभी अनुभवों के दोहराव तथा सार्वजनिक निवेश की लापरवाही के निराकरण पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और इसके लिए राजकोषीय गुंजाइश जुटाने के लिहाज से मध्यम-अवधिक राजकोषीय समीक्षा भी की जानी चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में राजकोषीय समस्या भले हो पर स्टाक की कोई समस्या नही है उच्च मुद्रास्फीति और अन्य विकास के मिश्रण के रूप में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी ऋण का अनुपात पिछले कई अकों में उल्लेखनीय रूप से कम किया है। आगे चलकर ऋण की यह स्थिति भारत के पक्ष में करीब 6 प्रतिशत होगी और प्राथमिक घाटा मौजूदा श्रृंखला में घटकर सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत तक आकर सिमट जाएगा। यह काउन्टर सिलिकल (प्रति आवर्ती) ही नहीं अपितु प्रति अवसंरचनात्मक राजकोषीय नीति का मामला है जोकि मध्यम आवधिक निवेश और विकास की समीक्षा से जुड़ा हुआ है और इस पर सक्रिय रूप से विचार किए जाने की जरूरत है।

1.50 यह निश्चित है कि सार्वजनिक क्षेत्र की महत्तर भूमिक से दक्षता लाभों के निजी क्षेत्र की भागीदारी से चले जाने का जोखिम है। यहां एक सन्तुलन बनाए रखने की जरूरत है ऐसा सन्तुलन जिसमें लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक निवेशों, सतर्क और सावधान अभिचिन्हित और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संघन रूप से प्रबोधित और दक्षता सम्बन्धी किंचित प्रामाणिक क्षमता के साथ तथा शेष अर्थ-व्यवस्था के लिए बृहदतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ संजोए जाने की जरूरत होगी। इसके लिए महत्तर निजी निवेश जुटाए जाने की भी आवश्यकता होगी।

1.51 आगे देखें तो स्थिति आशाजनक है, क्योंकि इसमें इसके साथ-साथ अन्य सुधार यथा-बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. का उदारीकरण और मौजूदा परिदृश्य को बदल देने वाले दो अहम सुधार (i) प्रत्यक्ष अन्तरण के उपयोग के दायरे को बढ़ाया जाना तथा आधार और प्रधानमंत्री जन-धन-योजना जैसे उपाय भी शामिल है जोकि अर्थव्यवस्था में सरकारी एकल की समूची प्रक्रिया जैसे कि- अनाज, दालों, चीनी-उर्वरक कैरोसीन, कोयला, विद्युत और (ii) वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) को समग्रः आमूलतः बदल कर रख देंगें। रसोई गैस सब्सिडी के लिए हाल ही में इन अन्तरणों को पूरे देश में लागू किए जाने से इनके उपयोग का दायरा बढ़कर बृहतर हुआ है, भारत की अर्थ-व्यवस्था में समुचित आबंतन भूमिका निभाने के लिए इन प्रत्यक्ष अन्तरणों का होना नितान्त आवश्यक है। इसका मुख्य नतीजा यह होगा कि मिथ्या सब्सिडी और संसाधनों के प्रभावी आबंटन हासिल करने और इसके मार्फत आर्थिक विकास बढ़ाने केलिए मुख्य प्रणाली में दखलन्दाजी से सरकार को छुटकारा मिल जाएगा।

1.52 जीएसटी के अन्ततोगत्वा गई परिणाम होंगे। यह राजस्व के लिए एक उत्साहवर्धक संसाधन सृजित करेगा और राजकोषीय स्थिति को स्थायी तौर पर एक ठोस आधार उपलब्ध कराएगा। इससे कर प्रशासन भी सुधरेगा और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इससे कम होगा और भारत को एक आम बाजार बनाने में भी यह सहायक होगा। व्यापार की अंतरिम बाधाओं के समापन के भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक व्यापार और उत्पादकता आघात के रूप में ही लिया जाना चाहिए और उससे कम यह तथ्य भी माना ही जाना चाहिए कि जी.एस.टी. अपेक्षा गरीब राज्यों के लिए पुनर्वितरक कवायद और संसाधन अन्तरणकारी होगी।

1.53 कई मामलों में, जहां जी.एस.टी. केवल एक उदाहरण है, समस्त नीतियों का समग्र अर्थव्यवस्था का माकूल प्रभाव वहीं देखने पर मिलता है जहां राज्य भी अभूतपूर्व उत्साह के साथ इस सुधारों पर अमल करें बॉक्स 1.3 में चंद ऐसे उपाय सुझाए जा रहे हैं जिनमें केंद्र सुधारों की राह पर मार्गदर्शक तथा राज्यों के सहायक की भूमिका में है तथा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के घटक पर बल देता है। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को गतिशील और ऊर्जावान करने के साथ-साथ भारत में सहकारी संघबाद को सुदृढ़ और सशक्त किए जाने की जरुरत है।

1.54 संक्षेप में कहें तो उम्मीदों का एक अनन्त आकाश सामने है लेकिन निश्चित होकर बैठने की गुंजाइश कम है।

बॉक्स 1.3 भारतीय संघ के अन्तर्गत सुधार

अब यह भली प्रकार मान लिया गया है कि भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक ऐसे है जो कि अब केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते है। यह वर्धमान परिदृश्य सत्ता के क्षैतिज और लाबवंत दोनों ही किस्म की विशिष्टताओं के द्वारा संचालित होता रहा है।

क्षैतिज रूप से देखे तो सत्ता कार्यपालकों और विधायकों से अन्य संस्थाओं को अन्तरित हो गई है। हाल के वर्षों में, न्यायलयों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मत कभी-कभी दूर संचार, करों, कोयला, पात्रता तथा अवसंरचना से जुड़े मामलों पर आर्थिक नीतियों पर दखल और राय देने का रहा है।

लम्बवत अन्तरण ने राज्यों को आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण भागीदार की भूमिका में रख दिया है। अन्तरणों में सदा ही सत्ता और अन्तरण दायित्वों का संविधान सम्मत आबंटन शामिल रहा है किन्तु यह आबंटन दो कारणों पर विशेष रहा है। बाजार निर्धारित संसाधन आबंटन की बजाय जहां तक "राज्य" का सम्बन्ध है। यह केवल प्राकृतिक ही है केंद्र मुख्य भूमिका में रहेगा। दूसरे, समग्र व्यापक वृहत आर्थिक प्रक्रियाओं के रूप में आर्थिक नीति (विनिमय दरों - प्रशुल्कों औद्योगिक नीति, पूंजी प्रवाहों) के स्थान पर ऐसी नीति आ रही है जो अधिक जटिल प्रक्रिया है। जिनमें मामलों की व्यापक श्रृंखला और क्षेत्र है जोकि ज्यादातर राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साधारण शब्दों में कहें, तो पहली पीढ़ी के सुधारों से आगे बढ़ने का मतलब व्यापक से सूक्ष्म की तरफ पहुंचना है, जहां राज्य और स्थानीय स्तर के मुद्दे जो कारोबार की लेन-देन लागतों को प्रभावित करते हैं, अधिकाधिक विशिष्ट रहते हैं। (विकेंद्रीकरण के इस रुझान का महत्वपूर्ण अपवाद केंद्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों की बहुलता का होना है)। सुधार केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर होने जरुरी है। अच्छी और बुरी नीतियों पर केंद्र या राज्य किसी का भी एकाधिकार नहीं है, और इस मामले पर दोनों ही एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। किन्तु आर्थिक नीति में केंद्र की अहम भूमिका को देखते हुए, नई प्रकार का राजनीतिक जनादेश और केंद्र तथा विविध राज्यों के बीच महत्वपूर्ण तालमेल को देखते हुए केंद्र द्वारा राज्यों द्वारा किए जाने वाले सुधारों को सुकर बनाने एवं उनकी रफ्तार बढ़ाने में नया महत्व प्राप्त कर लेती है।

यह वर्गीकरण मामले की गहराई समझने में सहायक होगा। राज्यों द्वारा किए जाने वाले सुधारों की दिशा में केंद्र नीचे लिखी चार प्रकार की भूमिका निभा सकता है। (जो जरुरी नहीं कि परस्पर अनन्योचित हों)

- आश्वस्त करना।
- पहल कदमी को प्रोत्साहित करना।
- परिचालन में समर्थ बनाना।
- प्रतिस्पर्धात्मक बनाना।

राज्यों को आश्वत करना : कई मामलों में, सुधार के प्रयास बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच का भरोसा खत्म हो चुका होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) रहा है जहां सुधार की संभावना ही नहीं अपितु उसके विशिष्ट प्रारुप को भी राज्यों द्वारा ही अंतिम रूप दिया जाना है। इसमें जी.एस.टी. के तहत राजकोषीय स्वयत्तता और राजस्व की हानि के बारे में राज्य स्वाभाविक रुप से आंशकित रहे हैं। उन्हें केंद्र से इस आश्वासन की जरुरत है कि राजस्व घाटे की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी और जरुरत यह भी है कि ये आश्वासन विश्वसनीय हों क्योंकि 2010-11 से जी.एस.टी. दर में कटौती से राज्यों को हुए घाटों की भरपाई का बैकलॉग भी बाकी है। यह आश्वासन दो तरीकों से दिया जा सकता है। पहला तो केंद्र अपने समस्त क्षतिपूर्तियों का पिछला बैकलांग किलियर को। दूसरे केंद्र भविष्य में उदारतापूर्वक प्रतिपूर्ति मुहैया करा सकता है और किसी भी संभावित हानि से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए स्पष्ट सांविधिक आश्वासन प्रदान करें। जी.एस.टी. से करों में वृद्धि होगी, इस विश्वास के आधार पर केंद्र राज्य सरकारों के लिए अपेक्षाया उदार हो सकता है। क्योंकि सेवाओं के शामिल होने से इस आधार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होंगी।

राज्यों को प्रोत्साहन देना : प्रोत्साहन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण (विशेष रुप से आर्थिक) का रुप ले सकते हैं। यह र्तकसम्मत लगता है कि सकारात्मक प्रोत्साहन अच्छे सुधारों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएं जबकि नकारात्मक प्रोत्साहन बुरी नीतियों को कम करने के लिए दिए जाएं। उदाहरणार्थ, सुधारों को अपनाना या उन्हें तीव्र करने के लिए जैसे प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के क्रम में केंद्र को वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए। ये बढ़े हुए संसाधन अंतरण के रूप में लिए जा सकते हैं और उन्हें वित्त आयोग के जरिए क्रियान्वित किया जा सकता है। एक और हालिया उदाहरण कोयले की नीलामियों से जुड़ा है जहां राज्यों से की गई खरीद को उन राज्यों में नीलाम ब्लॉकों से हुई आय को रखने की अनुमति राज्यों को ही देकर, सुसाध्य बनाया गया है।

चीनी जैसे क्षेत्रों में, जहां कुछ राज्यों की नीतियों के विकृतकारी प्रभाव पड़ते हैं, पुरस्कार रोकने पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, केंद्र फिलहाल चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को अपने बकाया का भुगतान करने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी देता है। यह सब्सिडी उन राज्यों को इस शर्त पर दी जा सकती है, जो रंगराजन समिति की रिपोर्ट में यथा संस्तुत गन्ना क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाली नीतियों को समाप्त करें।

राज्यों को समर्थ बनानाः कुछ मामलों में, जहां राज्य समवर्ती सूची (उदाहरणार्थ, श्रम कानून) संबंधी मुद्दों पर पहल करते हैं, वहां भी केंद्र को ये पहलें फलीभूत करने में राज्यों को समर्थ बनाने में मदद करने की जरुरत है। राजस्थान के श्रम कानूनों में हालिया सुधार अनुदेशात्मक हैं। यहां राष्ट्रपति की सहमति ने सुधार करने व केंद्रीय कानूनों के अतित्यापन द्वारा लागू किए जा सकने वाले किन्ही अवरोधों का अधिक्रमण करने की अनुमति दे दी।

राज्यों की साथ प्रतिस्पर्धा : हाल के वर्षों में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता में भारत में वर्धमान रूप से सुधारों को महत्व दिया है। भारत के आकार, विविधता और विषमता का अर्थ है कि चाहे देश के व्यवसाय का वातावरण कुल मिलाकर अपूर्ण है, फिर भी देश में बहुत अनुकूल स्थितियों के स्थान हो सकते हैं (गुजरात उत्कृष्ट उदाहरण है)। सिद्धांततः, जब तक ऐसे कुछेक स्थान हैं, अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं और ये राज्यों की बीच गतिशील प्रतिस्पर्धा के जरिए शेष देश में जा सकते हैं। यह संचरण दो तरीकों से हो सकता है। सफल प्रयोग "माडल" और "चुम्बक" दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, राजस्थान के श्रम व भूमि कानूनों का उदारीकरण राजस्थान मॉडल का अनुकरण करने के इच्छुक अन्य राज्यों में प्रतिक्रिया पैदा करेगा। परन्तु सफल अनुभव अन्य परिवर्तन के लिए भी बाध्य करेगा क्योंकि वे चुंबक के रूप में काम करेंगे और असफल राज्यों से पूंजी, श्रमिक और प्रतिभा को आकर्षित करेंगे। "बाजार परिरक्षण संधवाद" चीन के सुधारों का महत्वपूर्ण पक्ष था।

परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र इस प्रतिस्पर्धा गतिशीलता का सक्रिय भागीदार नहीं बन सकता (असल में केंद्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह राज्यों को कुछ सीमा तक भय में न डाले कि वे खुद संघवाद को कमजोर करना शुरु कर दें)। अनेक राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां घाटा उठा रही हैं और अशतः टिकी हुई हैं क्योंकि वे विद्युत उत्पादकों से एकाधिकार वाली क्रेता हैं। रेल एवं अवसंरचना मंत्रियों ने हाल में इस एकाधिकार को सीमित करने और उत्पादकों को अनेक वितरण कंपनियों की बिजली बेचकर अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार सृजित करने का सुझाव दिया है।

विनायक चैटर्जी (बिजनेस स्टेडंर्ड, 2014) इससे भी आगे बढ़ गए और ऐसी राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी (एनपीडीसी) के सृजन का प्रस्ताव किया है जो राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों से प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सके। एनपीडीसी अतिरिक्त छुटी हुई क्षमता ग्रहण करने और विद्युत उत्पादकों के लिए प्रभावी बाजार निर्माता के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकेगी।

यदि केंद्र राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करके राज्यों के बीच गतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, तो वह ऐसा करके शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके एक कदम और आगे जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि शहरों को वित्त स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र (अथवा स्वयं राज्य) द्वारा 74वें संविधान संशोधन को आर्थिक महत्व दिया जा सकता है, जिससे वे वास्तविक स्वायत्तता और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। (देखे कपूर, सोमनाथन और सुब्रमण्यन 2014)*। यह शहरों को अभिशासन और निर्णय लेने के अर्थ में विश्वसनीयता ही उपलब्ध नहीं कराएगा बल्कि बेहतर शहरीकरण और नीति बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा व प्रतिस्पर्धा लाने को भी प्रोत्साहित करेगा।

भारत की आर्थिक नीति निर्माण का अधिकाधिक संघीय चरित्र कठिन व स्पष्टतः असाहय दिखाई देने वाली समस्याओं के सृजनकारी समाधान ढूंढने और भारत को सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का एक आदर्श प्रतिरुप बनाने के अच्छे अवसर दे सकता है।

** कपूर, देवेश, टीवी सोमनाथन, एंड अरविंद सुब्रमण्यन "लैंड शेकल्ड I एंड II ", बिजनेस स्टेंडर्ड, 2014।*

अध्याय II

केन्द्र सरकार के वित्त-साधन

क. अप्रैल-सितम्बर, 2014 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की पुनरीक्षा

वर्ष 2014-15 का आम बजट पिछले दो वित्तीय वर्षों में 5 प्रतिशत से कम की वृद्धि दर की पृष्ठभूमि प्रस्तुत किया गया था। अन्य चुनौतियों में राजस्व कर पर दबाव, बाह्य अनिश्चितताएं और समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण हेतु पहले से चल रहे कल्याणकारी उपायों की जरुरतें शामिल हैं। केंन्द्रीय बजट 2014-15 में इन चुनौतियों के प्रति नीतिगत कार्रवाई दर्शायी और यह राजकोषीय समेकन की ओर महत्त्वपूर्ण कदम है।

2.2 वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः 5,31,177 करोड़ रुपए (सघउ का 4.1 प्रतिशत) और 3,78,348 करोड़ रुपए (सघउ का 2.9 प्रतिशत) रहने की बजटीय व्यवस्था की गई है। प्रभावी राजस्व घाटा, जो पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रयुक्त किए गए अनुदानों को घटाने के पश्चात राजस्व घाटे में असंतुलन प्रतिबिंबित करता है, उसका अनुमान 2,10,244 करोड़ रुपए अर्थात सघउ का 1.6 प्रतिशत लगाया गया है।

2.3 वर्ष 2014-15 की राजकोषीय नीति दो उद्देश्यों के चलते अशंशोधित की गई है, पहला-संवृद्धि के पुनरुत्थान हेतु अर्थव्यवस्था की सहायता करना और दूसरा राजकोषीय समेकन के पथ पर चलते रहना। यह उत्पादक प्रयोजनों और निवेश हेतु ई-संसाधनों के बेहतर प्रवाह को सुसाध्य बनाने और प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप स्कीमों हेतु संसाधन सुनिश्चित करते हुए व्यय को नियंत्रित रखने पर भी लक्षित है। तदनुसार, 2014-15 के आयोजना-भिन्न व्यय में 9.9 प्रतिशत और आयोजना व्यय में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि के चलते 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में समग्र व्यय में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

2.4 महालेखा-नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के अंत में राजकोषीय घाटा ₹4,38,826 करोड़; राजस्व घाटा ₹3,45,053 करोड़ और कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियां ₹ 4,23,227 करोड़ जबकि कुल व्यय ₹ 8,62,053 करोड़ था। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के अंत में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां सारणी 2.1 में संक्षिप्त रूप में दी गई हैं। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के आंकड़े अनअंकेक्षित हैं और लेखापरीक्षा के बाद उनमें संशोधन हो सकता है। प्राप्तियां और वसूलियां जहां प्रत्यक्षतः व्यय से जुड़ी हैं, निवल रही हैं।

ख. प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां

2.5 वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में निवल कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व मिलाकर केंद्र की राजस्व प्राप्तियां 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए ₹ 11,89,763 करोड़ अनुमानित थी। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 2013-14 की तदनुरुपी अवधि की तुलना में 7.2 प्रतिशत तथा त्रैमासिक परिणाम (वर्षानुवर्ष) के अर्थ में असमान वृद्धि प्रतिबिंबित कर रही है। वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निवल कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में वर्षानुवर्ष तिमाही वृद्धि चित्र 2.1 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.1: केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां (अप्रैल - सितंबर)

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियां	305528	350888	389904	417896
बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में	38.7	37.5	36.9	35.1
कर राजस्व (निवल)	254731	293812	307589	323191
निगम कर	127375	142965	153728	162269
निगम कर के सिवाय आय पर कर	66249	82598	97773	109412
अन्य कर	2999	2509	2740	3730
जोड़-प्रत्यक्ष कर	196623	228072	254241	275411
सीमा शुल्क	74808	78557	83027	87408
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	59315	67424	61928	60547
सेवा कर	37049	49103	57102	65201
अन्य कर	1558	1740	1874	2051
जोड़ - अप्रत्यक्ष कर	172730	196824	203931	215207
जोड़ - सकल कर राजस्व	369353	424896	458172	490618
कर-भिन्न राजस्व	50797	57076	82315	94705
पूंजी प्राप्तियां	293565	343131	419146	444157
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	12755	6227	7058	5331
ऋणों की वसूली	10024	4855	5579	5210
अन्य प्राप्तियां	2731	1372	1479	121
उधार और अन्य देनदारियां	280810	336904	412088	438826
कुल प्राप्तियां	599093	694019	809050	862053

स्रोत: महा लेखा नियंत्रक

चित्र 2.1: निवल कर राजस्व, इसकी वृद्धि दर और सघउ की वृद्धि

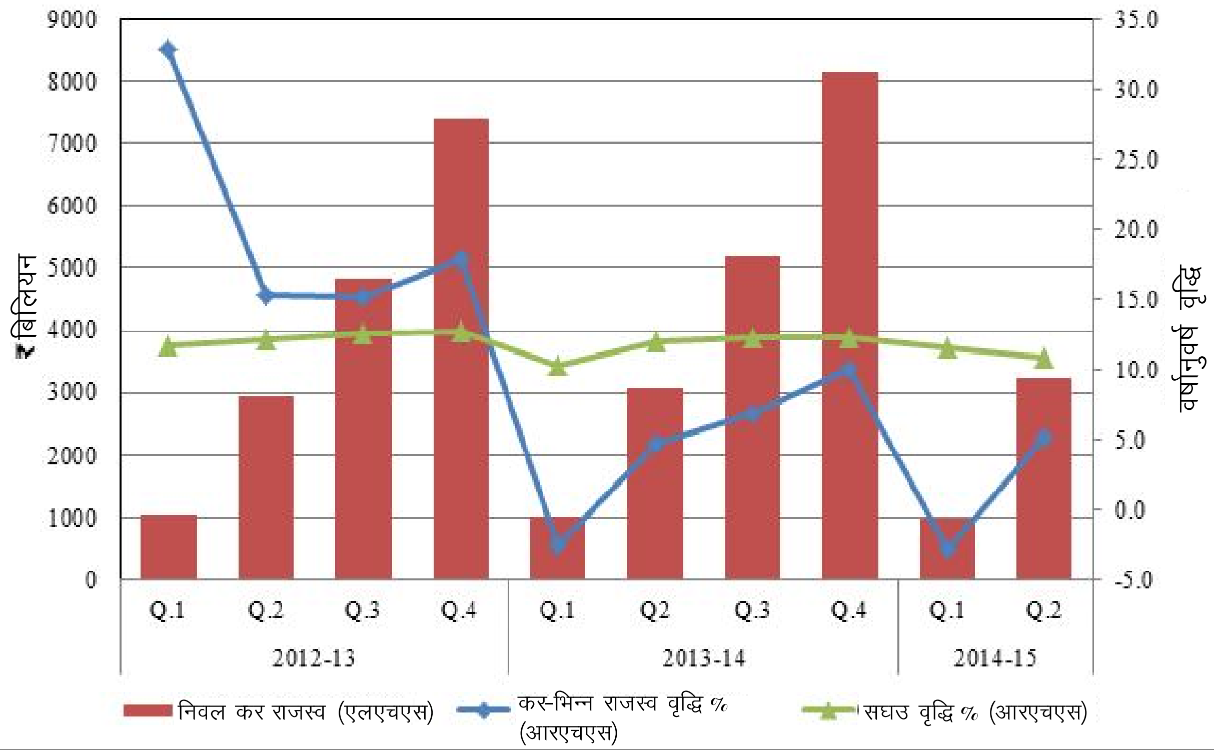

सकल कर राजस्व

2.6 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान प्रत्यक्ष कर वापसियां पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान ₹50,371 करोड़ की तुलना में ₹ 78,475 करोड़ थी। बजट अनुमान 2014-15 में सकल कर राजस्व 2013-14 की प्राप्तियों (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तलुना में 19.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। सकल कर राजस्व प्राप्तियां सितंबर 2014 तक बजट अनुमान का 36 प्रतिशत थी और इन्होंने पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है।

प्रत्यक्ष कर

2.7 सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण 2013-14 के पूर्वार्ध की तुलना में 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान 8.3 प्रतिशत बढ़े हैं। विशिष्ट रूप से, प्रत्यक्ष कर राजस्व की मौसमी पद्धति होती है क्योंकि वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में राजस्व प्रवाह मुख्यतया वर्ष की पहली तिमाही में बड़े वापसी व्यय के कारण वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों की तुलना में कम होता है। प्रत्यक्ष करों के घटकों का निष्पादन नीचे विश्लेषित किया गया है।

निगम कर

2.8 निगम कर सकल कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान इसने 2013-14 की तदनुरुप अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। बजट अनुमान 2014-15 में 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) में प्राप्तियों की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

निगम कर के अलावा आय पर कर

2.9 निगम कर के अलावा आय पर करों का संग्रहण 2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 2,78,275 करोड़ अनुमानित था जो 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) के दौरान प्राप्तियों की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक था। कुल संग्रहणों ने पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है।

अप्रत्यक्ष कर

2.10 सकल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण ने 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान संग्रहण की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। तथापि, यह 2013-14 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में

चित्र 2.2: प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

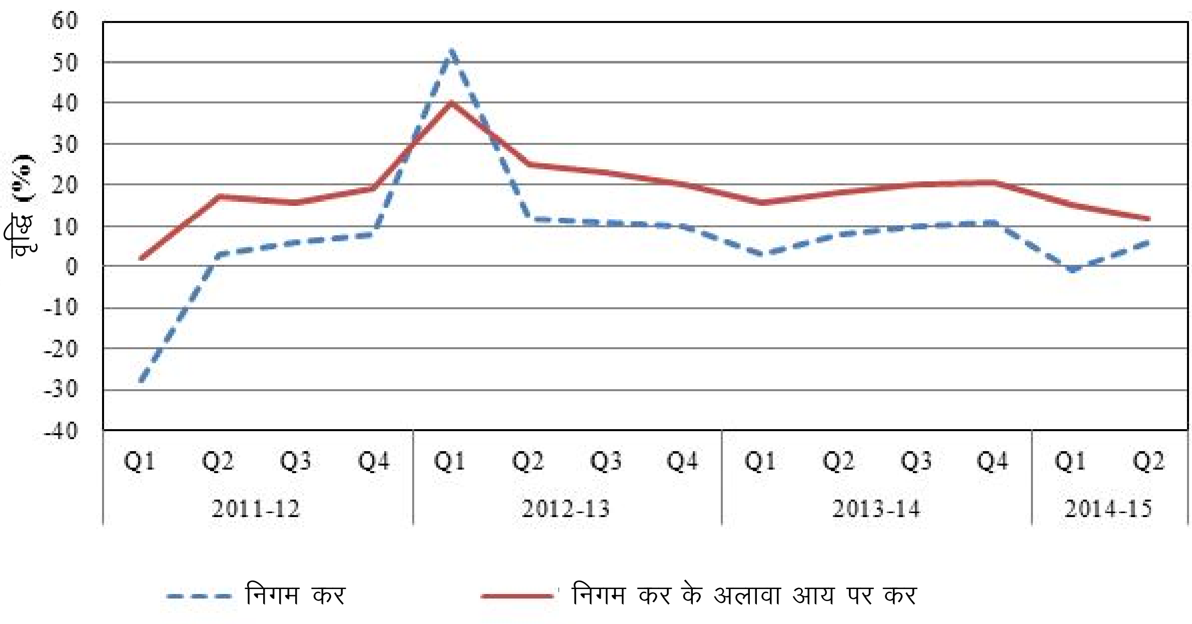

2014-15 के बजट अनुमान में 25.8 प्रतिशत की अंतर्निहित वृद्धि की तुलना में काफी कम है। सांकेतिक और वास्तविक, दोनों अर्थों में वृद्धि में गिरावट अप्रत्यक्ष करोड़ के संग्रहण के अर्थ में परिणाम पर भारी रही हैं। अप्रत्यक्ष करोड़ के महत्वपूर्ण घटकों का निष्पादन आगामी पैराग्राफों में विश्लेषित किया गया है।

सीमाशुल्क

2.11 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान सीमाशुल्क संग्रहण में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सी बेहतर रही है। 2014-15 के बजट में सीमा शुल्क से राजस्व में 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तुलना में 17.2 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व ने 2014-15 के बजट अनुमान में 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तुलना में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में इस घटक के अंतर्गत संग्रहित राजस्व 2013-14 की तदनुरूप अवधि के दौरान संग्रहणों की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम हो गया और यह 2014-15 के बजट अनुमान का 29.0 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट में आटोमोबाइल सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ सामान के सेक्टर के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेज और 2014-15 की दूसरी तिमाही में विमिर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण उत्पाद शुल्क संग्रहणों में अनुमानित तुलना में वृद्धि कम रही है।

सेवा कर

2.13 सेवा कर में 2014-15 के बजट अनुमान में 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तुलना के 39.7 प्रतिशत वृद्धि प्रतिबिंबित हुई है। चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में प्राप्तियों ने 2013-14 की तदनुरूप अवधि के दौरान की तुलना में किए गए संग्रहणों की तुलना में 14.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी है। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में संगृहीत राशि 2014-15 के बजट अनुमान का 30.2 प्रतिशत बैठती है।

2.14 समग्रतः कर राजस्व पक्ष में मध्य-वर्ष में वृद्धि की प्रवृत्ति अनुमान से कम है। तो भी, यह आशा है कि आर्थिक कार्यकलापों के साथ-साथ पहले से चल रहे नीतिगत उपायों अर्थात पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क व चुनिंदा मदों पर आयात शुल्क में वृद्धि उत्तरार्ध में राजस्व अतंराल को पाटने में सरकार की सहायता करेगी।

चित्र 2.3: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

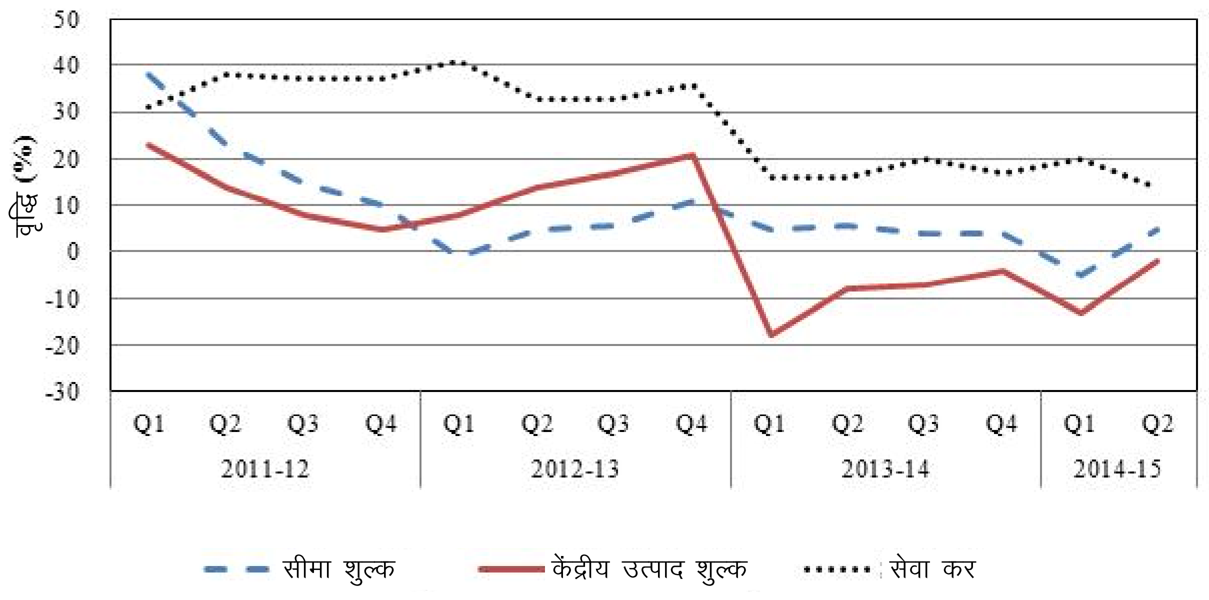

कर-भिन्न राजस्व

2.15 कर-भिन्न राजस्व सितंबर 2014 तक 2014-15 बजट अनुमान के 44.6 प्रतिशत बैठते हैं और इन्होंने पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान प्राप्तियों की तुलना में 15.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

2.16 ऋणों की वसूलियों के खाते में प्राप्तियां चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान ₹5,579 करोड़ की तुलना में ₹ 5,210 करोड़ थी। यह 2014-15 के बजट अनुमान का 49.5 प्रतिशत बैठती है। अन्य प्राप्तियां (अर्थात विनिवेश प्राप्तियां) 2014-15 के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान ₹ 1,479 करोड़ की तुलना में ₹121 करोड़ थी। वर्ष 2014-15 की शेष अवधी में ₹ 63,304 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शीघ्र विनिवेश के प्रयास चल रहे हैं। समग्रतः, 2014-15 के पूर्वार्ध में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान का 7.2 प्रतिशत थी।

ग. व्यय

कुल व्यय

2.17 बजट 2014-15 में कुल व्यय ₹ 17,94,892 करोड़ (सघउ का 13.9 प्रतिशत) अनुमानित है जो 2013-14 के ₹ 15,63,485 करोड़ के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक है। 2013-14 (अनंतिम वास्तविक आंकड़े) की तुलना में आयोजना व्यय में वृद्धि 26.9 प्रतिशत और आयोजना-भिन्न व्यय 9.9 प्रतिशत अनुमानित है। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान ₹ 8,62,053 करोड़ पर कुल व्यय 2014-15 के बजट अनुमान का 48.0 प्रतिशत बैठता है जो 47.0 प्रतिशत की पांच वर्षीय चल औसत की तुलना में मामूली रूप से अधिक था। 2014-15 के पूर्वार्ध में कुल व्यय पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान ₹ 8,09,050 करोड़ की तुलना में व्यय में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करता है। केन्द्र सरकार के व्यय की प्रवृत्तियां सारणी 2.2 में दर्शायी गई हैं।

सारणी 2.2: केन्द्र सरकार का कुल व्यय (अप्रैल-सितंबर)

(₹करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजना व्यय	177823	202740	236116	246289
बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में	40.3	38.9	42.5	42.8
राजस्व खाते में	151033	167499	193018	194747
पूंजी खाते में	26790	35241	43098	51542
आयोजना -भिन्न व्यय	421270	491279	572934	615764
बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में	51.6	50.7	51.6	50.5
राजस्व खाते में	376275	446673	519163	568202
जिसमें ब्याज प्राप्तियां	122499	131165	160027	185670
पूंजी खाते में	44995	44606	53771	47562
कुल व्यय	599093	694019	809050	862053
बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में	47.6	46.5	48.6	48.0
राजस्व व्यय	527308	614172	712181	762949
जिसमें पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	51411	50656	69518	66269
पूंजी व्यय	71785	79847	96869	99104

स्रोतः महा लेखा नियंत्रक

2.18 बजट अनुमान 2014-15 के लिए राजस्व व्यय ₹ 15,68,111 करोड़ अनुमानित था (सघउ का 12.2 प्रतिशत), जो 2013-14 के ₹ 13,75,590 करोड़ अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 14.0 प्रतिशत ज्यादा था। पूर्वार्ध 1, 2014-15 के दौरान, यह पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत ज्यादा हो गया। सितंबर 2014 तक राजस्व व्यय बजट अनुमान 2014-15 का 48.7 प्रतिशत था जो बजट अनुमान की 48.1 प्रतिशत की पंचवर्षीय चल रही औसत से थोड़ा अधिक है और अप्रैल-सितंबर, 2013 के दौरान 49.6 प्रतिशत से थोड़ा कम।

2.19 2014-15 के लिए पूंजी व्यय हेतु बजट में 2,26,781 करोड़ (सघउ का 1.8 प्रतिशत) व्यवस्था की गई थी, जो 2013-14 में ₹ 1,87,895 करोड़ के वस्ताविक व्यय की तुलना में 20.7 प्रतिशत ज्यादा है। पूर्वार्ध 1, 2014-15 के दौरान पूंजी व्यय ने पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 2.3 प्रतिशत की थोड़ी-वृद्धि दर्शायी है। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान पूंजी व्यय बजट अनुमान 2014-15 का 43.7 प्रतिशत हैं और 40.2 प्रतिशत के चल रही पंचवर्षीय औसत से ज्यादा है।

आयोजना व्यय

2.20 2014-15 के दौरान आयोजना व्यय के लिए बजट में ₹ 5,75,000 करोड़ व्यवस्था की गई थी, 2013-14 (पी.ए.) की तुलना में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की थी। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान आयोजना व्यय ने पिछले वर्ष की तदनुरुप अवधि की तुलना में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है और वह व्यय बजट अनुमान 2014-15 का 42.8 प्रतिशत था। यह 41.2 प्रतिशत की पंचवर्षीय चल रही औसत की तुलना में आयोजना व्यय की थोड़ी सी अधिक गति दर्शाता है।

आयोजना भिन्न व्यय

2.21 बजट अनुमान 2014-15 में आयोजना भिन्न ₹ 12,19,892 करोड़ अनुमानित था जो 2013-14 (पीए) की तुलना में 9.9 की वृद्धि दर्शा रहा है और यह 2014-15 में कुल बजटीय व्यय का 68.0 प्रतिशत है। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय ने पिछले वर्ष के तदनुरुप अवधि के दौरान व्यय की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। पूर्वार्ध में आयोजना भिन्न व्यय बजट अनुमान 2014-15 का 50.5 प्रतिशत है जो बजट अनुमान की 50.1 प्रतिशत की पंचवर्षीय चल रही औसत के नजदीक है। निरक्षेप अर्थो मे जब पिछले वर्ष की तदनुरुप अवधि से तुलना की गई, तो 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान आयोजना भिन्न व्यय में ₹ 42,830 करोड़ की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मुख्यतः तीन मदों के कारण थी, नामतः ब्याज का भुगतान (जो ₹ 25,643 करोड़ बढ़ गया था), मुख्य सब्सिडियां (जो ₹ 1665 करोड़ की वृद्धि दर्शाती है), तथा पेंशन (जो ₹ 11,919 करोड़ बढ़ गया)। जबकि ये तीन घटक पिछले वर्ष भी बढ़ गये थे और संरचनात्मक समस्या दर्शाते हैं, संगठनात्मक परिवर्तन हुआ है जो अन्य दो की तुलना में सब्सिडियों में थोड़ी सी वृद्धि दर्शाता है। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि की तुलना में पेट्रोलियम सब्सिडी ₹ 7,978 करोड़ घटी है जो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से कमी के साथ हाइड्रोकार्बन मूल्यनिर्धारण में सुधारों को दर्शाती है।

घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित किए गए संसाधन

2.22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण के लिए ₹ 7,78,966 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में 2014-15 के पूर्वार्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का वास्वविक अंतरण ₹ 3,32,607 करोड़ हुआ, इसने पिछले वर्ष की तदनुरुप अवधि के दौरान अंतरित ₹ 2,46,009 करोड़ की तुलना में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है, इसमें से ₹3,31,054 करोड़. राज्य सरकारों को तथा शेष ₹ 1,531 करोड़ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित किए गए।

ङ. घाटा

2.23 ₹ 5,31,177 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में, सितंबर, 2014 तक राजकोषीय घाटा ₹ 4,38,826 करोड़ रहा जो बजट अनुमान 2014-15 का 82.6 प्रतिशत है तथा 58.8 प्रतिशत की पंचवर्षीय चल रही औसत की तुलना में काफी अधिक है। सितंबर, 2014 तक सरकार का कुल व्यय बजट अनुमान 2014-15 का 48 प्रतिशत था; दूसरी ओर प्राप्तियों/उधारों को छोड़कर बजट अनुमान का केवल 33.5 प्रतिशत थी। अतः ये प्राप्तियां ₹ 4,38,826 करोड़ का घाटा छोड़ते हुए मात्र 49.0 प्रतिशत का व्यय कवर करने के लिए समुचित थी।

2.24 2014-15 के 3,78,348 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में अप्रैल-सिंतबर, 2014 के लिए राजस्व घाटा ₹3,45,053 करोड़ था। ₹3,45,053 करोड़ का राजस्व घाटा बजट अनुमान का 91.2 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तद्नुरुप अवधि के बजट अनुमान के 84.8 प्रतिशत के स्तर से अधिक है और 63.5 प्रतिशत की पंचवर्षीय चल रही औसत की तुलना में बहुत अधिक है। चालू वर्ष में, पूर्वार्ध के दौरान प्रत्यक्ष करों में वापसी अदायगी (₹ 78,475 करोड़) पिछले वर्ष के पूर्वार्ध की तुलना में अधिक है (2013-14 में ₹ 50,371 करोड़) तथा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि आशा से भी कम थी। संग्रहित राजस्व में, विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों में, समयानुकूलता है जो यह दर्शाती है कि उत्तरार्ध में बढ़ोतरी तथा व्यय में कमी घाटे के स्तरों को ज्यादा बढ़ने से सीमित कर सकती है। इसके अलावा, प्रक्रियाधीन कई विनिवेश संबंधी प्रस्ताव 2014-15 के उत्तरार्ध में अधिक गैर-ऋण प्राप्तियों को जुटाएंगे। संबंधित वित्त वर्षों की दूसरी तिमाही तक के वास्तविक आंकड़ों और बजट अनुमान का प्रतिशत तथा विविध संकेतकों के रुझान नीचे सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 2.3: केन्द्र सरकार के घाटा संबंधी संकेतक (अप्रैल-सितम्बर)

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व घाटा	221780	263284	322277	345053
बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में	72.2	75.1	84.8	91.2
प्रभावी राजस्व घाटा	170369	212628	252759	278784
(बजट अनुमान) के प्रतिशत के रूप में	106.2	114.5	123.2	132.6
राजकोषीय घाटा	280810	336904	412088	438826
(बजट अनुमान) के प्रतिशत के रूप में	68.0	65.6	76.0	82.6
प्राथमिक घाटा	158311	205739	252061	253156
(बजट अनुमान) के प्रतिशत के रूप में	109.3	106.1	146.7	243.0

स्रोतः महा लेखा नियंत्रक

घाटे का वित्त पोषण

2.25 2014-15 के पूर्वार्ध में भारत की संचित निधि में ₹ 4,38,826 करोड़ का राजकोषीय घाटा ₹ 2,86,102 करोड़ का आंतरिक ऋण, ₹ 3,136 करोड़ का विदेशी ऋण, सरकारी लेखा का ₹ 55,663 करोड़ तथा विनिवेश/नकद आहरण में कमी के ₹ 93,925 करोड़ जुटाकर वित्तपोषित किया गया था। (सारणी 2.4)।

सारणी 2.4: घाटे का वित्त पोषण

(₹ करोड़)

	अप्रैल-सितम्बर 2013	अप्रैल-सितम्बर 2014
राजकोषीय घाटा	4,12,088	4,38,826
वित्त पोषण के संसाधन		
आंतरिक ऋण	3,01,944	2,86,102
(क) बाजार ऋण और अल्पावधिक	3,18,240	3,15,214
(ख) राजकोषीय बिल (14 दिन)	-68,373	-24,852
(ग) क्षतिपूर्ति तथा अन्य बाँड	-110	-50
(घ) अन्य	52,187	-4,210
परिक्रामी निधि सहित विदेशी सहायता	826	3,136
नकदी आहरण द्वारा कमी गिरावट (+)/वृद्धि (-)	67,508	63,674
अधिशेष नकद का निवेश (-)/ विनिवेश (+)	13,978	30,251
सरकारी लेखा * में उधार (-)/अधिशेष (+)	27,832	55,663

* उचंत तथा विप्रेषित धन शामिल हैं।

स्रोतः महा लेखा नियंत्रक

2.26 2014-15 के पूर्वार्ध में सकल और निवल बाजारी उधार क्रमशः ₹ 3,52,000 करोड़ तथा ₹ 2,76,887 करोड़ रही और जो वर्ष के लिए अनुमानित बाजारी उधार का क्रमशः 58.7 प्रतिशत तथा 60.0 प्रतिशत बैठता है। पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि के दौरान, सकल तथा निवल उधार बजट अनुमानों का क्रमशः 59.4 प्रतिशत तथा 55.6 प्रतिशत बैठता है। 2014-15 के पूर्वार्ध के अंत तक जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता 14.4 वर्ष है जो पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि के दौरान 14.5 वर्षों से कम थी। उसी अवधि के दौरान जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत आय वित्त वर्ष 2013-14 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान 8.15 प्रतिशत की तुलना में 8.81 प्रतिशत थी।

नकद प्रबंधन

2.27 सरकार ने वर्ष 2014-15 ₹ 50,000 करोड़ निवेश अधिशेष तथा ₹ 72,637 करोड़ के नकद शेष से प्रारंभ किया। वित्त वर्ष की पहली तिमाही ₹ 100 करोड़ के नकद शेष तथा ₹ 18,285 करोड़ के निवेश आधिशेष के साथ समाप्त हुई। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही 10 करोड़ के नकद शेष तथा ₹ 19,749 करोड़ के निवेश अधिशेष के साथ समाप्त हुई। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अंतर्गत निवल संग्रह पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि के दौरान ₹ 28,770 करोड़ की तुलना में ₹ 22,281 करोड़ हुआ है।

च. मध्यावर्षीय एफआरबीएम बैंच मार्क की तुलना में आकलन

2.28 एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 7 के अंतर्गत, सरकार को दूसरी तिमाही की समीक्षा के परिणाम के मामले में उचित सुधारात्मक उपाय करने जरूरी है, जिससे पता चलता है कि:-

(i) ऋण-भिन्न प्राप्तियों की कुल राशि उस वर्ष के लिए बजट अनुमानों के 40 प्रतिशत से कम थी; और

(ii) राजकोषीय घाटा उस वर्ष के लिए बजट अनुमानों के 60 प्रतिशत से अधिक है; और

(iii) राजस्व घाटा उस वर्ष के लिए बजट अनुमानों के 60 प्रतिशत से अधिक है।

2014-15 के पूर्वार्ध में परिणाम ऋण भिन्न प्राप्तियों, राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा के बैंच मार्क की तुलना में लक्ष्यों से कम रहे। ब्यौरा सारणी 2.5 में दिया गया है। फिर भी वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के अर्थ में व्यक्त राजकोषीय परिणाम पिछले दो वर्षों के दौरान बजट अनुमानों के अनुरूप था। इससे यह पता चलता है कि लगातार पर्यवेक्षण और सुधारात्मक उपायों से, राजकोषीय परिणाम सुधर सकता है।

सारणी 2.5 : एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत परिणाम की तुलना में मध्यवर्षीय बैंचमार्क

परिवर्तनीय	एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत निष्पादन बैंचमार्क	अप्रैल-सितंबर				
		2014	2013	2012	2011	2010
कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियां	40 प्रतिशत से कम नहीं	33.5	35.4	36.5	37.7	55.6
राजकोषीय घाटा	60 प्रतिशत से ज्यादा नहीं	82.6	76.0	65.6	68.0	34.9
राजस्व घाटा	60 प्रतिशत से ज्यादा नहीं	91.2	84.8	75.1	72.2	27.1

टिप्पणीः 7 मई, 2013 को अधिसूचित संशोधित एफआरबीएम नियम।

2.29 सरकार उदीयमान आर्थिक परिदृश्य की लगातार निगरानी कर रही है और वृद्धि को पुनः बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। सरकार ने 2012 में एफआरबीएम अधिनियम, में संशोधन का अनुसरण करते हुए राजकोषीय समेकन के लिए संशोधित रोडमैप अपनाया है। संशोधित रोडमैप में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व में सुधार के विवेकपूर्ण मिश्रण के साथ राजकोषीय समेकन का निरुपण किया गया है।

राजकोषीय समेकन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :-

- व्यय के यौक्तिकीकरण के लिए सरकार ने आर्थिक उपाय लागू किए हैं जिसमें चालू वित्त वर्ष में आयोजना भिन्न व्यय में 10% अनिवार्य कटौती, आयोजना और आयोजना भिन्न पदों के सृजन पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, निधियों के पुनर्विनियोजन पर प्रतिबंध, राज्यों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों आदि को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन का सख्ती से पालन शामिल है।

- प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए तथा जिन योजनाओं की उपयोगिता नहीं रह गयी है, उन्हें समाप्त करने के लिए नई प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय परिवर्तनशील लक्ष्य निर्धारित करने हेतु सरकार ने "मध्यावधिक व्यय रूपरेखा विवरण" प्रारंभ किया है।

- ज्यादा संसाधन जुटाने के लिए, सरकार प्रशासनिक तथा विधायी उपाय कर रही है। सरकार फील्ड इकाइयों का विस्तार तथा प्रौद्योगिकी के वर्धित प्रयोग के जरिए कर आधार, कर प्रशासन को व्यापक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं जैसे जोखिम प्रबंधन प्रणााली, विशेष लेखा-परीक्षा, तीव्र न्यायनिर्णयन, बकायों का परिसमापन, जब्त वस्तुओं आदि का जल्दी से निपटान आदि।

- सरकार द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पक्षों की देखरेख के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन राजकोषीय समेकन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह सरकारी व्यय की आबंटन संबंधी तथा प्रचालनात्मक दक्षताओं की समीक्षा करेगा।

- वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में सब्सिडी व्यवस्था में कुछ बड़े नीतिगत सुधार देखे गए; संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पुनः शुरु की गई; नई घरेलू गैस मूल्य निर्धारण नीति अनुमोदित की गई और डीजल के मूल्य नियंत्रण मुक्त किए गए। ये एक तरफ तो सब्सिडियों के अक्षम विपथन को कम करेंगे और साथ ही दूसरी तरफ इनसे ईंधन सब्सिडी बिल महत्वपूर्ण व्यय से नीचे लाने की संभावना है।

- सरकार वस्तु और सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भी संगठित प्रयास कर रही है। वस्तु और सेवा कर शुरु किया जाना कर सक्षमता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय होगा।

छ. निष्कर्ष

2.30 वर्ष 2014-15 में सघउ के 4.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का अनुसरण करना बड़ी चुनौती है। सरकार अपनी राजकोषीय समेकन की वचनवद्धता के चलते उन विभिन्न मोर्चो पर चुनौतियों का समाधान कर रही है जो राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि विसर्पण रोकने और 2014-15 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्याय III

अर्थव्यवस्था पर एक नजर

वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में हुआ विकास

3.1 चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्ध (एच1) में अर्थव्यवस्था में 5.5 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई (सारणी 3.1)। यह विकास-दर पिछले वर्ष 2013-14 के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में दर्ज की गई विकास दर की तुलना में निश्चित रूप से अधिक थी। यह विकास आर्थिक समीक्षा 2013-14 में 5.4 से 5.9 प्रतिशत की दर पर पूर्ण वर्ष की वृद्धि के अनुमान के अनुरूप रहने के साथ-साथ, विकास में क्रमिक तेजी आने के सरकारी अनुमानों की तर्ज पर भी था। यही दर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों नामशः, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एडीबी आदि द्वारा लगाए गए अनुमानों के भी निकट है। आईएमएफ की अक्तूबर 2014 की "वर्ल्ड इकानामिक आउटलुक" में वर्ष 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 5.6 प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है। भारत उन कुछेक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिनके संबंध में आईएमएफ ने जुलाई 2014 में प्रस्तुत अद्यतन आउटलुक की तुलना में अपनी अक्तूबर की आउटलुक में विकास के अनुमानों में बढ़ोतरी की है।

सारणी 3.1 भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दरें (स्थिर मूल्यों पर वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

मदें	2013-14		2014-15		
	पूर्वार्ध1	पूर्वार्ध2	तिमाही1	तिमाही2	पूर्वार्ध1
कृषि, वानिकी और मात्सियकी	4.5	4.9	3.8	3.2	3.5
उद्योग	1.1	-0.3	4.2	2.2	3.2
खनन एवं उत्खनन	-2.0	-0.8	2.1	1.9	2.0
विनिर्माण	0.1	-1.5	3.5	0.1	1.8
बिजली, गैस एवं जलापूर्ति	5.8	6.1	10.2	8.7	9.5
निर्माण	2.7	0.7	4.8	4.6	4.7
सेवाएं	6.8	6.8	6.8	7.1	6.9
व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	2.6	3.4	2.8	3.8	3.3
वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	12.5	13.2	10.4	9.5	10.0
सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	6.8	4.4	9.1	9.6	9.4
उत्पादन लागत पर सघउ	4.9	4.6	5.7	5.3	5.5

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

3.2 आईएमएफ के अक्तूबर माह के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में इंगित किया गया है कि वैश्विक पुनरूद्धार असमान रहा है। 2014 के पूर्वार्ध में विकास का उम्मीद से कम होने के परिणामस्वरूप, 2014 में वैश्विक उत्पादन की वृद्धि दर कम करके 3.3 प्रतिशत कर दी गई जो जुलाई के अनुमानों की तुलना में 0.1 प्रतिशतांक कम है। ऐसा मुख्यतः यूरो क्षेत्र, जापान और लैटिन अमरीका में कमी किए जाने के कारण हुआ। उन्नत और उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुमानित वृद्धि दर 2014 में क्रमशः 1.8 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत आंकी गई है। आईएमएफ के अनुसार, गिरावट के जोखिम बढ़े हैं। अल्पावधिक जोखिम भू-राजनैतिक तनावों के बिगड़ने और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से जुड़े दबावों से पैदा होते हैं। मध्यावधिक जोखिमों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में गतिहीनता और विकास की कम संभावना तथा उभरते बाजारों में संभावित विकास की गिरावट शामिल होती है। 2014 की पहली तिमाही में गिरावट के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में विकास अब कुछ मजबूती लिए हुए दिखाई दे रहा है। इस वैश्विक पृष्ठभूमि में, 2014-15 के पूर्वार्ध में भारत की विकास दर कुल मिलाकर संतोषजनक है।

3.3 प्रमुख क्षेत्रों का जहां तक संबंध है, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुमानों के अनुसार, कम वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में, 2013-14 के पूर्वार्ध के मुकाबले 2014-15 के पूर्वार्ध में अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर विकास हुआ (सारणी 3.1)।

3.4 यह सच्चाई कि 2014-15 के पूर्वार्ध में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 3.5 प्रतिशत की दर पर विकास कर पाए, जो पारंपरिक औसत से मामूली सी अधिक भी है, और ऐसा बहुत अनुकूल मानसून न होने और अनाज, दालों एवं तिलहनों के कमतर उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमानों के बावजूद संभव हुआ, यह दर्शाती है कि प्रतिकूल मानसून से जुड़ी इस क्षेत्र की असुरक्षा काफी हद तक कम हो गई है। कृषि क्षेत्र का निष्पादन और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्तर 2013-14 के पूर्वार्ध के 4.5 प्रतिशत के जबर्दस्त विकास की तुलना में हासिल किया गया है। इस क्षेत्र के विकास को फलों एवं सब्जियों, पशुधन उत्पादों, वानिकी एवं मात्स्यिकी से संभवतः बढ़ावा मिला होगा।

3.5 औद्योगिक क्षेत्र एक मिली-जुली तस्वीर पेश करता है। उपर्युक्त आंकड़ों से और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के पृथक-पृथक आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र पहली तिमाही में हासिल रफ्तार बनाकर नहीं रख सका। दूसरी तिमाही में विनिर्माण विकास पस्त हो गया जो मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं एवं उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में आई गिरावट के चलते हुआ। हालांकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 2012-13 की चौथी तिमाही से लगातार सात तिमाहियों में संकुचन देखा जा रहा है, पूंजीगत वस्तुओं में अस्थिरता की हालिया प्रवृत्ति जारी रही जब वे पहली तिमाही में दोहरे अंक की वृद्धि से हटकर दूसरी तिमाही में संकुचन का शिकार हुई।

3.6 "व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाओं" तथा "वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं" में विकास मुख्यतः वस्तु उत्पादक क्षेत्रों में व्याप्त उछाल से जुड़ा होता है (बाक्स 3.1)। जाहिर है पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में हुए विस्तार तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में हुए समुचित विकास के फलस्वरूप दूसरी तिमाही में घरेलू व्यापार एवं परिवहन क्षेत्रों में कुछ उछाल आया है जिससे रेलवे के निवल टन किलोमीटर में सुधार आया है और पत्तन एवं विमान कार्गो में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। संचार क्रांति जिसने 1992-93 से शुरू हुए दो दशकों के दौरान क्षेत्र के वास्तविक सकल मूल्य के लगभग 20 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हासिल की, अब 2012-13 से गिरावट का रूख लिए है। तथापि, यह क्षेत्र 2014-15 की दूसरी तिमाही के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ संतुलित विकास हासिल किया हुआ प्रतीत होता है।

बाक्स 3.1 अर्थव्यवस्था में विकास की कड़ियां

सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि में सर्वाधिक योगदान देता है। तथापि, यह मान लेना समझदारी नहीं होगी कि सेवा क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन से अप्रभावित रहकर भी, अपने बूते पर ही विकास कर सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों में तिमाही-वार विकास के बीच सह-संबंध के विश्लेषण से पता चलता है कि "व्यापार, भंडारण और परिवहन एवं संचार" का विकास विनिर्माण क्षेत्र के विकास से गहरे जुड़ा है और यह कि विनिर्माण क्षेत्र में उछाल के तत्काल बाद ही "व्यापार, भंडारण और परिवहन एवं संचार" में उछाल आता है (अर्थात् बिना किसी अंतराल के)। इसी पृष्ठभूमि में उल्लेखनीय है कि ये दो क्षेत्र इस समय तीव्र विकास की ओर बढ़ नहीं रहे हैं। यही विशेष सह-संबंध निर्माण और खनन तथा 'व्यापार, भंडारण और परिवहन एवं संचार' के मामले में भी देखा जाता है। इसका परिणाम हमें एक अंतदृष्टि देता है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र का पुनरूद्धार करने के लिए जरूरी उपाय, सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपायों के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझे जा सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण सेवा उप-क्षेत्र, "वित्त, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं" में विकास को वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के विकास से बहुत सार्थक ढंग से जोड़ा नहीं जा सकता। इससे यही इंगित होता है कि यह क्षेत्र हालिया वर्षों में लगभग अपने बल-बूते पर ही विकसित हो रहा था ।

3.7 वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं" 2014 की पहली तिमाही तक लगातार 10 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था का सबसे सक्रिया क्षेत्र रहा है जो 2014-15 के पूर्वार्ध में 10 प्रतिशत की दर पर बढ़ा। यह क्षेत्र जो 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 14.6 प्रतिशत का भागी था, उसने 2003-04 से 2010-11 की उच्च विकास की

अवधि में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में लगभग 20.7 प्रतिशत का योगदान किया (चित्र 3.1)। जब 2011-12 से 2013-14 की तीन वर्षीय अवधि में विकास में तेजी से गिरावट हुई, तब इस क्षेत्र का योगदान बढ़कर 48.2 प्रतिशत तक जा पहुंचा। रूझानों के अनुरूप इस क्षेत्र ने 2014-15 के पूर्वार्ध में सकल घरेलू उत्पाद की कुल वृद्धि में 38 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया। पूर्वार्ध में विकास में दिखाई दे रही स्पष्ट गिरावट के चलते, यह क्षेत्र अधिक गतिशील स्थावर संपदा क्षेत्र की ओर रूख करेगा जो अधिक ऋण लेने में, विभिन्न वित्तीय लिखतों में अधिक वित्तीय बचतें करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक उछाल लाने की ओर प्रयासरत हो जो कारोबारी सेवाओं की मांग को बढ़ावा दे सके। कृषि क्षेत्र को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों के विकास-योगदान में आए स्पष्ट परिवर्तन चित्र 3.1 में देखे जा सकते हैं।

चित्र 3.1 स.घ.उ. में वृद्धि में क्षेत्रवार अंशदान (प्रतिशत, कुल = 100)

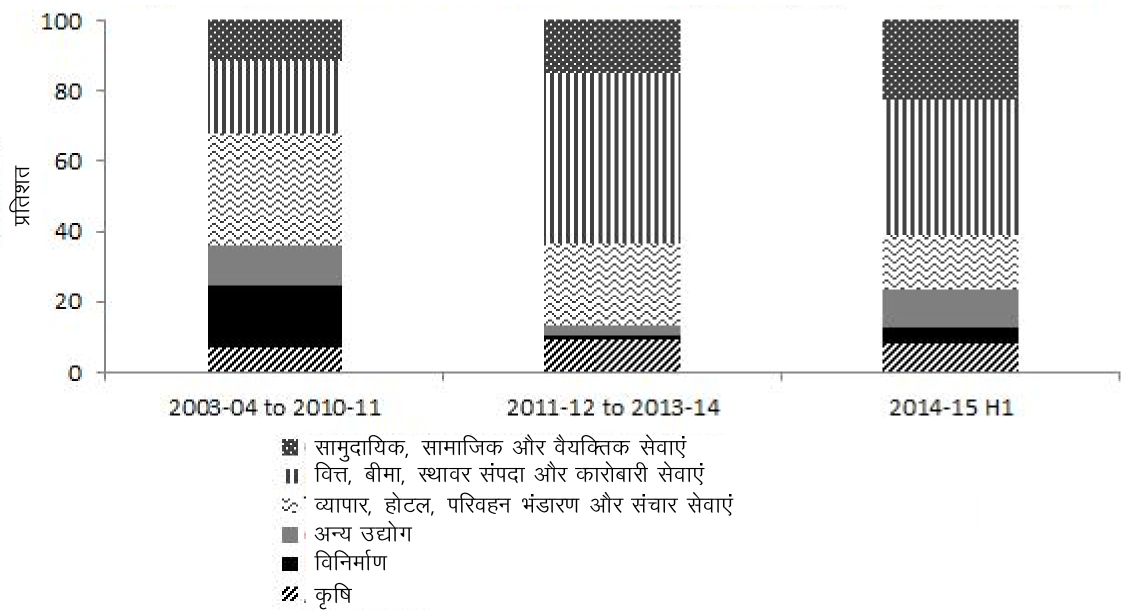

3.8 राष्ट्रीय उत्पादन की मांग, जो बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के घटकों द्वारा प्रतिबिंबित किए जाने है; अर्थात् उपभोग, पूंजी निर्माण और निर्यात्, ने 2014-15 के पूर्वार्ध में मिली-जुली तस्वीर पेश की (सारणी 3.2)।

सारणी 3.2 स.घ.उ. में बाजार मूल्यों में वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

मदें	2013-14		2014-15		
	पूर्वार्ध 1	उत्तरार्ध 2	पूर्वार्ध 1	तिमाही 1	तिमाही 2
कुल अंतिम उपभोग	4.6	4.8	6.3	6.2	6.4
सरकारी अंतिम उपभोग	6.5	1.6	9.4	8.8	10.1
निजी अंतिम उपभोग	4.2	5.4	5.7	5.6	5.8
सकल नियत पूंजी निर्माण	0.2	-0.4	3.4	7.0	0.0
भंडार में परिवर्तन	2.5	0.9	0.9	2.5	-0.6
मूल्यवान मदें	-31.8	-31.4	-38.7	-50.7	-27.0
निर्यात	6.0	10.9	4.5	11.5	-1.6
आयात	1.0	-6.0	0.3	-0.4	1.1
बाजार मूल्यों पर स.घ.उ.	4.7	5.3	5.9	5.8	6.0
निवल अप्रत्यक्ष कर	1.2	13.2	13.2	8.5	17.1

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

3.9 अंतिम उपभोग जो कुल मांग को लगभग 69 प्रतिशत बैठता है, क्रमिक पुनरूद्धार के मार्ग पर डटा रहा और इसकी स्थिति 2013-14 के 4.7 प्रतिशत से सुधरकर 2014-15 के पूर्वार्ध में 6.3 प्रतिशत पर आ गई। सरकारी उपभोग में हुई वृद्धि ने इस पुनरूद्धार में मदद की लेकिन निजी उपभोग में हुई वृद्धि भी काफी जबर्दस्त थी। उपभोग में हुई यह वृद्धि विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आई मंदी विशेषकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में कमी आने के बावजूद हुई। इससे कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन एक विभिन्न सेवाओं की भारी खपत का संकेत मिलता है।

3.10 स्थिर मूल्यों पर वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात में 2013-14 की दूसरी तिमाही से 2014-15 की पहली तिमाही तक चार तिमाहियों के दौरान 12.1 प्रतिशत की अच्छी औसत दर पर वृद्धि हुई। इसके विपरीत, आयात वृद्धि धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है, जो चालू खाता शेष जो कुल मिलाकर इस समय संतोषजनक स्तर पर है, पर नजर रखने की जरूरत को इंगित कर रहा है। सौभाग्यवश, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट हुई है। कच्चे तेल की कीमत (भारतीय समूह) जून 2014 के 109 अमरीकी डालर प्रति बैरल से कम होकर अक्तूबर 2014 में 86 अमरीकी डालर रह गई। इन कीमतों में और गिरावट हुई और ये 1 दिसंबर और 10 दिसंबर 2014 के बीच औसतन 66.8 अमरीकी डालर रहीं। इस तरह जून और दिसंबर 2014, के बीच कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय समूह) में लगभग 39 प्रतिशत की गिरावट हुई (चित्र 3.2)। चूंकि भारत कच्चे तेल का बड़ा निवल आयातक देश है, इसलिए कच्चे तेल के आयात के कम मूल्य और सब्सिडी पर होने वाले खर्च के कम स्तर दोनों के संदर्भ में भारत लाभान्वित होगा। रत्न एवं आभूषण के आयात में कमी और उनका घरेलू मूल्य वर्धन मूल्यवान मदों के निवल उपार्जन में व्याप्त प्रवृत्तियों में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है।

चित्र 3.2 : कच्चे तेल की कीमत (भारतीय समूह) अमरीकी डालर प्रति बैरल

3.11 नियत पूंजी निर्माण में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के निर्माण और मशीनरी एवं उपस्कर शामिल होते है। इनमें पिछले कुछेक वर्षों में लगभग गतिहीनता देखी गई। इस मद में 2014-15 के पूर्वार्ध में वास्तविक संदर्भ में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नियत पूंजी में निरंतर वर्धन भारत की श्रमप्रधान अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए यह एक सकारात्मक घटना है। तथापि, दोनों तिमाहियों में निर्माण क्षेत्र में समान वृद्धि के बावजूद, पहली तिमाही में नियत पूंजी निर्माण में देखी गई रफ्तार दूसरी तिमाही में बनाकर नहीं रखी जा सकी। (सारणी 3.2)।

चित्र 3.3 : विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं मं वृद्धि

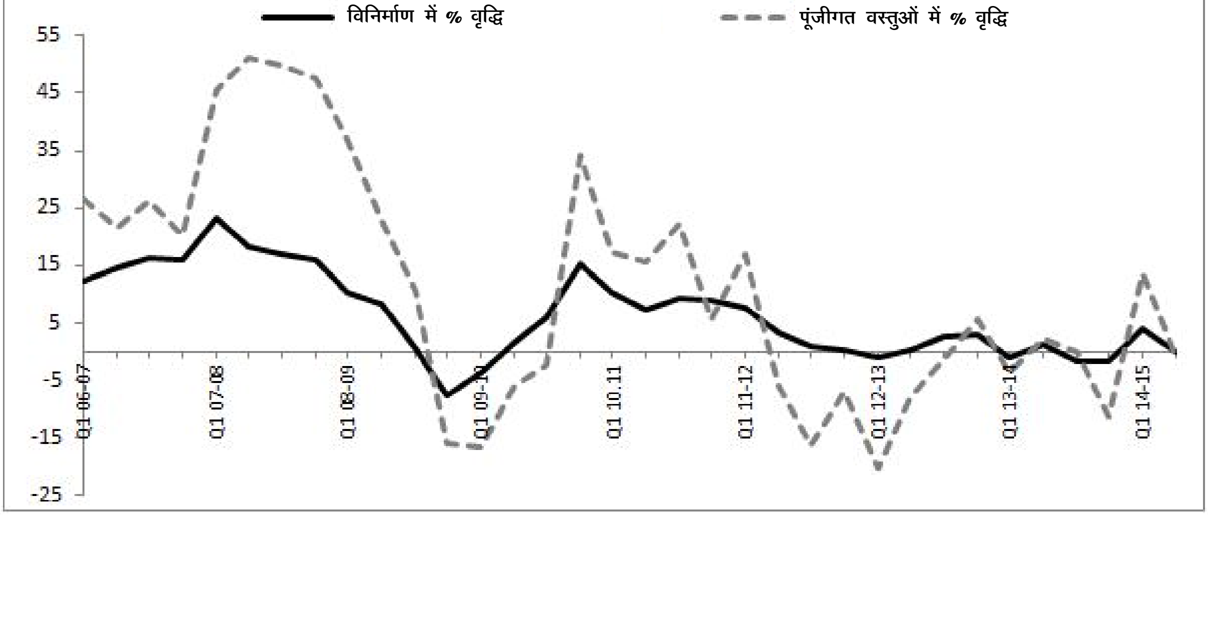

3.12 यह देखा जा सकता है कि समय के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं के विकास ने सामान्यतः विनिर्माण पैटर्न का अनुसरण किया है, लेकिन बढ़े-चढ़े रूप में; चालू वर्ष कोई अपवाद नहीं है (चित्र 3.3)। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में देखा गया है कि जब विनिर्माण क्षेत्र में समग्र तौर पर पहली तिमाही में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तब पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जब दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र पर पस्त पड़कर 0.5 प्रतिशत रह गया, तब पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में 0.4 प्रतिशत का संकुचन देखा गया। इसलिए, यह उम्मीद करना उचित होगा कि नियत पूंजी निर्माण तब रफ्तार पकड़ेगा जब सरकार द्वारा बनाए गए समर्थकारी नीतिगत माहौल की पृष्ठभूमि में विनिर्माण क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि देखी जाएगी।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

अनियमित वर्षा और कृषि उत्पादन पर इसका प्रभाव

3.13 भारतीय कृषि पिछले दशक में समुत्थानशील हो गई है। 2014-15 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के अनुसार कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई थी। तथापि, भारतीय कृषि अभी भी मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। चूंकि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (जून-सितंबर) वार्षिक कृषि के 70 प्रतिशत से अधिक बैठता है, इसका स्थानिक वितरण और वर्षा की मात्रा देश में सूखे की सीमा का निर्धारण करता है। समग्र तौर पर देश के लिए, 2014 दक्षिण-पश्चिम वर्षा मौसम (जून-सितंबर) के दौरान वर्षा दीर्घावधिक औसत (एलपीए) का 88 प्रतिशत थी। मासिक वर्षा जून में एलपीए का 57 प्रतिशत, जुलाई में एलपीए का 90 प्रतिशत, अगस्त में एलपीए का 90.7 प्रतिशत और सितंबर में एलपीए का 108 प्रतिशत था। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वास्तविक वर्षा की तुलना में एलपीए की तुलना दर्शाती है कि 2014 में 2012 एवं 2013 के बनिस्बत आमतौर पर कम बारिश हुई है (सारणी 3.3)।

सारणी 3.3ः वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 में वास्तविक दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा (जून से सिंतबर) की तुलना में दीर्घावधिक औसत (एलपीए)

क्षेत्र	2012			2013			2014		
	एलपीए (मिमी)	वर्षा (मिमी)	वर्षा एलपीए का प्रतिशत	एलपीए (मिमी)	वर्षा (मिमी)	वर्षा एलपीए का प्रतिशत	एलपीए (मिमी)	वर्षा (मिमी)	वर्षा एलपीए का प्रतिशत
अखिल भारत	887.5	819.8	92	886.9	936.7	106	886.9	777.5	88
उत्तर पश्चिम भारत	615.0	569.3	93	615.0	671.8	109	615.0	483.1	79
मध्य भारत	975.5	935.5	96	974.2	1195.3	123	974.2	879.7	90
पूर्वोत्तर भारत	1438.3	1275.3	89	1437.8	1037.9	72	1437.8	1267.7	88
दक्षिण प्रायद्वीप भारत	715.5	643.9	90	715.7	825.6	115	715.7	665.4	93

स्रोतः भारत मौसम विज्ञान विभाग

3.14 तथापि, वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के स्थानिक वितरण की तुलना दर्शाती है कि चालू वर्ष में वर्षा की स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही जैसेकि 2012 में रही थी (सारणी 3.4)।

सारणी 3.4ः वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 में 36 मौसम विज्ञान संबंधी उप-मंडलों में द.प. मानसून वर्षा का तुलनात्मक स्थानिक वितरण

वर्ष/माह	01.06.12 to 30.09.12	01.06.13 to 30.09.13	01.06.14 to 30.09.14
अत्यधिक	1	14	1
सामान्य	22	16	23
न्यून	13	6	12
अल्प	0	0	0
वर्षा नहीं	0	0	0

स्रोतः भारतीय मौसम विभाग

खरीफ बुआई और उत्पादन

3.15 वर्तमान में खरीफ की फसलों के लिए एकड़ क्षेत्र वर्ष 2012-13 की तुलना मं बेहतर ही रहा। जहां पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष खरीफ की फसलों का बुआई एकड़ क्षेत्र लगभग 2.2 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था, यह 2012-13 में 2.9 प्रतिशत अधिक था (सारणी 3.5)। यद्यपि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्षा में भारी गिरावट देखी गई। फसल का कम उत्पादन हुआ क्योंकि इन राज्यों में अधिकांश फसलें सिंचाई वाली स्थितियों में ही उगाई जाती हैं।

सारणी 3.5: खरीफ की फसलों का कवरेज सीमा (लाख हेक्टेयर)					
फसल	बुआई क्षेत्र			पिछले वर्ष के मुकाबले 2014-15 में प्रतिशत परिवर्तन	
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14
चावल	391.6	374.3	374.9	-4.4	0.2
सभी दाले	95.2	108.1	101.1	13.5	-6.6
तूअर (तूअर/अरहर)	36.9	38.5	35.6	4.6	-7.6
उड़द	22.9	23.9	25.0	4.4	4.7
मूंग	19.6	24.0	21.5	22.3	-10.3
कुल मोटे अनाज	175.2	196.1	182.3	11.9	-7.0
जवार	24.1	21.7	18.5	-10.1	-14.6
बाजरा	65.1	74.7	68.4	14.7	-8.4
मक्का	71.9	82.2	78.4	14.3	-4.7
कुल तिलहन	175.1	193.2	177.6	10.4	-8.1
मूंगफली	37.8	38.9	43.0	2.9	10.5
सोयाबीन	105.9	122.2	110.2	15.4	-9.8
गन्ना	51.0	50.3	48.7	-1.3	-3.1
कपास	116.1	114.4	126.6	-1.5	10.7
कुल खरीफ क्षेत्र	1015.0	1044.7	1019.3	2.9	-2.4

स्रोत आर्थिक एव सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एव सहकारिता विभाग

3.16 खरीफ फसलों के उत्पादन अनुमानों की समान तुलना जानकारी वर्धक है, वर्ष 2013-14 सामान्य से अच्छा वर्ष रहा, जिसमें खाद्यान्नों का उत्पादन दूसरा सर्वाधिक तथा तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक दर्ज हुआ। वर्ष 2012-13 में तथा सामान्यतः लगाए गए अनुमानों की तुलना में, चालू वर्ष के उत्पादन अनुमान दोनों दृष्टि से पर्याप्त रूप से बेहतर दिखे। प्रथम अग्रिम अनुमान भी इंगित करते हैं कि कपास, धान और उड़द के अपेक्षाकृत अधिक एकड़ के उत्पादन के बावजूद अन्य फसलों के साथ उनका उत्पादन के स्तर का पूर्वानुमान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के मुकाबले कम रहा। चूंकि वर्षा और मौसमी स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार आया है, इसलिए यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों के जारी किए जाने वाले अनुमानों में खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है जैसाकि 2012-13 में बढ़ा हुआ था। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के मुकाबले वर्ष 2014-15 में प्रमुख खरीफ फसलों (प्रथम अग्रिम अनुमान) का उत्पादन और सामान्य अनुमान सारणी 3.6 में दिए गए हैं।

सारणी 3.6: प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन (मिलियन टन में)				
फसल	2012-13	2013-14	2014-15	सामान्य अनुमान #
	प्रथम अग्रिम अनुमान	प्रथम अग्रिम अनुमान	प्रथम अग्रिम अनुमान	
चावल	85.6	92.3	88.0	85.3
कुल मोटे अनाज	26.3	31.0	27.1	29.5
कुल दाले	5.3	6.0	5.2	5.6
कुल खरीफ खाद्यान्न	117.2	129.3	120.3	120.5
कुल तिलहन	18.8	24.0	19.7	19.4
गन्ना	335.3	341.8	342.8	324.4
कपास @	33.4	35.3	34.6	29.7

@उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. मिलियन गांठ; # सामान्य अनुमान वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के 5 वर्षों के औसत अनुमान है।
स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग।

कृषि उत्पाद की मूल्य निर्धारण नीति और विपणन

3.17 प्रमुख कृषि उत्पादों के संबंध में सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य फसल उगाने वाले किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करना होता है तथा उचित कीमत पर आपूर्ति कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी होती है। पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढोतरी की गई। तथापि 2013-14 तथा 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली सी बढ़ोतरी की गई, जैसाकि सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

[1] सामान्य अनुमान पिछले पांच वर्षों 2009-10 से 2013-14 की औसत है।

सारणी 3.7: वर्ष 2014-2015 में नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष) और पिछले वर्षों के दौरान सफलता प्रतिशत						
		प्रति क्विंटल रुपए			बदलता प्रतिशत	
		2014-15	11-12/ 10-11	12-13/ 11-12	13-14/ 12-13	14-15/ 13-14
खरीफ फसल	खरीफ फसल	1360	8.0	15.7	4.8	3.8
	धान सामान्य	1400	7.8	15.3	5.1	4.1
	धान (ग्रेड एफ)	1530	11.4	53.1	0.0	2.0
	ज्वार-हाइब्रिड	1550	11.1	52.0	0.0	2.0
	ज्वार मलांडी	1250	11.4	19.9	6.4	0.0
	बाजरा	1550	8.8	42.9	0.0	3.3
	रागी	1310	11.4	19.9	11.5	0.0
	मक्का	4350	6.7	4.1	11.7	1.2
	तुर (अरहर)	4600	10.4	10.0	2.3	2.2
	मूंग	4350	13.8	13.2	0.0	1.2
	उड़द	4000	17.4	37.0	8.1	0.0
	मूंगफली	3750	19.1	32.1	0.0	1.4
	सोयाबीन (काली	2500	17.9	33.3	13.6	0.0
	सोयाबीन (पीली)	2560	17.4	32.5	14.3	0.0
	तिल	4600	17.2	23.5	7.1	2.2
	नाइजर सीड	3600	18.4	20.7	0.0	2.9
	कपास (मध्यम रेशा)	3750	12.0	28.6	2.8	1.4
	कपास (लंबा रेशा)	4050	10.0	18.2	2.6	1.3
रबी फसल	गेहूं	1450	9.8	5.1	3.7	3.6
	बाजरा	1150	25.6	0.0	12.2	4.6
	चना	3175	33.3	7.1	3.3	2.4
	लेंटिल (मसूर)	3075	24.4	3.6	1.7	4.2
	सफेद सरसों	3100	35.1	20.0	1.7	1.6
	कुसुम	3050	38.9	12.0	7.1	1.7
अन्य फसल	जूट (टीडी 5)	2400	31.3	4.6	4.4	0.0
	गन्ना (एफआरपी)		17.2	23.5	4.8	
	गरी की पिसाई दर		12.7	2.9	0.0	
	गरी गोले की दर पर		12.0	2.8	0.0	

टिप्पणी* फसल कटाई के दो महीनों के भीतर बाजार में इसकी पहुंच के लिए प्रति क्विटल 500 रु. के अतिरिक्त केन्द्रीय बोनस को मिलाकर

स्रोतः कृषि लागत तथा कीमत निर्धारित आयोग।

3.18 इस बात को समझते हुए कि गरीबी उपशमन में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के कल्याण को शामिल करते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार भी एक सहयोगी भूमिका का निर्वहन करता है, हालिया बजट में यह रेखांकित किया गया है कि देश भर में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाकर तथा एकीकृत बाजार के जरिए किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का प्रबंध तथा स्टॉक

3.19 इस केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेंहू) के बड़े स्टाक से खाद्यान्नों का रिकोर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है; यह 1 अक्टूबर 2014 की स्थिति के अनुसार 21.20 मिलियन टन के बफर स्टाक मापदण्ड की तुलना में 1 अक्टूबर 2014 को 51.2 मिलियन टन था। चावल की सरकारी खरीद पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 14.9 मिलियन टन के मुकाबले 11.11.2014 को 11.5 मिलियन टन रही। वर्ष 2014-15 में रबी विपणन मौसम के दौरान गेंहू की खरीद वर्ष 2013-14 के रबी विपणन मौसम में 25.1 मिलियन टन के मुकाबले 28.0 मिलियन टन रहीा। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए मूल्य नीति के एक भाग के रूप में चावल और गेंहू के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 1.7.2002 से अपरिवर्तनीय रहे।

3.20 इसके अलावा, लक्षित सरकारी वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अकाल/फसल न होने जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए खाद्य स्टाक का केन्द्रीय पूल बनाने तथा तेजी से बढ़ रही कीमतों के चलते खुले बाजार हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मौसमी तौर पर गेंहू की पैदावार होने तथा संवितरण आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करके इस केन्द्रीय पूल के न्यूनतम बफर मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। जहां 1.7.2012 को 80.5 मिलियन टन के शीर्ष स्टाक स्तर में गिरावट आई है, सेन्ट्रल पूल में

स्टाक बफर मापदण्डों के मुकाबले अभी भी अधिक है (सारणी 3.8) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बफर स्टाक मापदण्ड में फेरबदल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

सारणी 3.8: वर्ष 2012 सेचावल और गेहू के बफर मानक और वास्तविक स्टाक की स्थिति (लाख टन में)

तारीख	वास्तविक भंडार	बफर मानक
1.1.2012	553.9	250
1.4.2012	533.0	212
1.7.2012	805.2	319
1.10.2012	665.3	212
1.1.2013	666.0	250
1.4.2013	596.8	212
1.7.2013	739.1	319
1.10.2013	592.4	212
1.1.2014	583.7	250
1.4.2014	483.9	212
1.7.2014	653.4	319
1.10.2014	511.9	212

टिप्पणी इसमें पैराई न किया गया चावल शामिल है।*
स्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग।

कृषि ऋण - अधिक उत्पादन की सुपुर्दगी के लिए किसानों को समर्थ बनाना

3.21 कृषि ऋण प्रवाह जो 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपए था, वर्ष 2013-14 में बढ़कर 7,30,765,61 करोड़ (अनंतिम आकड़ा) हो गए और लगातार लक्ष्य से अधिक रहा। इन पर सरकार के ठोस प्रयासों का असर दिखा। वर्ष 2014-15 में कृषि ऋण लक्ष्य 8,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फसल ऋण का एक बड़ा हिस्सा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम के जरिए आता है। 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यक बैंकों, सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों ने संयुक्त रूप से 14.10 करोड़ के सीसी जारी किए और मंजूर किए गए ऋणों की सामित राशि 8,80,072 करोड़ रुपए है। कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में क्रेडिट लागत में वर्ष 2013-14 में सुधार हुआ है (सारणी 3.9)

सारणी 1.7: 2012-13 और 2013-14 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य और उपलब्धि (करोड़ रुपए)

एजेंसी	2012-13			2013-14*		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि प्रतिशत
वाणिज्यिक बैंक	4,20,000	4,32,491	26.3	4,75,000	5,29,685.2	27.8
सहकारी बैंक	84,000	1,11,203	6.8	1,25,000	1,18,421.7	6.2
क्षेत्रीय ग्रामीण	71,000	63,681	3.9	1,00,000	82,658.8	4.3
जौड़	5,75,000	6,07,375	36.9	7,00,000	7,30,765.6	38.3

टिप्पणी* फसल 2013-14 के आंकड़े अनतिम है।
स्रोतः भारतीय बैंक संघ से प्राप्त वाणिद्यिक बैंकों के आंकड़े तथा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहकारी और क्षे6य ग्रामीण बैंकों के आंकड़े

प्रमुख घटनाक्रम/नीतिगत उपाय

बॉक्स 3.2 आरवीआई/नाबार्ड के साथ सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

(i) दो निर्णय जिनका 2014-15 के खरीफ विपणन मौसम तथा 2015-16 के रबी विपणन मौसम से चावल और गेंहू के स्टाक तथा अधिप्राप्ति की सीमा तय करने पर असर पड़ेगा-(क) राज्यों से होने वाली अधिप्राप्ति की सीमा लक्षित सरकारी वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता की सीमा तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ा अधिक अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा करके की जा रही है। बोनस की घोषणा करने वाले दो गैर-डीसीपी राज्यों के मामले में एफसीआई उन राज्यों में एमएसपी प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेगी। (ख) लेवी चावल की 25 प्रतिशत सीमा निर्धारित करना।

(ii) 20 अगस्त, 2014 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। 3 माह के भीतर एफसीआई का पुनर्गठन किए जाने के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(iii) प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) अथवा आधार प्रोजेक्ट को नए सिरे से आवश्यकता समझी गई। सब्सिडियों के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन किया जाना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सहगामी 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' का सफल कार्यान्वयन आवश्यक है। इन दोनों स्कीमों को सही तरह से कार्यान्वित करने से खाद्य पदार्थ, उर्वरक तथा तेल सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना संभव हो सकेगा और लाभार्थियों को बेहतर रूप से लक्षित किया जा सकेगा और जिससे सब्सिडी घटेगी।

(iv) राष्ट्रीय कौशल विकास परिव्यय परिषद के साथ परामर्श करके खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल की शुरूआत की जाएगी और अगले 12 माह में 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित औद्योगिक साझीदारों की सहायता से 7 सेक्टरों (बेकरी, डेयरी, अनाज प्रौद्योगिकी, मुर्गी पालन, प्रशीतन, डिब्बाबंदी, गुणवत्ता नियंत्रण) की पहचान की गई है।

(v) बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ में 6 मेगा फूड पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है ।

(vi) कोलकाता; उधमसिंह नगर, उत्तराखंड; और मुम्बई, महाराष्ट्र में तीन शीत श्रृंखलाएं संचालित हैं। 20 नई शीत श्रृंखलाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

(vii) नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए की विशेष निधि स्थापित की गई जिसकी घोषणा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2014-15 के बजट में की गई थी।

(viii) संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को और सरलीकृत किया गया है और इन कार्डों को एटीएम समरूप डेबिट कार्ड में परिवर्तित किया गया है जिसमें एक बार प्रलेखीकरण की सुविधा है, एक सीमा तक ही इसकी निर्माण लागत में बढ़ोत्तरी की जाती है और एक सीमा तक ही खाता रु. में बदलाव किए जाते हैं। इस केसीसी स्कीम का लक्ष्य किसानों को एक एकल विंडो के अन्तर्गत बैकिंग प्रणाली के जरिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना है।

(ix) बैंकों को उधारकर्ताओं से स्वघोषित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बजाय छोटे और अत्यधिक निर्धन किसानों बटांइ पर खेती करने वालो और इसी तरह के अन्य किसानों से 50,000 रुपए के लघु ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने को अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है।

(x) भारतीय रिजर्व बैंक ने 100,000 रुपए तक के कृषि ऋण में मार्जिन/सुरक्षा अपेक्षाओ में छूट दी है।

उद्योग और अवसंरचना

धीमे सुधार का संकेत देते हुए औद्योगिक क्षेत्र

3.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दूसरी तिमाही की तुलना में पहली तिमाही में अधिक वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में सकारात्मक वृद्धि देखी गई (सारणी 3.10)। औद्योगिक उत्पादन जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर 2014 में इसमें 1.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जहां विद्युत उत्पादन में 10.7 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई, वहां 2013-14 की तदनुरूप अवधि के बाद अप्रैल-

अक्तूबर 2014-15 के दौरान विनिर्माण और खनन क्षेत्र में हुए वृद्धि में क्रमश 0.7 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत का धीमा सुधार दिखा। विनिर्माण क्षेत्र, विद्युतीय मशीनरी एवं उपकरण; बुनियादी धातु और अन्य यातायात उपस्कर द्विअंकीय वृद्धि से बाहर हो गए, जबकि रसायन, कोक तथा परिष्कृत पेट्रोल उत्पाद; पहनने वाले कपड़े, टीवी/रेडियो, संचार के साधनों ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने अक्तूबर 2014 माह में 4.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की जो मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन के कारण हुई।

सारणी 3.10: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित बड़े औद्योगिक समूहों में वृद्धि

वर्ष	तिमाही	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
	भारांश	141.6	755.3	103.2	1000.0
2012-13	ति.1	-1.5	-0.8	6.4	-0.3
	ति.2	-0.7	0.2	2.8	0.4
	ति.3	-3.0	2.5	4.4	2.1
	ति.4	-3.8	3.1	2.3	2.2
2013-14	ति.1	-4.7	-1.1	3.5	-1.0
	ति.2	-0.2	1.4	8.4	1.9
	ति.3	0.5	-1.6	5.0	-0.8
	ति.4	1.8	-1.6	7.6	-0.4
2014-15	ति.1	3.0	3.9	11.3	4.5
	ति.2	1.3	0.1	9.4	1.1
अप्रैल-अक्तूबर					
2013-14		-2.6	-0.1	5.3	0.2
2014-15		2.4	0.7	10.7	1.9

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

3.23 प्रयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, बुनियादी वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया, मध्यवर्ती वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के मुकाबले अप्रैल-अक्तूबर वर्ष 2014-15 के दौरान खराब निष्पादन जारी रहा (सारणी 3.11)।

सारणी 3.11: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित प्रयोग आधारित औद्योगिक समूहों में वृद्धि

वर्ष	तिमाही	मूल वस्तुएं	पूंजीगत वस्तुएं	मध्यवर्ती वस्तुएं	उपभोक्ता वस्तुएं			सामान्य
					कुल	टिकाऊ	गैर-टिकाऊ	
	भारांश	456.82	88.25	156.86	298.1	84.6	213.47	1000.00
2012-13	ति.1	3.3	-20.1	0.8	3.9	8.0	0.6	-0.3
	ति.2	2.2	-8.1	1.5	1.4	0.1	2.6	0.4
	ति.3	2.5	-1.2	2.5	2.7	3.1	2.4	2.1
	ति.4	1.8	5.7	1.6	1.7	-2.8	5.0	2.2
2013-14	ति.1	-0.2	-3.7	1.6	-2.1	-12.7	7.1	-1.0
	ति.2	2.8	2.2	3.8	-0.2	-9.5	8.2	1.9
	ति.3	1.8	0.0	3.9	-6.1	-16.5	2.3	-0.8
	ति.4	3.9	-11.3	3.1	-2.6	-10.1	2.6	-0.4
2014-15	ति.1	8.7	13.6	3.1	-3.2	-9.5	1.4	4.5
	ति.2	7.2	-1.0	1.6	-6.1	-15.7	1.2	1.1
अप्रैल-अक्तूबर								
2013-14		1.1	-0.2	2.7	-1.7	-11.3	6.8	0.2
2014-15		7.6	4.8	1.6	-6.3	-16.0	1.0	1.9

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

3.24 मुख्यतः सीमेन्ट, खनिजों और बिजली का अधिक उत्पादन होने के कारण मूल वस्तुओं में वृद्धि हुई। पूंजी वस्तु खण्ड में मुख्य रूप से 2014-15 की पहली तिमाही में सुधार हुआ। मध्यवर्ती वस्तु खण्ड में मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि घटकर 10.6 प्रतिशत रह गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2.7 प्रतिशत थी। यह मुख्यतः द्रवित पेट्रोलियम गैस, बायलर्स और नापाथा में कम उत्पादन के कारण था। उपभोक्ता वस्तुओं में और अधिक गिरावट आई क्योंकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु सेक्टर की गति धीमी रही। इस गिरावट में कीमती पत्थरों और जेवरात के उत्पादन का बड़ा योगदान रहा।

प्रमुख अवसंरचना सेक्टर और सार्वभौमिक मध्यवर्ती वस्तुएं

3.25 आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योग, जिनका आईआईपी में कुल 37.9 प्रतिशत भारांश है, मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल-अक्तूबर के दैरान इसमें 4.3 प्रतिशत की वर्षनुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी (सारणी 3.12)। अवसंरचना उद्योगों में निष्पादन विषम रहा। बिजली, कोयला और सीमेन्ट सेक्टरों में तुलनात्मक रूप से उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई है और इस्पात सेक्टर में अप्रैल-अक्तूबर 2014-15 में कम वृद्धि दर दर्शायी गई। उर्वरक क्षेत्र में वृद्धि शून्य रही और कच्चा तेल प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों में अप्रैल-अक्तूबर 2014-15 में नकारात्मक वृद्धि देखी गई ।

सारणी 3.12 अवसंरचना तथा सार्वभौम मध्यवर्तियों की संवृद्धि के रूझान (प्रतिशत)

उद्योग	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रैल-सितंबर	
				2013-14	2014-15
विद्युत	8.1	4.0	5.8	5.1	10.5
कोयला	1.3	4.6	0.8	1.3	8.5
इस्पात	10.3	4.1	8.5	11.9	2.3
अपरिष्कृत तेल	1.0	-0.6	-0.2	-1.2	-0.9
परिशोधनशाला उत्पाद	3.1	29.0	1.6	3.5	-1.7
सीमेंट	6.7	7.7	3.0	4.0	8.1
प्राकृतिक गैस	-8.9	-14.5	-13.0	-16.1	-5.6
उर्वरक	0.4	-3.4	1.5	2.7	-1.1
समग्र सूचकांक	5.0	6.5	3.5	4.2	4.3

स्रोत : आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का कार्यालय

कोरपोरेट सेक्टर का निष्पादन

3.26 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सूचिबद्ध कंपनियों के संक्षिप्त परिणाम दर्शाते हैं कि समग्र स्तर पर बिक्री वृद्धि (वर्षनुवर्ष) 2014-15 की पहली तिमाही में सुधरी और 2013-14 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई (सारणी 3.13) । ईबीआईटीडीए (अन्य लाभ) और निवल लाभ (वर्षनुवर्ष) में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई जबकि वर्षनुवर्ष ब्याज व्यय की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई। बिक्री के अनुपात में निवल लाभ मामूली रूप से बढ़ा जबकि ब्याज कवरेज अनुपात अपरिवर्तित रहा। तथापि, 2014-15 की दूसरी तिमाही के लिए 2863 सूचबद्ध गैर सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के परिणाम दोबारा इस तिमाही में बिक्री और ईबीआईटीडीए (कार्यचलन लाभ) में वर्षनुवर्ष वृद्धि में गिरावट दर्शाते हैं। अन्य आय की वर्षनुवर्ष वृद्धि दरों में बढ़ोतरी और नकारात्मक ब्याज कम वृद्धि के परिणामस्वरूप निवल लाभों में कम परन्तु समुचित वृद्धि हुई। बिक्री के अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात दोनों में लाभ निवल पिछली तिमही की तुलना में 2014-15 की दूसरी तिमाही में कम था।

सारणी 3.13 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सूचीबद्ध कम्पनियों का निष्पादन

मदें	समृद्धि दरें* (प्रतिशत)									
	2012-13				2013-14				2014-15	
	ति 1	ति 2	ति 3	ति 4	ति 1	ति 2	ति 3	ति 4	ति 1	ति 2
कम्पनियों की संख्या	2,790	2,749	2,745	2,686	2,768	2,708	2,731	2,719	2,755	2,863
बिक्री	13.4	11.3	9.2	4.2	2.6	7.4	4.4	4.6	7.1	4.2
व्यय जिनमें से निम्न पर हुआ व्यय	15.8	12.1	8	4.7	2.2	8	2.8	4.9	6.1	3.6
कच्ची सामग्री	13.4	14.1	9.4	2.6	-2.7	6.4	1	4.6	8.4	3.4
कर्मचारी लागत	17.3	14.7	13.1	13.5	13.9	13.9	10.7	9.3	8.4	7.7
प्रचालनात्मक लाभ (ईबीआईटीडीए)	-3.7	10.8	7.5	-0.1	1.1	-1.3	5.7	4.9	16.5	8.3
अन्य आय**	29.5	49	0.7	-1.4	28	-0.2	24.7	14.6	-2.8	26.1
मूल्य ह्रास	10.3	10.4	10.4	8.4	9.4	11.6	8.1	8.4	8	3.5
सकल लाभ (ईबीआईटी)	-2.5	18.3	5.3	-2.6	3.9	-4.6	8.4	5.9	14.7	14.1
ब्याज	37.9	11.5	17.2	10.9	12.1	19.9	9.6	8.9	1.4	-0.6
कर प्रावधान	-3.6	11.3	4.7	-2.5	0.8	4.2	19.9	-4.2	23.8	29
निवल लाभ	-10.7	23	23	-16	-10.9	-20.5	4.3	10.3	27.3	25.6
निवल लाभ में बिक्री का अनुपात	5.9	6.9	5.7	5.7	5.2	5.1	5.4	6.4	6.7	6.6
ब्याज कवरेज अनुपात	2.9	3.5	2.9	3.3	2.8	2.9	3	3.4	3.4	3.2

* संवृद्धि दरें कम्पनियों के समान समूह के लिए संदर्भधीन अवधि के दौरान विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना के स्तर पर हुए प्रतिशत परिवर्तन है।

**अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है यदि उसे सुस्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

उद्योग और अवसंरचना का वित्तपोषण

3.27 अनुसूचित विणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों में क्षेत्रीय रूप से ऋण को कार्य में लगाना 2014-15 के पूवार्ध में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी कम रहा (सारणी 3.14) केवल खनन और निर्माण सेक्टरों में ऋण वृद्धि काफी अधिक रही। विनिर्माण सेक्टर में परिवहन उपकरण और पैट्रोलियम तथा नभिकीय इंधन को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में ऋण वृद्धि में कमी रही।

सारणी 3.14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की संवृद्धि (प्रतिशत)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2013-14	2014-15
			अप्रैल-सितम्बर	अप्रैल-सितम्बर
विनिर्माण	16.8	13.9	13.8	8.1
खनन	29.6	-7.9	-11.2	17.1
विद्युत	20.8	26.0	31.9	13.7
निर्माण	8.8	0.7	-8.2	28.7
अन्य अवसंरचना	11.2	11.1	12.7	6.9
विनिर्माणी उप-क्षेत्र	18.4	22.7	20.9	20.2
खाद्य प्रसंस्करण	9.6	16.2	17.8	7.2
कपड़ा	4.4	-10.3	-15.6	0.9
पैट्रोलियम तथा नाभिकीय ईंधन	21.3	23.5	27.6	14.0
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	24.7	28.5	36.6	2.7
रसायन एवं रसायन उत्पाद	21.3	18.9	22.3	10.0
बुनियादी धातु तथा धात्विक उत्पाद	20.6	11.3	10.2	8.8
समस्त इंजीनियरी	18.4	9.6	6.7	8.4
परिवहन उपकरण	14.7	6.6	2.8	5.0
अन्य उद्योग समस्त उद्योग	16.6	14.8	15.6	9.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कीमतें

3.28 मुद्रास्फीति का उच्च स्तर पर बने रहना 2008-09 में प्रमुख वृहत् आर्थिक चिन्ता बना हुआ है। सामान्यतः 4-6 प्रतिशत हेड लाइन मुद्रास्फीति का स्तर सुखद स्थिति में समझी जा सकती है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति मार्च 2013 से 19 महीनों में से 13 महीनों में सुखद स्थिति में बनी रही। तथापि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला) के संदर्भ में मुद्रास्फीति सितंबर और अक्तूबर 2014 को छोड़कर 7 प्रतिशत से अधिक रही। 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 8.2 प्रतिशत थी। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2013-14 में गिरकर 6 प्रतिशत रह गई । तथापि, मासिक मुद्रास्फीति दरों में बहुत अधिक अस्थिरता थी, जो नवंबर 2013 में 7.5 प्रतिशत पर उच्च स्तर पर थी और मई 2013 में 4.6 प्रतिशत पर नीचे थी। इसी प्रकार सीपीआई हेड लाइन मुद्रास्फीति जो नवम्बर 2013 में 11.2 प्रतिशत पर शीर्ष पर पहुंच गई थी 2013-14 के लिए यह औसत 9.5 प्रतिशत थी। 2014-15 की पहली छमाही के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति काफी नरम हुई और थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत रह गए (चित्र 3.4)

सारणी 3.14 थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति

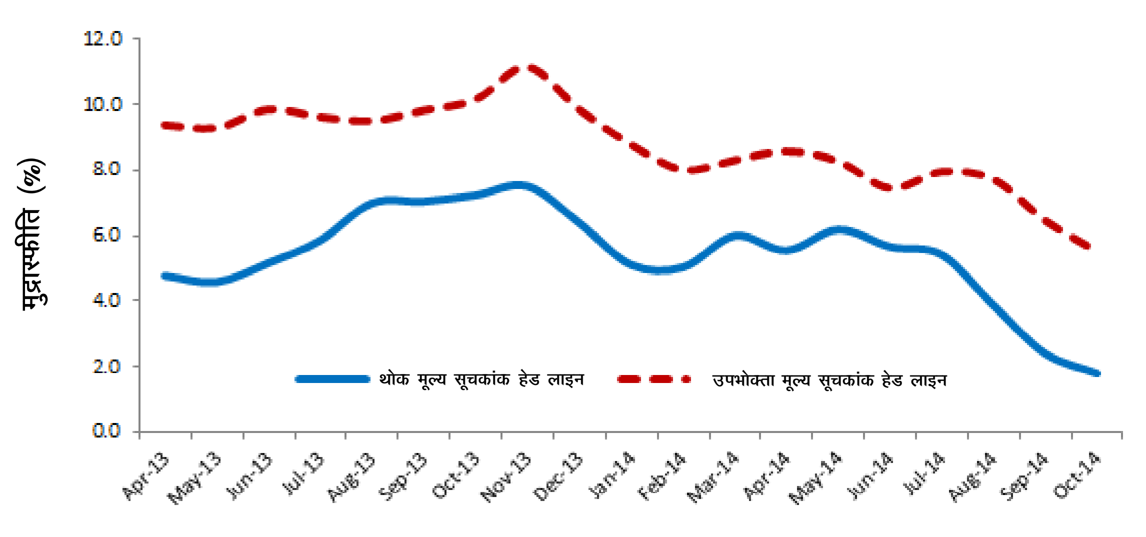

थोक मूल्य सुचकांक में प्रवृत्तियां

3.29 पिछले 18 महीनों में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की प्रमुख प्रवृत्तियां और संरचना नीचे (सारणी 3.15) में दी गई है।

सारणी 3.15 डब्ल्यूपीआई प्रमुख समूहों में तिमाहीवार मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

भार		2013-14					2014-15		
		ति1	ति2	ति3	ति4	अक्तूबर	ति1	ति 2 (अ)	अक्तू. (अ)
सभी वस्तुएं	100.0	4.8	6.6	7.1	5.4	7.2	5.8	3.9	1.8
प्राथमिक वस्तुएं	20.1	6.5	12.4	13.6	6.8	14.6	7.5	4.1	1.4
ईंधन और विद्युत	14.9	7.7	11.9	10.8	10.1	10.5	9.6	4.4	0.4
विनिर्मित उत्पाद	65.0	3.3	2.4	2.9	3.3	2.8	3.8	3.6	2.4
सभी खाद्य	24.3	**7.7**	11.8	11.9	6.2	12.7	6.9	5.0	2.5
मुख्य मुद्रास्फीति	55.0	2.6	2.4	3.1	3.7	2.9	4.0	3.6	2.5

अः अनंतिम, स्रोतः औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

3.30 **खाद्य मुद्रास्फीति :** डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक में दो घटक हैं (क) खाद्य वस्तुएं और (ख) विनिर्मित खाद्य उत्पाद 2013-14 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति (भारांश : 24.3 प्रतिशत) 9.4 प्रतिशत पर उच्च बनी रही और तीसरी तिमाही में 12 प्रतिशत हो गई। सब्जियों में मुद्रास्फीति जुलाई 2013 और नवंबर 2013 के बीच लगभग 21 प्रतिशत बढ़ी। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में सब्जियों की मुद्रास्फीति में 10.4 प्रतिशत की गिरावट के बिलकुल विपरीत था। 2014-15 की पहली छमाही के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत पर काफी नरम रही जो और अधिक गिरकर अक्तूबर 2014 में 2.5 प्रतिशत पर आ गई। इसका कारण गेहूं, सब्जियां, अण्डे, मछली और मांस जैसी वस्तुओं में मुद्रास्फीति का गिरना था।

3.31 **ईंधन और विद्युत :** 2013-14 के दौरान ईंधन और विद्युत में मुद्रास्फीति औसत 10.2 प्रतिशत पर उच्च बनी रही। इसका मुख्य कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और वर्ष के दौरान रुपए के अवमूल्यन होने के कारण था। तथापि, जून 2014 से अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में तेजी से आई गिरावट के परिणामस्वरूप 2014-15 की पहली छमाही के दौरान ईंधन और विद्युत मुद्रास्फीति में स्फीतिकारी दबाव 7 प्रतिशत पर नरम रहा और यह अक्तूबर 2014 में 0.4 प्रतिशत पर नीचे पहुंच गई।

3.32 **विनिर्मित उत्पाद :** 2013-14 में विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति लगभग 3 प्रतिशत पर कम रही। कोर मुद्रास्फीति भी 2013-14 के दर पर समान औसत 2.9 प्रतिशत से सुखद स्थिति में बनी रही। यह मुख्यतया वैश्विक वस्तु कीमतों में गिरावट और अर्थव्यवस्था में विकास धीमे होने के कारण था। विनिर्मित उत्पादों में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (भारांश : 65 प्रतिशत) में 2014-15 (सितंबर 2014 तक) मामूली वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति (भारांश 55 प्रतिशत) जो कोर मुद्रास्फीति का प्रोक्सी माना जाता है, इसी अवधि के दौरान 3.8 प्रतिशत बढ़ गई।

सीपीआई नई श्रृंखला में प्रवृत्तियां

3.33 भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 में हेड लाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के प्रति मौद्रिक नीति पर लगाम लागाने की अपनी मंशा की घोषणा की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य स्तर की वस्तुओं और सेवाओं में समय समय पर होने वाले मुख्य परिवर्तनों को मापता है, जिसे परिवारों में उपभोग के लिए प्राप्त की जाती है। सीपीआई मुद्रास्फीति में भी डब्ल्यूपीआई की तरह ही प्रवृत्तियां देखी गई। (सारणी 3.16)।

सारणी 3.16 सीपीआई प्रमुख समूहों में तिमाहीवार मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	भार	2013-14					2014-15		
		ति 1	ति 2	ति 3	ति 4	अक्तू.	ति 1	ति 2	अक्तू. (अ)
सामान्य	100.0	9.5	9.7	10.4	8.4	10.2	8.1	7.4	5.5
खाद्य और पेय पदार्थ तथा तम्बाकू	49.7	11.0	11.1	12.9	9.2	12.4	8.9	8.6	5.7
ईंधन और विद्युत	9.5	8.4	7.9	7.0	6.3	7.0	5.2	4.0	3.4
अन्य	40.8	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	7.6	6.7	5.9
खाद्य (सीएफपीआई)	42.7	11.1	11.4	13.6	9.3	12.9	9.1	8.8	5.6
मुख्य मुद्रास्फीति	42.9	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	7.7	6.8	6.0

अः अनंतिम, स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(अ)

3.34 हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, जो 2013-14 में 9.5 प्रतिशत थी, 2014-15 के पूर्वार्ध में 7.7 प्रतिशत पर नरम हुई और अक्तूबर 2014 में 5.5 प्रतिशत पर बहुत नीचे रह गई, यह श्रृंखला की शुरुआत से अब तक सबसे कम थी। डब्ल्यूपीआई की तुलना में खाद्य वस्तुओं का सीपीआई सूचकांक में अधिक भारांश है। खाद्य अर्थात उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के लिए एक अलग सूचकांक मई 2014 से सीपीआई में शुरु किया गया है। सीएफपीआई (भारांश 42.7 प्रतिशत) के आधार पर मुद्रास्फीति, जो 2013-14 में 11.4 प्रतिशत थी 2014-15 के पूर्वार्ध में गिरकर 9 प्रतिशत हो गई और यह अक्तूबर 2014 में 5.6 प्रतिशत हुई।

3.35 सीपीआई ईंधन और बिजली (भारांश 9.5 प्रतिशत) मुद्रास्फीति जिसकी औसत 2013-14 में 7.4 प्रतिशत थी 2014-15 के पूर्वार्ध में तेजी से गिरकर 4.6 प्रतिशत और अक्तूबर 2014 में 3.4 प्रतिशत रह गई। सीपीआई कोर (खाद्य-भिन्न ईंधन) मुद्रासाफीति, जिसका भारांश 42.9 प्रतिशत था, पिछले दो वर्षो के लिए 8 प्रतिशत पर लगभग अडिग रही। 2014-15 के पूर्वार्ध के दौरान यह गिरकर 7.2 प्रतिशत हो गई और अक्तूबर 2014 में 6.0 प्रतिशत तक पहूंच गई। आवास और परिवहन मुद्रास्फीति में गिरावट का, कोर मुद्रास्फीति में कमी लाने में योगदान रहा।

बैश्विक वस्तु मूल्यों में प्रवृत्तियां

3.36 वैश्विक वस्तु मूल्य (विश्व बैंक के पिंकशीट के अनुसार) 2013-14 की तुलना में मौजूदा वर्ष में कमजोर बना रहा। कच्चे तेल की कीमतों में इस वर्ष सबसे तेज गिरावट आई, मध्य जून में इस वर्ष के शीर्ष 108 डालर प्रति बैरल से 20 प्रतिशत से भी अधिक गिरकर अक्तूबर 15 को 83 डालर/बैरल रह गया। तथापि, यह नोट करने लायक है कि इस वर्ष पहले यूक्रेन और रूस के साथ-साथ इराक में भौगोलिक-राजनीतिक चिन्ता ने दबाव डालकर तेल की कीमत बढ़ाई, जो जून 2014 में 108 डोलर प्रति बैरल से अधिक हो गई। जून 2014 से कृषि मूल्यों में भी 6 प्रतिशत की गिरावट

आई। धातुओं की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी रही जबकि 2011 में तेजी से गिरावट देखी गई थी। यूरो क्षेत्र और उभरते देशों में गिरावट से तेल की आपूर्ति बढ़ी तथा अधिकांश कृषि वस्तुओं के लिए अच्छी फसल की संभावना का हालिया वैश्विक कीमतों में नरमी के लिए योगदान रहा। विश्व बैंक वस्तु मूल्य सूचकांकों में घट-बढ़ निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गई है (चित्र 3.5)।

सारणी 3.5 विश्व वस्तु मूल्य सूचकांकों में घट-बढ़

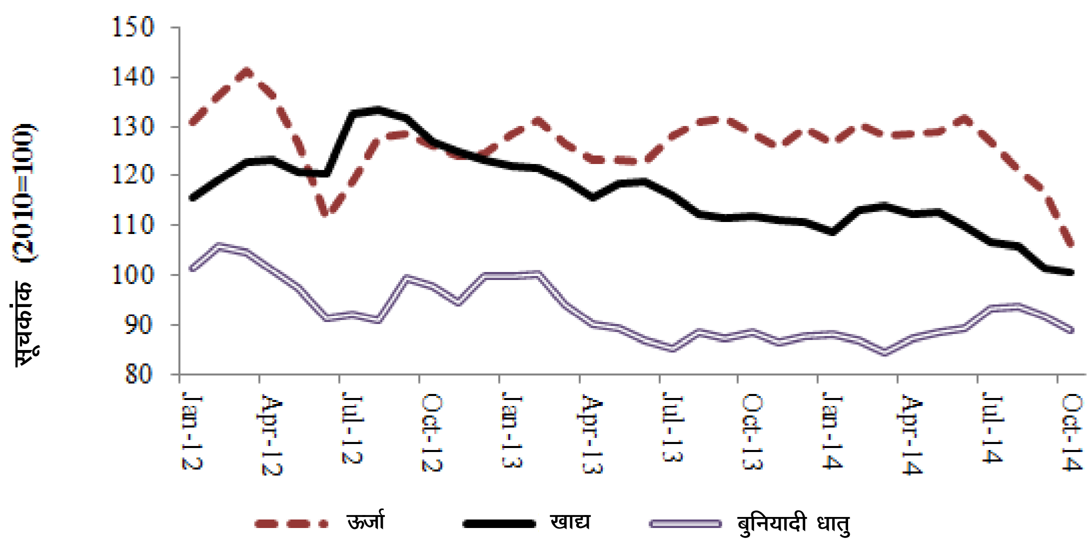

3.37 विश्व बैंक ऊर्जा और खाद्य सूचकांक में क्रमशः जून और जुलाई 2014 से गिरावट की प्रवृत्ति रही। बुनियादी धातु का सूचकांक अप्रैल से अगस्त 2014 से मुख्यता एल्युमिनियम और शीशा की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण बढ़ोतरी दर्शायी है, तथापि इसके बाद इसमें गिरावट आयी। यह उल्लेखनीय है कि वैश्विक खाद्य और बुनियादी धातु सूचकांक क्रमशः आधार वर्ष के स्तर पर है और आधार वर्ष से काफी नीचे है और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें आधार वर्ष के स्तर तक पहुंचने वाली हैं। डब्ल्यूपीआई सूचकांक प्रमुख भारतीय वस्तुओं जैसाकि ईंधन और विद्युत के संबंध में सामान्य आधार वर्ष (2010=100) पर सामान्य हो गया और बुनियादी धातुओं ने हालिया महीनों में कुछ गिरावट को छोड़कर 2014 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शायी (चित्र 3.6)।

सारणी 3.6 थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़

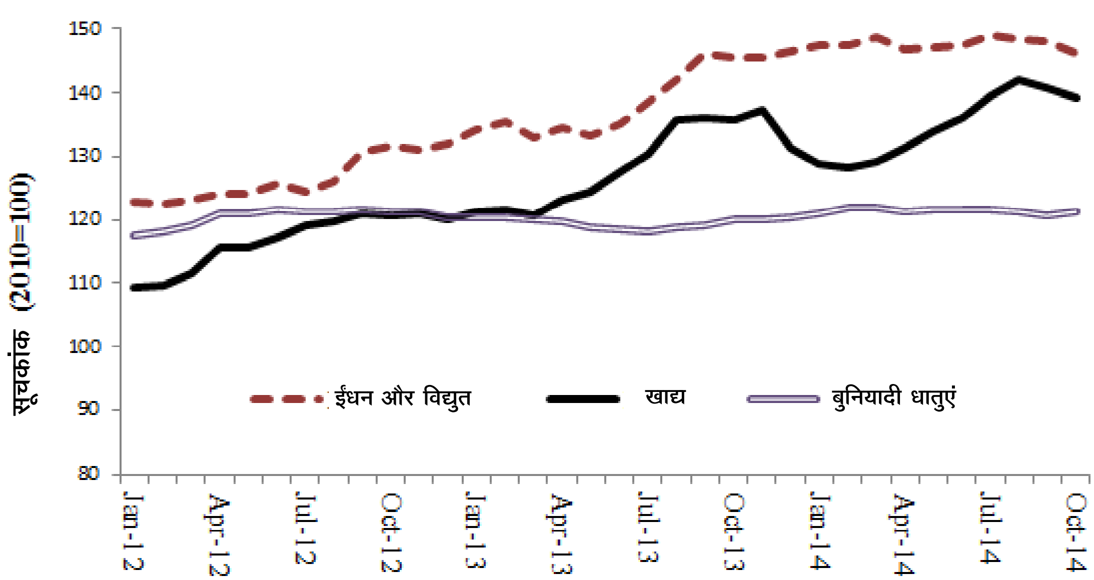

मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

3.38 सरकार नियमित रूप से मूल्य नीति मानीटर करती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता है। यह मुद्रास्फीति रोकने के लिए सतत आधार पर अनेक वित्तीय व प्रशासनिक उपाय कर रही है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज व आलू, दाल, खाद्य तेल व खाद्य तिलहनों आदि की स्टाक सीमाएं लागू की है। आलू और प्याज के मूल्य नियंत्रण उपायों के भाग के रूप में 26.06.2014 से आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य 450 अमरीकी डालर प्रति मी. टन और 21.08.2014 से प्याज का 300 अमरीकी डालर प्रति मी.टन निर्धारित किया गया था। इसी तरह, राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि फलों व सब्जियों को उनके एपीएमसी अधिनियम से असूचीबद्ध करते हुए उनकी मुक्त आवाजाही की अनुमति दें। राज्य सरकारों को सलाह जारी की गई कि सीएफ जमाखोरी और कालाबाजारी अधिनियम, 1955 और पीबीएमएमएसईसी अधिनियम 1980 के अनुसार जमाखोरी व कालाबाजारी के विरुद्ध प्रभावी रूप से संगठित प्रयास करें। खाद्यान्न मूल्यों के प्रबंधन हेतु किए गए उपायों में 2014-15 के फसल मौसम में चावल (खरीफ) और गेहूं (रबी) का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 4 प्रतिशत बढ़ाना; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन लंबित रहते राज्यों में बीपीएल व एपीएल परिवारों को अतिरिक्त 51 मिलियम टन चावल का आवंटन; 2014-15 में घरेलू विपणन हेतु खुली बाजार बिक्रियों के अंतर्गत 10 मिलियन टन गेहूं का आवंटन आदि शामिल हैं।

मुद्रा और बैंकिंग

मौद्रिक नीति अवस्थिति

3.39 पूरे वर्ष के दौरान तंग मौट्रिक नीति अवस्थिति बनी रही। दबावों को सुखद बनाने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक नें 2 दिसंबर, 2014 को घोषित अपनी पांचवीं द्वि-मासिक मौद्रिक नीति अवस्थिति में बेंचमार्क रिपो दर 8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी। वर्ष 2014 के दौरान मौद्रिक नीति की रिपोर्ट (जनवरी 2014) को संशोधित व सुदृढ़ करने वाली विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रतिबिंबित करते हुए मौद्रिक नीति के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मौद्रिक नीति चलाने के लिए मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति के रूप में सीपाआई (संयुक्त) का अंगीकरण, करना अवस्फीति के लिए विषर्पण वाले पथ का स्पष्ट संचार और 2014-15 से शूरु करते हुए द्विमासिक मौद्रिक नीति चक्र की ओर अंतरण करना था।

3.40 वर्ष 2014-15 के दौरान पांच द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरणों की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल हैं :

- वर्ष 2014-15 की पांचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति अवस्थिति में रेपो दर और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) क्रमशः 8 प्रतिशत और 4 प्रतिशत रखा गया था। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि यदि प्रोत्साहन वित्तीय कार्यकलापों के साथ चालू मुद्रास्फीति की गति और स्फीतिकारी संभावनाओं में परिवर्तन जारी रहे तो नीतिगत समीक्षा चक्र से बाहर सहित अगले वर्ष के शुरू में मौद्रिक नीति अवस्थिति में परिवर्तन की संभावना है।
- दिनांक 9 अगस्त, 2014 से वैधानिक नकदी अनुपात 22.50 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई।
- नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत ओवरनाइट रेपो की सुविधा प्रत्येक बैंक की निवल मांग और अवधि देनदारियां (एनडीटीएल) कम करके 0.25 प्रतिशत कर दी गई और इसके साथ-साथ रिजर्व बैंक से रेपो तक बाजार की पहुंच का समतुल्य विस्तार जो बैंकिंग व्यवस्था का एनडीटील का 0.75 प्रतिशत रहा, करके पूरी तरह क्षतिपूर्ति की गई ।
- क्षेत्रक विशिष्ट पुनर्वित्तपोषण कम किया गया और किसी खास क्षेत्रक या कंपनी को तरजीही पहुंचाए बगैर प्रणालीगत स्तरीय नकदी के बेहतर सामान्य प्रावधान को अपनाना।
- नकदी प्रबंधन कार्यचालनों में नम्यता, पारदर्शिता और भविष्यसूचकता सुनिश्चित करने के लिए अधिक बारंबार 14-दिवसीय सावधि रेपो और दैनिक ओवरनाइट वैरिएबल रेट रेपो/रिवर्स रेपो कार्यचालन 5 सितंबर, 2014 से नकदी प्रबंधन ढांचा संशोधित किया गया था।
- निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई नकदी बकाया पात्र निर्यात ऋण 50 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया गया।

सारणी 3.17 नीतिगत दरों में संशोधन					
प्रभावी दर	बैंक दर/एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	सीआरआर (एनडीटीएल का प्रतिशत)	एसएलआर (एनडीटीएल का प्रतिशत)
2013					
29-01-2013	8.75	7.75	6.75		
09-02-2013				4.00	
19-03-2013	8.50	7.50	6.50		
03-05-2013	8.25	7.25	6.25		
15-07-2013	10.25				
20-09-2013	9.50	7.50	6.50		
07-10-2013	9.00				
29-10-2013	8.75	7.75	6.75		
2014					
28-01-2014	9.00	8.00	7.00		
14-06-2014					22.50
09-08-2014					22.00
*: 13 फरवरी, 2012 से बैंक दर को एम.एस.एफ. दर के अनुरूप किया गया।					

जमा और उधार दरें

3.41 कड़ी मौद्रिक स्थिति को प्रदर्शित करते हुए, हाल ही के वर्षों में जमा दरें ऊँची रही हैं, और यह स्थिति 2014-15 के दौरान (अक्तूबर तक) ऐसी ही रही (सारणी 3.18)। तथापि, वित्तीय बाजारों में अधतन रुझान यह बताते हैं कि हाल ही के महीनों में जमा दरें धीरे-धीरे कम हुई हैं, चूंकि 10 वर्षीय सरकारी बांडों से आय पिछले तीन महीनों में तेजी से कम हुई है तथा यह आगामी महीनों में बैंकों द्वारा उधार की दरों में कमी दर्शा सकती है।

3.42 बैंक समूहों में एक वर्ष तक परिपक्वता के लिए औसत आवधिक जमादरों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा गिरावट आसान नकदी की स्थितियां और उसकी तुलना में कम ऋण वृद्धि दर्शाती है। जबकि समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान मध्य मूल्य आधार 10.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही है, बैंकों के बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) मार्चांत 2014 की तुलना में सितम्बर 2014 में 10 आधार बिंदु तक मामूली सी कम होकर 12.09 प्रतिशत होगी जो ऋण की कम माँग को दर्शाता है। बैंकों द्वारा स्वीकृत नए रुपये ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर भी इस अवधि के दौरान 15 आधार-बिंदु कम होकर 11.49 प्रतिशत हो गयी।

सारणी 3.18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की औसत जमा और उधार दरें (प्रतिशत)				
मद	औसत ब्याज दरें			
	मार्च 14	जून-14	सित-14	अक्तू-14
क. घरेलू जमा दरें				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
एक वर्ष तक	7.08	7.01	6.92	6.86
1-3 वर्ष	8.99	8.99	8.97	8.95
3 वर्ष से अधिक	8.88	8.87	8.90	8.89
सभी परिपक्वताएं	7.85	7.81	7.76	7.72
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक				
एक वर्ष तक	6.75	6.60	6.58	6.58
1-3 वर्ष	9.11	9.05	9.02	9.01
3 वर्ष से अधिक	8.86	8.86	8.86	8.85
सभी परिपक्वताएं	7.67	7.57	7.56	7.56
(iii) विदेशी बैंक				
एक वर्ष तक	7.02	6.98	6.93	6.87
1-3 वर्ष	8.26	8.44	8.33	8.26
3 वर्ष से अधिक	8.36	8.41	8.43	8.33
सभी परिपक्वताएं	7.56	7.58	7.54	7.47

मद	औसत ब्याज दरें			
	मार्च 14	जून-14	सित-14	अक्तू-14
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक				
एक वर्ष तक	6.96	6.88	6.83	6.79
1-3 वर्ष	8.73	8.79	8.72	8.68
3 वर्ष से अधिक	8.69	8.70	8.72	8.68
सभी परिपक्वताएं	7.69	7.65	7.62	7.58
मध्य मूल्य जमा दर	7.74	7.74	7.72	7.69
ख. आधार दर				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.23	10.24	10.24	10.24
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक	10.64	10.62	10.63	10.63
(iii) विदेशी बैंक	10.00	9.99	9.95	9.95
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	10.22	10.22	10.21	10.21
ग. भारित औसत उधार दर				
(i) बकाया रुपया ऋण	12.19	12.20	12.09	-
(ii) नए रुपये ऋण	11.64	11.67	11.49	-

डब्ल्यूएएलआर हेतु परिवर्तन मार्च-सितंबर से संबंधित हैं - उपलब्ध नहीं
टिप्पणी : डब्ल्यूएएलआर संबंधित आंकड़ें अनंतिम हैं। स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

प्रारक्षित मुद्रा (एम$_0$)

3.43 वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान, एम$_0$ 2013-14 की तदनुरूप तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वर्षानुवर्ष 9.6 प्रतिशत बढ़ा है। 2014-15 की दूसरी तिमाही में, एम$_0$ 2013-14 की दूसरी तिमाही के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 9.6 प्रतिशत था। तिमाही प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि (वर्षानुवर्ष आधार पर) में उतार-चढ़ाव चित्र 3.7 में प्रदर्शित है।

चित्र 3.7 प्रारक्षित मुद्रा (एम$_0$) की वृद्धि

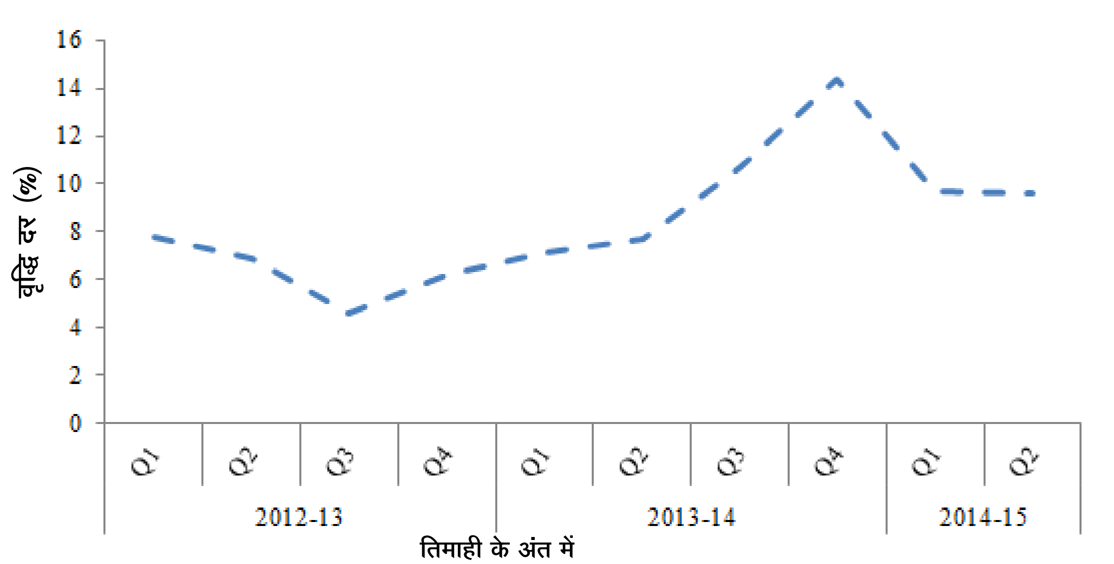

3.44 वित्तीय वर्ष के आधार पर एम$_0$ में वर्ष 2013-14 के पूर्वार्ध में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, 2014-15 के पूर्वार्ध में 1.4 प्रतिशत की कमी आई। इस वित्त वर्ष में अभी तक (7 नवम्बर, 2014 तक) एम$_0$ में 0.7 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में इसमें 6.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। एम$_0$ के घटकों (जिसमें मुख्यतः सरकार को दिए जाने वाले रिजर्व बैंक के निवल ऋण तथा बैंक और वाणिज्यिक क्षेत्र संबंधी आरबीआई के दावे शामिल हैं) निवल घरेलू आस्तियों में घट-बढ़ मुख्य रूप से आरबीआई के नकदी प्रबन्धन संचालनों तथा आरबीआई के पास केन्द्र सरकार की नकद शेष की स्थिति के प्रभाव को परिलक्षित करती है। मई-जुलाई 2014 तथा अक्तूबर 2014 के दौरान

वायदा बाजार में बड़े हस्तक्षेप (खरीद) के चलते, व्यापक तौर पर आरक्षित मुद्रा में वृद्धि निवल मुद्रा आस्तियों के कारण है। संशोधित नकद प्रबन्धन ढांचे के अन्तर्गत, जो 5 सितम्बर 2014 से अस्तित्व में आया, आरबीआई रातों रात रेपो दर की बदलती दरों, नियत ओर आवधिक रेपो सीमान्त स्थायी सुविधा तथा निर्यात ऋण पुनर्वित्त के जरिए नकदी उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, अभी तक सरकार का नकद शेष अधिकाशतः अधिशेष मोड में रहा।

स्थूल मुद्रा (एम$_3$)

3.45 वर्ष 2014-15 के दौरान पहली दो तिमाहियों के की समाप्ति पर स्थूल मुद्रा (एम$_3$) वृद्धि (वर्षानुवर्ष) पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूप अवधि के स्तर से कम रही। दूसरी तिमाही की समाप्ति पर वर्षानुवर्ष आधार पर एम$_3$ में वृद्धि वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 11.7 प्रतिशत थी। दूसरी तिमाही की समाप्ति पर वर्षानुवर्ष आधार पर एम$_3$ में वृद्धि वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही में 13.0 प्रतिशत के मुकाबले 12.8 प्रतिशत थी (चित्र 3.8)।

चित्र 3.8 स्थूल मुद्रा की वृद्धि (एम$_3$)

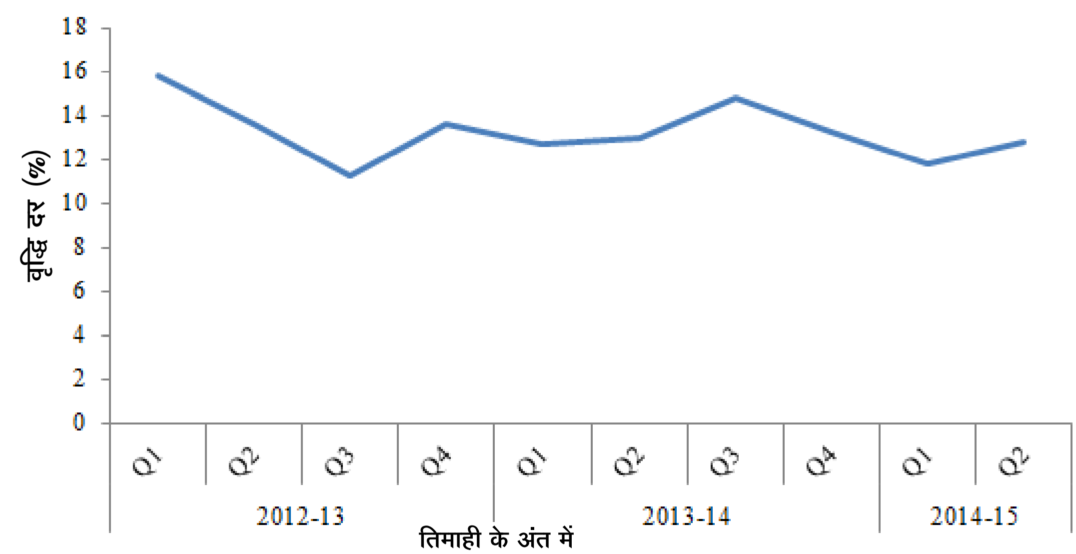

3.46 वित्त वर्ष के आधार पर, वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही की समाप्ति पर, एम$_3$ में वर्षानुवर्ष वृद्धि पिछले वर्ष की इसी तदनुरूप अवधि में 4.2 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2.8 प्रतिशत थी जबकि 2013-14 की दूसरी तिमाही की समाप्ति पर, एम$_3$ वर्षानुवर्ष वृद्धि पिछले वर्ष के 5.3 प्रतिशत के मुकाबले 4.9 प्रतिशत थी । 31 अक्तूबर 2014 को एम$_3$ की वर्षानुवर्ष वृद्धि 11.3 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह 14.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में एम$_3$ की वर्षानुवर्ष वृद्धि औसतन 12.9 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 12.6 प्रतिशत के तदनुरूप औसत स्तर से थोड़ा अधिक थी।

3.47 वर्ष 2014-15 (31 अक्तूबर 2014 को समाप्त पखवाड़ा) के दौरान मुद्रा बहुगुणक (एम$_3$ से एम$_0$का अनुपात) पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 5.6 के मुकाबले औसतन 5.8 था।

बैंकों की कुल राशियां

3.48 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध की समाप्ति पर अर्थात् 19 सितम्बर, 2014 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र राशियों में वर्षानुवर्ष वृद्धि 13.4 प्रतिशत थी, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश 27.6 प्रतिशत था जो एक वर्ष पहले के 27.2 प्रतिशत के मुकाबले अधिक था। हालांकि खाद्य भिन्न ऋण वृद्धि तेजी से कम हुई और नकदी स्थितियां सन्तोषजनक बने रहने और जमा वृद्धि सामान्य बने रहने के बावजूद 19 सितम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, जून 2001 से आगे चलकर यह 9.8 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई (सारणी 3.19)।

सारणी 3.19 चुनिंदा बैंकों की कुल जमाराशियों में संवृद्धि दरें (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)	20, सितम्बर 2013	19 सितम्बर, 2014
समग्र जमाराशियां	13.6	13.4
बैंक ऋण	17.6	9.7
खाद्य भिन्न ऋण	17.8	9.8
सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8.4	12.6
एसएलआर और एनडीटीएल का प्रतिशत	27.6	27.2
स्रोत : आरबीआई		

3.49 ऋण वृद्धि में तीव्र गिरावट आंशिक तौर पर उच्च आधार के कारण थी क्योंकि पिछले वर्ष जुलाई-सितंबर में मुद्रा बाजार के दबाव को कम करने के लिए मौद्रिक कठोरता निधियों के वैकल्पिक स्रोतों पर ब्याज दर बढ़ाई गई और बैंकिंग प्रणाली से ऋण की मांग बढ़ा दी गई। वैकल्पिक स्रोतों के जरिए वित्त पोषण जैसाकि वाणिज्यिक पत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, कुछ बैंकों नें आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को स्ट्रेस्ड ऋण दिया। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे ऋण, बैंकों की बहियों में अब प्रदर्शित नहीं होते हैं । निवल बैंक ऋण भी उन निकायों द्वारा ऋणों की अदायगी करने के कारण कम हैं, जिन्होंने सरकारी विभागों और सरकारी उद्यमों से भुगतान प्राप्त किया है। वास्तव में, तेल विपणन कंपनियों द्वारा उधार अब तक मौजूदा वर्ष के दौरान अब तक कम रहा। ऋण वृद्धि में गिरावट सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में और अधिक स्पष्ट है।

3.50 19 सितंबर, 2014 तक उपलब्ध सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार आबंटन से संबंधित असमेकित आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि कृषि को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऋण में वृद्धि में कमी दर्ज की गई। (सारणी 3.20)।

सारणी 3.20 वर्षानुवर्ष सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार आवंटन में वृद्धि (प्रतिशत)		
	वर्षानुवर्ष अंतर	
क्षेत्र	20, सितम्बर 2013	19 सितम्बर, 2014
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	13.2	18.8
उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम और बड़े)	17.6	6.0
वैयक्तिक ऋण	17.9	13.0
आवास निर्माण	20.0	14.8
सवधि जमा के प्रति अग्रिम	17.6	-8.4
क्रेडिट कार्ड बकाया	2.1	17.4
शिक्षा	8.7	7.6
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	37.9	47.8
सेवाएं	**22.1**	**5.3**
परिवहन प्रचालक	7.7	5.7
व्यावसायिक सेवाएं	28.8	10.8
व्यापार	25.2	10.1
रियल स्टेट	17.5	20.3
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	26.6	-4.4
प्राथमिकता के क्षेत्र	17.6	15.8
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के 95 प्रतिशत को कवर करने वाले चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं। स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक		

नकदी की स्थिति

3.51 अप्रैल, 2014 से क्रमिक सुधार के बाद मध्य जून में अग्रिम कर बहि:प्रवाह के कारण नकदी की स्थिति तंग हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून के उत्तरार्ध में विशेष टर्म रेपो के माध्यम से संचयी रूप से लगभग 200 बिलियन रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराई। नकदी की स्थिति में जुलाई के आरंभ में अस्थायी सुधार हुआ जबकि मांग दर रेपो

दर से कम हो गई जिसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने 200 बिलियन रुपए की अतिरिक्त नकदी को आसान करने के लिए 3 जुलाई को 4 दिन के आरक्षित टर्म रेपो की घोषणा की। बाद में, सरकार के व्यय में विलंब के कारण नकदी की स्थिति पर दबाव बना और भारित औसत सेल सामान्य रूप से रेपो दर से अधिक हो गया। नकदी की स्थिति को आसान बनाने और काल दर को रेपो दर के काबू बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ने विभिन्न मात्राओं में छह विशेष टर्म रेपो आयोजित किए और जुलाई 2014 में 650 बिलियन रु. की संचयी नकदी उपलब्ध कराई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें नकदी उपलबध कराए जाने के बावजूद, अगस्त मध्य तक नकदी का दबाव बना रहा। रिजर्व बैंक ने अगस्त में विभिन्न मात्राओं में अतिरिक्त टर्म रेपो के जरिए 247 बिलियन रु. की संचयी नकदी उपलब्ध कराई। सरकारी शेष में तेजी से कटौती से सितंबर आरंभ से नकदी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया, जैसा कि स्थिर दर ओवरनाइट रेपो और ईसीआर विन्डो के कम प्रयोग रिजर्व रेपो के अंतर्गत अधिशेष नकदी को समय पर अलग करने तथा समय-समय पर मांग दर के रेपो दर से कम हो जाने से पता चलता है।

3.52 जुलाई-अगस्त में मांग बाजार में उच्च अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए और 2014-15 के तीसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति विवरण में घोषणा किए गए अनुसार नकदी प्रबंधन क्रियाओं में लोच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने नकदी प्रबंधन ढांचे को संशोधित किया जो 5 सितंबर, 2014 से लागू हुआ। इस नए नकदी प्रबंधन ढांचे की मुख्य-मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) एनडीटीएल (ईसीआर को छोड़कर) की 1 प्रतिशत नकदी तक आश्वस्त पहुंच जो बैंकवार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत की ओवरनाइट 0.25 प्रतिशत ओवरनाइट स्थिर दर रेपो के रूप में और शेष परिवर्तनशील रेट टर्म रोपो के रूप में हो; (ख) एक पखवाड़े के दौरान टर्म रेपो की अधिक बार नीलामी, बैंकों की पखवाड़े के दौरान चार बार अपनी नकदी की स्थिति के मूल्यांकन और तदनुसार नीलामी में भाग लेने के लिए लोन उपलब्ध करना और (ग) ईसीआर सुविधा का समय 5 बजे अपराह्न तक बढ़ाने के अतिरिक्त 3 से 3.30 बजे अपराह्न के बीच आयोजित की जाने वाली ओवरनाइट रेपो/रिवर्स रेपो जो नीलामियों की विभिन्न दरें शुरू किए जाने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक की ओवरनाइट नकदी की पहुंच की बारंबार में वृद्धि करना। संशोधित नकदी प्रबधन ढांचा लागू किए जाने से ओवरनाइट इंटर बैंक खंड में अस्थिरता कम होने में सहायता प्राप्त होगी और साथ ही मांग दर पालिसी रेपो दर के आसपास बनी रहेगी।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

3.53 अच्छी आर्थिक दशाओं, ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों की स्थापना और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम को लागू किए जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल नान परफार्मिंग एसेट (जीएनपीए) अनुपात लगातार घटकर 2000-2001 के 13.1 प्रतिशत से 2008-09 में 2.1 प्रतिशत रह गया और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 12 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत हो गया । तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल नॉन परफॉरमिंग आस्तियों में हाल के वर्षों के दौरान वृद्धि प्रदर्शित हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नॉन परफॉरमिंग आस्तियां बढ़कर मार्च, 2013 में 3.8 प्रतिशत और सितंबर, 2014 में और अधिक बढ़कर 5.3 प्रतिशत (अनंतिम) हो गई हैं । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में इसमें मार्च 2013 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर, 2014 में 4.6 प्रतिशत (अनंतिम) हो गई हैं जो अभी हाल में घरेलू विकास की दर में सुस्ती आने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनःउत्थान की गति मंद होने और वैश्विक बाजारों में लगातार अस्थिरता बनी रहने के कारण हुआ है।

3.54 चालू वित्त वर्ष के दौरान (सितंबर, 2014 तक) उद्योगों को दी गई कुल अग्रिम राशि 29152 बिलियन रुपये (पिछले वित्त वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 27456 बिलियन रुपये) है जिसमें से अवसंरचना क्षेत्र को 9748 बिलियन रुपये (33 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं । पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के संबंध में यह राशि 8522 बिलियन रुपये थी । वर्तमान वित्त वर्ष में सितंबर 2014 तक उद्योग क्षेत्र में सृजित कुल एनपीए 1620 बिलियन रुपये (पूर्व वित्त वर्ष में तदनुरूपी अवधि में 1311 बिलियन रुपये) है, जिसमें से 258 बिलियन रुपये (लगभग 16 प्रतिशत) अवसंरचना क्षेत्र में दिए गए हैं । पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में अवसंरचना क्षेत्र में एनपीए 175 बिलियन रुपये (13.3 प्रतिशत) था ।

3.55 दबाव में रही आस्तियां जिनमें एनपीए और पुनर्गठित अग्रिम राशियां शामिल हैं, में वृद्धि हुई है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में सकल एनपीए जून 2014 के 2618 बिलियन रुपये से बढ़कर सितंबर, 2014 में 2805 बिलियन रुपये हो गया । इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान, पुनर्गठित अग्रिम 3680 बिलियन रुपये से बढ़कर 3755

बिलियन रुपये (2.6 प्रतिशत) हो गया। कुल दबाव में स्थित आस्तियों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह जून से सितंबर, 2014 के बीच 6297 बिलियन रुपये से बढ़कर 6580 बिलियन रुपये हो गई है।

3.56 जून 2014 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा (बड़े उद्योगों) को सकल ऋण विभिन्न औद्योगिक खंडों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण का 81.3 प्रतिशत है। बड़े उद्योगों में दबाब में स्थित परिसंपत्तियां उद्योगों को सकल अग्रिम का 87.6 प्रतिशत थी। (अर्थात् सकल एनपीए जमा पुनर्संरचित मानक अग्रिम) विभिन्न उद्योगों में, अवसंरचना को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के ऋण से आस्ति गुणवत्ता की महत्त्वपूर्ण समस्या का पता चलता है। अवसंरचना क्षेत्र में, जीएनजीए के अनुपात में वृद्धि का रुख देखा गया है जो मार्च 2013 के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 2.3 प्रतिशत तथा और जून 2014 में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, अवसंरचना हेतु भारग्रस्त आस्ति अनुपात भी भी मार्च 2013 के 18.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 20.3 प्रतिशत तथा 21.8 प्रतिशत हो गई है।

3.57 वृहत्त आर्थिक प्रहारों के विरुद्ध, बैंकों के लचीलापन की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वृह्त दबाव से संबंधित परीक्षण किए जाते हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि आधार रेखा परिदृश्य के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, जीएनपीए अनुपात कुल अग्रिम राशि का लगभग 4.1 प्रतिशत होने की आशा है। तथापि, यदि बृह्त आर्थिक दशाएं खराब होती हैं, तो जीएनपीए अनुपात मार्च, 2015 तक बढ़कर मध्यम दबाव परिदृश्य के अंतर्गत लगभग 4.5 प्रतिशत और गंभीर दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 5.1 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

3.58 हालांकि वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के कारण आस्तियों की गुणवत्ता कम होने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है; किंतु बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता उपलब्ध कराने के कारण स्थिति कुछ आसान बनी हुई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकिंग प्रणाली एनपीए के संपूर्ण मौजूदा स्टॉक को आमेलित करने की असंभावित आकस्मिकता की स्थिति में लचीला रुख अपनाएगी। इसके साथ ही, बैंकिंग प्रणाली की जीएनपीए स्थिति अन्य विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के साथ अनुकूल स्थिति में है। उदाहरण के लिए, अमरीका में कुल अग्रिम राशि के हिस्से के रूप में, जीएनपीए 3.2 प्रतिशत, जर्मनी में 2.9 प्रतिशत, स्पेन में 8.2 प्रतिशत और इटली में 5.1 प्रतिशत रहा। जबकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में से, ब्राजील में जीएनपीए कुल आस्तियों का 2.9 प्रतिशत और रूस में 6 प्रतिशत दर्ज किया गया (विभिन्न समय अवधियों का)।

3.59 भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कुल वित्तीय आस्तियां 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का 94.7 प्रतिशत थी जो 2013-14 में बढ़कर 96.6 प्रतिशत हो गई हैं।

वित्तीय समावेशन

3.60 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के 58.7 प्रतिशत परिवारों द्वारा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जा रहा था, जबकि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 35.5 प्रतिशत था। वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। अब तक देश की जिस बड़ी आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं, उन्हें ये सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और इस जनसंख्या की विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए 28 अगस्त, 2014 को ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)'' नामक एक प्रमुख पहल शुरू की गई। (बॉक्स 3.3)।

बॉक्स 3.3: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

28 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किए जाने पर बैंकों से बैंकिंग सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के लिए कहा गया जिसके तहत देश भर के सभी 6 लाख गांवों को प्रति परिवार कम से कम 1 बुनियादी बैंकिंग खाता उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक खाते के लिए रूपे डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा जिसके तहत 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30 हजार रुपये का जीवन बीमा शामिल होगा। ऐसे खाते पर 6 महीने तक संतोषजनक रूप में प्रचालित किए जाने के बाद 5 हजार रुपये की ओवर ड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा, बीमा क्षेत्र के प्रसार को प्रोत्साहित करेगा। योजना के निष्पादन की निम्नलिखित के रूप में समीक्षा की जा सकती है:

- योजना आरंभ किए जाने वाले दिन अर्थात् 28 अगस्त 2014 को ही देश भर में 1,04,333 शिविर लगाए गए हैं।

- योजना आरंभ किए जाने वाले दिन 1,84,68,288 खाते खोले गए ।
- 10 नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार 7.24 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से 2.95 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में और 4.29 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं ।
- 10 नवंबर, 2014 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए इन खातों में 5611.19 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई है।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 26 जनवरी, 2015 तक खोले जाने वाले खातों की संख्या के संबंध में लक्ष्य 7.5 करोड़ से संशोधित करके 10 करोड़ कर दिया गया है।

रुपे कार्ड

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार की गई रुपए नाम की नई कार्ड भुगतान स्कीम भारत के राष्ट्रपति द्वारा 8 मई 2014 को राष्ट्र को समर्पित की गई । इसके द्वारा एक घरेलू, ऑपन लूप, बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा भारत के सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एक ऐसे इलेक्ट्रोनिक भुगतान व्यवस्था में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया है। जिसमें लेन-देन शुल्क बहुत कम रखा गया है। यह वीसा या मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस से संबद्ध नहीं है । अतः इसके द्वारा कोई भी ब्रांड-संबद्ध भुगतान नहीं किया जाता।
- रूपे अत्यधिक कम और वहनीय लागत पर एक कार्ड भुगतान नेटवर्क सृजित करने के लिए भारत में बैंकिंग उद्योग की क्षमता को अभिव्यक्त करता है जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड स्कीम पर निर्भरता न्यूनतम हो गई है । यह चीन जैसे बड़े उभरते हुए राष्ट्रों जिनके पास अपनी स्वयं की घरेलू कार्ड भुगतान की व्यवस्था है, के अनुरूप है।
- भारत सरकार ने बैंकों को सभी किसान क्रेडिट कार्ड और डीबीटी लाभभोगियों को डेबिट कार्ड जारी करने तथा प्रत्येक नए खाताधारक को एक डेबिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं ।
- व्यवसाय संवाददाताओं (बीसी) द्वारा रखी जाने वाली प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन को रूपे कार्ड से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) द्वारा बैंक खाता उपलब्ध कराकर और साथ ही नकदी धारण में सुरक्षा उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान किया गया है। ग्रामीण आबादी को नकदी धारण करने और अपने लेन-देन को सुरक्षित रूप में पूरा करने का एक विकल्प उपलब्ध कराया गया है ।
- भुगतान समाधान वित्तीय समावेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भुगतान के नकदीकरण के लिए एक तरीके की खोज की समस्या का मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के द्वारा समाधान किया गया है, क्योंकि व्यवसाय संवाददाता (बीसी) प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन रखी जाती है तथा गांवों में रूपे कार्ड होल्डर उसे अपना कार्ड देकर नकदी प्राप्त कर सकता है और भुगतान करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है।
- रूपे कार्ड एटीएम, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन खरीद के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और इस कारण यह न केवल विश्व की किसी अन्य कार्ड स्कीम के अनुरूप है बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान के ढेरों विकल्प भी उपलब्ध कराता है ।
- 10 नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए रुपे डेबिट कार्डों की संख्या 3.97 है और यह संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

3.61 केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल-नवंबर 2014 के दौरान (10 नवंबर, 2014 तक) प्राप्त की गई सकल उधार राशि बजटित सकल उधार का 68.7 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 72.4 प्रतिशत की तुलना में कम है। इस अवधि के दौरान निवल उधार (पुनः खरीद किए गए सहित) बजटित निवल उधार का 59.8 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह आंकड़ा 71.1 प्रतिशत था । हालांकि 2014-15 में केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में उच्च राशि निर्धारित की गई थी, किंतु उधार में 8000 करोड़ रुपये की कमी आने का जिक्र किया गया है जिसका कारण वर्ष के दौरान अधिक मात्रा में नकदी अंतर्प्रवाह का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न कारकों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप अब तक वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों से लाभ की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ा है। मानक 10 वर्ष के लाभ (8.24 प्रतिशत जी एस, 2023) में यह देखा गया कि वर्ष के आरंभ में 8.99 प्रतिशत से शुरू हुआ, 7 अप्रैल 2014 को 9.15 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। तथापि, अगस्त 2014 के मध्य से लाभ में पर्याप्त कमी आई है और 10 वर्ष प्रतिभूति का नया मानक दिसंबर,2014 में एक नई गिरावट पर पहुंचा है।

3.62 इस संबंध में प्राप्ति वक्र 31 जुलाई 2013 से लेकर 9 दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्ति में कमी को सूचित करता है। प्राप्ति वक्र में वक्र के अत्यधिक छोटे सिरे में पर्याप्त सुधार की स्थिति देखी गई जो 2013 की तीसरी तिमाही में उच्च स्तर पर थी जिसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी के बहिप्रर्वाह और साथ ही मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होने के कारण रुपये को समर्थन प्रदान करने के लिए अपनाए गए नीतिगत उपाय हैं। प्राप्ति वक्र इससे पूर्व जुलाई 2013 में गिरावट की तुलना में 2-10 वर्षीय बैंड में समतल स्थिति को भी सूचित करता है।

3.63 अगस्त और सितंबर, 2013 के महीनों में प्राप्ति वक्र स्थिर बना रहा जिसका मुख्य कारण ऋण बाजार से पूंजी का बहिर्प्रवाह होना है जो अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा क्यूई 3 कार्यक्रम के संबंध में अनिश्चितता का माहौल बनने के कारण प्रेरित हुआ। रुपये को समर्थन प्रदान करने और साथ ही मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्ती मौद्रिक ठोस उपायों के कारण भी प्राप्ति पर निरंतर बढ़ता हुआ दबाव पड़ा (चित्र 3.9)।

चित्र 3.9 सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्ति वक्र

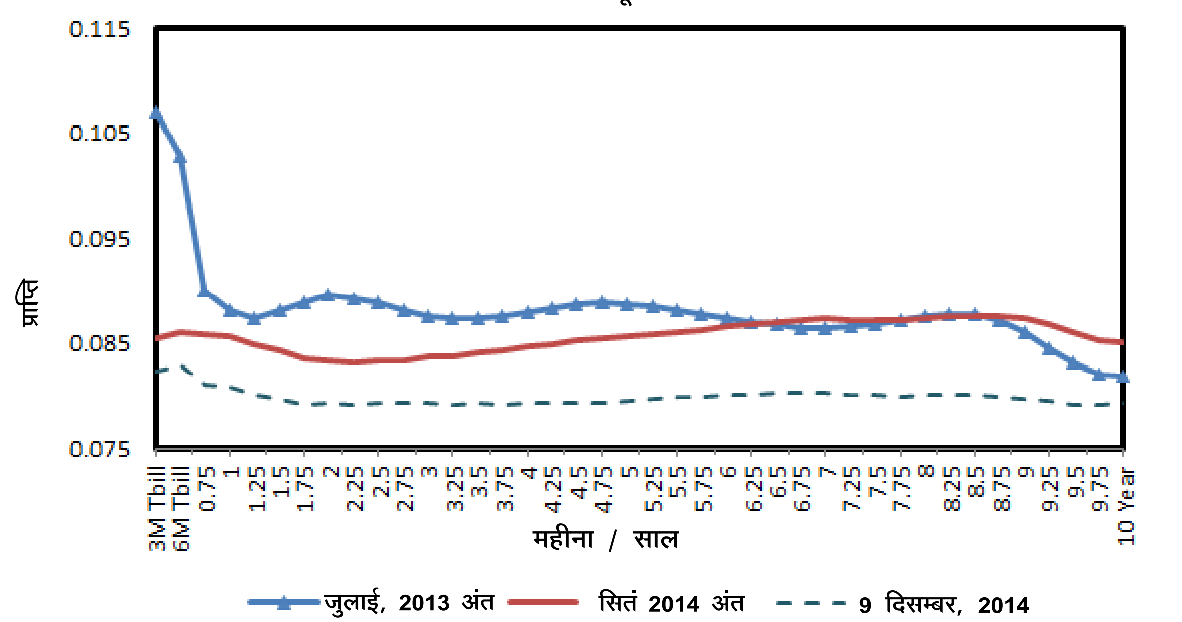

3.67 ऐसी आसान स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्राथमिक कारकों के लिए सकारात्मक बाजार भावना शामिल है, जो आम चुनाव के बाद केंद्र में आई नई सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण उत्पन्न प्रत्याशा, सितंबर, 2014 में खुदरा मुद्रास्फीति तीन वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने, जून 2014 के बाद से जिंस के मूल्यों में उल्लेखनीय कमी आने के कारण मुद्रास्फीति के कम होने की प्रत्याशा, राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों के संबंध में बजट में सरकार की प्रत्याशित कार्रवाई, विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए पहले की 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के भीतर दीर्घावधिक ऋण सीमाओं को फिर से निर्धारित करना, 2014 की पहली तिमाही में आशा से अधिक जीडीपी वृद्धि होना, एस एंड पी द्वारा विदेशी रेटिंग का बीबीबी ऋणात्मक से बढ़कर स्थायी हो जाना, दूसरी छमाही से संबंधित नीलामी कैलेंडर के लिए घोषणा किए गए अनुसार उधार ऋण राशि में कटौती करना, डीजल मूल्यों को नियंत्रणमुक्त करना, कच्चे तेल के काफी कम स्तर पर पहुंच जाने का पूर्वानुमान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ दरों कटौती करने का अनुमान, आदि है। बाजार भावनाओं को समय-समय पर अनुकूल बनाने वाले कारकों जिनके फलस्वरूप प्राप्ति में दबाव का रुख बना रहा, जुलाई, 2014 तक मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहना, खाड़ी क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि होना और यूक्रेन-रूस के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना, बैंकों द्वारा बॉण्ड धारण पर हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) से संबंधित ऊपरी सीमा में क्रमशःकटौती करना आदि शामिल हैं। 2014-15 के दौरान (10 नवंबर, 2014 तक) जारी प्रतिभूतियों की धारित औसत परिपक्वता अवधि 14.46 वर्ष थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह अवधि 14.37 वर्ष थी। इसी अवधि के दौरान, भारित औसत प्राप्ति 8.75 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.28 प्रतिशत थी।

वर्ष के दौरान जारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता सपाट/उत्क्रमित प्राप्ति वक्र, दीर्घावधिक ऋण की अधिक मांग और ऋण प्रबंधन संबंधी तथ्यों को देखते हुए वृद्धि की स्थिति में रही।

पूंजी बाजार

भारतीय बाजारों का कार्य निष्पादन

3.65 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में बाजार भावना अनेक घरेलू और वैश्विक कारकों द्वारा प्रभावित हुई । घरेलू मोर्चे पर धनात्मक वृहत आर्थिक आंकड़ों के रूप में ''ग्रीन शूट'' के कारण बाजार भावनाओं में उछाल आया। इसके अतिरिक्त, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार अंतर्प्रवाह बने रहने के कारण बाजार भावनाओं पर वृद्धि का प्रभाव बना रहा । वैश्विक मोर्चे पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी पत्रिका वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (अक्तूबर, 2014) में यह बताया है कि कतिपय प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक असमान वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान का दौर जारी है। इसके अतिरिक्त, अमरीकी फेडरल रिजर्व तथा बैंक ऑफ जापान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के कारण भी बाजार भावनाओं पर प्रभाव पड़ा ।

3.66 भारतीय बाजार विश्व भर में सबसे अधिक कार्यनिष्पादन करने वाले बाजारों में शामिल हैं और इसमें दिसंबर, 2013 से नवंबर, 2014 के बीच 35 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है । (सारणी 3.21)। इसके अतिरिक्त, भारतीय बाजार 28 नवंबर, 2014 को ऐतिहासिक उच्च स्तर पर था जबकि सेंसेक्स 28,694.0 अंक पर और निफ्टी 8588.3 अंक पर बंद हुआ ।

सारणी 3.21: विश्व में प्रमुख स्टाक बाजारों का निष्पादन

सूचकांक/ देश	28 नवम्बर, 2014 को सूचकांक मूल्य	मार्च, 2014 की तुलना में नवम्बर, 2014	दिसम्बर, 2013 की तुलना में नवम्बर, 2014	मार्च, 2014 की तुलना में नवम्बर, 2014	दिसम्बर, 2013 की तुलना में नवम्बर, 2014
		प्रतिशत परिवर्तन (स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में सूंचकाक मूल्य पर आधारित)		प्रतिशत परिवर्तन (अमरीकी डालर के संदर्भ में सूंचकाक मूल्य पर आधारित)	
निफ्टी, भारत	8588.3	28.1	36.2	23.2	35.3
शंघाई कम्पोजिट, चीन	2682.8	31.9	26.8	33.6	24.9
आरटीएसआई डालर, रूस	974.3	-20.5	-32.5	-20.5	-32.5
बोवेस्पा, ब्राजील	54724.0	8.5	6.2	-4.7	-2.5
जेसीआई, इंडोनेशिया	5149.9	8.0	20.5	0.0	0.0
जेएसई40, दक्षिण अफ्रीका	44205.8	2.8	6.6	-2.3	1.2
कोस्पी, दक्षिण अफ्रीका	1980.8	-0.2	-1.5	-4.8	-6.8
ताईवान टैक्स	9187.2	3.8	6.7	2.0	2.6
एसएंडपी 500, यूएस	2067.6	10.4	11.9	10.4	11.9
डैक्स, जर्मनी	9980.9	4.4	4.5	-5.7	-5.8
एफटीएसई 100, यूके	6722.6	1.9	-0.4	-4.6	-6.1
निक्की 225, जापान	17459.9	17.8	7.2	2.2	-5.1
हांगसंग, हांग कांग	23987.5	8.3	2.9	1.4	2.4
स्ट्रेट टाइम्स, सिंगापुर	3350.5	5.1	5.8	8.3	2.9

* उपर्युक्त निदिष्ट तारीखों को कुछ सूचकांकों के आंकड़े उपलब्ध हैं; उन मामलों में महीने का अंतिम कारोबार दिवस आंकलित किया गया है।
स्रोत : ब्लूमबर्ग

3.67 ऊपर दी गई सारणी स्थानीय मुद्रा और अमरीकी डॉलर दोनों के संदर्भ में विश्व के प्रमुख सूचकांकों का कार्यनिष्पादन सूचित करती है। अमरीकी डॉलर के आधार पर परिकलित सूचकांक में अतिरिक्त कारकों को जैसे कि विनिमय दर (अमरीकी डॉलर के मुकाबले) के प्रभाव पर विचार किया गया है। भारतीय बाजार में जो बदलाव का दृश्य दिखाई दे रहा है वह अमरीकी डॉलर के संदर्भ में मापे जाने पर किसी विशेष परिवर्तन को सूचित नहीं करता । तथापि, स्थानीय और अमरीकी डॉलर के संदर्भ में कुछ अन्य देशों के सूचकांकों में अंतर अमरीकी डॉलर की तुलना में विनिमय दर में कमी-पेशी के कारण है। विदेशी संस्थागत निवेशक इस आशा से बाजार में निवेश करते हैं कि इन बाजारों से उन्हें पर्याप्त प्रतिलाभ हो सकता है । उनकी सोच अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान वृहत आर्थिक परिवेश, अर्थव्यवस्था के विकास की संभावना और विभिन्न देशों में कारपोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन आदि जैसे कारक शामिल हैं । निवल एफपीआई/एफआईआई इक्विटी अंतर्प्रवाह 2012-13 के 31.0 बिलियन अमरीकी डॉलर से

घटकर 2013-14 में 8.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया । तथापि, निवल एफपीआई/एफआईआई इक्विटी अंतर्प्रवाह में 2014-15 में सुधार हुआ और नवंबर, 2014 तक यह 30.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया । (सारणी -3.22) । इसी प्रकार, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में भी वृद्धि का रुख दिखाई दिया है। (सारणी 3.22)।

सारणी 3.22: 2008-09 से 2014-15 के दौरान भारत में निवल एफपीआई/एफआईआई निवेश, ईसीबी और एफडीआई प्रवाह

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 निवल एफपीआई/एफआईआई							
क. इक्विटी	-10.3	23.2	24.3	9.0	25.8	13.4	12.3
ख. ऋण	0.5	7.3	7.9	9.9	5.2	-4.6	18.7
जोड़ (क+ख) #	-9.8	30.6	32.2	18.9	31.0	8.9	30.9
2. ईसीबी	16.7	17.6	24.6	34.4	30.6	32.9	13.4
3. एफसीसीबी	0.5	4.1	1.2	1.6	1.4	0.3	0.6
जोड़ (2+3) ##	17.2	21.7	25.8	36.0	32.0	33.2	13.9
4 निवल एफडीआई ##	22.4	17.9	11.8	22.1	19.8	21.6*	16.2**

स्रोत : निवल एफपीआई/एफआईआई = भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बांड तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजीटरी लिमिटेड, ईसीबी, एफसीसीबी और निवल एफडीआई = भारतीय रिजर्व बैंक, आंकड़े वित्त वर्ष से संबंधित हैं; # = 2014-15 के आंकड़ें नवम्बर 2014 तक हैं । ## = 2014-15 के आंकड़ें सितंबर, 2014 तक हैं ।

* अशंत = संशोधित, ** अनंतिम, एफपीआई = विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफआईआई= विदेशी संस्थागत निवेश, ईसीबी=विदेशी वाणिज्यिक उधार, एफसीसीबी = विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बांड, एफडीआई = प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

पूंजी बाजार में सुधार कार्यक्रम

3.68 सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी से परामर्श करके भारतीय पूंजी बाजार में सुधार की दिशा में कार्य कर रही है जिसका लक्ष्य प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना, नई लिखतों को शुरू करना, लेन-देन लागत को कम करना, नियामक/ संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना है । अर्थव्यवस्था में देती से पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय बजट 2014-15 में अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- सभी क्षेत्रों के लिए विदेशों में स्थित भारतीय कंपनियों द्वारा जारी सभी बॉण्डों के लिए पांच प्रतिशत विदहोल्डिंग टैक्स की उदारीकृत सुविधा लागू करना और इस स्कीम की वैधता अवधि बढ़ाकर 30 जून, 2017 करना ।
- सभी अनुमेय प्रतिभूतियों पर डिपोजिटरी रिसीट को जारी करने की अनुमति के लिए एडीआर/जीडीआर को उदार बनाना ।
- भारतीय ऋण प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय निपटान की अनुमति प्रदान करना। भारतीय डिपोजिटरी रिसीट(आईडीआर) को पूरी तरह से संपुष्ट करना और एक काफी अधिक उदार और महत्वाकांक्षी भारत डिपोजिटरी रिसीट योजना को शुरू करना ।
- एक समान केवाईसी मानदंड की प्रणाली शुरू करना तथा संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों में केवाईसी रिकॉर्डो की अंतःप्रयोज्यता आरंभ करना ।
- एकल प्रचालन योग्य डीमैट अकाउंट की शुरुआत करना ताकि भारतीय वित्तीय क्षेत्र के उपभोक्ता इस एक खाते की सहायता से सभी वित्तीय आस्तियों तक पहुंच स्थापित कर सकें और लेन-देन कर सकें ।

वर्ष 2014 की नई डिपोजिटरी प्राप्ति (डीआर) स्कीम

3.69 साहू समिति द्वारा तैयार किए गए अनुसार नई उदार एडीआर/जीडीआर स्कीम अधिसूचित कर दी गई है तथा यह स्कीम 15 दिसंबर, 2014 से लागू होगी । नई स्कीम के अंतर्गत किसी भी निर्गमकर्ता चाहे वह सूचीबद्ध हो अथवा नहीं, द्वारा किसी भी अंतर्निहित प्रतिभूति- इक्विटी अथवा ऋण के प्रति डिपोजिटरी रिसीट(डीआर) जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है । डिपोजिटरी रिसीट(डीआर) नए शेयरों या मौजूदा/द्वितीयक शेयरों के प्रति जुटाई गई पूंजी के लिए भी जारी की जा सकती है और ऐसा निर्गमन प्रायोजित अथवा अप्रायोजित दोनों हो सकता है । इसके अतिरिक्त, यदि डिपोजिटरी रिसीट(डीआर) के साथ धारक के लिए वोटिंग का अधिकार जुड़ा हुआ हो तो उससे सरकारी शेयर धारण माना जाएगा।

घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों में पहुंच के लिए ढांचे की समीक्षा-भारतीय डिपोजिटरी प्राप्तियां

3.70 घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों में पहुंच के लिए ढांचे और अन्य संबंधित पहलुओं की समीक्षा करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सचिव श्री एम.एस. साहू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। कमेटी ने भारतीय डिपोजिटरी रिसीट(आईडीआर) के संबंध में अपनी रिपोर्ट जून 2014 में भारत सरकार को सौंप दी ।

3.71 समिति ने समग्र पूंजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू डिपोजिटरी रिसीट के ढांचे में सुधार का सुझाव दिया है । बाजार और भारतीय संस्थागत निवेशकों के संबंध में कानूनों और विनियमों को आशोधित करना आवश्यक है ताकि भारतीय प्रतिभूति और घरेलू डीआर के बीच सभी भारतीय संस्थागत निवेशकों के विचार से सभी प्रकार के अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जाए, सक्षम बनाया जाए और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए जिससे कि वे आईडीआर में निवेश सहित अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो जोखिम को कम कर सकें ।

3.72 समिति ''अनुमेय प्रतिभूतियों'' के रूप में पूंजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय निवेशकों के लिए पहुंच योग्य विदेशी प्रतिभूतियों के संबंध में उल्लेख करती है। यह इस प्रकार की अनुमेय प्रतिभूतियों की पृष्ठभूमि में डी आर का उल्लेख ''भारतीय डिपोजिटरी रिसीट'' के रूप में करती है। इसने भारतीय डिपोजिटरी रिसीट के दो स्तरों को सृजित करने की सिफारिश की है जिसमें से स्तर-I को परिशुद्ध निवेशकों के लिए प्रतिबंधित किया गया है और स्तर -II भारतीय खुदरा निवेशकों सहित सभी निवेशकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। साहू समिति ने भारतीय डिपोजिटरी रिसीट व्यवस्था को संपुष्ट बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं । सेबी तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय से इस दिशा में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने तथा भारतीय डिपोजिटरी रिसीट को प्रचालन में लाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) विनियम, 2014

3.73 नए सेबी एफपीआई विनियम, 2014 से विभिन्न विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्गों के युक्तिकरण/समन्वयन तथा एक एकीकृत, सरल नियामक ढांचा स्थापित करने में सहायता मिली है । ग्राहक पहचान सत्यापन (केवाईसी) के प्रति जोखिम आधारित दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में एफपीआई को तीन प्रमुख श्रेणियों अर्थात् श्रेणी I, II और III में बांटा गया है जहां श्रेणी I के लिए दस्तावेज संबंधी अपेक्षाएं सर्वाधिक सरल हैं और श्रेणी III के लिए सर्वाधिक कठोर ।

एफपीआई के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सेकेण्डरी ट्रेडिंग हेतु टी+2 निपटान का विकल्प

3.74 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और दीर्घावधिक विदेशी निवेशकों द्वारा सामना की जा रही प्रचालनात्मक समस्याओं का सामना करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एफपीआई के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में सेकेण्डरी मार्केट ओटीसी व्यापार के लिए व्यापार की तारीख के संबंध में विस्तारित रिपोर्टिंग समय और टी+2 निपटान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए ।

मुद्रा व्युत्पन्न बाजार

3.75 2013 में घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिर स्थिति उत्पन्न होने पर अनेक अवरोधक उपायों का सहारा लिया गया। तथापि, एक वर्ष के भीतर पूरा किए जाने वाले रद्द संविदाओं की री-बुकिंग की सुविधा बहाल कर दी गई है। पहले एक बार रद्द की जा चुकी एफआईआई/क्यू एफआई/अन्य पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बुक कराई गई भावी संविदाओं को फिर से बुक कराया जा सकता है जिसके लिए रद्द की गई संविदा के मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है ।

3.76 एक्सचेंज में व्यापारित मुद्रा व्युत्पन्न (ईटीसीडी) बाजार में स्वामित्व ट्रेनिंग के संबंध में एडी श्रेण -I बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध को अब समाप्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, ओटीसी व्युत्पन्न बाजारों में स्थितियों के प्रति उन्हें ईटीसीडी बाजार में अपनी स्थिति को परिशुद्धतः आंकने/संतुलित करने की अनुमति भी प्रदान की गई है । विशेषकर ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाजारों और ईटीसीडी बाजारों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है ।

3.77 एफईएमए, 1999 के अंतर्गत भारतीय ऋण और इक्विटी आस्तियों में निवेश करने के पात्र विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भारतीय ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों के प्रति उपलब्ध कराई गई उनकी आस्तियों के बाजार मूल्य के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम से उन्हें बचाने के लिए उन्हें मुद्रा के संबंध में वायदा या एक्सचेंज व्यापारित

मुद्रा का विकल्प प्रदान किया गया है । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे किसी भी अंतर्निहित जोखिम का सामना किए बिना प्रति एक्सचेंज 10 मिलियन अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य विदेशी मुद्रा में अपनी स्थिति- दीर्घ (खरीदी गई) और लघु (बेची गई) को स्पष्ट करें ।

3.78 मुद्रा व्युत्पन्न बाजार में अनावश्यक अवरोधों को समाप्त करके इस बाजार को मजबूत और संपुष्ट बनाने के एकीकृत प्रयास किए जा रहे हैं । इसका लक्ष्य और अधिक मुद्राओं के एक्सचेंज बाजार को अनुमति प्रदान करना तथा मुद्रा बाजार में अधिक व्यापक विदेशी प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करना भी है । भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के संबंध में मूल्यांकन करने के लिए और सिफारिश करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञों की स्थायी परिषद एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें इस संबंध में नीतिगत प्रस्ताव शामिल किए गए हैं ।

विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति का उदारीकरण / यौक्तिकीकरण ।

3.79 ईसीबी विनियमों के प्रमुख संघटकों का उत्तरोत्तर उदारीकरण/यौक्तिकीकरण किया जा रहा है। ईसीबी नीति के संबंध में हाल में निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

- अवसंरचना के क्षेत्र में विदेशी पूंजी अंतर्वाह को सुदृढ़ बनाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र की परिभाषा में ईसीबी का प्रयोग करने के प्रयोजन से विस्तार प्रदान किया गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां(एनबीएफसी) जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वित्त कंपनी (एएफसी) का दर्जा दिया गया है और जो निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं, उन्हें अवसंरचना क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिए अवसंरचना उपकरण के आयात को वित्तपोषित करने के लिए स्वचालित/अनुमोदित मार्गों के अंतर्गत ईसीबी का लाभ सशर्त उठाने की अनुमति प्रदान की गई है ।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) - अवसंरचना वित्त कंपनियों (आईएफसी) के लिए ईसीबी सीमा उनके स्वामित्वाधीन निधि के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बकाया ईसीबी शामिल है और 75 प्रतिशत से आगे यह स्वीकृति अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत की गई है । मुद्रा जोखिम के लिए बचाव की अपेक्षाओं को 100 प्रतिशत से घटाकर बाह्य प्रभाव का 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
- दस बिलियन अमरीकी डॉलर स्कीम के अंतर्गत लाभ जिसमें लगातार विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं को घरेलू बैंकों से लिए गए रुपये के मूल्य वर्ग में ऋण को फिर से वित्तपोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है, ऐसी कंपनियों को उपलब्ध कराई गई है जो जेवी/डब्ल्यू ओ श्रेणी की कंपनियां हैं और जिन कंपनियों ने मौजूदा एफईएमए विनियमों का अनुसरण करते हुए विदेश में परिसंपत्तियां अर्जित की हैं परंतु ऐसी अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि ऋण की अदायगी विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई आय से नहीं की जाएगी।
- पात्र अनिवासी निकायों (बहुक्षेत्रीय/क्षेत्रीय) वित्तीय संस्थाओं, सरकार के स्वामित्वाधीन विकास वित्तीय संस्थाओं और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारकों द्वारा ऋण में वृद्धि करने की अनुमति, जो पहले केवल अवसंरचना क्षेत्र के लिए उपलब्ध थी, अब स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ईसीबी में वृद्धि करने के पात्र सभी उधार प्राप्त कर्ताओं को उपलब्ध कराई गई है।
- विदेशी कंपनियों की पात्र घरेलू सहायक कंपनियों को अब ईसीबी का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है जिसके लिए उनकी विदेश में स्थित इक्विटी धारक कंपनियों से सामान्य कारपोरेट प्रयोजनों के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 7 वर्ष हो जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन है ।
- भारतीय रुपये में विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में छूट । वर्तमान में सभी पात्र उधारकर्ताओं को केवल अपने विदेशी इक्विटी धारकों से केवल भारतीय रुपये में ईसीबी में वृद्धि करने का पात्र घोषित किया गया है। इसीबी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वृहदतर लोच उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि सभी मान्यता प्राप्त अनिवासी ईसीबी ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 सितंबर 2014 को जारी परिपत्र के संदर्भ में किसी प्राधिकृत डीलर जैसे कि भारत के श्रेणी -। के बैंक के साथ अदला-बदली के माध्यम से भारतीय रुपये को जुटाकर भारतीय रुपये में ऋण जारी करें ।

द्वितीयक बाजार खंड में सुधार

3.80 **सेबी (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 में संशोधन :** सेबी बोर्ड ने सेबी (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने की प्रक्रिया पर सफलतापूर्वक केवल तभी विचार किया जा सकता है जबकि (क) सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा निविदित शेयरों के साथ शेयरों का अधिग्रहण करने वाले की शेयरधारिता कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 90 प्रतिशत पर पहुंच जाए और (ख) बोर्ड की बैठक की तारीख, जिसमें इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता हो, को डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति देते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने की प्रक्रिया को पूरा होने के लिए समय सीमा 137 कैलेंडर दिवसों (लगभग 117 कार्य दिवसों) से घटाकर 76 कार्यदिवस कर दिए गए हैं।

3.81 **एकल डीमैट खाता-** 2014-15 के बजट में एकल प्रचालन योग्य डीमैट अकाउंट की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि भारतीय वित्तीय क्षेत्र के उपभोक्ता इस एक खाते की सहायता से सभी वित्तीय आस्तियों तक पहुंच स्थापित कर सकें और लेन-देन कर सकें। अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) कार्यान्वयन संबंधी तौर-तरीकों को तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, सेबी ने डिपोजिटरियों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों और म्युच्युअल फंड आरटीए को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है ताकि म्युच्युल फंड के निवेशक द्वारा किए गए सभी निवेशों और डिपोजिटरियों में डीमैट रूप में धारित प्रतिभूतियों के संबंध में एक समेकित राय बनाई जा सके।

3.82 **सीपीएसई विनिवेशों में प्रतिभागिता के माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजारों में खुदरा प्रतिभागिता को बढ़ावा देना:** खुदरा निवेशक बाजार को गंभीरता और स्थायित्व प्रदान करते हैं क्योंकि वे संस्थागत निवेशकों विदेशी संस्थागत निवेशकों या बड़े घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा सृजित की जाने वाली किसी संभावित अस्थिरता की स्थिति को संभाल सकते हैं। वास्तव में, संस्थागत निवेशकों ने उसी स्थान पर कब्जा कर लिया है जिसे खुदरा निवेशकों द्वारा खाली छोड़ा गया। ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) मार्ग के जरिए सीपीएसई विनिवेश प्रस्तावों में खुदरा भागीदारी भी कम हुई है। सेबी ने पूंजी बाजार तंत्र के माध्यम से शेयरों के ओएफएस ढांचे को विस्तार प्रदान किया है। इसने खुदरा व्यष्टिगत निवेशकों के लिए स्थान आरक्षण भी उपलब्ध कराया है। खुदरा निवेशकों अर्थात् 2 लाख रुपये से कम राशि के लिए बोली लगाने वाले निवेशकों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत निर्गम आकार आरक्षित किया गया है। यदि यह प्रतिशत पूरी तरह से प्रयोग में नहीं लाया जाता तो प्रयोग में नहीं लाए गए भाग को अन्य निवेशकों को सौंप दिया जाएगा। शेयरों को बेचने वाले व्यक्ति/फर्म द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढांचे के अनुरूप खुदरा निवेशकों को छूट की पेशकश की जा सकती है।

कारपोरेट बॉण्ड बाजार का विकास

3.83 केंद्रीय बजट 2014 में देश में एक स्फूर्त, गहन और नकदी प्रधान कारपोरेट बॉण्ड बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। विनियामक व्यवस्था में सुधार लाने और कारपोरेट बॉण्ड बाजार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एमसीए और आईआरडीए से परामर्श करके विभिन्न नीतिगत सुधार उपाय लागू किए गए हैं। जिन नीतिगत सुधार उपायों को सक्रिय रूप में अपनाया गया, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. कारपोरेट ऋण का बैंक अभिभावी वित्तपोषण से हटकर कारपोरेट बॉण्ड आधारित व्यवस्था में बदलाव।

ii. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और आयकर अधिनियम द्वारा निर्मित नियमों/विनियमों में संशोधन करके कारपोरेट ऋण के विनियमन हेतु कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

iii. पेंशन निधि, भविष्य निधि, बीमा निधि आदि के लिए निवेश दिशा-निर्देशों में छूट प्रदान करना ताकि दीर्घावधिक और स्थायी वर्ग के निवेशकों को शामिल किया जा सके।

iv. नए उत्पादों को शामिल करना या नव निर्मित उत्पादों जैसेकि कवर्ड बॉण्डों, म्युनिसिपल बॉण्डों, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ऋण संवर्धन और प्रतिभूतिकरण रसीदों के लिए कानूनी या नियामक बाधाओं को समाप्त करना।

v. नकदी की उपलब्धता में वृद्धि करने, मूल्य का पता लगाने में पारदर्शिता लाने और व्यापार की मात्रा में वृद्धि को त्वरित करने के लिए बाजार अवसंरचना में सुधार लाना।

3.84 माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एमसीए, डीएफएस, राजस्व विभाग, ईरडा, सेबी और आरबीआई के प्रतिनिधियों के साथ 2012-13 के दौरान आयोजित एफएसडीसी की बैठकों में कारपोरेट बांड बाजार में विकास संबंधी सभी 32 मदों को शामिल करते हुए विस्तृत कार्यसूची दस्तावेज पर चर्चा की गई। सभी 32 मदों में से अधिकांश क्रियान्वित हो चुके हैं जबकि कई कदम संबंधित विनियामकों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं। आरबीआई द्वारा ऋण संवर्धन संबंधी मानदण्डों, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक और नगर निगम बांडों द्वारा बांड कवर किए जाने हेतु दिशनिर्देश जैसे अन्य उपाय क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में हैं।

3.85 तत्पश्चात्, बाजार प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त विभिन्न सुझावों जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, द्वितीयक बाजार नकदी में सुधार करने, सुदृढ़ बांड धारक संरक्षा तंत्र का विकास करने, स्टाम्प शुल्क का यौक्तिकीकरण, ऋण संवर्धन सुविधाओँ का सुदृढ़ीकरण, कारपोरेट बांड के विकास के लिए आर्थिक सहायता और पर्याप्त सहायता के माध्यम से बाजार मेकर के लिए तंत्र विकसित करने और एफआईआई भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल हैं। 9 अगस्त, 2014 को आयोजित एफएसडीसी की बैठक की उप समिति की बैठक में चर्चा की गई। इसकी जांच संबंधित संस्थाओं/विनियामकों द्वारा की जा रही है।

3.86 उपर्युक्त बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि जिस समूह का नेतृत्व पूर्व कानून सचिव द्वारा किया गया, सभी मौजूदा कानूनों की जांच करेगा और एकल दिवालियापन संहिता को रखा जाए चूंकि प्रभावी दिवालियापन संहिता सेहतमंद कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। यह भी निर्णय लिया गया कि एक कारपोरेट समूह का गठन किया जाए ताकि बांड बाजार को और विकसित करने के लिए विभिन्न मानदण्डों की अनुशंसा की जाए।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)

3.87 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की स्थापना मौजूदा आवश्यकताओं के सामंजस्य के साथ उन्हें लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र कानूनों के पुनर्लेखन के लिए मार्च, 2011 में की गई, जिनकी रिपोर्ट सरकार को 22 मार्च, 2013 को सौंपी गई।

3.88 विधायी अनुशंसाओं के अंश के रूप में, एफएसएलआरसी ने वित्तीय क्षेत्र के लिए 7 एजेंसी संरचना अनुशंसित की। सरकार ने वित्तीय क्षेत्र अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसैट) से मौजूदा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) का उन्नयन करने के लिए रूपरेखा तैयार करने और संकल्प निगम (आरसी), लोक ऋण प्रबंध अधिकरण (पीडीएमए) और वित्तीय डाटा प्रबंध केन्द्र (एफडीएमसी)जैसी नई एजेंसियों की स्थापना करने, जिस पर वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के बीच लम्बे करार किए गए हैं, 30 सितम्बर, 2014 को चार कार्य बलों की स्थापना की गई है। यूएस ट्रेजरी, आईएमएफ और डब्ल्यूबी द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास क्रमशः आरसी, एफडीएमसी और पीजीएमए की स्थापना के लिए चल रहे हैं।

3.89 एफएसएलआरसी द्वारा अनुशंसित प्रारूप कानून-भारतीय वित्तीय संहिता सही ढंग से चल रही है जो कि स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों पर आधारित है ताकि कानूनी रूप से दोषरहित बनाने में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जा सके।

व्यापार

व्यापार निष्पादन 2014-15 (अप्रैल-नवंबर)

3.90 वर्ष 2012-13 में 1.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के पश्चात्, निर्यातों की वृद्धि में तेजी हुई, तथापि, 2013-14 में 4.7 प्रतिशत कम रहा जो बढ़कर 314.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर जा पहुँचा। 2014-15 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान भारत का निर्यात 215.8 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया जिससे 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

3.91 आयात वृद्धि जो कि 2012-13 में 0.3 प्रतिशत रही और 2013-14 में (-) 8.3 प्रतिशत रही। 2014-15 (अप्रैल-नवंबर) में बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई। 2013-14 के दौरान आयात बढ़कर 450.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि 2014-15 (अप्रैल-नवंबर) में 316.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते तेल का आयात 2013-14 (अप्रैल-नवंबर) के 108.3 बिलियन अमरिकी डालर से गिरकर 2014-15 (अप्रैल-नवंबर) में 106 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2013-14 में सोने और चांदी के आयात में 40.4 प्रतिशत कमी और 2014-15 के पहले आठ महीने के दौरान 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.92 2012-13 के दौरान भारत का व्यापार घाटा 190.3 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 2013-14 में 135.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2014-15 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान व्यापार घाटा 100.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो कि 2013-14 के पहले आठ महीनों की तुलना में 3.8 प्रतिशत मामूली अधिक था।

पण्य व्यापार की त्रैमासिक प्रवृत्तियां

निर्यात और आयात की प्रमात्रा और ईकाई मूल्य सूचकांक

3.93 वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में अमरीकी डालर के संदर्भ में निर्यात वृद्धि (-)0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 की पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत हो गया जबकि 2014-15 की दूसरी तिमाही में 1.8 प्रतिशत कम हो गया (सारणी 3.23)। इसी प्रकार, रुपया के संदर्भ में, वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गया जबकि 2014-15 की दूसरी तिमाही में यह घटकर (-) 0.9 प्रतिशत हो गया।

3.94 वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में निर्यात में वृद्धि, पूर्व की दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि के मुकाबले ईकाई मूल्य सूचकांक (चित्र 3.10) की वृद्धि में कमी के बावजूद, मुख्यतः निर्यात के प्रमात्रा सूचकांक में वृद्धि के चलते यह 7.1 प्रतिशत रहा। यह जबर्दस्त वृद्धि (चित्र 3.11) विनिर्मित वस्तुओं के कारण हुई थी। इस प्रमात्रात्मिक वृद्धि में विनिर्मित वस्तुओं के कारण वृद्धि हुई। 2014-15 की दूसरी तिमाही में मात्रा सूचकांक में कमी आने और निर्यात के ईकाई मूल्य सूचकांक में तेजी से कमी आने से निर्यात वृद्धि में मंदी आई।

सारणी 3.23: निर्यात और आयात की वृद्धि पर (वर्षानुवर्ष)

वर्ष	निर्यात				आयात				व्यापार के संदर्भ में	
	अमरीकी डालर के संदर्भ में	रूपया के संदर्भ में	प्रमात्रा सूचकांक	इकाई मूल्य सूचकांक	अमरीकी डालर के संदर्भ में	रूपया के संदर्भ में	प्रमात्रा सूचकांक	इकाई मूल्य सूचकांक	निवल	आय
2011-12 ति.1	36.4	33.6	13.0	22.0	36.2	33.6	-15.6	58.0	-22.8	-12.8
2011-12 ति.2	44.8	42.7	3.5	35.8	40.0	37.9	-32.0	102.9	-33.0	-30.7
2011-12 ति.3	11.2	26.2	2.5	25.1	29.6	47.2	-12.9	49.1	-16.1	-13.9
2011-12 ति.4	4.0	15.6	-6.9	25.6	24.7	38.6	-12.9	62.3	-22.7	-28.0
2012-13 ति.1	-3.9	16.3	4.8	16.1	-5.0	14.8	-8.2	24.0	-6.3	-1.9
2012-13 ति.2	-8.5	10.3	9.9	4.2	-0.7	19.8	25.2	-6.1	10.9	21.9
2012-13 ति.3	0.7	6.9	15.2	-7.9	6.2	12.9	9.5	16.7	-21.1	-9.1
2012-13 ति.4	4.5	12.6	11.9	13.0	0.8	8.6	7.4	0.4	12.5	25.9
2013-14 ति.1	-0.1	3.1	-0.9	1.3	3.7	7.0	6.8	1.9	-0.6	-1.5
2013-14 ति.2	12.9	27.4	14.6	11.7	-8.6	2.9	-10.7	15.1	-3.0	11.2
2013-14 ति.3	7.3	22.9	-4.9	32.7	-15.1	-2.7	-18.0	17.9	12.5	7.0
2013-14 ति.4	-0.5	13.4	-0.5	8.4	-12.0	0.3	-13.4	13.0	-4.1	-4.6
2014-15 ति.1 (अनं.)	7.4	14.9	7.1	6.8	-6.3	0.4	-6.8	6.8	0.0	7.1
2014-15 ति.2 (अनं.)	1.8	-0.9	2.7	0.6	10.1	7.3	9.3	0.2	0.4	3.1

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय डाटा महानिदेशालय द्वारा परिकलित।
अनं.-का आशय है अनंतिम वृद्धि

चित्र 3.10 : निर्यात और आयात के ईकाई मूल्य सूचकांक में वृद्धि

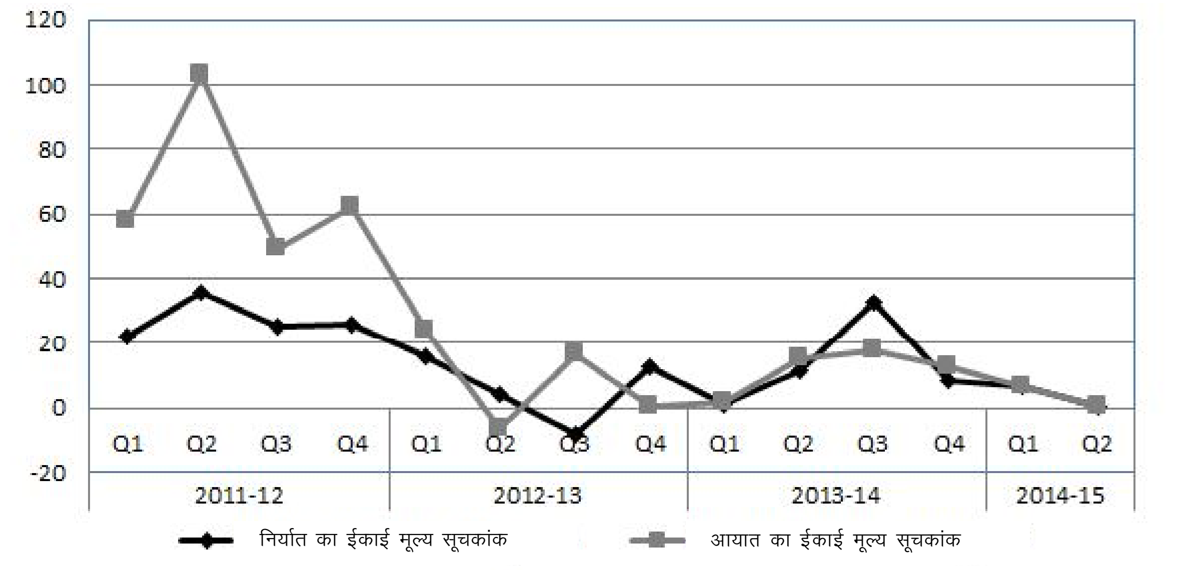

3.95 वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही तक चार तिमाहियों में डालर और रूपया दोनों के संदर्भ में सूचकांको के ईकाई मूल्य के सकारात्मक रहने और अधिकतर तिमाहियों में भी अधिक रहने के बावजूद यह नकारात्मक/कम आयात वृद्धि आयातों में प्रमात्रा में नकारात्मक वृद्धि के चलते रहा। तथापि, 2014-15 की दूसरी तिमाही में आयात के प्रमात्रा सूचकांक में तेजी से वृद्धि हुई जो भिन्न आधार प्रदान के कारण भी हुआ जबकि ईकाई मूल्य सूचकांक कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट के कारण कम हुआ।

चित्र 3.11: निर्यात और आयात का प्रमात्रा सूचकांक वृद्धि दर

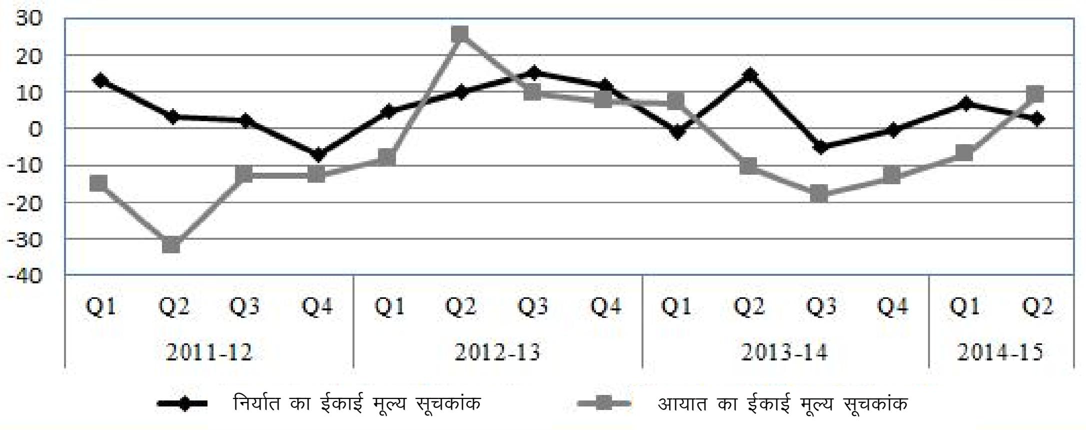

3.96 व्यापार मे विस्तु विनिमय संदर्भ में वृद्धि (आयात ईकाई मूल्य सूचकांक से निर्यात में ईकाई मूल्य सूचकांक का अनुपात) जो कि पिछली कुछ तिमाहियों में भिन्न रहा था उसमें 2014-15 की पहली तिमाही में शून्य वृद्धि और दूसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाई। व्यापार में आय संदर्भ में वृद्धि जो कि आयात की क्षमता को प्रदर्शित करता है 2013-14 की चौथी तिमाही में नकारात्मक होने के पश्चात्, 2014-15 की पहली तिमाही में बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गयी। यह निर्यात में प्रमात्रा सूचकांक में व्यापार-आय चलते 2014-15 की दूसरी तिमही में कम होकर 3.1 प्रतिशत रह गई ।

व्यापार का संघटन

3.97 वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान, आयात वृद्धि इंजिनियरिंग जिंसों (23.5 प्रतिशत) उच्च रहा, चर्म और चमड़ा विनिर्माण (18.6 प्रतिशत) और समुद्री उत्पाद (26.3 प्रतिशत), रसायनों और संबंधित उत्पादों में कमी (9.0 प्रतिशत), कपड़े (9.7 प्रतिशत), हथकरघा (6.8 प्रतिशत), पेट्रोलियम और उत्पाद में कमी (3.0 प्रतिशत) और कृषि और उनसे संबंधित उत्पाद में नकारात्मक वृद्धि (-4.5 प्रतिशत), रत्न और आभूषण (-3.8 प्रतिशत), अयस्क और खनिज (-13.6 प्रतिशत) और इलेक्ट्रानिक सामान (-19.0 प्रतिशत) (सारणी 3.24)।

सारणी 3.24: क्षेत्रवार शेयर और निर्यात वृद्धि दर

	शेयर				वृद्धि दर			
	2012-13	2013-14	2013-14 (अप्रैल-सितंबर)	2014-15 (अप्रैल-सितंबर)	2012-13	2013-14	2013-14 (अप्रैल-सितंबर)	2014-15(अ) (अप्रैल-सितंबर)
पौधरोपण	0.6	0.5	0.5	0.5	-2.6	-11.7	-14.0	-4.4
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	10.7	10.4	10.2	9.3	16.0	0.9	-0.1	-4.5
समुद्री उत्पाद	1.2	1.6	1.4	1.7	0.1	46.2	42.2	26.3
अयस्क और खनिज (कोयला छोड़कर अभ्रक सहित)	1.8	1.8	1.8	1.5	-34.1	2.2	-7.3	-13.6
चर्म और चर्म विनिर्माण	1.6	1.8	1.8	2.0	1.9	17.4	13.6	18.6
रत्न और आभूषण	14.3	13.2	14.0	12.8	-7.1	-3.9	-1.5	-3.8
रसायन और संबंधित उत्पाद	13.5	13.8	13.7	14.2	5.6	7.4	8.1	9.0
इंजीनियरिंग सामान	19.0	19.7	18.7	22.0	-1.7	8.6	1.1	23.5
इलेक्ट्रानिक सामान	2.5	2.3	2.3	1.8	-8.9	-4.2	-6.1	-19.0
कपड़े आरएमजी सहित	8.9	9.8	9.5	10.0	-2.6	15.6	14.1	9.7
हथकरघा कालीन हस्तनिर्मित सहित	0.7	0.9	0.9	0.9	8.8	29.2	26.9	6.8
कपास कच्चा कचरा सहित	1.2	1.2	0.4	0.5	-17.4	-0.9	-41.9	31.1
पेट्रोलियम,कच्चा व उत्पाद (कोयला सहित)	20.3	20.1	21.3	20.8	8.6	3.8	19.0	3.0
कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0	100.0	-1.8	4.7	6.3	5.0

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय व सांख्यिकीय डाटा द्वारा परिकलित

टिप्पण: वृद्धि दर अमरीकी डालर के संदर्भ में;

3.98 प्रमुख आयात में (पीओएल और सोना और चांदी को छोड़कर), कोयला, कोक और ब्रिवेक्ट्स की वृद्धि और पूंजीगत वस्तुएं 2012-13 और 2013-14 में नकारात्मक रहे जबकि 2014-15 की पहली छमाही में क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत रहा। रसायन उत्पादों और इलेक्ट्रानिक सामानों में 2014-15 की पहली छमाही में क्रमशः 14.8 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। मोती व अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों और उर्वरकों की आयात वृद्धि 2014-15 की पहली छमाही में क्रमशः (-) 0.8 प्रतिशत और (-)18.8 प्रतिशत रहा (सारणी 3.25)।

सारणी 3.25: प्रमुख जिंसों का आयात

	शेयर				वृद्धि दर			
	2012-13	2013-14	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2013-14	2014-15
			(अप्रैल-सितम्बर)				(अप्रैल-सितम्बर)	
खाद्य और संबद्ध उत्पाद	2.5	2.0	1.8	2.6	21.9	-26.0	-33.2	47.9
पीओएल	33.4	36.6	34.7	35.2	5.9	0.4	0.0	3.1
उर्वरक	1.8	1.4	1.7	1.4	-21.2	-28.1	-17.6	-18.8
पूंजी जिंस	13.1	11.8	11.8	12.3	-6.6	-17.0	-16.9	5.3
रसायन उत्पाद	8.0	9.0	8.9	10.1	5.0	3.0	5.1	14.8
मोती, बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थर	4.6	5.3	5.5	5.3	-19.3	5.4	27.6	-0.8
सोना और चांदी	11.4	7.4	9.9	7.1	-9.5	-40.4	7.3	-27.3
इलेक्ट्रानिक जिंस	6.7	7.2	7.3	7.9	-3.5	-1.6	2.3	9.9
कोयला कोव ब्रिक्वेट्स आदि	3.5	3.6	3.5	3.6	-2.5	-3.7	-11.3	3.4
कुल आयात	100.0	100.0	100.0	100.0	0.3	-8.3	-2.5	1.6

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंड एस) डाटा द्वारा परिकलित
टिप्पणः वृद्धि दर डालर के संदर्भ में है।
$ में दालें, खाद्य तेल शामिल है।

व्यापार की दिशा

3.99 वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में अफ्रीका (25.0 प्रतिशत), लैटिन अमरीका (46.7 प्रतिशत), उत्तरी अमरीका (13.1 प्रतिशत को निर्यात की उच्च वृद्धि रही थी परन्तु एशिया (4.4 प्रतिशत), यूरोप (2.6 प्रतिशत) और सीआईएस व बाल्टिक (1.9 प्रतिशत) को निर्यात की निम्न वृद्धि हुई। यद्यपि, एशिया को निर्यात की वृद्धि 4.4 प्रतिशत पर निम्न थी परन्तु एशिया के भीतर भारत की निर्यात वृद्धि दक्षिण एशिया में उच्च (33.0 प्रतिशत) थी और उसके बाद पूर्वी एशिया (32.3 प्रतिशत) थी। प्रमुख व्यापार भागीदारों में भारत की निर्यात वृद्धि अमरीका (11.6 प्रतिशत) और यूएई (14.4 प्रतिशत) को उच्च थी, चीन (0.7 प्रतिशत) और यूके (1.6 प्रतिशत) को निम्न तथा सिंगापुर (-38.6 प्रतिशत) और जापान (-13.8 प्रतिशत) को ऋणात्मक थी।

3.100 भारत को यूरोप (-8.3 प्रतिशत), अमरीका (-0.3 प्रतिशत) और एशिया (-0.5 प्रतिशत) क्षेत्रों से आयात गिरे हैं। हालांकि, अफ्रीका (21.3 प्रतिशत) और सीआईएस बाल्टिक (25.5 प्रतिशत) से 2014-15 के पूर्वार्ध में आयात बढ़े थे। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में भारत को आयात वाले शीर्ष 15 देशों में भारत में 12.7 प्रतिशत हिस्से व 14.8 प्रतिशत की वृद्धि के चलते चीन का स्थान शीर्ष पर था। नाईजीरिया व कतर से भारत को आयात में क्रमशः 12.0 प्रतिशत और 42.5 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध में सउदी अरब (-6.4 प्रतिशत), यूएई (-17.6 प्रतिशत), अमरीका (-15.5 प्रतिशत) और स्विटजरलैंड (-21.0 प्रतिशत) के मामले में इन देशों से भारत को आयात ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी।

सेवा व्यापार

3.101 वर्ष 2013-14 के दौरान भारत के सेवा निर्यात 4.0 प्रतिशत वृद्धि के चलते 151.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के थे। 2013-14 के दौरान सेवा निर्यात के उप-क्षेत्रों, वित्तीय सेवाओं और संचार में क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 43.0 प्रतिशत की ठोस वृद्धि हुई। 2014-15 के पूर्वार्ध में सेवा निर्यात पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 3.7 प्रतिशत (76 बिलियन अमरीकी डालर) बढ़े।

3.102 वर्ष 2013-14 के दौरान सेवा आयात 2.8 प्रतिशत गिर गए। सेवा आयातों के उप-क्षेत्रों में संवृद्धि में गिरावट परिवहन, यात्रा, बीमा और व्यवसाय सेवाओं में दर्ज की गई थी। वर्ष 2013-14 में संचार और साफ्टवेयर सेवा में आयात क्रमशः 43.4 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत बढ़ा था। वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध में सेवाओं का आयात पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि 5.0 प्रतिशत बढ़कर 40 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

3.103 वर्ष 2013-14 में 12.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ निवल सेवा निर्यात 73.0 बिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 2013-14 में भारत के पण्य व्यापार घाटे का वित्तपोषण 49.4 प्रतिशत था जबकि 2012-13 में यह 33.2 प्रतिशत था। 2014-15 की पहली छमाही के दौरान, इसमें पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 2.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हालियां गतिविधियां

3.104 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सितम्बर, 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने दौरे के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति के साथ हुए विचार विमर्शों के पश्चात विश्व व्यापार संगठन में अवरुद्ध पड़ी वार्ता पुनः सक्रिय की गई। अगले चरणों में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के साथ भी तुरन्त परामर्श करने से संबंधित उनके निदेशों के अनुसरण में, भारत और अमरीका ने द्विपक्षीय वार्ताएं की और अन्ततः वे सभी मतभेदों का निराकरण कर सके। उनमें विश्व व्यापार संगठन की महा परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के प्रारूप के संबंध में इस तरीके से एक सहमति हुई कि इससे भारत की चिन्ताओ का निराकरण हो गया। तत्पश्चात, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने निर्णयों के प्रारूप की व्याख्या करने और विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के विचार जानने के लिए उनके साथ परामर्श किया। विश्य व्यापार संगठन की महापरिषद ने दिनांक 27 नवम्बर; 2014 को खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सरकारी स्टाक होल्डिंग संबंधी निर्णय, व्यापार सुविधा करार संबंधी निर्णय तथा पश्च बाली कार्य संबंधी निर्णय को अंगीकृत किया

3.105 खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सरकारी स्टाक होल्डिंग के संबंध में महा परिषद का निर्णय एक नया, सुस्पष्ट निर्णय है जो यह स्पष्ट करता है कि इस मुद्दे के बारे में स्थायी समाधान पर सहमति होने और इसे अंगीकृत करने तक एक ऐसी प्रणाली जारी रहेगी, जिसेक अधीन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार के तहत कतिपय उत्तरदायित्वों के संबंध में खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ विकासशील देश के सदस्यों की सरकारी स्टाकहोल्डिंग कार्यक्रमों को चुनौती नहीं देंगे। इसमें सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सरकारी स्टाकहोल्डिंग के संबंध में तारीख 31 दिसम्बर, 2015 तक स्थायी समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता तथा एक त्वारित कार्य संबंध कार्यक्रम के जरिए किसी स्थायी समाधान के लिए वार्ताओं में लगने की दृढ़ प्रतिबद्धता शामिल है।

3.106 महापरिषद ने व्यापार सुविधा करार को विश्व व्यापार संगठन के करार का एक भाग बनाने के लिए एक नयाचार भी अंगीकृत किया और इस नयाचार को स्वीकृति के लिए खोल दिया। इसके पश्चात, यदि व्यापार सुविधा करार का विश्व व्यापार संगठन के दो-तिहाई सदस्य अनुसमर्थन कर देंगे तो यह करार स्वतः प्रवृत्त हो जाएगा। पश्च बाली कार्य पर महापरिषद के निर्णय के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य, विश्व व्यापार संगठन के संगत निकायों में बाली मंत्रालीय सभी निर्णयों के दोहा विकास कार्य सूची के शेष विषयों पर सुस्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य-कार्यक्रम तैयार करने सहित, के कार्यान्वयन पर तत्काल कार्य करने तथा रचनात्मक रूप से लगने पर प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम पर सहमत होने की अंतिम समय सीमा जुलाई, 2015 है।

भुगतान संतुलन

3.107 वर्ष 2013-14 में भुगतान संतुलन की गतिविधियों में वर्ष के आरभिक भागों में मिश्रित तस्वीर देखने को मिली जिसका कारण घरेलू और बाह्य कारकों का संयोजन और अनुवर्ती लोचनीयता रही, जो व्यापार और चालू खाता घाटों पर काबू पाने और पूंजी अंतर्वाह को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का परिणाम थी। आर्थिक समीक्षा 2013-14 में इसका विस्तृत प्रलेखन किया गया है। 2014-15 की पहली दो तिमाहियों के संबंध में उपलब्ध बीओपी आधार

संबंधी आंकड़ों ने 2013-14 की अंतिम तीन तिमाहियों से चालू खाता घाटा (सीएडी) के स्तरों में मामूली उच्च प्रवृत्ति दर्शायी थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, पहली तिमाही में चालू खाता घाटा 2013-14 के समग्र परिणाम के बराबर 1.7 प्रतिशत रहा। 2014-15 की दूसरी तिमाही में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर के साथ चालू खाता घाटे में मामूली अपवृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत) हुई जो 17.9 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत का चालू खाता घाटे का अर्धवार्षिक परिणाम रही, जो 26.9 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) के निष्कर्ष की तुलना में बेहतर है। पूंजी प्रवाह (निवल) संतोषप्रद रहा और पहली दो तिमाहियों में वित्तपोषण संबंधी अपेक्षाओं की अधिकता से मुद्रा भंडार में आशातीत अभिवृद्धि हुई। इसके रूपये की विनिमय दर के लिए निहितार्थ रहे जो चालू वित्त वर्ष के प्रथम 8 माहों के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर रही।

पहली और दूसरी तिमाहियों में गतिविधियां

3.108 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 सितम्बर, 2014 की जारी भुगतान संतुलन के आंकड़ो के अनुसार, 2014-15 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा 7.8 बिलियन अमरीकी डालर बताया गया था, जो 2013-14की की पहली तिलमाही में 21.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर के साथ तुलनात्मक रुप से बेहतर है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, चालू खाता घाटा जो इन्हीं संदर्भ अवधियों में 4.8 प्रतिशत था, वह सुधरकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रहा। तथापि, 2013-14 की अंतिम तीन तिमाहियों चालू खाता घाटा क्रमशः 5.2 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 81.2 प्रतिशत), 4.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) और 1.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) रहना, चालू खाता घाटे में व्यापार घाटे में काफी परिवर्तन हुआ। 2013-14 की पहली तिमाही में 50.5 बिलियन अमरीकी डालर रहने के बाद, अगली तीन तिमाहियों में व्यापार घाटा 33 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 31 बिलियन अमरीकी डालर रह गया तथा 2014-15 की पहली तिमाही में यह 34.6 प्रतिशत रहा पहली तिमाही के लिए व्यापार घाटे की दृष्टि से निष्कर्ष 81.7 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात स्तर सुव्यवस्थित रहा, जिसमें वर्ष दर वर्ष के आधार पर 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आयात 116.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.5 प्रतिशत की कमी आई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आयात में कमी के चलते सोने के आयात में 57.2 प्रतिसत की अत्याधिक कमी आई।

3.109 भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसम्बर, 2014 को अपनो प्रेस विज्ञप्ति में 2014-15 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन पर प्रारंभिक आंकड़े प्रस्तुत किए थे। भारत का चालू खाता घाटा 2013-14 की दूसरी तिमाही में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) के स्तर के मुकाबले बढ़कर 10.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) हो गया था। चालू खाता घाटे में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि व्यापार घाटे में वृद्धि- 2014-15 की दूसरी तिमाही में निर्यात वृद्धि 4.9 प्रतिशत (2013-14 की दूसरी तिमाही में 11.9 प्रतिशत) और 2014-15 की दूसरी तिमाही में आयात वृद्धि 8.1 प्रतिशत (2013-14 की दूसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत की कमी)- द्वारा स्पष्ट की गई। दिए गए तथ्यों से यह समझने योग्य बात है कि पिछले वर्ष स्वर्ण आयात में कमी रही तथा कृषि भिन्न उत्पाद में समग्र मंदी रही।

3.110 आयात में मंदी का कारण, तेल की कीमतों का 2013-14 की दूसरी तिमाही में औसत 107.6/बीबीएल अमरीकी ालर से 2014-15 की दूसरी तिमाही में घटकर 101.7/बिबिएल अमरीकी डालर रह जाना रहा। 2013-14 की दूसरी तिमाही में तेल-भिन्न और सोना-भिन्न आयत (-) 5.2 प्रतिशत से 2014-15 की दूसरी तिमाही में मामूली बढ़कर 10.7 प्रतिशत रहा तथा 2014-15 की दूसरी तिमाही में पेट्रोलियम, ऑयल और ल्युब्रिकेन्टस के आयत में 2013-14 की दूसरी तिमाही में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 1.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इस प्रकार,आयात में थोक में वृद्धि का कारण सोने के आयात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि का होना रहा जो 2014-15 की दूसरी तिमाही में 95.5 थी। मात्रा के संदर्भ से 2013-14 की दूसरी तिमाही में, सोने का आयत 96 टन से बढ़कर, 190.8 टन हो गया, जो 98.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, सोने के इकाई मूल्य में मामूली कमी रही।

3.111 सीमाशुल्क आधार पर उपलब्ध पण्य वस्तु व्यापार संबंधी आंकड़े (स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस कोलकाता) पहली छमाही से आगे यह दर्शाते हैं कि अप्रैल-नवंबर, 2014 के दौरान 100.6 बिलियन अमरीकी डालर पर सीमाशुल्क आधार पर व्यापार घाटा अप्रैल-नवंबर, 2013 में 96.9 बिलियन अमरीकी डालर से कम रहा है। आर्थिक कार्यकलाप में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, सीएडी संबंधी निष्कर्ष भी इसी प्रकार के रहने की संभावना है। इस समय को उपयुक्त मानते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से, बढ़ते व्यापार घाटे और तेजी से एफआईआई ऋण बहिर्वाह की दोहरी चिन्ताओं के कारण गत वर्ष सोने के आयात पर लगाया गया 80:20 का प्रतिबंध हटा दिया है।

3.112 निवल अदृश्य राशि अधिक वह महत्वपूर्ण कारक रहा है जो सीएडी के दृष्टिगत निष्कर्ष के लिए उच्च व्यापार घाटे की भरपाई को सुगम बनाता है। 2013-14 की चार तिमाहियों में लगभग 28-29 बिलियन अमरीकी डालर से अदृश्य राशियों के आधिक्य के स्तर में 2014-15 की पहली तिमाही में 26.8 बिलियन अमरीकी डालर की कुछ कमी आई है। निम्नतर अदृश्य राशि आधिक्य का कारण निवेश की आय प्रतिबिम्बित करने वाले ब्याज, डिविडेंड पर बहिर्वाह तथा संबधी देयताओं का स्टाक और सीमांतिक निम्नतर निजी अंतरण (धनप्रेषण) रहा। व्यष्टिक संघटकों में मामूली बदलावों के साथ पहली दो तिमाहियों में अदृश्य राशि खाते से आधिक्य (मुख्यतः सॉफ्टवेयर और घन संप्रेषण जैसी सेवाएं) लगभग स्थिर रहा। तथापि, चालू खाता घाटा 2013-14 की पहली छमाही में 26.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) के स्तर के मुकाबले अप्रैल-सितम्बर, 2014 के लिए अपेक्षा कृत कम 17.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.9 प्रतिशत) रहा। पुनः काफी हद तक इसका कारण 2014-15 की पहली छमाही में अपेक्षाकृत कम व्यापार घाटा रहा जो 2013-14 की पहली छमाही में 83.8 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 73.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा था। (सारणी 3.26)

सारणी 3.26: बकाया भुगतान के मुख्य घटक (बिलियन अमरीकी डालर)

मद	2012-13 (पीआर)	2013-14 (पी)	2013-14 (पहली छमाही)पी	2014-15 (पहली छमाही)पी
आयात	306.6	318.6	155.2	167.0
निर्यात	502.2	466.2	238.9	240.2
व्यापापर संतुलन	-195.7	-147.6	-83.8	-73.2
निवल अदृश्य राशियां	107.5	115.2	56.8	55.3
चालू खाता शेष	-88.2	-32.4	-26.9	-17.9
बाह्य सहायता (निवल)	1.0	1.0	0.1	0.6
वाणिज्यिक उधार (निवल)	8.5	11.8	2.5	3.4
एफडीआई (निवल)	19.8	21.6	14.6	16.2
पोर्टफोलियों	26.9	4.8	-6.8	22.2
अल्पावधि ऋण	21.7	-5.0	0.6	0.1
अनिवासी भारतीय जमाराशियां	14.8	38.9	13.7	6.5
भूल-चूक	2.7	-0.9	0.5	-2.5
पूंजीखाता शेष (भूल-चूक सहित)	92.0	47.9	16.3	36.0
समग्र शेष	3.8	15.5	-10.7	18.1
मुद्रा भंडार में परिवर्तन (-वृद्धि दर्शाता है;+कमी दर्शाता है)(बीओपी आधार)	-3.8	-15.5	10.7	-18.1

पी; प्रारंभिक, पीआरः आंशिक रूप से संशोधित;

टिप्पणीः आंकड़ों को पूर्णाकों में बदलने के कारण आंकड़े मेल नहीं खाते हैं।
स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक।

3.113 2014-15 की पहली तिमाही में भुगतान संतुलन के वित्तीयपूंजी खाते के अधीन निवल अंतर्वाह 19.8 बिलियन अमरीकी डालर था; जो 2013-14 की पहली तिमाही में 20.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से कुछ कम था। तथापि, पहली तिमाही के लिए सीएडी के वित्तपोषण की आवश्यकताओं के संबंध में, 2014-15 में परिणाम काफी बेहतर रहा। इसके परिणामस्वरूप संचयी मुद्रा भंडार में 11.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। 2013-14 की दूसरी तिमाही में 5.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 2014-15 की दूसरी तिमाही में निवल पूंजी। वित्तीय प्रवाह 11.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा था। इस अंतर के चलते पोर्टफोलियो अंतर्वाह में 2013-14 की दूसरी तिमाही में 6.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अत्याधिक 9.8 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। संयुक्त रूप से, वित्तीय पूंजी खाता अंतर्वाह पर एफडीआई और पोर्टफोलियो इक्विटी के साथ निवेश के अंतर्वाह का वर्चस्व रहा जिससे इसमें भारी वृद्धि हुई। अप्रैल-सितम्बर, 2013 में निवल एफडीआई (निवल) अंतर्वाह 14.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर के मुकाबले अप्रैल-सितम्बर, 2014 में 16.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा। इन्हीं दो संदर्भ अवधियों में बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल) 2.5 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 3.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। एफआईआई के मामले में, 21 नवम्बर, 2014 तक उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 2013-14 की तदनुरूप अवधि में 7.5 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अंतर्वाह की तुलना में निवल अंतर्वाह 27.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। अनिवासी योजना के अंतर्गत जुटाई गई जमा-राशियां 2013-14 में मुख्य सुधारात्मक विशेषता रही, खासकर प्रवाहों को प्रेरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित सीमित अवधि (सितम्बर-नवम्बर, 2013 के बीच) स्पेशल स्वेप विन्डोज की दृष्टि से। अतः, अप्रैल-सितम्बर, 2014 में कम अंतर्वाह 6.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा (अप्रैल-सितम्बर, 2013 में यह 13.7 बिलियन रहा था)। समग्र आधार पर, निवल वित्तीय/पूंजी अंतर्वाह ने वित्तपोषण की आवश्यकताएं बढ़ा दीं और यह विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना में प्रतिबिम्बित हुआ। भुगतान संतुलन के आधार पर, संचित मुद्रा भंडार 2014-15 की पहली छमाही में 18.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा जबकि 2013-14 की पहली छमाही में यह काफी कम 10.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विदेशी मुद्रा भंडार में अंतर संबंधी स्रोतों के अनुसार, पोर्टफोलियों प्रवाह में सर्वाधिक अंतर रहा, इसके बाद प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर के सुदृढ़ीकरण से उद्भूत अन्य पूंटी (मुख्यतः निर्यातों में चढ़ाव-उतार) और मूल्यांकन होने से एफडीआई तथा नकारात्मक अभिदानों का स्थान था।

विदेशी मुद्रा भंडार

3.114 भारतीय व्यापार और चालू खाता घाटों के उच्च स्तरों के माहौल में यूएस फेड के आस्ति क्रय कार्यक्रम में कटौती की प्रमुखता की आशंकाओं पर ऋण विविधता के विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्वाह की प्रतिकूलता के बाद 2013-14 की पहली छमाही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अत्यधिक गिरावट आई थी। पूंजी प्रवाह को बल प्रदान करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए विशेष स्वेप सुविधा थी। इससे लगभग 34 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाई गई जो सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में आई थी और इस प्रकार दूसरी छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ। 2014-15 की पहली छमाही के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार संवर्धन की गति जारी रही और विदेशी मुद्रा भंडार 300 बिलियन अमरीकी डालर के निशान से अधिक रहा (सारणी 3.27 और चित्र 3.12)। सितम्बर, 2014 के अंत में, मुद्रा भंडार सितम्बर, 2013 के अंत में 277.23 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 313.84 बिलियन अमरीकी डालर पर स्थिर रहा। अनुवर्ती आंकड़ों से पता चलता है कि आरक्षित माल 21, नवंबर 2014 की स्थिति के अनुसार, 314.8 बिलियन अमरीकी डालर पर था।

सारणी 3.27: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में घट बढ़ (मिलियन अमरीकी डालर)					
महीने के अंत में	एफसीए	सोना	एसडीआर	आरटीपी	कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि
अप्रैल 2014	283,707	20,966	4,475	1,838	310,986
मई 2014	285,292	20,790	4,449	1,676	312,207
जून 2014	289,320	20,635	4,465	1,718	316,138
जुलाई 2014	292,510	21,174	4,423	1,702	319,808
अगस्त 2014	291,393	20,933	4,386	1,687	318,400
सितम्बर 2014	288,005	20,013	4,283	1,540	313,841

टिप्पणियां: (i) एफसीए विदेशी मुद्रा आस्तियां: एफबीए का अनुरक्षण, बहु मुद्रा पोर्टफोलियो के रूप में किया जाता है जिसमें अमरीकी डालर, यूरो, पौंड, स्टरलिंग, जापानी येन, आदि शामिल हैं और इनका मूल्य अमरीकी डालर में निर्धारित है।

(ii) एफबीए में आईआईएफसी (यू.के.) द्वारा जारी विदेश मुद्रा के मूल्य वर्गीकृत बंधपत्रों और सार्क स्वाप एरेंजमेंट तथा एसडीआर के तहत चालू विदेश मुद्रा में नेवेश अपवर्जित है।

(iii) एसडीआर का अभिप्रात विशेष आहरण अधिकार है।

(iv) विदेशी मुद्रा कोष में आरक्षित हिस्से की स्थिति

चित्रः 3.12-विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में घट बढ़

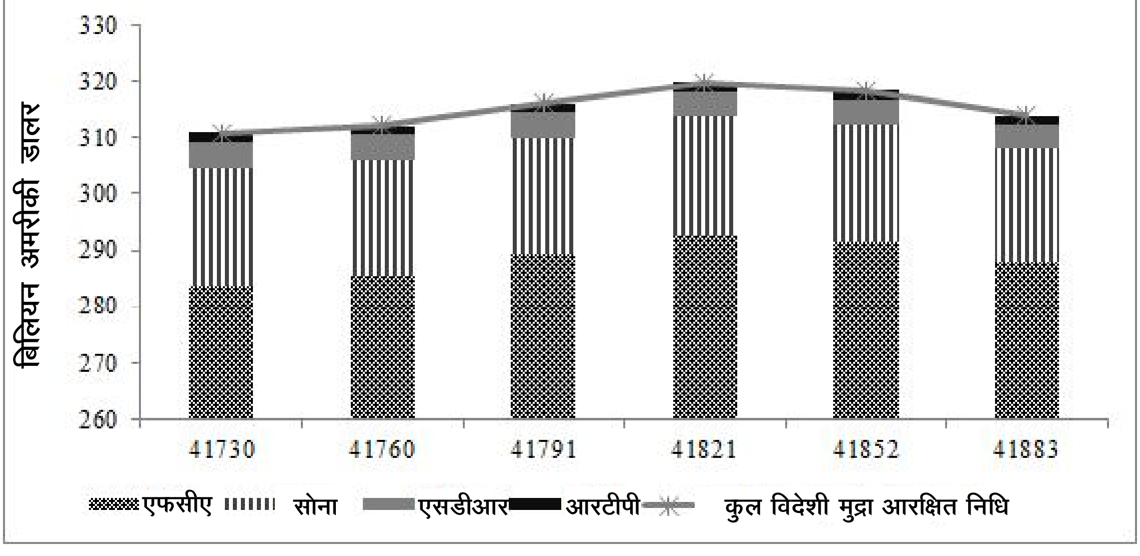

3.115 जैसाकि ऊपर से स्पष्ट है और हालिया रूझान के अनुसार विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की संरचना में व्यापक फेरबदल विदेशी मुद्रा अस्तियों में हुए घट-बढ़ से, व्यापक रूप में हुआ। सितंबर, 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा अस्तियां जो समग्र कार्यक्रम निधि का बडा घटक है, 288.01 बिलियन अमरीकी डालर पर रहीं (अप्रैल, 2014 के अंत की स्थिति में 283.10 अमरीकी डालर की तुलना में); एसडीआर मामूली रूप से घटकर 4.283 बिलियन अमरीकी डालर रह गया (अप्रैल, 2014 के अंत में 4.47 बिलियन अमरीकी डालर) जबकि आईएमएफ में देश का आरक्षित मुद्रा हिस्सा गिरकर 1.540 बिलियन अमरीकी डालर रह गया (अप्रैल, 2014 के अंत में 1.838 बिलियन अमरीकी डालर)।

3.116 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का देशवार ब्योरे दर्शाता है कि भारत विदेशी आरक्षित निधि का दसवां वृहतम धारक था। शीर्ष नौ देश चीन, जापान, साउदी अरब, स्वीटजरलैंड, रूस, ताइवान, ब्राजील, कोरिया और हांगकाग थे (तालिका 3.28)।

सारणी 3.28: देश-वार विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि और सकल घ`लू उत्पाद (सघउ)- बिलियन अमरीकी डालर में			
देश	कैलेंडर वर्ष 2014 का अनुमानित सघउ (बिलियन अमरीकी डालर)	सितंबर अंत 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डालर)	सघउ में आरक्षित निधियां का हिस्सा (2014 के अनुमानित सघउ की तुलना में सितंबर-अन्त 2014 में) 2014)
चीन	10,355.4	3887.7	37.5
जापान	4,769.8	1313.8	27.5
सउदी अरब	777.9	744.9	95.8
स्विटजरलैंड	679.0	531.5	78.3
रूस	2,057.3	454.2	22.1
चीन का ताइवान प्रांत	505.5	421.4	83.4
ब्राजील	2,244.1	375.5	16.7
कोरिया	1,449.5	364.5	25.1
हांगकांग का एसएआर	292.7	344.8	117.8
भारत	2,047.8	313.8	15.3
सिंगापुर	307.1	266.1	86.7
जर्मनी	3,820.5	196.8	5.2
फ्रांस	2,902.3	166.2	5.7
थाइलैंड	380.5	166.0	43.6
स्रोतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेस, अक्टूबर, 2014 और भारतीय रिजर्व बैंक			

रूपए की विनिमय दर

3.117 प्रधान मुद्राओं के मुकाबले रूपए की विनिमय दर 2013-14 के दौरान अस्थिर बनी रही थी, विशेषकर जब से यूएस फेड ने अपने मात्रात्मक ईजिंग प्रोग्राम को शीघ्रतया न्यूनीकरण का पहला संकेत दिया। डालर के मुकाबले रुपए की औसतन वार्षिक विनीमय दर 2012-13 में 54.4 रूपए से लगभग 10 प्रतिशत हासिल होकर 2013-14 में 60.5 रुपए हो गयी।

3.118 अब तक चालू वित्त वर्ष में (नवंबर 2014 तक), रुपये का मूल्य व्यापक रूप से स्थिर रहा। यह 2014-15 की प्रथम तिमाही में 59.8 रुपए प्रति अमरीकी डालर से वर्ष की दूसरी तिमाही में 60.6 रुपए प्रति अमरीकी डालर औसत रूप में बढ़ा। सितंबर, 2014 में रुपया प्रथम तिमाही में भारत के सघउ में ऊर्ध्वमुखी वृद्धि से प्रवर्तित सकारात्मक मनोभाव के आधार पर अमरीकी ब्याज दर समंजन प्रत्याशाओं पर निराशा और यूक्रेन में तनावों के सामान्य होने के कारण आमतौर पर सीमाबद्ध रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अशोधित लाभ के ह्रासमान कीमतों ने भी रुपए को भी थाम लिया। दूसरी तिमाही के लिए कुल मिलाकर रूपए का मूल्य अगस्त 2014 के दूसरे सप्ताह से सितम्बर के प्रथम सप्ताह के दौरान कुछ वृद्धिमान रूझान के बावजूद अमरीकी डालर के मुकाबले गिर गया। दूसरी और रूपए की मूल्यवृद्धि 2014 के अगस्त से यूरो के मुकाबले दृष्टव्य है। यूरो के मुकाबले रुपए की मूल्यवृद्धि की पीछो का प्रधान कारण यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में संवृद्धिगत रुकावट के कारण यूरो की दुर्बलता है। (चित्र 3.13)। समग्र रूप में, मुद्रादर मूल्यह्रास की अवधि के बाद सामान्यतः स्थिर रही है और स्थिर रहने की संभावना है।

चित्रः 3.13 अमरीकी डालर और यूरो के मुकाबले रुपए में उतार-चढ़ाव

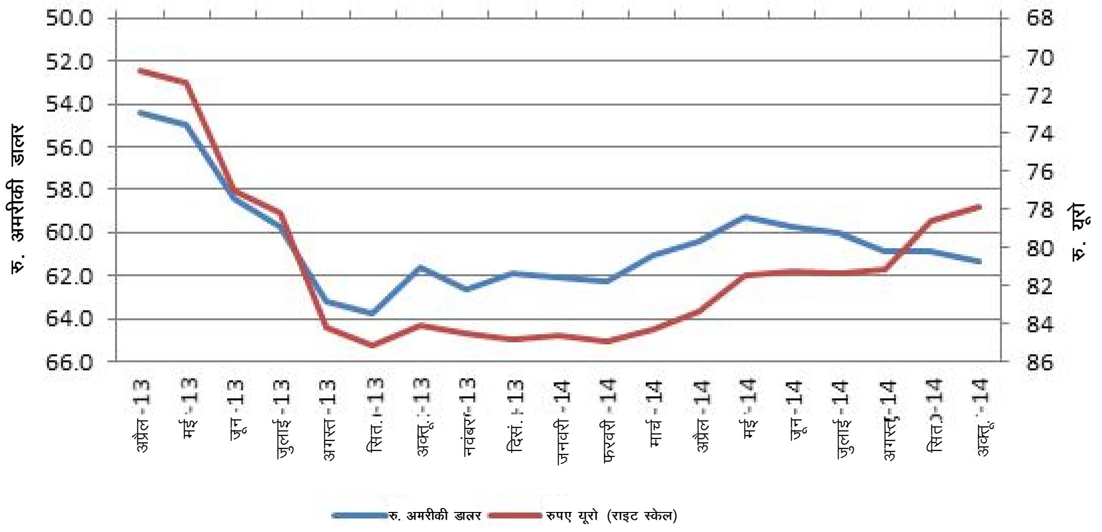

3.119 यह ध्यातव्य है कि भारतीय रूपया मई 2013 में अमरीकी संघ द्वारा मात्रात्मक इजिंग के न्यूनीकरण का संकेत देने के बाद से भारी दबाव में आ गया जिससे अमरीकी डालर के मुकाबले 68.36 रुपए के सर्वाधिक अल्प स्तर पर 28 अगस्त 2013 को आ गया (आर बी आई संदर्भ दर)। रुपए में संवृद्धि रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा की गयी कार्रवाइयों में और चालू खाता घाटे में संकुचन के बाद से प्रारम्भ हुई। 18 दिसम्बर 2013 को अमरीकी संघ ने मात्रात्मक ईजिंग कार्यक्रम के जनवरी 2014 से साधारण अल्पीकरण की घोषणा की। मई 2013 में हुए अनुभव के पूर्णतः विपरीत भारतीय रुपए ने मुद्रादर में हुए उतार चढ़ावों और इसकी अस्थिरता की दृष्टि से अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत घोषणोत्तर अवधि में उछाल दिखाया। मात्रा ईजिंग कार्यक्रम के वास्तविक अल्पीकरण की घोषणा के समय से निवल एफआईआई भाव की भी व्यापक रुपेण यथावत बनी रहीं। इससे रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित विशेष अदला-बदली वाली योजनाओं (सितम्बर-नवम्बर 2013 के दौरान) के कारण विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संचय के रूप में वहनीय स्तर के नीचे चालू खाता घाटा के गिरने के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी क्षेत्र में पर्याप्त सुधार और रुपए की मुद्रादर में स्थिरता अनिवार्यतया प्रतिबिम्बित होती है। भारतीय रुपए ने चंद अन्य समान अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन किया (सारणी 3.29)।

सारणी 3.29 अमरीकी डालर के मुकाबले चुनिंदा ईएमई की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव : मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (-) प्रतिशत में

मुद्रा	मार्च अंत								मार्च 2014 के अंत से 17 नवंबर, 2014 में
	2007@	2008@	2009@	2010 @	2011	2012	2013	2014	
चालू खाता घाटा के देश									
ब्राजील की रियल	6.9	20.5	-23.8	24.6	9.7	-10.8	-9.2	-11.6	-12.5
भारतीय रुपया	2.5	9.1	-21.6	12.9	1.1	-12.7	-5.9	-9.5	-2.6
मैक्सिको का पेसो	-1.3	3.6	-24.8	14.0	4.3	-7.0	3.8	-5.7	-3.7
दक्षिण अफ्रीका का रांड	-14.7	-10.2	-14.7	29.4	8.0	-11.5	-16.6	-13.2	-4.8
तुर्की का लीरा	-3.1	6.1	-21.7	10.1	-4.8	-10.5	-1.5	-17.4	-1.8
अरजेंटीना	-0.6	-2.0	-14.8	-4.2	-4.3	-7.5	-14.5	-36.0	-5.9
इंडोनेशिया का रुपया	-0.5	-1.1	-20.4	27.0	4.7	-5.1	-5.5	-14.4	-6.9
थाई बाहट	11.0	11.3	-11.4	9.8	6.7	-1.8	5.4	-10.0	-0.8
चालू खाता अधिशेष वाले देश									
मलेशियन रिंगित	6.7	8.4	-12.6	11.4	8.2	-1.4	-1.1	-5.3	-2.1
दक्षिण कोरिया	3.8	-5.2	-28.0	21.7	2.2	-2.7	2.6	3.4	-2.5
रूसी रूबल	6.5	10.7	-30.7	14.9	3.4	-2.8	-5.4	-13.1	-24.3
यूरो	10.0	18.7	-15.8	1.3	5.4	-6.0	-4.1	7.4	-9.5
चीन	3.7	10.2	2.7	0.1	4.1	4.2	0.3	2.0	0.4

@: वर्षानुवर्ष अंतर

** परंपरागत रूप से अधिशेष वाले इन देशों में चालू खाता घाटे में परिणप्त हो गया है।*

3.120 आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में मांग-पूर्ति में बेमेल स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही अस्थिरता घटाने के लिए हाजिर और वायदा बाजारों में जोर शोर से हस्तक्षेप करता रहा है। प्रति विदेशी मुद्रा में रुपए की विनिमयदर और विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर का आर बी आइ द्वारा क्रय/विक्रय और बाजार में अमराकी डालर का आर बी आई द्वारा क्रय/विक्रय सारणी 3.30 में दिया गया है।

सारणी 3.30 रुपया प्रति विदेशी मुद्रा की विनिमय दरें और विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर का आरबीआई द्वारा क्रय और विक्रय

महीना	अमरीकी डालर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी ये	आरबीआई निवल बिक्री (-)/खरीद (+) (मिलियन अमरीकी डालर)
अप्रैल 2014	60.36	101.08	83.35	58.86	5,870
	(1.09)	(0.33)	(1.21)	(1.34)	
मई 2014	59.30	99.94	81.49	58.28	1,786
	(1.77)	(1.14)	(2.28)	(0.99)	
जून, 2014	59.73	100.98	81.24	58.53	2,642
	(-0.71)	(-1.03)	(0.30)	(-0.44)	
जुलाई 2014	60.06	102.62	81.39	59.07	5,453
	(-0.55)	(-1.60)	(-0.19)	(-0.90)	
अगस्त 2014	60.84	101.81	81.14	59.17	-511
	(-1.37)	(0.80)	(0.31)	(-0.17)	
सितंबर, 2014	60.86	99.31	78.60	56.76	1,437
	(0.05)	(2.51)	(3.23)	(4.23)	

टिप्पणी : कोष्ठकीय आंकड़े विगत मास/वर्ष में मूल्यवर्धन (+) और मूल्यह्रास (-) को प्रतिशत में दर्शाते हैं। कुछेक प्रतिशतता के आंकड़े पूर्णांकित करने के कारण नहीं मिल सकते । एन.एः अनुपलब्ध ।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

3.121 मामूली विनिमय दर से क्रयशक्ति की ब्यापक दिशा और सीमा सुचित होती है तथापि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर ई ई आर) सूचकांक से अर्थव्यवस्थआ की बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिबिंबित होती है। एन ई ई आर मुद्रा सूचकांक है जो व्यापार के प्रधान हिस्सेदारों के मूद्रागुछ के सामने उतार चढ़ाव का औसत है । आर ई ई आर में रुझान से व्यापार के प्रधान हिस्सेदारों के मुद्रागुच्छ के सामने सापेक्ष कीमत स्तर और मामूली विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सशक्त रूप से प्रतिबिंबित होता है । नीर अप्रैल-सितम्बर 2014 की अवधि में सामान्यः स्थिर रहा है । 6 और 36 मुद्रा गुच्छों पर आधारित रियर दृष्टि से रुपए का मूल्य 2014-15 में अबतक बढ़ गया है । रुपए की 6 मूद्रगत रियर मार्च 2014 की अपेक्षा सितम्बर 2014 में 6.8 प्रतिशत बढ़ गया जबकि मामूंली प्रभावी अवधि में यह 2.3 प्रतिशत तक मूल्यवृद्धि हुई (चित्र 3.14)

चित्रः 3.14 भारतीय रुपया (36 मुद्रा व्यापार आधारित भार) आधार 2004-05 (अप्रैल-मार्च)=100 का रीर और नीर सूचकांक

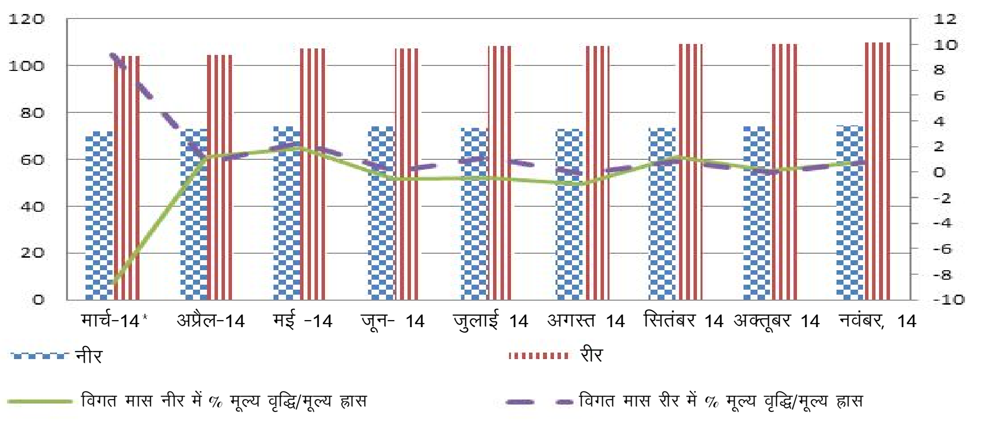

** मार्च 14 के महीने के लिए ही विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान हुई मूल्य वृद्धि/मूल्य ह्रास।*
स्रोत - आरबीआई

सारणी 3.31 - भारतीय रुपए का रीर और नीर सूचकांक (36 मुद्रा व्यापार आधारित भारांश) आधार 2004-05 (अप्रैल-मार्च)=100

महीना	नीर	पिछले माह की तुलना में वृद्धि/ह्रास (%)	रीर	पिछले माह की तुलना में वृद्धि/ह्रास (%)
मार्च-14*	71.9	-8.6	103.8	9.2
अप्रैल-14	72.8	1.2	104.6	0.8
मई -14	74.1	1.9	107.1	2.3
जून- 14	73.7	-0.5	107.1	0.1
जुलाई 14	73.4	-0.4	108.3	1.1
अगस्त 14	72.7	-1.0	108.2	-0.1
सितंबर 14	73.6	1.2	109.1	0.8
अक्तूबर 14	73.7	0.1	109.1	0.0
नवंबर, 14	74.3	0.8	110.0	0.8

** विगत वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान हुई मूल्य वृद्धि/मूल्य ह्रास।*
टिप्पणी - रीर आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित हैं।
स्रोत - आरबीआई

बाह्य ऋण

3.122 2013-14 के दौरान बाह्य ऋण सघउ अनुपात का 23.4 प्रतिशत और ऋण सेवा अनुपात का 5.9 प्रतिशत इंगित किए अनुसार भारत का बाह्य ऋण लगातार प्रबन्धनीय सीमाओं के भीतर बना हुआ है। भारत का बाह्य ऋण मार्चांत 2014 के मुकाबले 7.9 बिलियन (1.8 प्रतिशत) अमरिकी डॉलर की वृद्धि दर्शाते हुए, जून 2014 अंत में 450.1 बिलियन अमरीकी डालर पर रहा। इस अवधि के दौरान बाह्य ऋण में दीर्घवधि बाह्य ऋण मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधारों और एनआरआई जमा राशि के कारण थी। भारत के बाह्य ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधि उधारों की प्रधानता को इंगित करता है।

3.123 दीर्घावधि बाह्य ऋण कुल बाह्य ऋण का 80.5 प्रतिशत रहा, जबकि शेष अल्पावधि ऋण था। जून अंत 2014 में कुल बाह्य ऋण में सरकारी (सावरेन) बाह्य ऋण का हिस्सा 19.0 प्रतिशत था, जबकि गैर-सरकारी बाह्य ऋण का हिस्सा 81.0 प्रतिशत था। कुल बाह्य ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा मार्चांत 2014 के 10.5 प्रतिशत की तुलना में जून, 2014 के अंत में 10.3 प्रतिशत रहा। विदेशी मुद्रा विनिमय निधियों के अल्पावधि ऋण के अनुपात में मार्चांत 2014 के 29.3 प्रतिशत के मुकावले जून 2014 के अंत में 27.8 प्रतिशत था।

3.124 विकासशील देशों की बाह्य ऋणग्रस्ता को वौश्विक तुलना यह इंगित करती है कि भारत लगातार कम अभेद्य देशों में बना हुआ है। विश्व बैंक के "इंटरनेशनल डेट स्टटिस्टिकस, 2014" या 2012 के लिए ऋण आंकड़े प्रस्तुत करता है, के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के भारत के बाह्य ऋण स्टॉक का अनुपात 20.8 प्रतिशत पर चौथा सबसे कम था। बाह्य ऋण पर विदेशी मुद्रा विनिमय निधियों द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार, भारत की स्थिति 71.4 प्रतिशत पर सातवीं सबसे अधिक थी।

भारत के बाह्य ऋण का परिपक्वता प्रोफाइल दीर्घावधि उधारों की प्रधानता को इंगित करता है। दीर्घावधि बाह्य ऋण कुल बाह्य ऋण का 80.5 प्रतिशत रहा, जबकि शेष अल्पावधि ऋण था। जून अंत 2014 में कुल बाह्य ऋण में सरकारी (सावरेन) बाह्य ऋण का हिस्सा 19.0 प्रतिशत था, जबकि गैर-सरकारी बाह्य ऋण का हिस्सा, 81.0 प्रतिशत था। कुल बाह्य ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा मार्चांत 2014 के 10.5 प्रतिशत की तुलना में जून, 2014 के अंत में 10.3 प्रतिशत रहा। विदेशी मुद्रा भंडार के अल्पावधि ऋण के अनुपात में मार्चांत 2014 के 29.3 प्रतिशत के मुकावले जून 2014 के अंत में 27.8 प्रतिशत था।

3.123 विकासशील देशों की बाह्य ऋणग्रस्तता की वैश्विक तुलना यह इंगित करती है कि भारत लगातार कम असुरक्षित देशों में बना हुआ है। विश्व बैंक के "इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिकस, 2014" या 2012 के लिए ऋण आंकड़े प्रस्तुत करता है, के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के भारत के बाह्य ऋण स्टॉक का अनुपात 20.8 प्रतिशत पर चौथा सबसे कम था। बाह्य ऋण पर विदेशी मुद्रा विनिमय निधियों द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार, भारत की स्थिति 71.4 प्रतिशत पर सातवीं सबसे अधिक थी।

3.124 भारत सरकार की विवेकपूर्ण बाह्य ऋण नीति दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण की निगरानी करने, अधिक परिपक्वता अवधि के साथ रियायती निबंधनों पर सावरेन ऋण जुटाने, अंतिम-प्रयोग ओर अपेक्षाकृत-कम-लागत प्रतिबंधनों के जरिये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के विनियमित करने र अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं पर ब्याज दरों के यौक्तिकिकरण पर जोर देती है। परिणाम स्वरूप, भारत का बाह्य ऋण प्रबंधनीय स्तरों के भीतर बना रहा (सारणी 3.32)।

सारणी 3.32 भारत के महत्वपूर्ण विदेशी ऋण संकेतक (प्रतिशत)

वर्ष	विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)	सं.घ.उ. के प्रति विदेशी ऋण	ऋण शोधन अनुपात	कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण	कुल विदेशी ऋण के प्रति विदेशी मुद्रा भंडार	विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति अल्पावधिक ऋण	कुल विदेशी ऋण में अल्पावधिक ऋण
2009-10	260.9	18.2	5.8	16.8	106.9	18.8	20.1
2010-11	317.9	18.2	4.4	14.9	95.9	21.3	20.4
2011-12	360.8	20.5	6.0	13.3	81.6	26.6	21.7
2012-13	409.4	22.0	5.9	11.1	71.3	33.1	23.6
2013-14 अ.स.	442.2	23.4	5.9	10.5	68.8	29.3	20.2
जून अंत 2014 त्व. अ.	450.1	23.2	8.1	10.3	70.2	27.8	19.5

अ.स.: अंशतः संशोधित; त्व अ - त्वरित अनुमान
स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक।

सामाजिक क्षेत्र

3.125 **रोजगारः** श्रम ब्यूरो चुनिंदा श्रम-गठन और निर्यात-मुखी क्षेत्रों अर्थात परिधान सहित कपड़ा, धातुओं, रत्न और आभूषण, आटोमोबाइलस, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चमड़ा और हथकरधा/विद्युतकरधा जनवरी, 2009 से भारत में रोजगार पर अर्थव्यवस्था में गिरावट के प्रभाव का पता लगाने के लिए तिमाही तीव्र रोजगार सर्वेक्षण करा रहा है। जून, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए कुल 2200 नमूना एककों को शामिल किया गया था। आठ चुनिंदा क्षेत्रों में जून, 2013 से जून, 2014 की अवधि के पिछले चार सर्वेक्षणों की तुलना करने पर, रोजगार में 3.72 लाख तक वृद्धि हुई, जिसमें परिधान सहित कपड़ा में उच्चतम वृद्धि 1.71 लाख और इसके पश्चात् आईटी/बीपीओ में 1.25 लाख, धातुओं में 0.39 लाख, चमड़े में 0.28 लाख, आटोमोबाइल्स में 0.16 लाख तथा हथकरधा/विद्युतकरधा में 0.04 लाख रही, जबकि इसी अवधि के दौरान परिवहन (0.07 लाख) और रत्न तथा आभूषण (0.04 लाख) क्षेत्रों में रोजगार में गिरावट दर्ज की गई।

3.126 कुछ राज्य सरकारों ने अधिक रोजगार सृचित करने और व्यापार करने की सहयता में वृद्धि करने के लिए श्रम सुधारों में महत्वपूर्ण पहलें की हैं (बॉक्स 3.4)

बॉक्स 3.4: राजस्थान में श्रम सुधार

राजस्थान में तीन श्रम विधानों- औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम और संविदा श्रम अधिनियम में कुछ मुख्य श्रम बाजार सुधार निम्नानुसार पुरःस्थापित किए गए हैं:

ओद्यौगिक विवाद अधिनियम

- धारा 25-ट, ओद्यौगिक विवाद अधिनियम के अध्याय vख का ऐसे औद्योगिक स्थापन जिसमें पूर्ववर्ती बारह महीनों के लिए प्रति कार्य दिवस, औसतन "एक सौ" श्रमिकों से कम नियोजित नहीं किए गए थे, पर लागू होने का उपबंध करती है। ऐसे स्थापनों में, निकालने, छंटनी अथवा समापन करने से पूर्व नियोजक द्वारा सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। 100 की न्यूनतम सीमा के कारण, ऐसै औद्योगिक स्थापनों के नियोजक श्रमिकों की संख्या एक सौ से कम रखने के लिए अभिमुख है और इस तथ्य की परिपुष्टि भी होती है क्योंकि राजस्थान में पंजीकृत कारखानों में कर्मचारियों की संख्या कम से कम 85 प्रतिशत में 100 से कम है। 100 की इस न्यूनतम सीमा ने संगठित श्रम के विकास में सहायता नहीं की है क्योंकि सरकारी अनुमति प्राप्त करने की परेशानी से बचने के लिए, नियोजक, संविदा के अंतर्गत प्रतिबद्ध, कुशल कामगारों को भी स्थायी कामगारों की पंजी में दर्ज करने में अनिच्छुक होते है। यद्यापि यह एकक के लिए अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में, नियोजक, कर्मचारी और प्रमुख क्रेता, जो गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्थायी कामगारों वाले एककों को तरजीह देती हैं, सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावी होते हैं। यह न्यूनतम सीमा अब 100 कामगारों से बढ़ाकर 300 कामगार कर दी गई है। कामगारों की सहायता करने के लिए, संशोधित धारा 25-ढ और धारा 25-ण के अंतर्गत छटनीग्रस्त कर्मचारी को नियोजकों द्वारा छटनी किए जाने से पूर्व 3 माह का नोटिस दिया जाएगा ओर नोटिस अवधि के लिए मजदूरी दी जाएगी। उप-धारा (9) का प्रतिकर और अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा के रूप में छंटनीग्रस्त कर्मचारी को 3 माह का वेतन उपलब्ध कराने के लिए भी संशोधन किया गया है अर्थात प्रतिकारी परिवर्ती अवधि कुल 6 माह है। स्थापन के समापन के मामले में भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम की धारा 2-क के अंतर्गत विवाद प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की समय-सीमा भी प्रस्तुत की गई है जो वास्तविक मामलों में बढ़ाई जा सकती है। पहले विवादों को प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी और विवाद कई वर्ष बीत जाने के बाद प्रस्तुत किए जाते थे।

कारखाना अधिनियम

- इस अधिनियम के लागू होने के लिए 10 कामगारों (विनिर्माण के लिए विद्युत का प्रयोग करने वाले एककों) और 20 कामगारों (विद्युत का प्रयोग किए बिना विनिर्माण करने वाले एककों) की न्यूनतम सीमा के कारण; "कारखाने" की परिभाषा के अंतर्गत छोटे एकक आते हैं। वास्तविक रोजगारों के सृजन में छोटे एककों की बढ़ती भूमिका के कारण और इंस्पेक्टर-राज को कम करने के लिए, मौजूदा न्यूनतम सीमा संशोधित करके क्रमशः 20 और 40 कर दी गई है। यह छोटे विनिर्माण एककों के लिए व्यापार करने की सुगमता का संवर्धन करने और रोजगारों के लिए अधिक अवसरों का सृजन करने की प्रक्रिया में एक कदम है।

संविदा श्रम अधिनियम

- संविदा श्रम अधिनियम को वर्तमान में 20 से अधिक कामगारों वाली कंपनियों से 50 से अधिक कामगरों कंपनियों पर लागू करने के लिए संशोधित किया गया है। अधिनियम में संशोधन से पूर्व, नियोजक को पंजीकृत कराना पडता था और संविदाकार को व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था, यदि पिछले 12 महीनों में एक भी दिन, उसने मजदूरी पर रखा हो और संविदाकार ने 20 कामगारों की आपूर्ति की हो। इस कारण, मुख्य नियोजकों और संविदाकारों को बहुत छोटे और छोटे उद्यमियों और लघु आपूर्तिकर्ताओं से व्यक्तियों को मजदूरी पर रखने या पण्यों को प्राप्त करने वाली संविदाओं को निष्पादिन करना कठिन हो रहा था। इसके अलावा, बड़ी विनिर्माण कंपनियां, सेवा प्रदानकर्ता और बड़ी विनिर्माण कंपनियां, सेवा प्रदानकर्ता और बड़े निर्यातक अपने प्रापण को समय और लागत को कम करने के लिए छोटे विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/एककों में बाट देते हैं। छोटे एककों को लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और व्यापार करने की बजाए अधिनियम के अंतर्गत औपचारिकताएं सुनिश्चित करने में व्यस्त रहने के लिए मजबूर किए जाते थे। 20 कामगारों की न्यूनतम सीमा विभागीय प्रक्रियाओं से बचने के लिए, गैर-अनुपालन को अथवा वास्तविक मांग से कम श्रमिकों को नियुक्त करने को प्रोत्साहन दे रही थी।

3.127 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और पूर्वी उल्लिखित रुपे डेबिट कार्ड जैसी वित्तीय समावेशन से संबंधित पूर्ववर्ती स्कीमों तथा नई स्कीनों की निरंतरता में, कुछ नये मुख्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों और पूववर्तीओं में किए गए बदलावों की प्रगति निम्नानुसार हैः

3.128 **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** ग्रामीण इलाकों में स्फाई को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान (एनबीए) को पुनः तैयार किया है जो अब स्वच्छ भारत मिशन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य 2019 तक खुले में मलत्याग से भारत को पूरी तरह मुक्त करना है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत 02 अक्तूबर, 2014 को की गई है। व्याष्टि घरेलू शौचालय की यूनिट की लागत 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है। वर्ष 2014-15 के लिए 4,260 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले सितम्बर, 2014 तक 776.16 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। 2014-15 के लिए 50,00,000 व्यष्टि घरेलू शौचालयों, 30,000 विद्यालयी शौचालयों, और 18,000 आंगनवाड़ी शौचालयों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 2014 तक 11,44,877 व्यष्टि घरेलू शौचालयों, 8,055 विद्यालयी शौचालयों, और 2,904 आंगनवाडी शौचालयों का निर्माण किया गया है।

3.129 **कौशल विकासः** सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 में 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने और उनका कौशल वर्धन करने में भारत के सामने पेश अभूतपूर्व चुनौती की पहचान की गयी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत (एनएलडीसी) की स्थापना सार्वजनिक निजी साझेदारी कंपनी के रूप में की गयी थी जिसका प्राथमिक अधिदेश निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग के जरिए भारत के 150 मिलियन लोगों के राष्ट्रीय कौशल मिशन का लगभग तीसरा कौशल को उधरित करना है। सितंबर, 2014 तक एनएसडीसी बोर्ड ने 156 कौशल प्रस्तावों और 31 क्षेत्र कौशल परिषदों और इन के लिए 2,362 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता को अनुमोदित किया है तथा कौशलता परियोजनाओं के लिए 730 करोड़ रुपए की मानक प्रशिक्षण निर्धारण और पुरस्कार (स्टार) के लिए 432.86 करोड़ रुपए तथा जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष औद्योगिक पहल के नाते उड़ान हेतु 42.7 करोड़ रुपए की निधि दी है। 30 सितंबर, 2014 तक एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों, एसएससी और संबद्ध प्रशिक्षण अभिकरणों ने 33,74,817 छात्रों (स्टार सहित) को प्रशिक्षित किया है जबकि कुल 33 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य नियत किया गया था। कुल 12,34,961 व्यक्ति (स्टार सहित) इसमें आए। फिलहाल, एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा संचित लक्ष्य 106 मोबाइल केंद्रों सहित 1,408 केंद्र हैं। एनएसडीसी जिला स्तरीय और क्षेत्र स्तरीय कौशल अंतराल अध्ययन प्रारंभ करके अपने शोध आधार का विकास भी करवा रहा है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (पूर्वोत्तर और पश्चिम के लि.) और डिलोइट (दक्षिण और मध्य क्षेत्र के लिए) द्वारा कराए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के भी जनवरी, 2015 तक पूरा हो जाने की आशा है। कौशल विकास और उद्यमिता के महत्व को स्वीकार करते हुए एक पृथक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग का गठन मई, 2014 में किया गया है।

3.130 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): इस स्कीम के लिए बजट 2014-15 में 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2014-15 के दौरान सितंबर 2014 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय 20943.97 करोड़ रुपए है। इस अवधि में 3.22 करोड़ परिवारों को रोजगार लाभ मिला है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 3.22 प्रतिशत, 16.18 प्रतिशत, 56.62 प्रतिशत है। व्यक्तियों के लिए कार्यसृजित दिनों में महिलाओं का हिस्सा इस अधिनियम के अनुसार एक-तिहाई की निर्धारित संख्या से काफी अधिक है। मनरेगा कार्यकलापों को सितंबर, 2014 में कृषि कार्यों तक बढ़ा दिया गया है ताकि यह और अधिक उत्पादक एवं आस्तियां सृजनकारी तथा सतत् दिहाड़ी मजदूरी देने वाला बन सके। अब यह जिले में लागत की दृष्टि से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और पेड़ों के विकास से जुड़ा होगा।

3.131 **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** यूआईडीएआई ने अपने "ग्राहक को जाने" नामक इल्केट्रानिक सेवा शुरू की है जो के वाई सी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कागज रहित, सुरक्षित और लागत प्रभावी साधन है। इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जन धन योजना में बैंक खाते खोलने के लिए भी व्यापक रुप से किया जा रहा है। 15 नवंबर 2014 तक, आधार पेमेंट ब्रिज तंत्र का इस्तेमाल करते हुए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रवर्तन के बाद से कुल 4987 करोड़ रुपए की धनराशि से 7.56 करोड़ रुपए के कारोबार (सभी स्कीम में पूरे भारत के लिए) किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 30 लाख लोग आधार फिंगर चिन्ह प्रमाण पत्र सेवाओं के सहारे अपनी मनरेगा/पेंशन पात्र स्कालरशिप का प्रति माह आहरण करते हैं। 15 नवंबर 2014 की स्थिति के अनुसार, यूआईडी परियोजना के अंतर्गत 70.43 करोड़ विशिष्ट आईडी (आधार) दिए गए हैं।

अनुबंध

अनुबंध-I

आम बजट 2014-15 में, की गई प्रमुख घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	8	(i) सरकार व्यय प्रबंध आयोग का गठन करेगी, यह सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। यह आयोग इसी वर्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। (ii) खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडियों सहित सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा करने और उपेक्षित, गरीबों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों को पूरी सुरक्षा देते हुए, इसे अधिक लक्ष्यपरक बनाया जाएगा। (iii) एक नई यूरिया नीति भी बनाई जाएगी।	(i) 4 सितंबर, 2014 के संकल्प के तहत व्यय प्रबन्धन आयोग का गठन किया गया। (ii) सरकार ने 15.11.2014 को 54 जिलों में एलपीजी उपभोक्ताओं को स्कीम पहल नामक संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण देने की शुरुआत की है और इसे 11.01.2015 से देश के शेष जिलों में शुरु किया जाएगा। (iii) फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इण्डिया के साथ दूसरे दौर की बातचीत की गई। व्यय प्रबंधन आयोग ने नई यूरिया नीति पर चर्चा किए जाने का निर्णय लिया है।
2.	9	वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस वर्ष कोई समाधान ढूंढ लेंगे और विधायी योजना अनुमोदित करेंगे। इससे वस्तु एवं सेवा कर लागू हो सकेगा।	कार्य प्रगति पर है, वस्तु सेवा कर की लागू करवाने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके संविधान संशोधन बिल संसद में रखने की प्रक्रिया में है।
3.	10	अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में 2012 के पूर्वव्यापी संशोधनों से उत्पन्न सभी नए मामले मूल्यांकन अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई शुरु करने से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाएगी।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 28.8.2014 को आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है।
4.	11	प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी घटाने के लिए बजट से कतिपय कानूनी और प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
5.	12	बजट में परिभाषित सीमा से अधिक आयकर देनदारी के संबंध में करदाता को अग्रिम नियम प्राप्त करने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव किया गया। अतिरिक्त पीठों की स्थापना करते हुए अग्रिम नियम अधिकरण सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी किया गया। आयकर निपटान आयोग का क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया ताकि करदाता विवादों के निपटान हेतु इस आयोग से संपर्क कर सकें।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है, आयकर अधिनियम की धारा 245-ओ और 245-एन में संशोधन किया गया है जिसके तहत किए गए अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले लेन-देन के संबंध में अधिसूचित निवासी आवेदन की कर देनदारी के संबंध में "अग्रिम नियम" में अधिकारी के निर्णय को भी शामिल किया जाएगा। एएआर के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अधिकारियों की पीठ द्वारा प्रावधान किए गए हैं। निपटान आयोग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निपटान आयोग से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 245-सी में संशोधन किया गया है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
6.	13	बजट में व्यापार और उद्योग के साथ नियमित आधार पर संपर्क करने और कर कानूनों में स्पष्टता की जरुरत वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड दो महीने की अवधि के भीतर कर मुद्दों पर, जहां आवश्यक समझा जाएगा, समुचित स्पष्टीकरण जारी करेंगे।	उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
7.	14	अंतरण मूल्य निर्धारण निवासी और अनिवासी दोनों करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी का बढ़ा क्षेत्र है। बजट में अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 01.04.2014 को अथवा उसके बाद किए गए अंतर राष्ट्रीय लेन-देन अथवा विशिष्ट घरेलू लेन-देन जहां सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति से एक से अधिक कीमत तय की जाती है। एलपी उसी प्रकार परिकलित किया जाएगा जैसाकि निर्धारित है कि व्यवस्था के लिए आयकर अधिनियम की धारा 92-सी में संशोधन किया गया है।
8.	17	विदेशी मुद्रा की संयुक्त सीमा एफआईपीबी मार्ग से पूर्ण भारतीय प्रबंधन और नियंत्रण के चलते, बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है, रक्षा क्षेत्र से संबधित एफडीआर नीति में बदलाव करने के लिए 26.8.2014 को प्रेस टिप्पणी सं. 7 जारी की गई।
9.	18	बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की संयुक्त सीमा एफआईपीबी मार्ग से पूर्ण भारतीय प्रबंध और नियंत्रण के चलते 26 प्रतिशत के चालू स्तर से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया।	इस संबंध में 23.7.14 की मंत्रिमंडल टिप्पणी को मंत्रिमंडल ने 24.7.2014 को मंजूरी प्रदान की और बीमा कानून (संशोधन) बिल 2008 पर विचार करने ओर उसे पारित करने हेतु 25.7.2014 को नोटिस राज्यसभा में भेजा गया। यह बिल सदन में नहीं रखा जा सका और उसे राज्यसभा की एक चयन समिति जिसके अध्यक्ष डा. चंदन मित्रा हैं, को संदर्मित किया गया। यह बिल चयन समिति में विचाराधीन है।
10.	19	स्मार्ट शहरों का विकास, जो नव-मध्यम वर्ग को पर्यावास भी उपलब्ध कराएंगे, प्रोत्साहित करने के लिए निर्माण पूरा होने के बाद तीन वर्ष के लाक-इन के चलते एफडीआई के लिए निर्मित क्षेत्र और पूंजी की शर्तों की अपेक्षा क्रमशः 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 20,000 वर्ग मीटर और 10 मिलियन अमरीकी डालर से घटाकर 5 मिलियन अमरीकी डालर की जा रही है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है। निर्माण विकास क्षेत्र से संबंधित एफडीआर नीति में बदलाव लाने के लिए 3 दिसम्बर, 2014 को प्रेस टिप्पणी सं. 7 जारी की गई है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
11.	20.	वे परियोजनाएं जो निम्न लागत वाले सस्ते मकानों की कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 प्रतिशत की वचनबद्धता देती हैं, तीन वर्ष के लाक-इन की शर्त के चलते, उन्हें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और पूंजीकरण अपेक्षाओं से छूट मिलेगी।	
12.	22.	बेसल-III मानकों के अनुरूप होने के लिए, हमारे बैंकों में 2018 तक 2,40,000 करोड़ रुपये की ईक्विटी के निवेश की आवश्यकता है। जहां सरकार इन बैंकों में अधिकांश शेयरधारिता को बनाए रखेगी वहाँ भारत के नागरिकों को भी इन बैंको में प्रत्यक्ष शेयरधारिता प्राप्त होगी जोकि फिलहाल उनके पास अप्रत्यक्ष रुप में धारित है। सरकार बैंकों को जवाबदेह बनाकर बृहतर स्वायत्तता प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच भी करेंगी।	अन्य विभागों की टिप्पणियां लेने के लिए इस मसौदा मत्रिमंडलीय टिप्पणी को परिचालित कर दिया गया है। टिप्पणियां प्रतिक्षारत है।
13.	24	माननीय प्रधानमंत्री का बड़े शहरों के उपनगरों के रूप में "सौ स्मार्ट शहरों" का विकास करने और विद्यमान मध्यम आकार के शहरों का आधुनिकीकरण करने का सपना है। इस महत्ववूर्ण कार्य के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु, बजट में 7060 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।	स्मार्ट सिटी स्कीम की रुपरेखा पर एक मसौदा टिप्पणी तैयार की गई और सभी राज्यों/संघ राज्यों को उनके सुझाव/मत लेने के लिए परिचालित की गई। इस मसौदा टिप्पणी पर अपने विचार रखने के लिए 12.9.2014 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें राज्यों/संघ राज्यों के मंत्रियों/प्रधान सचिवों/सचिवों, शहरी विकास प्रभारी के साथ-साथ वाणिज्यिक/व्यापार/अ-लाभकारी सगठनों और व्यावसायिकों को आमंत्रित किया गया। प्राप्त हुए सुझावों का विश्लेषण किया गया और इसे रुपरेखा दस्तावेज में उपयुक्त रुप से शामिल किया गया है जिसे फिर से 25.9.2014 को संशोधित किया गया। इसे जनमत संग्रह के लिए वेबसाइट पर डाला गया है। इस संकल्पना दस्तावेज पर अभी भी चर्चा चल रही है। संशोधित संकल्पना टिप्पणी के साथ सचिवों की ओर से एक अर्द्ध-शासकीय अनुस्मारक स्मार्ट-सिटी स्कीम पर अपने सुझाव/राय देने के लिए राज्यों/संघ राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किया गया है। प्राप्त हुए सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और संकल्पना दस्तावेज में उन्हें उपयुक्त रुप से शामिल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी स्कीम पर अंतिम निर्णय लेने के पहले सभी राज्यों से परामर्श किया जाएगा।
14.	25	भारत में पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा देने के	कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		लिए, इलैक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकरण (ई-वीजा) की सुविधा आवश्यक अवसंरचना अगले छह माह के भीतर तैयार करके भारत में नौ हवाई-अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इलैक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकरण सुविधा वाले देश चरणबद्ध तरीके से अभिचिन्हित किए जायेंगे। आगे चलकर इससे आगमन पर वीजा की सुविधा सहज होगी।	
15.	26	नवोन्मेष के रूप में, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संशोधित आरईआईटीएस के तरह की स्थिति पीपीपी और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उसी प्रकार की कर पारदर्शिता संरचना अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटीएस) के रूप में भी घोषित की जा रही है। ये संरचनाएं पीपीपी और अवसंरचना योजनाओं पर रह के कर दबाब कम करेंगी।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है। निवेशकों पर कर दबाव कम करने के लिए सितम्बर 2014 में सेबी ने अवसंरचना निवेश निधियों एवं आरईआईटीएस संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। वित्त (सं.-2) अधिनियम 2014 के अध्याय 7 और आयकर अधिनियम की धारा 2, 10, 47, 49, 111ए, 115ए में संशोधन किए गए हैं। इन घोषणाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम 2014 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 115यूए और 194-एलबीए जोड़ी गई है।
16.	27	इस लिखत में निवेश करने के लिए बैंक-बचतों और गैर-बैंक बचतों वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसान विकास पत्र को पुनः शुरू करने की मेरी योजना है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
17.	28	दक्ष भारत नामक राष्ट्रीय बहु-दक्ष कार्यक्रम शुरू करना प्रस्तावित है। यह रोजगार सर्मथता और उद्यमी कौशलों पर बल देकर युवाओं को दक्ष करेगा, यह झलाईगर, बढ़ई, मोची, राजमिस्त्री, लौहार, बुनकर आदि परम्परागत धंधों में लगे लोगो के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए विभिन्न स्कीमों को केन्द्रित करना भी प्रस्तावित है।	मौजूदा कौशल विकास पहल स्कीम में एक पृथक घटक के रूप में शहरी आईटीआई में असंगठित क्षेत्र में मोड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को शुरु करने के लिए एक उपयोजना तैयार की गई। एसडीआई की अपेक्स कमेटी ने उप-योजना के दिशा-निर्देश अनुमोदित किए हैं और इन दिशा-निर्देशों को राज्यों को भी जारी किया गया है। एनसीबीटी की उप-समिति ने 30.10.2014 को आधुनिक निर्माण प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित किए हैं। इस मंत्रालय ने एससीबीटी प्रणाणन के अन्तर्गत रूचि आधारित औद्योगिक आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों की अनुमति देने के लिए आईटीआईआर और उद्योगों के बीच लोचशील समझौता ज्ञापनों के लिए नीतिपरक दिशा-निर्देश जारी किए है। ये पाठ्यक्रम अल्पाअवधि के हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट रैमण्ड, लेबरनेट जिप्सल केडिला और मारुति नामशः पांच ऐसे लौचशील समझोते ज्ञापन हुए हैं।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
18.	29	हमारी अधिकतर कृषि भूमि वर्षा पोषित है और मानसून पर निर्भर है। इसलिए, जोखिम कम करने के लिए आश्वासित सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है। सिंचाई पहुँच में सुधार लाने के लिए बजट में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। मैं इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है।	31.07.2014 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक आयोजित की गई जिसकी सिफारिशों के आधार पर ईएफसी टिप्पणी का अनुपूरक एजेण्डा इएफसी धारित करने के लिए (जो प्रतीक्षारत है) सचिव (व्यय) को भेजा गया। 10.09.2014 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ईएफसी टिप्पणी पर चर्चा की गई और सचिवों की एक समिति जिसके अध्यक्ष (डब्ल्यूआर, आरडी एवं जी आर) और इसमें सचिव (आरडी), सचिव (कृषि), सचिव (भू-संसाधन) और दो राज्यों के प्रधान सचिव शामिल होंगे। कृषि विभाग अब 15 दिसम्बर, 2014 तक एक संकल्पना टिप्पणी जारी करेगा।
19.	30	सरकार स्वच्छ भारत अभियान के जरिये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, वर्ष 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता से प्रत्येक परिवार को कवर करना चाहती है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है। केन्द्रीय मत्रिमंडल ने 24.9.2014 को आयोजित अपनी बैठक में निर्मल भारत अभियान की पुनर्सरंचना करके स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का अनुमोदन किया है। 2.10.2014 को इस मिशन की शुरुआत की गई।
20.	31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल हैं, ग्रामीण इलाकों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए शुरू किया जाएगा। सुपुर्दगी की तरजीही विधि वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्कीम निधियों का प्रयोग करके पीपीपी के माध्यम से होगी।	प्रस्तावित स्कीम के बारे में सुझाव देने के लिए 8.8.2014 को एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। तत्पश्चात एक सुविज्ञ समिति गठित की गई। इस मामले को ईएफसी हेतु मत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए लाया जाएगा।
21.	32	फीडर पृथक्करण के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वृद्धि करने और उप-सम्प्रेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बजट में ₹ 500 करोड़ की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है।	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 20.11.2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी प्रदान की। दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
22.	33	गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालतम प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है। एकता प्रतिमा की स्थापना करने की गुजरात सरकार की इस पहल में सहायता करने के लिए, बजट में ₹ 200 करोड़ की धनराशि के निर्धारित करने का प्रस्ताव है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 30.9.2014 को सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट गांधीनगर के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
23.	36	अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को ऋण वर्धन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जो नए मध्यवर्ग का हिस्सा बनना चाहते हैं मैं ₹200 करोड़ की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। जो आईएफसीआई द्वारा स्कीम के जरिये प्रचालनात्मक की जाएगी।	सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 8 दिसम्बर, 2014 को एसएफसी नोट परिचालित कर दिया है।
24.	37	₹ 100 करोड़ के प्रांरभिक आबंटन से जनजातियों के कल्याण के लिए" वन बंधु कल्याण योजना" शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।	"वन बन्धु कल्याण योजना" स्कीम के मूल्यांकन के लिए ईएफसी की बैठक 17.09.2014 को आयोजित की गई और इस ईएफसी ने स्कीम को कार्यान्वित किए जाने की सिफारिश की।
25.	38	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम के रूप में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीआई) शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत कुल 3.16 लाख वार्षिकी-ग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है और निधियां ₹ 6,095 करोड़ बैठती हैं। बजट में 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले नागरिकों के हित के लिए 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक की सीमित अवधि हेतु स्कीम को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव किया गया है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 14.8.2014 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की गई है।
26.	39	सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), डाकघर बचत योजनाओं आदि में दावारहित धनराशियों का प्रयोग कैसे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करने और उनके वित्तीय हितों के लिए किया जा सकता है, इसकी जांच करने और संस्तुति देने के लिए समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव है। समिति अपनी रिपोर्ट इस वर्ष दिसंबर तक प्रस्तुत करेगी।	समिति का गठन कर लिया गया है इसकी पहली बैठक 26.9.2014 को आयोजित की गई।
27	40	सरकार ईपी स्कीम के सभी अभिदाता सदस्यों के लिए ₹ 1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित करेगी और व्यय की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 250 करोड़ रुपये का आरंभिक प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ईपीएस में अभिदान की अनिवार्य पारिश्रमिक सीमा ₹ 6500 से बढ़ाकर ₹ 15000 कर दी गई है और वर्तमान बजट में ₹ 250 करोड़ का	दोनो बजट घोषणाओं को को कार्यान्वित करने की अधिसूचना क्रमश 19.8.2014 तथा 22.8.2014 जारी की गई है। 4.17 करोड़ अभिदाता सदस्यों के यूएएन को उनके बैंक खातों और आधार नंबरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 35 प्रतिशत यूएन के संबंध में बैंक खाते को जोड़ दिया गया है। ईपीएफओ को सलाह दी गई है कि वे 50 प्रतिशत उपभोक्ता खातों (यूएएन) को अक्तूबर 2014 तक और मार्च 2014 तक शतप्रतिशत खातों को यूएएन संपर्क दिया जाए।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		प्रावधान किया गया है। अभिदाताओं की सुविधा के लिए, ईपीएफओ भविष्य निधि खातों की सुवाह्यता सुगमता हेतु अभिदान करने वाले सदस्यों के लिए "एकरूप लेखा संख्या" शुरू करेगा।	
28.	41	बजट में समकालीन सहायक यंत्रों और सहायक साधनों को शामिल करके सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। सार्वभौमिक समावेशी डिजाइन और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों तथा अशक्तता वाले खेलों के लिए केन्द्र की स्थापना भी प्रस्तावित है।	(क) संशोधित एडीआईपी स्कीम के तहत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सहायक यंत्रों तथा उपकरणों से संबंधित 12.8.2014 का कार्यालय ज्ञापन इससे संबंधित सभी लोगों को जारी किया गया। इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है। (ख) संशोधित एडीआईपी स्कीम के तहत बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपकरण मंजूर किए जाने से संबंधित दिनांक 21.8.2014 के कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधित व्यक्तियों को जारी किया गया। यह भी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्रवण यंत्र और चलने में सहायक उपकरण हाई एंड मोबीलिटी उपकरण तथा अन्य स्वरागम संबंधी उपकरण, पीएंडओ सहायक उपकरणों हेतु समकालीन सहायता यंत्र और सहायता उपकरण को शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। एनआईआईयूडी को स्थापित करने से संबंधित सीसीईए टिप्पणी व्यय विभाग को प्रेषित कर दी गई है। अशक्तता वाले खेलो के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु डीपीआर की शुरुआत अभी की जा रही है जिसके लिए रूचि की अभिव्यक्ति जारी की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था की स्थापना हेतु डीपीआर तैयार किया जा रहा है।
29.	42	इस बजट में पंद्रह नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना करने और विद्यमान दस ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण करने के लिए चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। सरकार दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए ब्रेल लिपि जैसे चिन्हों वाली मुद्रा का मुद्रण भी करेगी।	मंत्रालयों/विभागों को ईएफसी प्रस्ताव परिचालित कर दिया गया है।
30.	43	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "सेफ्टि ऑफ वूमन ऑन पब्लिक रोड ट्रांस्पोर्ट" की प्रायोगिक परीक्षण योजना पर ₹ 50 करोड़ के परिव्यय का व्यय किया जाएगा। गृह	इस स्कीम में अनिवार्य रुप से पहले चरण में एक बिलियन से अधिक की आबादी वाले 32 शहरों में घटना की विडियों रिकोर्डिंग, यातायात वाहनों में आपातकालीन बटन की सुविधा के साथ घटना के स्थल, राष्ट्रीय स्तर पर (राष्ट्र

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		मंत्रालय द्वारा बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर ₹ 150 करोड़ की धनराशि का व्यय भी किया जाएगा। बजट में इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में "क्राईसिस मैनेंजमेंट सेंटरों" की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। इसका वित्तपोषण निर्भया निधि से किया जाएगा।	स्तरीय वाहन, वाहन सुरक्षा और ट्रेकिंग प्रणाली तथा राज्य स्तर पर (जीपीएस ट्रेकिंग हेतु सिटी कमाण्ड और कन्ट्रोल सेंटर) एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य दिल्ली एकीकृत बहु-मॉडल यातायात प्रणाली को दिया गया है। डीएमआईटीएस ने मसौदा संकल्पना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की टिप्पणियां डीआइएमटीएस को भेज दी गई है। अंतिम संकल्पना रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ डीएमआईटीएस प्रौद्योगिकी विश्लेषण रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है जिसके जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है। गृह मंत्रालय द्वारा एकीकृत कम्प्यूटर सहायता प्रेषण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर कॉल ट्रेक करना और सार्वभौमिक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) के आधार पर पुलिस वाहन प्रेषण कार्यकलापों की शुरुआत करने की आरम्भिक प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। विविध स्टेकहोल्डर के साथ परामर्श करके परियोजना के विशिष्ट कंटूर्स को अंतिम रुप दिया जा रहा है। इस परियोजना के लिए एक परियोजना प्रवधन परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है।
31.	44	बजट में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है। यह केंद्रित योजना होगी और जागरूकता सृजन में सहायता करेगी तथा महिलोन्मुखी कल्याणकारी सेवाओं की सुपुर्दगी की कार्यक्षमता में सुधार लाने में भी सहायता करेगी। बजट में इसके लिए ₹ 100 करोड़ निर्धारित करने का प्रस्ताव है।	महिला बाल विकास मंत्री ने ईएफसी योजना को 25.9.2014 को मंजूरी दे दी थी। चण्डीगढ़ में महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रुप से जिला कलेक्टरों के साथ सबसे पहली क्षेत्रीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई।
32.	46	बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हेतु ₹14,389 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।	संयुक्त विस्तृत योजना/दिशा-निर्देश निरुपित किए गए और इन्हें 31.7.2014 को सभी राज्य सरकारों को जारी कर दिया गया।
33.	47	मनरेगा के तहत दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादक, आस्ति सृजन और मूलतया कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से जुड़े कार्य होते हैं।	मनरेगा अधिनियम 2005 की अधिसूची 1 के संशोधन की अधिसूचना 21.7.2014 को जारी की गई थी जिससे कि राज्यों को मनरेगा के अन्तर्गत बेहतर तकनीकी योजना और कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी सहायक की सुविधा दी जा सके। इस संबंध में प्रशासनिक लागत के बजाय सामग्री लागत के रूप के उन्हें स्थापना लागत प्राप्त करने के लिए 21.8.2014 को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
34.	48	आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उद्देश्य वहनीय आजीविका विकल्पों के जरिये ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का है। इस मिशन के तहत, महिला एसएचजी को 150 जिलों में 4 प्रतिशत और अन्य सभी जिलों में 7 प्रतिशत अविलंब अदायगी पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। बजट में महिला एसएचजी के लिए बैंक ऋण के प्रावधान का और 100 जिलों में 4 प्रतिशत पर विस्तार करने का प्रस्ताव है। मैं स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए "स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम" की स्थापना करने भी प्रस्ताव हूँ। इसके लिए ₹100 करोड़ की आरंभिक राशि प्रदान की जा रही है।	महिला एसएचजी के लिए बैंक ऋण के प्रावधान का 100 जिलों में 4 प्रतिशत का विस्तार। ईएफसी ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। स्टार्ट-अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्रामः 26-27 सितम्बर, 2014 को हैदराबाद में सभी पणधारकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजना किया गया।
35.	50	देश में जल संभर विकास को ज्यादा संवेग प्रदान करने के लिए, इस बजट में ₹2142 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ ''नीरांचल'' नामक नया कार्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव करता है।	इस संबंध में एक मत्रिमंडल टिप्पणी 29.10.2014 को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई है।
36.	51	बजट में जिले के अंदर असमानताओं को दूर करने के लिए बीआरजीएफ के पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में पिछड़ी तहसील यूनिटें पर्याप्त सहायता प्राप्त करती हैं।	बीआरजीएफ कार्यक्रम के जिला स्तरीय घटकों की पुनसर्रचना से संबंधित मसौदा ईएफसी ज्ञापन पर विभिन्न मंत्रालयों की राय प्राप्त हो गई है और तदनुसार ही ईएफसी ज्ञापन को अंतिम रुप दिया जाएगा। तथापि व्यय विभाग ने आगे और टिप्पणियां दी हैं उनकी इस टिप्पणियों पर ये टिप्पणियां तैयार की जाएगी।
37.	52	अगले 3 वर्षों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए आर्सेनिक, फ्लूरायड, भारी/विषैले पदार्थों, कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित लगभग 20,000 बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत इस बजट में ₹3,600 करोड़ चिन्हित करना प्रस्तावित है।	जल की गुणवत्ता को चिहिन्त विधियों का उपयोग करते हुए मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए अथवा आर्सेनिक फ्लूरायड, भारी/विषैले पदार्थों कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित लगभग 20,000 जलगुणवत्ता से प्रभावित बसावटों में सतह जल आधारित जल आपूर्ति योजना के माध्यम से यह जल शुद्धि कार्यक्रम शुरु करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए किसी भी व्यय वित्त समिति अथवा मत्रिमंडल से अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह मत्रिंडल अनुमोदित एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देश तथा उसकी परिधि में आता है। तथापि मार्च 2017 तक सभी 20,000 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को इससे कवर करने का लक्ष्य है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
38.	53	''सबके लिए स्वास्थ्य'' की तरफ जाने के लिए दो प्रमुख पहलें अर्थात निशुल्क औषधि सेवा तथा निशुल्क निदान सेवा, प्राथमिकता के आधार पर शुरु की जाएंगी।	राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन स्कीम की व्यापक रुपरेखा टिप्पणी हेतु राज्यों को दी गई है। ईएफसी के अनुमोदन के लिए एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है और इसे ईएफसी को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
39.	54	शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निदान तथा टीबी के मरीजों के इलाज तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिए, एम्स नई दिल्ली तथा मद्रास चिकित्सा कॉलेज, चेन्नई में दो राष्ट्रीय प्रौढ़ संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उच्च दंत अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अनुसंधान और रैफरल संस्थान किसी एक विद्यमान दंत संस्था में स्थापित किया जाएगा।	यह कार्य पूरा हो गया है। पटना (बिहार) और मेहसाना (गुजरात) जैसे दो जिलों में निजी सेक्टर को शामिल करने के लिए आईसीटी आधारित प्रयोग शुरु किया गया है और आईसीटी प्रणाली का परीक्षण किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के तीसरे स्तर के क्रियाकलाप को जारी रखने और इसके विस्तार संबंधी प्रारुप मंत्रिमंडल नोट में अन्य बातों के साथ-साथ एम्स, नई दिल्ली और मद्रास चिकित्सा कॉलेज, चेन्नई में प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए दो राष्ट्रीय संस्थान खोलने के प्रस्ताव का प्रस्ताव है, जिसे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रुप दिया गया है और मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है। प्रौ. (डॉ.) महेश वर्मा, निदेशक-प्रधानाचार्य, मौलाना अजाद दन्त विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में भारत में दन्त सेवाओं के उन्नयन के लिए एक केन्द्रीय कार्यबल 4.9.2014 को गठित किया गया है। तब से 7.10.2014, 30.10.2014 और 18.11.2014 को तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
40.	55	आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ तथा उ.प्र. में पूर्वांचल में एम्स जैसे चार और संस्थान स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन है। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की राशि अलग से रखने के लिए प्रस्ताव करता हूँ। वर्तमान में 58 सरकारी चिकित्सा कालेज अनुमोदित हो चुके हैं। 12 और सरकारी चिकित्सा कालेज बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सभी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।	आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ और यू.पी. में पूर्वांचल में एम्स जैसे चार और संस्थाएं खोलने के लिए प्रारुप ईएफसी नोट 17.10.2014 को मूल्यांकनकर्ता विभागों/मंत्रालयों में परिचालित किया गया था। राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं (जिला और उसके नीचे) की सहायता दी जाती है।
41.	56	नई औषध जांच प्रयोगशालों के सृजन द्वारा तथा 31 विद्यमान राज्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाकर राज्य औषध विनियमकारी	(i) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठनों (ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को सुदढ़ करने (iii) राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली के संबंध में आर्थिक कार्य

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		और खाद्य विनियमकारी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पहली बार सरकार केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी।	संबंध मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन मांगने के लिए मंत्रिमंडल नोट आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदनार्थ भेजा गया था। उन्होंने प्रस्तावित संरचना को आम जनता के लिए रखने का निर्देश दिया और सार्वजनिक/साझेदारों के दृष्टिकोण को प्रकाश में लाने का निर्देश दिया और अन्य देशों, विशेषकर हमारी जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों विनियामक ढांचे का ब्यौरा प्रस्तुत करने और इस संबंध में अंतराष्ट्रीय अनुभव को सूचीबद्ध करने का निदेश दिया। कार्रवाई की जा रही है।
42.	57	वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुधारने तथा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण पर सरकार के ध्यान देने के अनुरूप, पंद्रह आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण आबादी से संबंधित स्थानीय स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।	स्कीम नामतः राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिटों की स्थापना से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 67.66 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर 15 एमआरएचआरयू की स्थापना करने की आवश्यकता हो गई है। यह स्कीम पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है। 12एमआरएचआरयू (2013-14 में 8 और 2014-15 में 4) की स्थापना की मंजूरी पहले ही असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों द्वारा दी गई है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में किया जा रहा है और समय-समय पर विभाग द्वारा इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है। शेष 3 का अनुमोदन 2014-15 के अन्त तक होने की संभावना है।
43.	58	सरकार प्रथम चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास करेगी। एसएसए के लिए ₹28,635 करोड़ की राशि तथा आरएमएसए के लिए ₹4966 करोड़ की राशि वित्तपोषित की जा रही है। ₹30 करोड़ की लागत से एक स्कूल आकलन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। नए प्रशिक्षण संबंधी उपकरण प्रदान करने तथा अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए ''पंडित मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' शुरु किया जा रहा है। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की प्रारंभिक राशि अलग से रख रहा हूँ।	प्रक्रिया चल रही है।
44.	59	सूचना प्रौद्योगिकी पहुँच का लाभ उठाने के लिए, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए संचार	प्रक्रिया चल रही है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		संबद्ध संपर्क तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में वास्तविक कक्षाएं स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।	
45.	60	बजट में मध्यप्रदेश में मानविकी में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। बजट में जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्रप्रदेश और केरल में पाँच और आईआईटी भी स्थापित करने हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडीशा तथा महाराष्ट्र राज्य में पाँच आईआईएम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए ₹500 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव है।	जुलाई 2015 में कक्षाएं शुरु होंगी।
46.	61	सरकार उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋणों को सुसाध्य बनाने हेतु मानदंडों को आसान और सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखती है।	इस मामले को टिप्पणी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। सुझाव प्राप्त हो गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आईबीए, एसबीआई और केनरा बैंक के साथ बैठक आयोजित की गई। आईबीए द्वारा मॉडल शिक्षा ऋण की समीक्षा की जा रही है।
47.	62	बजट में सर्व भारत कार्यक्रम ''डिजीटल भारत'' शुरु करना प्रस्तावित है। यह गांव के स्तर पर ब्रॉड बैंड संयोजनता, आईटी समर्थित प्लेटफार्मों के जरिए सेवाओं तक उन्नत पहुँच, सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता तथा निर्यात और उन्नत घरेलू उपलब्धता के लिए आईटी हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के वर्धित देशीय उत्पादन सुनिश्चित करेगा। साफ्टवेयर प्राटेक्ट स्टार्टअप्स का समर्थन करने पर विशेष ध्यान होगा। गाँवों और स्कूलों में सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट तथा प्रौद्योगिकी मिशन, आईटी कौशल में प्रशिक्षण तथा सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए ई-क्रांति तथा अभिशासन योजना भी प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए बजट में ₹500 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गई है।	डिजीटन इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है। डिजीटन इंडिया के अनुसार प्रत्येक घटक के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
48.	63	''सुशासन'' के संवर्धन के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और इसके लिए ₹100	संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए अनुप्रयोग के विकास के लिए उपयुक्त परियोजना

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		करोड़ की राशि अलग से रखने का बजट प्रस्ताव है।	प्रस्ताव निरुपित करने और विभिन्न क्षेत्रों में सफल ई-अभिशासन के अनुप्रयोग प्रतिकृति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए पत्र भेजे गए हैं।
49.	64.	₹100 करोड़ के आबंटन के साथ एक नई आयोजना स्कीम शुरु की जा रही है। यह लगभग 600 नए तथा विद्यमान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सहायता करेगी।	कार्रवाई पूरी हो गई है। एक नई स्कीम अर्थात "भारत में सामुदायिक रेडियो आन्दोलन की सहायता" मौजूदा और नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरु की गई है। इस स्कीम के लिए ₹100 करोड़ है। ₹90 करोड़ सामुदायिक रेडियो सहायता स्कीम और ₹10 करोड़ सीआरएस के लिए "सूचना शिक्षा और संचार क्रियाकलापों के लिए 5 वर्षों के लिए आवंटित किया गया है।
50.	65	फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलिविजन संस्थान, कोलकाता को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है और एनीमेशन, खेल तथा विशेष प्रभावों में ''राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र'' स्थापित किया जाएगा।	राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन और संबद्ध अध्ययन विधेयक, 2014 लाने के लिए मंत्रिमंडल प्रस्ताव संसद में प्रक्रियाधीन है। वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त कर लेने के बाद विधि मंत्रालय द्वारा विधेयक के प्रारुप की जांच की गई और अनुमोदित किया गया। अंतिम नोट 31.7.2014 को भेजा गया। मंत्रिमंडल नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया। एनिमेशन, खेल और विशेष प्रभावों में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए एक मॉडल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सहायता से विकसित किया जा रहा है।
51.	66	आवास और अन्य अवसंरचना को विकसित करते समय चार मूलभूत गतिविधियों को ऐसे विकास का आधार होना चाहिए। ये हैंः- सुरक्षित पेय जल का प्रावधान और सीवरेज प्रबंधन, उत्पन्न होने वाले आर्गेनिक फलों और सब्जियों के लिए पुनः चक्रित जल का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा डिजीटल संयोजता। यह सरकार की दृष्टि है कि निजी पूंजी तथा विशेषज्ञता को पीपीपी के जरिए काम में लगाते समय कम से कम पांच सौ (500) ऐसी बसावटों को सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अगले वर्षों में अपनी अवसंरचना और सेवाओं को नवीकृत कर सकें।	24x7 जलापूर्ति, एसडब्ल्यूएम आदि सहित शहरी अवसंरचना के विकास के लिए 500 बस्तियों को सहायता देने हेतु एक नया शहरी विकास मिशन हेतु क्षमता विकास और सुधार के लिए प्रारुप ईएफसी तैयार किया गया है। इस पर आईएफडी के साथ भी परामर्श किया गया और उनकी सिफारिशों/ निष्कर्षों के आधार पर अशोधन किए गए। अंतिम प्रारुप ईएफसी तैयार किया जा रहा है।
52.	67	पूलबद्ध नगर पालिका ऋण दायित्व सुविधाः	कार्य पूरा हो गया है। पूलबद्ध नगर पालिका ऋण दायित्व

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		साझा जोखिम आधार पर शहरी क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के संवर्धन और वित्तपोषण के लिए कई बैंकों की सहभागिता के साथ 2006 में यह सुविधा स्थापित की गई थी। इस सुविधा की वर्तमान समग्र निधि ₹5000 करोड़ है। सरकार का मुख्य ध्यान अच्छी अवसंरचना प्रदान करने के लिए है जिसमें शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट निपटान, सीवरेज उपचार, तथा पेयजल शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, 31 मार्च, 2019 तक पांच वर्षों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ इसे ₹50,000 करोड़ तक बढ़ाना प्रस्तावित है।	सुविधा के लिए राशि बढ़ाकर ₹50,000 करोड़ (8333 मिलियन अमरीकी डालर) की गई। और इस सुविधा को पांच वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक किया गया है ताकि साझा जोखिम आधार पर शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का संवर्धन और वित्त पोषण किया जा सके।
53.	68	शहरी मेट्रो परियोजनाएं बड़े शहरों की भीड़ कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। दो मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए, मेट्रो परियोजनाओं की योजना अब से शुरु हो जानी चाहिए। सरकार पीपीपी मॉड में मेट्रो रेल प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन देगी जिसमें लाइट रेल सिस्टम शामिल हैं, और जिसकी सहायता अर्थक्षमता अंतराल निधियन के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखने का बजट प्रस्ताव है।	**(क) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजनाः** लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-I के लिए प्रस्ताव पर सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 25.8.2014 को आयोजित पीआईबी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। पीआईबी ने कुछ समस्याओं को उठाया, एलएमआरसी और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके दोबारा पीआईबी को परियोजना प्रस्ताव भेजने के पहले उनका समाधान किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए ब.अ. 2014-15 में 50 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। **(ख) अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाः** गुजरात सरकार ने दो कोरीडोरों वाली अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण-I पर कार्य करने का निर्णय लिया है। इसकी कुल लंबाई 35.956 कि.मी. अर्थात एपीएमसी से मोटेरा स्टेडियम कोरीडोर (15.420 कि.मी.) और थालतेजगाम से वस्तराल गाम कोरीडोर (20.536 कि.मी.)। इसकी कुल अनुमानित लागत ₹10,773 करोड़ होगी। इस परियोजना की पीआईबी बैठक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 19.8.2014 को आयोजित की गई और वित्त मंत्रालय द्वारा सभी संबंधितों को इसका कार्यवृत्त परिचालित किया गया। तदनुसार माननीय यूडीएम के अनुमोदन से मंत्रिमंडल नोट विचारार्थ मंत्रिमंडल सचिवालय को 22.9.2014 को भेज दिया गया है। परियोजना के चरण-I के लिए ब.अ. 2014-15 में ₹50 करोड़ का आवंटन दिया गया है।
54.	69	हमारी सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास	कार्रवाई पूरी हो गई है। आयकर अधिनियम की धारा 24 में

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए लोगों, विशेषतः युवा वर्ग को मकान खरीदने के लिए गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।	संशोधन किया गया है।
55.	70	बजट में कम लागत वाले वहनीय आवास संबंधी मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक में स्थापित किया जाएगा। कम लागत वाले वहनीय आवास के विकास को तेज करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। शहरी गरीब/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हिस्से को वहनीय आवास के लिए सस्ते ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ₹4000 करोड़ रुपए की राशि भी इस वर्ष आवंटित करने का प्रस्ताव है।	कार्यवाई पूरी हो गई है। आरबीआई ने 26.8.2014 को निधि आवंटित कर दिया है। एनएचबी से मिशन गठित करने के लिए कहा गया है।
56.	71	इस कार्यकलाप में अधिक योगदान देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों की सूची में स्लम विकास को शामिल करने का भी बजट में प्रस्ताव है।	कार्रवाई पूरी हो गई है। "स्लम विकास को कंपनी अधिनियम, 2013 की VIIवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
57.	72	भारत में बिगड़ती हुई कुपोषण की स्थिति को रोकने के लिए मिशन मॉड में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान उपाय पर्याप्त नहीं हैं। विस्तृत विधितंत्र, लागत, समयसीमा और निगरानी लक्ष्यों सहित एक व्यापक कार्यनीति छह महीनों में स्थापित की जाएगी।	पोषण मिशन की योजना का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। कार्यनीति, प्रविधि लागत, समय सीमा, निगरानी योग्य लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परामर्श बैठक 22 और 23 सितंबर, 2014 को आयोजित की गयी। परामर्श पश्च राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यनीति नोट तैयार किया जा रहा है।
58.	73.	परंपरागत कला और शिल्प के संरक्षण के लिए, जो समृद्ध विरासत है, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परंपरागत कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए ‘‘कला, संसाधन और वस्तुओं में परंपरागत कौशल का उन्नयन’’ नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।	"विकास के लिए परंपरागत कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन" के लिए एक स्कीम अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री द्वारा अनुमोदित की गई है।
59.	74	मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्कूली शिक्षा विभाग को प्रदान की गई है।	ईएफसी ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और मंत्रिमंडल नोट का मसौदा प्रस्तुत किया जाना है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
60.	75	सरकार चालू वित्त वर्ष में ₹100 करोड़ की प्रारंभिक राशि से असम और झारखंड में इसी पैटर्न पर दो और उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त, कृषि-प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखी जा रही है।	माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार ने 15.7.2014 को असम और झारखण्ड सरकार के मुख्य मंत्रियों को केन्द्रीय बजट 2014-15 में यथा घोषित उत्कृष्टता संस्थान विकसित करने के लिए उपयुक्त जमीन और सम्पर्क सुविधा वाले स्थलों को अभिचिन्हांकित करने के लिए पत्र लिखा है। आईएआरआई, नई दिल्ली ने असम और झारखण्ड राज्यों में आईएआरआई, जैसी संस्थाएं (उत्कृष्टता संस्था) स्थापित करने के लिए 12.8.2014 को मसौदा परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है। एग्रीटेक अवसंरचना निधि के लिए ईएफसी नोट 7.11.2014 को परिचालित किया गया है।
61.	76	आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना और हरियाणा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए ₹200 करोड़ की प्रारंभिक राशि आवंटित की गई है।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से चार वाइस चान्सलरों अर्थात एनएमजीआरएयू, हैदराबाद, डा. वाईएसआरएचयू पश्चिम गोदावरी, एसकेआरएयू, बीकानेर और सीसीएसएचएयू, हरियाणा को यूनिवर्सिटियों के लिए डीपीआर विकसित करने के लिए 7.8.2014 को पत्र लिखे गये हैं। अपर सचिव डीएआरई और सचिव, आईसीएआर ने आन्ध्र प्रदेश राजस्थान, तेलांगना और हरियाणा राज्यों को अपने राज्यों में कृषि और बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु 9.9.2014 को पत्र लिखा है। इन पहलों पर की गई कार्रवाई के बारे में अनुक्रिया की प्रतीक्षा है।
62.	77	सरकार प्रत्येक किसान को मिशन मॉड में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के लिए योजना शुरु करेगी। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹100 करोड़ की राशि तथा पूरे देश में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ₹56 करोड़ की अतिरिक्त राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिससे मृदा का स्वरूप बिगड़ा है।	ईएफसी की बैठक 28.10.2014 को आयोजित की गई। नई स्कीम "मृदा स्वास्थ्य देख-रेख आगामी माह में क्रियान्वित की जाएगी। 100 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए अतिरिक्त ₹56 करोड़ मांगा गया है। राज्य सरकारों से परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
63.	78	बजट में जलवायु परिवर्तन के लिए ''राष्ट्रीय अनुकूलन निधि'' स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। आरंभिक राशि के रूप में, ₹100 करोड़ की राशि इस निधि में अंतरित की जाएगी।	कृषि से संबंधित एनएपीसीसी/सीसीएपी के तहत अन्य बातों के साथ-साथ नए क्रियाकलापों के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसके संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी/ईएफसी के अनुमोदन हेतु इस

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			मामले को ले जाने के पहले निधि का प्रचालन किया जाना है।
64.	79	सरकार कृषि में 4% की वृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए उच्च उत्पादकता पर ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी चालित द्वितीय हरित क्रांति लाएंगे और ''प्रौटीन क्रांति'' को ध्यान देने को मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल करेंगे।	एनएफएसएम दालों का क्रियान्वयन 27 राज्यों के 615 जिलों में किया जा रहा है ताकि दालों का उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का विस्तारः रबी/ग्रीष्म 2014-15 के दौरान भी 224.42 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न अनुसंधान संबंधी समस्याओं का समाधान करने और फसल की ऊपज की क्षमता एवं किसानों के खेत से प्राप्त ऊपज जैसे मुद्दों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों द्वारा अनुकूल अनुसंसाधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चावल के लिए क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने एवं तिलहनों/वाणिज्यिक फसलों/मोटे अनाज आदि के साथ अन्तराफसल के रूप में दालों के उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
65.	80	चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड के जरिए ''भूमिहीन किसान'' के संयुक्त कृषि समूहों को ₹5 लाख के धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।	संयुक्त दायित्व समूह मोड वित्त पोषण के जरिए 5 लाख संयुत कृषक समूहों के वित्त पोषण के लिए राज्यवार लक्ष्य सूचित किए गए हैं। एसएलबीसी को नाबार्ड द्वारा प्रत्येक राज्य में बैंकवार लक्ष्य देने और प्रगति को मोनीटर करने का सुझाव दिया गया है। आरबीआई से सभी बैंकों को दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
66.	81	कृषि उपज में मूल्य अस्थिरता किसानों के लिए अनिश्चितताएं और मुश्किलें पैदा करती हैं। इसको कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ की राशि की बजट व्यवस्था है।	तुरन्त नष्ट होने वाली कृषि और बागवानी ऊपज की खरीद और वितरण के लिए राज्यों और केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए ₹500 करोड़ की आवर्ती कॉर्पस निधि का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट ईएफसी ज्ञापन तैयार किया गया है। इस निधि को 2015-16 में ₹100 करोड़ की दर से भरे जाने का प्रस्ताव है।
67.	82	राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ घनिष्टता से कार्य करेगी ताकि उनके संबंधित एपीएमसी अधिनियमों को निजी बाजार यार्डो/निजी बाजारों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु पुनराभिमुख किया जा सके। राज्य सरकारों को शहरी क्षेत्रों में किसानों के बाजार विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया	16 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में सुधार किया है और उनमें से 9 ने नियमों को लागू किया है। नई दिल्ली में 26 अगस्त, 2014 को ई-मार्केटिंग के संवर्धन और कृषि विपणन सुधार पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया। कार्यशाला में नए समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया जैसा कि ई-मार्केटिंग और किसान मंडी सुधार संबंधी नई एडवाइजरी सभी राज्यों को 13 सितंबर, 2014 को जारी की गई है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		जाएगा ताकि किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाया जा सके।	एक इसी के साथ कुछ राज्यों के साथ संकेंद्रित अनुक्रिया करने का निर्णय लिया गया और इस प्रकार की पहली परस्पर बात-चीत नवम्बर, 2014 के लिए निर्धारित की गई। फलों और सब्जियों के संबंध में एपीएमसी की मनमानी हटाने की दृष्टि से 9 राज्यों में एपीएमसी के दायरे से फलों और सब्जियों को हटाने या फलों और सब्जियों पर बाजार शुल्क से छूट प्राप्त करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जिन राज्यों ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम के दायरे से हटा लिया है या बाजार शुल्क से छूट ले ली हैं, वे हैः मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और ओडिशा भी इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 3.9.2014 को तीन एपीएमसी के बाजार क्षेत्रों को पुनः परिभाषित करने के लिए अधिसूचना जारी की, जिनमें एमएनआई आजादपुर भी शामिल है। इन बाजारों के बाहर फलों और सब्जियों को रखने के लिए भी यह अधिसूचना थी। दिल्ली सरकार ने एपीएमसी अधिनियम में और संशोधन किया। क्रेताओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दृष्टि से दिल्ली सरकार ने दिल्ली कृषि ऊपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 के नियम 17 (झ)(च) में बाधक उपबन्धों को हटा दिया है। पत्रों और वीडियो कंफ्रेसिंग द्वारा समय-समय पर राज्यों को संबोधित किया जा रहा है। एसएफएसी ने अलीपुर दिल्ली में 25.9.2014 को किसान मंडी शुरु की जहां कृषक और कृषक उत्पादक संगठन, सीधे थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को बेच सकते हैं। पहला सरकारी किसान मंडी व्यापार किसानों को क्रेताओं से जोड़ता है, सरल आरंभन क्रियाकलाप के भाग के रूप में 20.10.2014 को शुरु किया गया। अन्य राज्यों को इस मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया गया है और एसएफएसी की सेवाएँ, ऐसी मंडियों को तकनीकी सहायता देने के लिए दी गई हैं।
68.	83.	देशीय पशु नस्लों के विकास के लिए ₹50 करोड़ की राशि तथा अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग में नीली क्रांति प्रारंभ करने के लिए इतनी ही राशि अलग से रखने का प्रस्ताव है।	"राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्र" स्कीम संबंधी अवधारणा नोट का अनुमोदन माननीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है। ईएफसी ज्ञापन, व्यय विभाग सहित संबंधित मंत्रालयों में परिचालित किया गया है। "ब्लू रिवोल्यूशन आइलैण्ड फिशरीज" संबंधी ईएफसी ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।
69.	84.	वर्ष 2014-15 के दौरान, कृषि ऋण के लिए	कार्रवाई पूरी हो गई है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		₹8 लाख करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा गया है, बजट में उम्मीद व्यक्त की गई है उम्मीद है कि बैंक इसे अधिक ऋण प्रदान करेंगे।	
70.	85.	अल्पावधिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम के अंतर्गत, बैंक 7% की रियायती दर पर किसानों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का और प्रोत्साहन मिलता है। इस स्कीम को 2014-15 में जारी रखने का बजट में प्रस्ताव है।	अंतिम मंत्रिमंडल नोट 9 दिसंबर, 2014 को मंत्रिमंडल से अनुमोदित हो गया है।
71.	86.	मौजूदा वित्त वर्ष में ₹25,000 करोड़ के अंतरिम बजट में दिए गए लक्ष्य से अतिरिक्त ₹5000 करोड़ देकर आरआईडीएफ निधि जुटाने का बजट प्रस्ताव है।	कार्रवाई पूरी हो गई है। आरबीआई ने 20.8.2014 को ₹25,000 करोड़ आबंटित किये हैं।
72.	87.	देश में वैज्ञानिक भण्डारागार अवसंरचना की उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, वर्ष 2014-15 के लिए ₹5,000 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव है।	कार्रवाई पूरी हो गई है। आरबीआई ने 20.8.2014 को ₹5,000 करोड़ आबंटित किये हैं।
73.	88.	कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए मैं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में "दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि" स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।	कार्रवाई पूरी हो गई है। आरबीआई ने 20.8.2014 को ₹5,000 करोड़ आबंटित किये हैं।
74.	89.	अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि का आबंटनः किसानों को वर्द्धित और निर्बाध ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने और नाबार्ड द्वारा उच्च लागत वाले बाजार उधार से बचाने के लिए 2014-15 के दौरान, मैं एसटीसीआरसी के लिए ₹50,000 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।	कार्रवाई पूरी हो गई है। आरबीआई ने 20.8.2014 को ₹50,000 करोड़ आबंटित किये हैं।
75.	90.	उत्पादक विकास और उत्थान जिन्हें प्रोड्यूस के नाम से जाना जाता है, अगले दो वर्ष में पूरे देश में 2,000 उत्पादक संगठनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए नाबार्ड	"उत्पाद" शीर्षक प्रस्ताव पर आयोजना-भिन्न व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन मांगने वाला मूल्यांकन नोट प्रस्तुत किया जाना है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		के उत्पादक संगठन विकास निधि के अनुपूरण हेतु ₹200 करोड़ देने का प्रस्ताव है।	
76.	91.	सरकार, खाद्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वहनीयता और वितरण संबंधी हानियों को कम करने और उनकी क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।	श्री शान्ता कुमार, माननीय सांसद (लोक सभा) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। एफसीआई के पुनर्गठन के संबंध में आम जनता और साझेदारों से सुझाव आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। अब तक एचएलसी की पांच बैठकें की गई हैं। राज्य खाद्य सचिवों/विभिन्न खाद्यान्न क्रेता राज्यों में से अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना आवश्यक था। समिति द्वारा दो महीने बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सरकार टीपीडीएस प्रचलनों की एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण संबंधी आयोजना स्कीम अक्तूबर 2012 से लागत साझा करने के आधार पर चला रही है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस स्कीम में राशन कार्ड/लाभार्थियों और आंकड़ाधारों का डिजीटीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल की स्थापना करना, प्रदायगी के समय लाभार्थियों की पहचान और शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अतिशीघ्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। एडवाइजरी, दिशानिर्देश, कंन्फ्रेंस आदि के जरिए टीपीडीएस में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सर्वोत्तम प्रचलनों की समय-समय पर जानकारी दी जा रही है। आवधिक समाचार पत्र जारी करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें लेख, मामला अध्ययन सफलता की घटनाओं आदि को शामिल किया जाएगा, जो टीपीडीए के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम प्रचलनों से संबंधित है। राज्य स्तर पर गंभीर प्रयास पीडीएस की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
77.	92	समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गेहूँ और चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां तक कि अल्प वर्षा के कारण कृषि उत्पादन में मामूली कमी होती	अब तक केवल 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) कार्यान्वित किया है और चालू वर्ष में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 218.45 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		है फिर भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय पुल में पर्याप्त स्टॉक हैं। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार, आवश्यक हो तो, खुला बाजार बिक्री शुरू करेगी।	शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा टीपीडीएस के मानदंडों के अनुसार खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है और चालू वर्ष में 264.85 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। 16.11.2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के खाद्यान्न भंडार 405.90 लाख मी.टन है जिसमें 292.26 लाख मी.टन गेहूं और 113.64 मी.टन चावल है। सरकार ने खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2014 के तहत 1000 लाख मी.टन गेहूं की बिक्री शुरू की है। नवंबर 2014 तक इस योजना के अधीन 12.66 लाख मी.टन गेहूँ बेचा गया है।
78.	93	किसान टी.वी. जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के हितों के लिए समर्पित है मौजूदा वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू किया जाएगा। यह किसानों के लिए नई खेती तकनीकियों, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि जैसे संबंधित विषयों पर वास्तविक समय सूचना का प्रचार-प्रसार करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ कुल 100 करोड़ रुपए नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।	प्रसार भारती से प्राप्त ईएफसी ज्ञापन सभी आकलन एजेंसियों को परिचालित किया गया था और कुछ हित धारकों के अभिमत प्राप्त हो गए हैं। किसान चैनल योजना के मूल्यांकन के लिए सचिव(सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में एसएफसी बैठक आयोजित की जानी है।
79.	94	सभी केन्द्रीय सरकार के विभाग और मंत्रालय इस वर्ष 31 दिसम्बर तक प्राथमिकता आधार पर ई-बिज प्लेटफार्म से अपनी सेवाओं को जोड़ेगें।	प्रक्रियाधीन
80.	95	परिवहन संयोजकता से जुड़े स्मार्ट शहरों के साथ औद्योगिक गलियारे का विकास समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण, जिनका मुख्यालय पुणे में है, की स्थापना की जा रही है। मैंने, इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि उपलब्ध करायी है।	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियार विकास प्राधिकरण(एनआईसीडीए) के निर्माण के लिए ईएफसी ज्ञापन तैयार कर लिया गया है और ईएफसी की बैठक आयोजित करने के लिए सचिव(व्यय) को प्रस्तुत कर दिया गया है।
81.	96	भारत के सात राज्यों में अमृतसर कोलकात्ता औद्योगिक मास्टर आयोजना में औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना शीघ्रतापूर्वक पूरी कर ली जाएगी। चेन्नई-बंगलुरू औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में तीन नए स्मार्ट शहरों की मास्टर योजना अर्थात् तमिलनाडू में पोन्नेरी, आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम और कर्नाटक में तुमकुर को पूरा कर लिया जाएगा।	(i) एफआईसीः डीएमआईसीडीसी एकेआईसी का अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति करने के काम में लगा है। (ii) सीबीआईसीः जेआईसीए सहायता, के अधीन सीबीआईसी क्षेत्र में आने वाले तीन औद्योगिक नोडों के लिए मास्टर योजना अंतिम चरण में है और मार्च 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
82.	97	बंगलुरू-मुम्बई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) के लिए संबंधित योजना और विजाग-चेन्नई गलियारा को 20 नए औद्योगिक क्लस्टरों के प्रावधान के साथ पूरा किया जा सकेगा।	कार्रवाई पूरी हो गई है। (i) बीएमईसीः बीएमईसी की संदर्शी योजना जीएमआईडीसी द्वारा शुरू कर ली गई है और अंतिम चरण में हैं। बीएमईसी की मसौदा संदर्शी योजना हाल ही में डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रस्तुत की गई है। (ii) वीसीआईसीः वीसीआईसी के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन एशियाई विकास बैंक को सौंपा गया है। एडीबी ने वीसीआईसी क्षेत्र की मसौदा संकल्पना विकास योजना प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है। (iii) 21 क्लस्टरों को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन 21 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं से संबद्ध एजेंसियों ने "अंतिम अुमोदन" के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं जिनका परियोजना प्रबंध एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।
83.	98	हार्डवेयर विनिर्माण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए काकिनाडा, इसके आसपास के क्षेत्र और पत्तन का विकास आर्थिक, आर्थिक विकास के प्रमुख संचालकों के रूप में किया जाएगा।	विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक कारीडोर(वीसीसीआई) के संबंध में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा तैयार की गई संकल्पनात्मक विकास योजना (सीडीपी) के प्रारूप की जांच की जा रही है।
84.	99.	सरकार का यह प्रयास होगा कि उच्च विकास पथ पर भारत के निर्यात को लाने के लिए राज्यों को जोड़ा जाए। सभी स्टेकहोल्डरों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक निर्यात मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है।	निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 14 राज्यों के उद्योग तथा वाणिज्य विभागों के प्रधान सचिवों की एक कार्यशाला 25.7.2014 को आयोजित की गई। शेष राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दूसरी बार कार्यशाला आयोजित करने की योजना है। निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 15 राज्यों के मुख्य सचिवों को वाणिज्य सचिव ने पत्र लिखा था। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्यात संबंधी सभी क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक निर्यात आयुक्त को नियुक्त करें। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 15 राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस कार्य पर निगरानी रखने के लिए पत्र लिखा है ताकि राज्य निर्यात बढ़ाने के राष्ट्रीय कार्य में उल्लेखनीय योगदान करें। वाणिज्य विभाग के नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि वे संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली एसएलईपीसी बैठकों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा निर्यात संबंधी एक कार्यनीति विकसित करने पर बल दें। सभी स्टेकहोल्डरों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने के मामले को डीजीएफटी द्वारा स्थापित एक प्रस्तावित संरचना के जरिए विदेश व्यापार नीति में उचित ध्यान दिया जाएगा।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
85.	100	विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिचालित करने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेशकों के हित को बहाल करने, बेहत्तर अवसंरचना का विकास करने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि का कारगर और दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगें।	एक समयबद्ध रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में प्रशासन को निर्बाध और प्रभावी बनाने के लिए और एसईजेड में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैः (i) सभी जोनों में एसईजेड डवलपर्स और यूनिटों से संबंधित क्रियाकलापों की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है तथा उक्त क्रियाकलापों के पूरा होने के लिए समय सीमा को भी अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्यान्वित कर दिया गया है। एसईजेड डवलपर्स और यूनिटों से संबंधित कार्यों के डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रमण के लिए किए जा रहे कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी एसईजेड में अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए क्रियाकलापों पर ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ करने हेतु एनएसडीएल द्वारा एक मॉडयूल तैयर किया गया है। एसईजेड डवलपर्स और यूनिटों से संबंधित कार्यों के संबंध में डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक पायलट मॉडयूल एसईईपीए एसईजेड, मुंबई में 12.9.1994 को शुरू किया गया था। इस मॉडयूल के निष्पादन के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसे सभी जोनों में प्रयोग में लाया जाएगा। उसके पश्चात् संबंधित राज्य सरकारों से जुड़े एसईजेड डेवलपर्स और यूनिटों से संबद्ध क्रियाकलापों को उनके ई-बिजनेस प्लेटफार्म का प्रयोग करके औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सहयोग से किया जाएगा। (ii) सभी नॉन फंक्शनल एसईजेड को तेजी से परिचालित करने के लिए सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे डेवलपर्स के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें। (iii) डीसी को यह भी सलाह दी गई है कि वे जिन अधिसूचित/औपचारिक अनुमोदनों के बारे में उपयुक्त प्रयास के बावजूद कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही हो उन्हे रद्द करने की सिफारिश करें।
86.	101	प्रशिक्षुता अधिनियम को उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा ताकि इसे उद्योग और युवाओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी प्रोत्साहित करती है ताकि वे इस स्कीम का लाभ उठा सकें।	कार्य पूरा हो चुका है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को उद्योग और युवाओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशिक्षुता (संशोधन) विधेयक, 2014 को लोकसभा द्वारा 14 अगस्त, 2014 को पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 100,000 प्रशिक्षुओं जिन्हें विनिर्माण और अन्य उद्यमियों द्वारा काम पर लगाया जाना है, के संबंध में निर्धारित प्रशिक्षुओं की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा साझा करने की स्कीम पर कार्रवाई की गई है। यह स्कीम 16.10.2014 को शुरू की गई।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
87.	102	बजट में वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया जो तीन महीनों में ठोस सुझाव दे सके।	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था की जांच करने और ठोस सुझाव देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल करके श्री के. वी. कामत की अध्यक्षता में दिनांक 26.9.2014 को समिति गठित कर दी गई है।
88 .	103	बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि स्टार्टअप कंपनियों के लिए इक्विटी, अर्ध इक्विटी, कम ब्याज दर वाले ऋण और अन्य जोखिम पूंजी उपलब्ध कराकर निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए 10,000 करोड़ रूपय की निधि स्थापित की जाए।	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस निधि को परिचालित करने के लिए एक ढ़ाचे का सुझाव देने के लिए सिडबी,डीएफएस, एमओएफपीआई और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ एक बैठक आयोजित की थी क्योंकि बजटीय अनुदान उपलब्ध नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण की कमी में से सिडबी को ऋण के रूप में वित्तपोषण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
89.	104	नवोन्मेष, उद्यमिता और कृषि-उद्योग से संबंधित के लिए तकनीकी केन्द्र नेटवर्क की स्थापना हेतु बजट में 200 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि से एक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।	नवोन्मेष, उद्यमिता और कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने, विनिर्माण की बहुल मूल्य-श्रृंखला के साथ अग्र-पश्च दिशिक संपर्क को बढ़ावा देने और उद्यमिता को सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय प्रोत्साहन के लिए निधि स्थापित करने की एक स्कीम पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है जो अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है।
90.	105	उच्चतर पूंजी सीमा उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की पुनर्समीक्षा की जाएगी। अगले और पिछले संयोजनों की सुविधा के लिए विनिर्माण तथा सेवा प्रदाता की बहुमूल्यन-श्रृखंला पर एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा।	एमएसएमई को भूमि छोड़कर संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित किया गया है। संयंत्र और मशीनरी की लागत में वृद्धि और अन्य संबद्ध घटकों के कारण इस परिभाषा को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। सलाहकार समिति की बैठक 9.10.2014 को आयोजित की गई है। इस संबंध में मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जा रहा है।
91.	106	आसान निकासी के लिए एसएमई के लिए उद्यमी समर्थक कानूनी दिवालिया ढांचा भी विकसित किया जाएगा। त्वरित उद्यमिता के लिए आवश्यक समर्थन मुहैया कराने और नए विचारों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी "जिला स्तरीय इन्क्युबेशन एण्ड एक्सीलरेटर प्रोग्राम" शुरू किया जा सकेगा।	भारत में कारपोरेट दिवालिया कानूनी ढांचा का अध्ययन करने और छह महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूर्व निजि सचिव और लोकसभा के महासचिव श्री टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।
92.	107	बजट में हस्तकरघा उत्पादों का विकास और	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद का नोडल एजेंसी के रूप

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		संवर्धन करने और वाराणसी जहां मैं एक टेक्सटाइल मेगा कलस्टर की सहायता करने का इरादा रखता हूँ , के हस्तकरघों की उच्च परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए का परिव्यय वाले एक व्यापार सुविधाकरण केन्द्र और एक शिल्प संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपुर और मैसूर में छह तथा तमिलनाडु में एक और टेक्सटाइल मेगा-कल्स्टरों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन के लिए बजट में कुल 200 करोड़ रुपए का आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।	में चयन किया गया है। वस्त्र मंत्रालय को ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर और शिल्प म्युजियम स्थापित करने के लिए बड़ा लालपुरा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की 8.18 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 7.11.2014 को सेंटर और म्युजियम की आधारशिला रखी गई। इसके लिए ईपीसीएच को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है जो डीसी(एचएल) के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। (ii) टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर , वाराणसी एक सतत प्रचालित किया जा रहा क्लस्टर है। (iii) प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य टेक्सटाइल मेगाक्लस्टर बरेली, लखनऊ और कच्छ के लिए पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के सहयोग से एसजीबी के जरिए परियोजना क्रियान्वयन कार्य किया जा रहा है। नैदानिक अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी और उसके पश्चात् कार्यान्वयन आरंभ होगा। (iv) भागलपुर में टेक्सटाइल मेगाक्लस्टरः क्लस्टर प्रबंधक और तकनीकी एजेंसी को काम पर लगाने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हो चुकी है और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने व्यावसायिक शुल्क के भुगतान पर एनआईएफटी, पटना को सीएमटीए के रूप में संस्तुत किया है। प्रस्ताव को आईएफ डब्ल्यू (टैक्स्टाइल) द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एआईएफटी पटना को क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) के रूप में काम पर लगाने के लिए उनके साथ करार पर हस्ताक्षर किए जा रहें हैं। (v) तमिलनाडु में टेक्स्टाइल मेगा क्लस्टरः राज्य सरकार ने व्यावसायिक शुल्क के भुगतान पर मै0 तमिलनाडु हथकरघा विकास निगम को सीएमटीए के रूप में काम पर लगाने की सिफारिश की है। प्रस्ताव को आईएफडब्ल्यू (टेक्सटाइल) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तमिलनाडु हथकरघा विकास निगम के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। सीएमटीए ने सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया है। (vi) सुरत(गुजरात) का टेक्सटाइल मेगा क्लस्टरः क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) को काम पर लगाने की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है। (vii) मैसूर में टेक्टाइल मेगा कलस्टरः सीएमटीए के चयन के लिए प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। सीएमटीए का चयन एक प्रतिस्पर्धी बरेली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
93.	108	बजट में दिल्ली में पीपीपी प्रणाली में हथकरघा/ हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण, बहाली और प्रलेखन के लिए एक हस्तकला अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में इस प्रयोजन के लिए कुल 30 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है।	डी/सी हस्तशिल्प द्वारा एक मंत्रिमंडल नोट परिचालित किया गया है। डीओई द्वारा यह राय व्यक्त की गई है कि प्रस्ताव को सचिव(ई) की अध्यक्षता में एफईएफसी द्वारा मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, ईएफसी ज्ञापन तैयार किया गया है।
94.	109	बजट में जम्मू व कश्मीर के अन्य शिल्पों के विकास के लिए पशमिना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं, 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।	अंशतः क्रियान्वित। पशमिना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) 8.10.2014 को आरंभ किया गया। जम्मू एवं कश्मीर के अन्य शिल्पों को विकसित करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है और इस संबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।
95	110	सरकारी निजी भागीदारी जिन्हें 3 पी इंडिया कहा जाता है को मुख्यधारा में रखते हुए सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी जिसमें 500 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि है।	30.10.2014 को मंत्रिमंडल सचिवालय को एक सीसीईए नोट अग्रेषित किया गया था। तथापि, उसे संशोधन के लिए लौटा दिया गया और कहा गया कि उसे मंत्रिमंडल हेतु नोट के रूप में बदल कर मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
96.	111	बजट में पत्तन संयोजकता पर केन्द्रित करते हुए इस वर्ष सोलह नए पत्तन परियोजनाओं को अवार्ड दिए जाने का प्रस्ताव है। चरण I के लिए तूतीकोरिन में बाह्य बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए 11,635 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे। कांडला और जेएनपीटी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की भी घोषणा की जाएगी।	(i) भारतीय शिपिंग कंपनियों को अपने खेप की विदेशों में दर्शाने की अनुमति प्रदान करना- इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिए जा चुके हैं और महानिदेशक (शिपिंग) द्वारा 23.07.2014 को अधिसूचना जारी की गई है। कार्रवाई पूरी हो चुकी है। (ii) पत्तन विकासः कार्य आरंभ करने के लिए पत्तन परियोजनाएं सौंपी गई है। (iii) चरण-I के लिए तूतीकोरिन में बाह्य बंदरगाह परियोजना का विकास- यह परियोजना 5686 करोड़ रूपए के जेआईसीए आफिसियल डवलपमेंट असिस्टैंट ओडीए) ऋण के लिए दिनांक 5 नवम्बर, 2014 को जापान सरकार के समक्ष रखी गई है। (iv) नवीं मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) एसईजेडः इस एसईजेड के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 16.7.2014 को अनुमोदन प्रदान किया है। जेएनपीटी में एसईजेड 16.8.2014 को शुरू किया गया। कांडला पोर्ट ट्रस्टः वाणिज्य मंत्रालय का सिद्धांत रूप में अनुमोदन जुलाई, 2014 में प्रदान किया गया है। कांडला और टुना, गुजरात में 5000 हेक्टेयर भूमि में पत्तन आधारित बहु-उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट को 7 मई, 2007 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			डेवलपर को पूर्व के अनुमोदन की वैधता 6 मई, 2015 तक लागू रहने संबंधी विस्तार अनुमोदित किया गया। एसईजेड के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाने पर एसईजेड के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। (i) भारतीय पोत निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने की एक व्यापक नीति। "नई पोत निर्माण विकास स्कीम" के संबंध में मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप 17.09.2014 को परिचालित किया गया। राजस्व विभाग और व्यय विभाग को छोड़कर अन्य सभी मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई है। इन दो विभागों से टिप्पणियां प्राप्त होने पर मंत्रिमंडल हेतु नोट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
97.	112	1620 कि.मी. की दूरी कवर करने के लिए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच "जल मार्ग विकास (राष्ट्रीय जल मार्ग-I)" नामक एक गंगा परियोजना विकसित की जाएगी। जिनसे कम से कम 1500 टन पोतों का वाणिज्यिक नौवहन हो सकेगा। 4200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह परियोजना छह वर्ष में पूरी होगी।	विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग के हाल्दिया-बाढ़ खंड पर निवेश हेतु 5 मिलियन अमरीकी डालर का तकनीकी सहायता सहित 100 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत की एक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएआई में परियोजना निगरानी यूनिट (पीएमयू) स्थापित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि बाढ़-वाराणसी और वाराणसी-इलाहाबाद खंड के लिए निवेश सहायता के संबंध में इलाहाबाद तक के संपूर्ण विस्तार हेतु किए गए संभाव्यता अध्ययन का परिणाम प्राप्त होने के बाद निर्णय किया जाएगा। वाणिज्य नौसंचालन के लिए 3.5 मीटर तक के न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) वाले इलाहाबाद से हाल्दिया के बीच के गंगा नदी के क्षेत्र का विकासः परियोजना निगरानी यूनिट (पीएमयू) स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) सितंबर, 2014 के दूसरे सप्ताह में जारी की गई। ईओआई संबंधी प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी हैं और उनका आईडब्ल्यूएआई में मूल्यांकन किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएआई ने डीपीआर तैयार करने और ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है।
98.	113	टीयर-I तथा टीयर-II में नए विमानपत्तनों की एक स्कीम शुरू की जाएगी जोकि भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण या सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू की जाएगी।	श्रेणी-I और श्रेणी-II शहरों में क्षेत्रीय हवाई संयोजकता को बढ़ावा देने के लिए अब तक 50 स्थानों की पहचान की गई है। निम्नलिखित पांच हवाई अड्डों अर्थात कर्नाटक में हुबली और बेलगाम; राजस्थान में किशनगढ़; ओडिशा में झारसुगुडा और अरूणाचल प्रदेश में तेजु के संबंध में भारतीय विमानपत्तन

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			प्राधिकरण द्वारा काम शुरू किया जा चुका है। तथापि, नो-फ्रिल एयरपोर्ट पॉलिसी के तहत पहचाने गए शेष 45 स्थानों की समीक्षा की जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से परामर्श करके निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थानों की नई सूची तैयार की जाएगीः (i) संबंधित शहर की आबादी कम से कम 10 लाख हो; (ii) उस स्थान का पर्यटन की दृष्टि से महत्व हो; (iii) स्थान हवाई अड्डा प्रचालन के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हो; (iv) विगत में उस स्थान से उड़ाने की आवाजाही हुई हो; (v) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त परियोजना लागत के कुछ हिस्से का वहन किया जाए। (vi) सभी नए नो-फ्रिल हवाई अड्डों को पीपीपी के तहत विकसित किया जाए। (vii) विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के मामले में हवाई अड्डों के भविष्य में विकास के लिए सामाजिक दायित्व, क्षेत्रीय सुदूर संयोजकता आदि जैसी अन्य बातों को ध्यान में रखा जाए।
99.	114	बजट में एनएचएआई और राज्य सड़कों पर ₹37,880 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें ₹3,000 करोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए होंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान 85,00 कि.मी. राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।	2014-15 में परियोजना सौंपे जाने के लिए 8500 किमी. का लक्ष्य रखा गया है। 2014-15 में 6300 किमी. निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1400 किमी. राजमार्ग निर्मित किया जा चुका है।
100.	116	बजट में "अल्ट्रा माडर्न सुपर क्रिटीकल कोल आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी" नामक नई स्कीम के अंतर्गत आरंभिक कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।	ईएफसी ने 23.6.2014 को हुई अपनी बैठक में ताप विद्युत संयंत्र के लिए उन्नत अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी विकसित करने से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए ईएफसी ने सुझाव दिया है कि परियोजना के एक पर्याप्त भाग को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) द्वारा शासित किया जाएगा। तदनुसार, ताप विद्युत संयंत्र हेतु उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजना हेतु एनसीईएफ के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी मंजूर करने के लिए अंतःमंत्रालयीय समूह के विचारार्थ वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			बीएचईएल से अनुरोध किया गया है कि ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एक मिशन मोड में उन्नत अल्ट्रा सुप क्रिटिकल प्रौद्योगिकी विकसित करने और विशेषकर एफएससीटीआर स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना संबंधी महत्वपूर्ण परियोजना क्रियाकलापों को आरंभ करें। मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में आवंटित 100 करोड़ रुपए की राशि बीएचईएल को जारी कर दी जाएगी।
101.	117	कोयला क्षेत्र में विद्यमान गतिरोध सुलझा लिया जाएगा और ऐसे ऊर्जा संयंत्रों को कोयला की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी जो कि पहले से काम शुरू कर चुके है या मार्च 2015 तक काम शुरू कर देंगे ताकि निष्क्रिय निवेशों से लाभ उठाया जा सके। कोयला लिंकेज के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया कोयला परिवहन को अनुरूपता प्रदान करेगी और इस प्रकार विद्युत की लागत कम होगी।	विद्युत मंत्रालय ने संस्थापित हो चुकी या मार्च 2014 तक और आगे 12वीं योजनावधि के अंत तक संस्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला आपूर्ति करने के लिए सीसीईए हेतु नोट का प्रारूप परिचालित किया था जिसे अब वापस ले लिया गया है।
102.	118	बजट में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू व कश्मीर के लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए मैंने 500 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किया है। एक लाख पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सरकार का प्रस्ताव सौर ऊर्जा चालित कृषि पम्प सेट तथा जल पम्पिंग केन्द्र स्कीम शुरू करने का है। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। नहरों के किनारे 1 मेगावाट सौर पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा का स्थानांतरण सुसाध्य बनाने के लिए हरित ऊर्जा कोरीडोर परियोजना को इस वित्त वर्ष में त्वरित किया जाएगा।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर पंपों के लिए सब्सिडी की एक स्कीम चलाई जा रही है। अब इसे कृषि मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति मंत्रालय के साथ समेकित किया जाएगा ताकि ड्रिप सिंचाई, जल संचयन आदि को सौर पंपों से संयोजित किया जा सके जिससे किसानों को संपूर्ण समाधान प्राप्त होगा। लक्षित 1 लाख पंप में से 20,000 पंप पेय जल आपूर्ति मंत्रालय, 50,000 पंप राज्य की नोडल एजेंसियों को और शेष 20,000 पंप नवोन्मेषी कार्यों के लिए नाबार्ड को आवंटित किए गए हैं। ऑफ-ग्रिड सोलर पीवी कार्यक्रम जिसका सौरपंप एक संघटक है, की चालू स्कीम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के आधार पर सौर पंपों को स्थापित करने और जारी की जाने वाली अग्रिम राशि के संबंध में राज्यवार लक्ष्य से राज्यों को इस अनुरोध के साथ सूचित कर दिया गया है कि वे आवंटित लक्ष्य के संबंध में अपनी स्वीकृति संसूचित करें। अब तक ग्यारह राज्यों ने सूचित लक्ष्य की पुष्टि की है और उन्हें 25,503 सौर पंप संस्वीकृत किए गए हैं और 46 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम के रूप में जारी की गई है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड को बैंकों के माध्यम से कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 54 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			"नहरों के किनारों पर 1 मेगावाट सोलर पार्क विकसित करने" की नई स्कीम के संबंध में एक ईएफसी नोट परिचालित किया गया ताकि योजना आयोग से 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्राप्त किया जा सके और साथ ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों से भी उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो। अब योजना आयोग से अनुमोदन टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है और ईएफसी बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। प्रस्ताव के संबंध में ईएफसी से सहमति प्राप्त होने पर इस संबंध में मंत्रिमंडल/सीसीईए से यथा शीघ्र अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इंटर स्टेट ट्रान्समिशन स्कीम के लिए निविदा की प्रक्रिया भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएम) द्वारा 250 मिलियन यूरो के एएफडब्ल्यू ऋण (जर्मन विकास बैंक) के पहले खंड के अंतर्गत जुलाई 2014 में आरंभ की गई। इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में तमिलनाडु ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले पैकेज हेतु निविदाएं जारी की जा चुकी है। अब राजस्थान सरकार से एक संशोधित पैकेज प्राप्त हुआ है जिसकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश राज्यों के संबंध में इंट्रा स्टेट ट्रान्समिशन स्कीमों तथा केएफडब्ल्यू ऋण खंड-ii और iii के अंतर्गत इंटर स्टेट स्कीम हेतु डीपीआर और निविदा दस्तावेज को दिसंबर 2014 में अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।
103.	119	सरकार की मंशा है कि कोयला क्षेत्र में आरक्षित मिथेन का उत्पादन और दोहन त्वरित गति से किया जाए। ऐसे स्थलों से अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए पुराने या बंद पड़े कुओँ को दोबारा खोलने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना की भी तलाश की जाएगी।	सीबीएम नीति के अंतर्गत खोज कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया है। सौंपे गए 33 सीबीएम खंडों के लिए कुल अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 63.85 टीसीएफ (1810बीसीएम) हैं जिसमें से गैस इनप्लेस (जीआईपी) के रूप में केवल 9.9 टीसीएफ (277.2 बीसीएम) संस्थापित किया गया है जिसका कारण यह है कि सीबीएम संसाधनों की खोज करने और उन्हें विकसित करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक खंड से सीबीएम का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन 14 जुलाई, 2007 से शुरू हो गया है। वर्तमान में सीबीएम उत्पादन लगभग 0.45 एमएमएससीएमडी है और उसे व्यवसाय में प्रयोग में लाया जा रहा है तथा इसके 2016-17 तक लगभग 4 एमएमएससीएमडी हो जाने का अनुमान है। 31.3.2013 तक 640 से भी अधिक कुएं (कोर होल और

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			उत्पादन कुएं) खोदे जा चुके हैं और सीबीएम क्रियाकलापों पर कुल 4293 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है। सीबीएम नीति में संशोधन के प्रस्ताव एक व्यापक नोट के संबंध में सीसीईए के लिए एक व्यापक नोट तैयार किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित मुद्दों के समाधान का भी जिक्र किया गया हैः (i) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों को आवंटित कोयला-खनन पट्टे के अधीन क्षेत्रों से सीबीएम की खोज और प्रयोग की अनुमति दी जाए; (ii) सीबीएम के उत्पादन हेतु निवेश को प्रत्सोहित किए जाने के लिए ठेकेदार को किसी भी आवंटन प्राथमिकताओं का अनुपालन किए बिना मूल्य की बोली आधार पर गैस बेचने की अनुमति प्रदान की जाए। (iii) प्रचालन से सूक्ष्म प्रबंधन को समाप्त करने के लिए मौजूदा सीबीएम अनुबंध को सरल बनाया जाए। (iv) सीबीएम और कोयला/तेल और गैस खंडों के अतिच्छादन संबंधी समस्या के समाधान हेतु एक कार्य-योजना तंत्र को स्थापित किया जाए। मंत्रिमंडल हेतु नोट तैयार किया जा रहा है और उसे व्यापक परामर्श की दृष्टि से अंतःमंत्रालयीय परामर्श हेतु परिचालित किया जाएगा।
104.	120	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपयोगिता मिशन मोड में तेजी से लाई जाएगी क्योंकि यह स्वच्छ है और इसकी प्रदायगी में सहूलियत होती है।	31.12.2013 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 953 सीएनजी स्टेशन और पाइप से गैस आपूर्ति प्राप्त करनेवाले 24 लाख से अधिक परिवार थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) जिसे सीजीडी निकायों को रॉल आउट करने का कार्य सौंपा गया है, ने पाइपलाइन कनेक्विटी और गैस उपलब्धता के आधार पर 300 भौगोलिक क्षेत्रों में नए सीजीडी स्टेशन संस्थापित करने की योजना तैयार की है। वर्तमान में 43 भौगोलिक क्षेत्र में अनेक कंपनियां अपना प्रचालन कर रही है जबकि 18 भौगोलिक क्षेत्रों को पीएनजीआरबी द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पीएनजीआरबी ने अपने चौथे सीजीडी बोली चक्र में 14 नए भौगोलिक क्षेत्रों (जिलों) में सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के ए प्राधिकृत कंपनियों से बोली आमंत्रित भी की है। पीएनजीआरबी को 14 भौगोलिक क्षेत्रों में से 9 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए कुल 44 बोलियां प्राप्त हुई हैं।
105.	121	बजट में यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त सरकारी	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वीजीएफ के साथ

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		निजी भागीदारी माडलों का उपयोग करते हुए इन पाइप लाइनों का विस्तार किया जाए। इसमें घरेलू तथा आयातित गैस का उपयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो लम्बे समय में ऊर्जा के किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने में फायदेमंद होगा।	पीपीपी मोड में पायलट आधार पर रांची-तल्चर पारादीप पाइपलाइल पर कार्य करने के लिए "प्रायोजक प्राधिकरण" के रूप में गैल (जीएआईएल) को अभिज्ञात किया है। अक्टूबर, 2014 में गेल ने परियोजना-पूर्व क्रियाकलापों के लिए आईआईपीडीएफ वित्त पोषण के लिए आर्थिक कार्य विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया है। आर्थिक कार्य विभाग ने आईआईपीडीएफ निधि के लिए गेल के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 25.11.2014 को एक बैठक आयोजित की। गेल ने परियोजना के लिए सर्वेक्षण टोह का काम शुरू कर दिया है जिसके दिसंबर, 2014 तक पूरा हो जाने की आशा है। पीपी करार की प्रत्याशित तिथि दिसंबर, 2015 है।
106.	122	पर्यावरणीय सरोकारों का त्याग किए बगैर उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सतत खनन प्रचलनों को प्रोत्साहित करना और खनन सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन देना मेरी सरकार की मंशा है। लौह अयस्क के खनन सहित खनन सेक्टर में बाधाओं को शीघ्रता से दूर करने की आवश्यकता है। इसे सुसाध्य बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में बदलाव लाया जाएगा।	खान मंत्रालय खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) में किए जाने वाले संशोधनों की पहचान कर रहा है। माननीय खान मंत्री ने इस मामले में राय देने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों से इस संबंध में प्राप्त राय के आधार पर खान मंत्रालय द्वारा आगे कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।
107.	123	खनिजों पर रायल्टी की दर में संशोधन करने के लिए अनेक राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। रायल्टी की दर में संशोधन तीन वर्ष की अवधि के बाद किया जा सकता है। पिछली बार अगस्त, 2009 में संशोधन किया गया था। अतः राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक राजस्व सुनिश्चित करने हेतु और एक संशोधन किया जाएगा।	कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति ने 20.8.2014 को हुई कंपनी बैठक में रॉयल्टी की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना 1.9.2014 को जारी की गई थी।
108.	124	सरकार का प्रयास इस पर शीघ्रता से सभी पणधारकों के साथ परामर्श की चालू प्रक्रिया को पूरा करन मेरा प्रयास होगा। बढ़ती जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा अपनाना भी अनिवार्य है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन परामर्श करके ऐसा मौद्रिक नीति ढांचा लाएगी।	• **प्रारूपण नियम** ➢ एक वित्तीय क्षेत्र की विनियामक नियुक्ति तलाश समिति (एफएसआरएएससी) स्थापित करने के लिए एसीसी हेतु नोट प्रस्तुत किया गया है। ➢ विनियामकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट नियम तैयार किए गए हैं। • **टास्क फोर्स का गठन** नई एजेंसी/अपग्रेड होने वाली एजेंसियों (अध्यक्ष के

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			परामर्श से सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देना) के लिए टास्क फोर्स को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। • **विधायी कार्य** सभी पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर भारतीय वित्तीय कोड को प्रारूप को अनुकूलित किया जा रहा हैः इसके दिसंबर 2014 तक पूरा हो जाने की आशा है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति संबंधी करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई है।
109.	125	यद्यपि उपर्युक्त उपायों के प्रभाव मध्यावधि में महसूस किए जाएंगे, इसी उद्देश्य के लिए बजट में निम्नलिखित का प्रस्ताव है कि :	
	i)	वित्तीय सेक्टर के विनियामकों को जीवंत, गहन और नकदी कारपोरेट बांड बाजार के लिए तुरन्त कदम उठाने और अनावश्यक अड़चनों को दूर करके मुद्रा व्युत्पन्न बाजार को गहन बनाने की सलाह देना।	भारतीय वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों की स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त करके मुद्रा व्युत्पन्न बाजार को संपुष्ट करने संबंधी नीतिगत प्रस्तावों को शामिल करके अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने की आशा है। इस मामले पर एफएसडीसी द्वारा भी विचार विमर्श किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों की स्थायी समिति की अगली बैठक 7 नवबंर, 2014 को निर्धारित की गई है। समिति मुद्रा व्युत्पन्न, आईजीआईडीआर द्वारा तैयार जिन्स व्युत्पन्न और इक्विटी व्युत्पन्न संबंधी रिपोर्ट पर विचार करेगी।
	ii)	सभी सेक्टरों के लिए विदेश में भारतीय कारपोरेट द्वारा जारी सभी बांडों में 5% रोक लगाने के कर की उदारीकृत सुविधा देना और स्कीम की वैधता 30-06-2017 तक बढ़ाना।	कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आय कर अधिनियम के अनुच्छेद 194 एलसी को संशोधित कर दिया गया है।
	iii)	सभी अनुमेय प्रतिभूतियों पर निक्षेपागार प्राप्तियां जारी करना अनुमत बनाने के लिए एडीआर/जीडीआर के दायरे को उदार बनाना।	संशोधित एडीआर/जीडीआर स्कीम (साहू समिति की सिफारिशों के अनुसार) स्वीकार कर ली गई है और नियामक प्राधिकरणों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा समर्थकारी संशोधनों को कर दिए जाने के बाद इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।
	iv)	भारतीय ऋण प्रतिभूतियों का अंतरराष्ट्रीय भुगतान अनुमत करना।	भारतीय ऋण प्रतिभूतियों की यूरो क्लियरेब्लिटी को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में, स्कीम को प्रचालन योग्य बनाने के संबंध में

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			विशिष्ट तौर-तरीकों पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।
	v)	भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों को पूरी तरह पुनर्जीवित करना और कहीं अधिक उदार और महत्वाकांक्षी भारत निक्षेपागार प्राप्ति शुरू करना।	आईडीआर पर साहू समिति (चरण II भाग I) की रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है और इसे जनता की राय और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। भारतीय भारतीय रिवर्ज बैंक, सेबी,राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों/मंत्रालयों से भी राय मांगी गयी है। तथापि, अभी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।
	vi)	चिर-प्रतीक्षित समस्या का समाधान करने के लिए जिन निधियों के प्रंबधक भारत में स्थित है उन विदेशी निधियों की आय पर कर उपाय स्पष्ट करना।	कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आय कर अधिनियम का अनुच्छेद2(14) संशोधित किया जा चुका है।
110.	126	i) एक समान अपने ग्राहक को जानो मानदण्ड और समस्त वित्तीय सेक्टरों में केवाईसी रिकार्डो का अन्तर-उपयोग आरंभ करना।	भारतीय रिजर्व बैंक पायलट प्रचालन के लिए केवाईसी टेम्पलेट को अंतिम रूप देने और सीईआरएसएआई के माध्यम से अंतिम रूप से क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। राजस्व विभाग द्वारा एक रिपोर्टिंग निकाय के रूप में सीईआरएसआई को कानूनी सहायता देकर केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का प्रचालन आरंभ करने के लिए पीएमएल नियमों से संबंधित संशोधन को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने का काम किया जाना है। राजस्व विभाग से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
		ii) एक ही प्रचालनात्मक डिमैट खाता शूरू करना ताकि भारतीय वित्तीय सेक्टर के उपभोक्ता इसी एक खाते के जरिए सभी वित्तीय आस्तियों तक पहुंच सकें और लेन-देन कर सकें।	इस घोषणा को लागू करने के संबंध मे एफएसडीसी उप समिति की 9.8.2014 को हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया। उप समिति इस बात पर सहमत हुई कि फिलहाल परियोजना का कार्य क्षेत्र केवल वित्तीय आस्तियों को देखने तक ही सीमित किया जाए। तथापि, लेखा समेकन की प्रौद्योगिकी प्रतिबंधित होगी ताकि इसे बाद में व्यापारिक लेन-देन को सुकर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। यह सुझाव भी दिया गया है कि इस क्षेत्र के अन्य निकायों जैसे कि सेबी द्वारा किए गए प्रयासों का भी लाभ उठाया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर भी सहमत हुआ कि लेखा समेकन की प्रणाली को लागू करने के लिए एक समर्थकारी ढांचा स्थापित करने के लिए आईआरटीजी को आगे आना चाहिए। (सीईआरएसएआई वित्तीय सेवाएं विभाग के नियामक प्रक्षेत्र के अंतर्गत आता है। वित्तीय सेवाएं विभाग से इस घोषणा को शीघ्र लागू करने करना सुनिश्चित करने का अनुमोदन किया जाए)

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
111.	127	भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण ने भाण्डागार सेक्टर को शक्तिशाली बनाने सौदे-बाजी योग्य भाण्डागार प्राप्तियों के विरूद्ध किसानों को फसल कटाई पश्चात् ऋण देने में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए परिवर्तन आयोजना शुरू की है। इस आयोजना को उत्साह पूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा।	I. जिन संघटकों के लिए बजटीय आवंटन आवश्यक नहीं है उनके लिए कार्य योजना आरंभ करना-कार्ययोजना/ रूपातंरण योजना की शुरूआत का द्योतक है। कोई भी सुपुर्दगी योग्य राशि देय नहीं है। II. बाजार सर्वेक्षण-(क) अवधारणा सर्वेक्षण सहित भंडारण संबंधी सर्वेक्षण का अंतिम अभिकल्प। (ख) प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही आरंभ करना। (ग) सभी नियमों और विनियमों के प्रारूप पर विचार करने के लिए सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सूचित किया जाए तथा प्रयोग में लाया जाए। III. (क) संगठनात्मक क्षमता निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए प्राथमिक परामर्शदाता की सेवाएं लेना - (i) पीसी क्रय हेतु आरएफपी/निविदा (ii) प्राप्त प्रस्तावों की जांच (iii) पीसी का चयन परियोजनागत आयोजना की डिलिवरी और पीसी द्वारा अन्य उपलब्धियां (iv) डब्ल्युडीआरए के संगठन चार्ट की तैयारी (v) परियोजना आयोजना के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए पीसी, जिसमें डब्ल्युडीआरए के लिए एचआर क्षमता संवर्धन योजना शामिल हैं। IV. प्रारूप नियमों एवं विनियमों का पहला सेट तैयार करना (क) पंजीयन, प्रत्यायन और कार्मिकों की सेवा की निबंधन एव शर्तों विषयक नियमों एवं विनियमों का प्रथम प्रारूप (ख) औपचारिक हितधारक परामर्श, नोटिस अभिमत प्रक्रिया तथा सूचनाओं पर कार्रवाई (ग) पंजीयन, प्रत्यायन और सेवा के निबंधन एव शर्तों संबंधी नियमों एवं विनियमों के अंतिम प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना। V. प्रारूप नियमों एवं विनियमों का पूरा सेट तैयार करना (क) निरीक्षण, विवाद समाधान, प्रयोग एनडब्ल्युआर के निर्गम संबंधी नियमों और विनियमों का पहला प्रारूप। (ख) औपचारिक हितधारक परामर्श, नोटिस-टिप्पणी प्रक्रिया तथा सूचनाओं पर कार्रवाई। (ग) निरीक्षण, विवाद समाधान, प्रयोग तथा एनडब्ल्युआर के निर्गम संबंधी नियमों एवं विनियमों के अंतिम प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना। (घ) नए नियमों एवं विनियमों से संबंधित कार्यान्वयन मुद्दों का समाधान। VI डीपीआर का पूरी तरह से कार्यान्वयन (इसके लिए प्राथमिक परामर्शदाता से पर्याप्त कार्य की अपेक्षा होगी और विशिष्ट प्रत्यायनों तथा निष्पादन आदि की भी अपेक्षा होगी), (क) वेयरहाउसिंग तथा एनडब्ल्युआर

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			डाटाबेस सृजन हेतु आयोजना की तैयारी पीसी को करनी होगी। (ख) आईटी के लिए अनुबंध, तैयार मैन्युअलों को जारी करना। पीसी परियोजना आयोजना कार्यान्वयन को मॉनिटर करेगा और डब्ल्युडीआरए तथा एनआईपीएफपी को नियमित रिपोर्ट करेगा (रिपोर्टिंग ढांचे को बदल दिया गया है और औपचारिक, आंतरिक प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट डब्ल्युडीआरए में तैयार की जाएगी, जिसमें डब्ल्युडीआरए के सदस्य, एनआईपीएफ के प्रतिनिधि तथा कतिपय प्रत्यायन होंगे) (घ) प्रोजेक्ट आयोजना का कार्यान्वयन पूरा हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी (एनआईपीएफपी) के प्रतिनिधियों ने वेयरहाउस सेवा प्रदाताओं, आनुषंगिक प्रबंधकों, बैंकों, अधिवक्ताओं तथा वस्तु विनिमय केन्द्रों से परामर्श किया ताकि बाजार पद्धतियों और वेयरहाउसिंग बाजार के विषयों का अध्ययन किया जा सके। बाजार सर्वेक्षणों के लिए आरएफपी दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और देश में वेयर हाउसिंग के परिमाणात्मक प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य हेतु एक एजेंसी के चयन के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा निविदा प्रकाशन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
112.	128.	अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समाभिरूप भारतीय कम्पनियों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से और वित्त वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से नए भारतीय लेखाकरण के मानक अपनाने का प्रस्ताव किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय सहमति के आधार पर बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के लिए भारतीय लेखाकरण मानकों के क्रियान्वयन की तारीख को विनियामक अलग से अधिसूचित करेंगे। कर परिगणना के मानकों की अलग से जांच की जाएगी।	भारतीय लेखाकरण के नए मानकों (इण्ड एएस) को अंगीकार करने के लिए इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया (आईसीएआई) से एक रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया है। अद्यतन इण्ड एएस की अधिसूचना के लिए आवश्यक अनुमोदन 31.12.2014 से पहले ले लिए जाएं। डीओएफएस बैंकों के लिए आरबीआई तथा आईबीए के साथ मामले को उठा रहा है और निर्गम कंपनियों के लिए आईआरडीए तथा जीआईपीएसए के साथ उठा रहा है। बजट घोषणा कार्यान्वयन के लिए रुपरेखा पर विचार-विमर्श हेतु सेबी तथा आईसीए के प्रतिनिधियों के साथ एमओसीए में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। कर तथा अन्य मामलों के बारे में सीबीडीटी तथा सेबी के साथ सहयोग की आवश्यकता है। अपर सचिव (मोका) की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल इन एवं अन्य कार्यान्वयन मामलों को देखेगा। वित्त (सं.2) अधिनियम, 2014 में इनकम कम्प्युटेशन एण्ड डिस्क्लोजन स्टैण्डर्ड्स (आईसीडीएस) की अधिसूचना के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 145 के उपबंधों को संशोधित कर दिया गया है। ये मानक वित्त वर्ष 2015-16 तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए आय गणना

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			हेतु लागू होंगे। आईसीडीएस की अधिसूचना 31.12.2014 से पहले पूरी हो जाएगी।
113.	129.	सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। सैद्धांतिक रूप से सरकार इन सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत है।	एसबीआई से व्यवहार्यता अध्ययन के लिए कहा गया है। मामला विचाराधीन है।
114.	130.	देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में एक समयबद्ध कार्यक्रम इस वर्ष 15 अगस्त को प्रांरभ किया जाएगा। इसमें समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा, इसमें महिलाएं छोटे और सीमान्त किसान और श्रमिक भी शामिल होंगे। प्रत्येक परिवार में दो बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव है, जो ऋण के लिए भी पात्र होंगे।	"प्रधानमंत्री जन-धन योजना", वित्तीय समावेशन संबंधी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28.08.2014 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 5.59 करोड़ खाते 8.10.2014 तक खोले जा चुके हैं, जिसमें से 2.30 करोड़ खाते शहरी क्षेत्र में तथा 3.29 करोड़ खाते ग्रमीण क्षेत्र में हैं। 4.23 करोड़ खाते शून्य शेष के तथा शेष 1.36 करोड़ खातों में ₹4334.34 करोड़ जुटाए गए हैं। प्रति खाता औसत शेष ₹775.37 है। कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है।
115.	131.	इस सेक्टर में अपेक्षाकृत बड़े निजी सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहन देने में अवसंरचना हेतु दीर्घावधिक वित्तपोषण बड़ी अड़चन बनी हुई है। आस्ति पक्ष में, बैंकों को अवसंरचना सेक्टर के लिए दीर्घावधिक ऋण देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसकी संरचना में लचीलापन होगा, जिससे संभावित प्रतिकूल आकस्मिकताओं को आत्मसात किया जा सके (कभी-कभी 5-25 संरचना के रूप में जाना जाता है)। देनदारी पक्ष में बैंकों को अवसंरचना सेक्टर को देने हेतु दीर्घावधिक निधि जुटाने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी पूर्व शर्तें कम से कम होंगी जैसाकि सीआरआर, एसएलआर और प्राथमिक सेक्टर ऋण (पीएसएल)।	इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जुलाई, 2014 को बैंकों को दो परिपत्र जारी किए हैं जिनमें उन्हें अवसंरचना बांडों के जरिए दीर्घावधिक निधियां उगाहने और अवसंरचनागत परियोजनाओं को ढांचागत ऋणों में लचीलापन उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है।
116.	132.	मौजूदा ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष में निजी सेक्टर में सार्वभौमिक बैंकों को सतत् प्राधिकार देने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा। छोटे बैंकों और अन्य विशिष्ट बैंकों को लाइसेंस देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक ढांचा	भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.7.2014 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए "लाइसेंसिंग आफ पेमेंट बैंक्स" के प्रारूप दिशानिर्देश तथा छोटे बैंकों की लाइसेंस व्यवस्था के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि हितधारियों से 30.8.2014 तक विकल्प मांगे जा सकें। इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		तैयार करेगा। आला हितों की पूर्ति करने वाले विशिष्ट बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक आदि की परिकल्पना छोटे कारोबारों, असंगठित क्षेत्र, निम्न आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्य बल की ऋण और प्रेषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है।	
117.	133.	सरकार के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां जुटाना एक चिंता का विषय है। चंडीगढ़, बेंगलुरू, एरनाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में छह नए ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। अन्य बलित आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार कारगर उपाय तैयार करेगी।	मंत्रिमंडल नोट पर शहरी विकास से अभ्युक्तियां मांगी गई हैं।
118.	134.	भारत में बीमा के लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग तक नहीं पहुंच पाए हैं और बीमा की पैठ तथा सघनता बहुत कम है। सरकार बहु-आयामी तरीके से इस स्थिति का समाधान करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए सभी संबंधित पणधारकों की सहायता ली जाएगी। इसमें उपयुक्त कर प्रोत्साहन, बैंकिंग सम्पर्कियों का उपयोग, निजी सेक्टर के बीमा द्वारा खोले गए वृह्द् कार्यालयों को सुदृढ़ करना शामिल होंगे। संसद के विचारार्थ लंबित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को भी इसमें लेने का प्रस्ताव है।	एलआईसी, जीआईपीएसए कंपनियों और आईआरडीए (इरडा) ने 16 जुलाई, 2014 की इस घोषणा को पूरा करने लिए प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत की। कार्रवाई योजना की बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को समाविष्ट करके अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम प्रारूप के लिए इरडा, जिप्सा, एलआईसी से मांगी गई सूचना अभी प्रतीक्षित है तथा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। व्यापक वित्तीय समावेशन को लक्षित करके प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत लाइफ/- लाइफ सेक्टर के माइक्रो बीमा उत्पादों के व्यापक कवरेज हेतु पीएसआईसी से अनुरोध किया गया है कि वे नीतियों के कवरेज/जारी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अंतिम रूप दें और पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत प्रत्येक उपसेवा क्षेत्र के लिए ब्लाक स्तरीय बैंकर समिति समन्वयक तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएसवीपी), जिला स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से इसका अनुसरण करें। पीएआईसी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि सभी क्षेत्रीय/शाखा अधिकारी इस कार्यक्रम के रॉल आउट और लक्ष्यप्राप्ति से करीब से सहबद्ध हो और इसके लिए फील्ड की बैंक इकाइयों से समन्वय और नियमित मानीटरिंग करें।
119.	135.	बजट में वित्तीय सेक्टर में सुधार के अंतर्गत कानूनी प्रयासों के भाग के रूप में इनामी चिट	प्रारूप मंत्रिमंडल नोट और विधेयक को विभाग में अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी हितधारकों के साथ बैठकें की

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत विनियामक कमी को पाटने का प्रस्ताव किया गया।	गई। मंत्रालयों/विभागों से लिखित उत्तर प्रतीक्षित हैं।
120.	136.	बचत दर में गिरावट की चिन्ता दूर करने और अल्प बचतकर्ताओं के लिए प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए, अल्प बचतों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव किया गया।	प्रस्तुत किया जा रहा है।
121.	137.	मेरी सरकार, कन्या (लड़की) के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। कन्या को शिक्षा देने ओर उसके विवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष अल्प बचत लिखत शुरू की जाएगी। बीमा कवर के साथ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र भी अल्प बचतकर्ता को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया जाएगा।	स्कीम को 2 दिसम्बर, 2014 को अधिसूचित किया गया है।
122.	138.	लोक भविष्य निधि स्कीम में वार्षिक अधिकतम सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया जाएगा।	कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है। पीपीएफ की योजना की उच्चतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है।
123.	139.	बजट में रक्षा के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 2,29,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया।	कार्रवाई को पूरा किया गया। रक्षा मंत्रालय की मांग में पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है।
124.	140.	बजट में इस वर्ष की आवश्यकता पूरी करने के लिए और 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया।	प्रस्ताव की जांच के लिए सीजीडीए की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यदल ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन हेतु कुछ संभावित विकल्प सुझाए। कार्यदल द्वारा सुझाए गए कुछ विकल्पों की जांच की गई और रक्षा मंत्री को प्रस्तुत किए गए। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा सचिव (ईएसडल्ब्यू), वित्त सलाहकार (डीएस) सीजीडीए के साथ एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन पर दिनांक 26.8.2014 को एक बैठक आयोजित की गई। तौर-तरीकों पर विचार किया जा रहा है।
125.	141.	बजट में मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा हेतु पूंजी परिव्यय 5000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल प्रणाली का त्वरित विकास करने के लिए	रक्षा मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्रालय से सेना अनुदान के पूंजी खण्ड में रक्षा रेल नेटवर्क के लिए किए गए 1000 करोड़ रुपए के आबंटन को वापस लेने और रणनीतिक रेलवे लाइनों के विकास हेतु रेलवे बोर्ड

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		1000 करोड़ रुपए शामिल है। अधिप्राप्ति की प्रक्रिया तेज और अधिक सक्षम बनाने के लिए इसे सरल और कारगर बनाने हेतु अनिवार्य कदम भी उठाए जाएंगे।	को समाप्त न होने वली समर्पित निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए।
126.	142.	प्रिन्सेज पार्क में युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसका अनुपूरण युद्ध संग्रहालय द्वारा होगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है।	मुख्य अभियंताओं के प्रमुख (सेना मुख्यालय) द्वारा प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना तथा अन्य योजना पैरामीटरों के लिए रूपरेखा शामिल है ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। परियोजना के अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
127.	143.	वर्ष 2011 में सरकारी और निजी सेक्टर की कंपनियों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के लिए अलग से एक निधि की घोषणा की गई थी, इसमें एसएमई तथा देश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने वाली रक्षा प्रणाली के अनुसंधान और विकास में सहायक शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाएं शामिल हैं। तथापि, घोषणा के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए इस उद्देश्य की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने हेतु 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।	सभी हितधारकों के साथ परामर्श से स्कीम को तैयार किया जा रहा है। स्कीम दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और सभी हितधारकों को परिचालित कर दिया है ताकि वे अपनी टिप्पणियां/विचार दे सकें। स्कीम का प्रारूप केबिनेट नोट स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, लोक खाता के अन्तर्गत गैर समाप्य निधि के रूप में रक्षा मंत्रालय (सिविल) के अन्तर्गत एक पृथक बजट शीर्ष बनाने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
128.	144.	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम की समीक्षा की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटन 2013-14 के 1847 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में छोटी परन्तु अति आवश्यक विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त निधियां आवंटित की जाएंगी।	माडर्नाइजेशन आफ पुलिस फोर्सेज (एमपीएफ) स्कीम और विधि आबंटन आदि के इसके मानदण्ड की समीक्षा की जाएगी ताकि स्कीम को और अधिक कुशल तथा प्रभावी बनाया जा सके। गृह मंत्रालय ने अपर महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (बीपीआरएण्डडी) की अध्यक्षता में 8 सितम्बर, 2014 को एक समिति का गठन किया। वर्ष 2014-15 के आरई पूरक अनुदानों को अंतिम रूप देते समय एमपीएफ के अन्तर्गत बढ़े हुए आबंटन को उपलब्ध कराया जाए। एमपीएफ स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाला संभावित अनंतिम अतिरिक्त केन्द्रीय आबंटन आनुपातिक आधार पर तैयार कर लिया गया है। यह 2005 में सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अंगीकृत/ अनुमोदित वितरण अनुपात के सन्दर्भ में है। तदनुसार राज्य सरकारों को इस मंत्रालय की एमपीएफ स्कीम के अन्तर्गत 2014-15 के लिए अतिरिक्त राज्य कार्य योजना को दर्शाने की सलाह दी गई है।

अनुबंध जारी

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>बजट घोषणा का सार</th><th>कार्यान्वयन की प्रास्थिति</th></tr>
<tr><td>129.</td><td>145</td><td>सीमा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। समुद्री पुलिस थाना, जेटीज के निर्माण और नावों की खरीद आदि के लिए 150 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है।</td><td><table>
<tr><th colspan="2">ब.अ. 2014-15 (₹ करोड़)</th><th>31.10.2014 को व्यय की स्थिति (₹ करोड़)</th></tr>
<tr><td>सीमावर्ती अवसंरचना</td><td>2250.00</td><td>585.38</td></tr>
<tr><td>सामाजिक आर्थिक विकास</td><td>990.00</td><td>642.74</td></tr>
<tr><td>एमटीएस, जेट्टी का निर्माण और नावों की खरीद आदि।</td><td>150.00</td><td>12.88</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>130.</td><td>146</td><td>बजट में 2014-15 में उपयुक्त राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव है।</td><td>राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का डिजाइन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा तैयार किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>131.</td><td>147</td><td>बजट में विशिष्ट थीमों के ईर्द-गिर्द 5 पर्यटक सर्किट बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है।</td><td>नई योजना के मसौदा दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें सहमति के लिए आंतरिक वित्त प्रभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>132.</td><td>148</td><td>राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरोद्धार और अध्यात्मिक परिवर्धन कार्यक्रम (प्रसाद) शुरू किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।</td><td>नई योजना के मसौदा दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें सहमति के लिए आंतरिक वित्त प्रभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>133.</td><td>149</td><td>विरासत नगरों की विशिष्टताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना (ह्रदय) लागू की जाएगी। इस प्रयोजन का यह कार्यक्रम में मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, बेल्लांकनी और अजमेर जैसे नगरों में आरम्भ करने का प्रस्ताव हैं। बजट में इस प्रयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। किफायती तकनीकों और सहभागिता के आधार पर यह परियोजना सरकार, अकादमिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के द्वारा लागू की जाएगी।</td><td>सचिव (शहरी विकास) द्वारा "ह्रदय" से संबंधित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और जल्द ही ईएफसी परिचालित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>134.</td><td>150</td><td>पुरातात्विक स्थलों के परिरक्षण की ओर भी अविलम्ब ध्यान दिया जाना जरूरी है, अन्यथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए हम कहीं इन प्राचीन विरासतों से हाथ न धो बैठें। इस वर्ष के लिए में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।</td><td>एएसआई सर्किलों को आवंटन किया जा रहा है। दृष्टिकोण और कार्यनीति तय की जा रही है।</td></tr>
</table>

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
135.	151	पूरे विश्व से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाओं के साथ सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा।	नई योजना के दिशानिर्देशों का अनुमोदन होते ही इस सर्किट पर कार्य शुरू किया जाएगा।
136.	152	भारत सरकार वीजीएफ स्कीम के जरिए सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के आधार पर सुविधाएं सृजित करने की इस पहल को पूरा-समर्थन देगी।	गोआ सरकार के साथ गोआ को स्थायी स्थान घोषित करने के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।
137.	153	नदियां देश की जीवन रेखाएं हैं। वे हमें सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए सिंचाई ही नहीं देती अपितु पेयजल भी उपलब्ध कराती हैं। दुर्भाग्यवश ये सदानीरा नदियां पूरे देश में समान रूप से नहीं बहतीं। इसलिए नदियों को जोड़ने का प्रयास देश के लिए असाधारण रूप से लाभकारी हो सकता है। यही समय है जब हम इस दिशा में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।	नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष आयोग जलसंसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 23.9.2014 की अधिसूचना के जरिए गठित किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना लागू करने के अनेक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से लिया जाएगा। हिमालयी घटक और प्रायद्वीपीय घटक के एफआर और डीपीआर को तैयार करना सतत् प्रक्रिया है बजट में अतिरिक्त निधियां और अधिक एफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए पूर्णतः इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।
138.	154	"नमामि गंगे" नाम से एक एकीकृत गंगा संरक्षण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया और इस वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।	2037 करोड़ रु. का ब्यौरा है- (क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से 1500 करोड़ रु. और (ख) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मौजूदा मांग में 537 करोड़ रु. जो 1.8.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.-सीडी-517/2014 के अनुसार है। 537 करोड़ रु. का ब्यौरा है। 355 करोड़ रु. राष्ट्रीय गांगा नदी बेसिन प्रधिकरण (एनजीआरबीए) के लिए (जिसमें राष्ट्रीय निर्मल गंगा मिशन भी शामिल है) और 182 करोड़ रु. एनआरसीपी के अधीन। एनआरसीपी में तीन घटक होंगे (क) यमुना नदी और गंगा की सहायक नदियों जैसे गोमती, घाघरा, दामोदर आदि से जुड़ा कार्य। (ख) अन्य नदियों से संबंधित राशि; और एवं (ग) एनआरसीपी से संबंधित वेतन एवं अन्य अनुषंगी प्रशासनिक व्यय (ख) और (ग) से संबंधित उपयुक्त बजट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन को अंतरित किया जाएगा। गंगा संरक्षण के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है ताकि इस राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इसके अलावा, अनेक मंत्रालय गंगा

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साझी कार्यनीति और कार्ययोजना तय करने के लिए मिलकर कार्यकर रहे हैं। ये प्रमुख मंत्रालय है (क) जल संसाधन, नदी विकास और संरक्षण, (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, (ग) शहरी विकास, (घ) पेयजल और स्वच्छता, (ङ) ग्रामीण विकास, (च) पर्यटन और (छ) पोत परिवहन। ये मंत्रालय जून 2014 से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
139.	155	देश में इस प्रक्रिया के श्री गणेश के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में घाट विकास और केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली के सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।	कार्यकलाप की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पर्यटन मंत्रालय के साथ परामर्श करके काम करने का प्रस्ताव है, जिससे सौंदर्य पक्ष का संरक्षण करना विधिवत सुनिशिचत होगा। व्यष्टिगत डीपीआर तैयार किए जाने प्रस्तावित है। वाराणसी के घाटों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय को दी गई निधि के अलावा, केदारनाथ, हरिद्वारा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली के नदी तटों के सौंदर्यीकरण और घाटों के विकास के लिए 100 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।
140.	156	भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण जैसे क्षेत्रों के विकास में अप्रवासी भारतीयों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में, गंगा नदी के परिक्षण को लेकर अप्रवासी भारतीयों की प्रेरणा और उत्साह को उपयोग में लाने के लिए एक अनिवासी कोष गठित किया जाएगा। यह शेष विशेष परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा।	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में मंत्रिमंडल की अनुमोदन से निधि स्थापित कर दी गई है।
141.	157	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऐसे कई अग्रणी अनुसंधान केंद्र है जो नैनाटेक्नालाजी, सामग्री विज्ञान, तथा बायो चिकित्सा, उपकरण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। सरकार इस तरह के कम से कम पांच संस्थानों को प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र के रूप में सुदृढ़ करेगी और सरकारी-निजी-सहभागिता के द्वारा इन्हें और भी नवोन्मेषी और प्रभावी स्वरूप प्रदान करेगी।	पांच तकनीकी अनुसंधान केंद्रों (टीआरसी) में से तीन केंद्रों के लिए एसएफसी ज्ञापन दिनांक 20.9.2014 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समेकित वित्त प्रभाग (आईएफडी) को प्रस्तुत किए गए थे। इस समय इन पर आईएफडी सक्रिय विचार कर रहा है। शेष टीआरसी के संबंध दो एसएफसी ज्ञापन शीघ्र ही आईएफडी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
142.	158	फरीदाबाद और बेंगलुरू में बायोटेक कलस्टरों	बेंगलुरू के लिए मंजूरी आदेश जारी कर दिया गया है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		का विकास और बढ़ाया जाएगा और उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों को प्राप्त करेगा। इस प्रयास में डिजीज़ बायोलाजी, स्टेम सेल बायोलाजी और हाइ एंड इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी के लिए मॉडल आरगेनिज्म संसाधनों को प्राप्त करने में वैश्विक भागीदारी शामिल होगी।	फरीदाबाद के लिए मंजूरी आदेश 7 अगस्त, 2015 को जारी किए जाने की संभावना है।
143.	159	मोहाली में अभिनव कृषि बायोटेक कलस्टरों को प्लांट जेनेटिक तथा फेनो-टाइप प्लेटफार्म शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा, निजी तथा सरकारी भागीदारी के आधार पर मोहाली में द्वितीयक कृषि को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, पुणे और कोलकाता में भी दो नए कलस्टर्स स्थापित किए जाएंगे।	तीनों के लिए प्रक्रिया चल रही है।
144.	160	जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो-टेक्नोलाजी के अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र के दिल्ली घटक को जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में विश्वनायक के रूप में स्थापित करने के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक भागीदारी विकसित की जाएगी।	ईएफसी बैठक आयोजित की गई है। मसौदा मंत्रिमण्डल टिप्पणी प्रस्तुत कर दी गई है।
145.	161	2014-15 में कई प्रमुख अन्तरिक्ष मिशनों की योजना है, जिनमें भारत के भावी हैवी क्षमता वाले लान्चर जी एस.एल.वी. एम.के.-III की प्रायोगिक उड़ान, पी.एस. एल.वी. का वाणिज्यिक लांच और दो और नेवीगेशनल उपग्रह आदि शामिल हैं।	दो सॉलिड बूस्टर (एस-200) प्राप्त हो गए हैं और सॉलिड बूस्टर (एस-200) प्राप्त हो गए हैं और सॉलिड स्टेज असेम्बली बिल्डिंग में मोबाइल लांच पेडस्टल पर संयोजित किए गए हैं। कोर लिक्विड चरण (एल-110) पर एवियानिक्स असेम्बली के साथ वैद्युत जांच और कार्यात्मक परीक्षण कर लिए गए हैं। निष्क्रिय क्रायोजेनिक स्टेज (सी 25) तकनीकी काम्पलेक्स में कार्यात्मक परीक्षणों से गुजर रही है। जीएसएलवी-सी 23 ने फ्रेंच अर्थ आर्ब्सेवशन सैटेलाइट स्पॉट-7 और 4 सह-यात्री उपग्रह नामशः कनाडा से एनएलएस 7.1 और एनएलएस 7.2, जर्मनी से एआईएसएटी और सिंगापुर से वेलॉक्स-1 30 जून, 2014 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लांच किए। **आईआरएनएसएस** 120 करोड़ रुपए में से, 35.92 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 के अंत तक, कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			आईआरएनएसएस-1सी • असेम्बली, इन्टग्रेशन और परीक्षण (एआईटी) तथा थर्मोवेंक परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। • अकाउस्टिक, वाइब्रेशन और काम्पैक्ट एन्टीना परीक्षण सुविधा (सीएटीएफ) की जांच पूरी कर ली गई है। • पोलोड और वैद्युत बस सिस्टम्स प्री-शिपमेंट समीक्षा (पीएसआर) पूरी कर ली गई है। • उपग्रह स्तर पीएसआर 3 सितंबर 2014 को है। • शार को शिपमेंट 8 सिंतबर 2014 को है **आईआरएनएसएस-1डी** पेलोड इन्टिग्रेशन समेत सभी प्रणालियां पूरी कर ली गई गई हैं। ओपन मोड इन्टिग्रेटिड स्पेसक्राफ्ट टेस्टिंग (आईएसटी) 1 सितंबर 2014 को होना तय है।
146.	162	मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला हमारा अन्तरिक्ष यान डेजिग्नेटेड हेलियो सेन्ट्रिक ट्रैजेक्टरी के साथ अपनी 300 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा पर है। मार्स आरबिटर अन्तरिक्ष यान के 24 सितम्बर, 2014 तक मंगलग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है।	कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
147.	163	सरकार देश के विभिन्न भागों में कई प्रमुख खेलों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहूलियतों और सुविधाओं से लैस अकादमियां प्रतिष्ठित एथलीटों के प्रशिक्षण हेतु और निशानेबाजी, तीरन्दाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन तथा ट्रैक और फील्ड आधारित विविध स्पर्धाओं के क्षेत्र में जूनियर और सब जूनियर स्तर की बेहतरीन प्रतिभाओं को तराशने के लिए भी स्थापित की जाएगी।	जूनियर खेल अकादमियों और राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियों की स्थापना करने के लिए संकल्पना टिप्पणी तैयार कर ली गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है। मसौदा ईएफसी ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।
148.	164	बजट में जम्मू और कश्मीर घाटी में अन्तर्राष्ट्रीय मानकोयुक्त इन्डोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।	जम्मू-कश्मीर सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसपर विचार किया गया। मसौदा सकल्पना-टिप्पणी तैयार कर ली गई है और सक्षम प्राधिकारी का प्रस्तुत कर दी गई है। पीएमसी कार्यों के लिए पीएसयू के चयन के लिए मसौदा एनआईटी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, मसौदा एसएफसी ज्ञापन भी तैयार किया जा रहा है।
149.	165	बजट में मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। बजट में	विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्तावित स्थान तय कर लिया गया है। भूमि के अंतरण के लिए मणिपुर सरकार के

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।	साथ इस मामले पर विचार किया जा रहा है। मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि उन्होने धौबल उप-मंडल में 44-थाईथिबी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मणिपुर सरकार ने 31.12.2014 तक 200 एकड़ के प्लॉट का स्वामित्व देने का आश्वासन दिया है। मसौदा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विद्येयक, 2014 को 7,11.14 को एमवाईएएस की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था जिसमें जनता एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सुझाव/अभिमत मांगे गए थे। व्यय विभाग को ईएफसी ज्ञापन 25.11.2014 को प्रस्तुत किया गया था। निर्धारित निर्माण कार्य करने के लिए पीएमसी के रूप सीपीएसयू काम करेगा। कार्य आदेश केवल ईएफसी मूल्यांकन और सीसीईए अनुमोदन के बाद ही दिया जाएगा।
150.	166	देश के हिमालयी क्षेत्र में तथा इसके विविध भागों में बसे राज्यों में खेलों की अपनी अनोखी परम्पराएं विकसित हुई हैं। इनके विकास के लिए भारत इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक खेल आयोजित करेगा और इन खेलों में नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।	भूटान और नेपाल के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों में लोकप्रिय एवं आम जनता द्वारा खेले जाने वाले परंपरागत खेलों के नाम भेजें जिन्हें खेल समारोह में शामिल किया जा सके। सभी पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों को भी पत्र जारी किए गए थे जिनमें इसी प्रकार का ब्यौरा मांगा गया था। संकल्पना टिप्पणी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमादित की जा चुकी है और मसौदा एसएफसी ज्ञापन अभिमत हेतु आईएफडी को प्रस्तुत कर दिया गया है।
151.	168	रोजगार कार्यालयों को केरियर केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, और नौकरी की उपलब्धता सम्बन्धी सूचना भी देंगे। ये केन्द्र अब युवाओं को परामर्श-सलाह की सुविधा देंगे जिससे कि वे अपनी योग्यता और रुझान के अनुरूप अपने लिए रोजगार तलाश सकें। बजट में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।	50 मॉडल करियर केंद्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कार्य सही चल रहा है। मॉडल करियर केंद्रों से संबंधित दिशानिर्देश 8 अगस्त 2014 को राज्यों को परिचालित किए गए थे। 29 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। यह योजना 21.10.2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर पुनः रची जा रही है। 31.10.2014 को शिक्षाविदों, उद्योग जगत और राज्यों के साथ विचार विनिमय किया गया। रोजगार कार्यालयों के अधिकारियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण 25 अगस्त 2014 को, आईआईएफटी, नई दिल्ली का था एएससीआई, हैदराबाद में शुरू हुआ। 200 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। पहले छह मॉडल करियर केंद्रों के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। शेष मॉडल करियर केंद्रों के प्रचालन हेतु प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हुए। संशोधित ईएफसी टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल की शुरूआत करने के लिए

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			मैनेजमेंट कन्सलटेंसी नियोजित कर ली गई है। आईए के लिए आरएफपी अगस्त 2014 में जारी किया गया।
152.	169	बजट में 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक आवंटन के साथ "युवा नेतृत्व कार्यक्रम" की स्थापना का प्रस्ताव किया गया।	नई योजना नामशः राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी) शुरू करने के लिए ईएफसी टिप्पणी परिचालित की गई थी। लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों से अभिमत प्राप्त हो चुके हैं। ईएफसी बैठक का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।
153.	170	विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु हमारे विशेष सहयोग की जरूरत है। बजट में चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया।	(क) प्रधानमंत्री के मौजूदा पैकेज 2008 में संशोधन करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से 5820 करोड़ रुपए के वित्तीय निहितार्थ वाला एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में मौजूदा पैकेज की लगभग सभी मदों में वृद्धि करने की बात कही गई है। इसमें मकानों के निर्माण/ पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने, प्रवासी युवाओं के लिए 3000 राज्य सरकारी नौकरियां देने के लिए वित्तीय सहायता, स्वरोजगार/व्यावसायिक उद्यम के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, घाटी में 2000 ट्रांजिट आवासों का निर्माण, क्लस्टर आवास निर्माण हेतु भूमि अधिगृहीत करने के लिए 900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आदि की बात कही गई है। उक्त प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। (ख) राज्य सरकार ने जम्मू प्रवासियों (राज्य के वे निवासी जो 1990 के दशक के उग्रवाद के कारण जाभू क्षेत्र में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बस जाए) के पुनर्वास के वित्तपोषण के लिए 91.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का एक और प्रस्ताव भेजा है। इस बात पर राय कायम की जानी है कि क्या केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषित पैकेज में कश्मीर प्रवातियों और जम्मू प्रवातियों दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। (ग) कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए इस संबंध में राज्य सरकार और प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के दौर में है। (घ) गृह मंत्रालय ने कश्मीरी प्रवासियों को दी जा रही 1650/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह (अधिकतम 6600/- रुपए प्रति माह प्रति परिवार) की नकद राहत को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2500/- रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह (अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार) करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
154.	171	बजट में 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक परिव्यय के साथ हिमालय अध्ययन के लिए उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।	प्रस्तावित योजना "राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन" चलाने के लिए, इसके प्रचालन से पूर्व ईएफसी मूल्यांकन और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। इसे आईएफडी की सहमति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व ईएफसी ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए 1.10.2014 को अन्तः मंत्रालयी परामर्श किए गए थे। योजना के मूल्यांकन के लिए ईएफसी बैठक जल्द ही आयोजित होनी तय है।
155.	172	बजट में हिन्दूपूर, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।	व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने 20.9.2014 को आंध्रप्रदेश में हिन्दुपुर का दौरा किया। व्यवहार्यता की जांच करने के बाद, समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के नजदीक पालसमुद्रम गांव में 500 एकड़ भूमि पर एनएसीईएन स्थापित करने की सिफारिश की। वित्त मंत्री ने हिन्दुपुर में अकादमी स्थापित करने के लिए 500 एकड़ भूमि की खरीद को मंजरी दे दी है।
156.	173	बजट में 2014-15 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खाद्य मदों के संवर्धन के लिए बजट 2014-15 में पूर्वोत्तर विकास विभाग के 100 करोड़ रुपए की राशि पहल ही दी जा चुकी है। डीएसी पूर्वोत्तर विकास विभाग को उपयुक्त सहायता प्रदान करेगा। मसौदा दिशानिर्देशों और मसौदा ईएफसी ज्ञापन पर पूर्वोत्तर विकास विभाग के आईएफडी द्वारा की गई टिप्पणियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। योजना आयोग से "सिद्धान्ततः अनुमोदन" प्रतीक्षित है।
157.	174	बजट में, रेल संपर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अंतरिम बजट में पूर्वोत्तर रेल संपर्क के लिए दी गई राशि के अलावा, 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रखी गई।	इस निकट भविष्य पूरा करने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और रक्षा सचिव को पत्र भेजा गया है।
158.	175	पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी अस्मिता को एक सशक्त माध्यम मुहैया कराने की दृष्टि से 24x7 एक नया चैनल "अरुण प्रभा" शुरू किया जाएगा।	प्रसार भारती ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "अरूण प्रभा" नामक एक नया 24x7 चैनल शुरू करने के लिए पूंजी भाग के अंतर्गत 24 करोड़ रुपए और राजस्व योजना के अंतर्गत 22 करोड़ रुपए (कार्यक्रम निर्माण हेतु) का अनुमान लगाया है। तदनुसार, प्रसार भारती से इस मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में एसएफसी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। एसएफसी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और मंत्रालय का अभिमत प्रसार भारती को संप्रेषित कर दिया गया है जिसपर अभी स्पष्टीकरण प्रतीक्षित हैं।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
159.	176	सरकार ए.पी. पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलगाना के विकास से सम्बंधित मसलों के निवारण के लिए कृत संकल्प है। संघीय सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दोनों ही राज्यों के सम्बन्ध में विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रावधान किए गए हैं।	प्रक्रियाधीन।
160.	177	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली हर साल भारी मात्रा में होने वाले आप्रवास से जूझती रही है। दिल्ली ट्रांसमीशन सम्बन्धी विविध समस्याओं और जल-वितरण और आपूर्ति की अड़चनों से त्रस्त है। इन सभी समस्याओं से पार पाने और दिल्ली को सही अर्थों में एक विश्व स्तरीय नगर के रूप में विकसित करने के लिए बजट में विद्युत सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए तथा जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विद्युत भाग की सहायता योजना तैयार कर ली गई है। 1.10.2014 को ईएफसी की बैठक हुई। विद्युत, ऊर्जा एवं एनआईई के राज्यमंत्री तथा वित्तमंत्री द्वारा योजना को मंजूरी दी गई। 29.10.2014 को मंजूरी आदेश जारी किया गया। जल सुधार परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एवं जीआर मंत्रालय द्वारा 450 करोड़ रु. की राशि जारी की जानी है। शेष 50 करोड़ रुपए एआईबीपी आवंटनों से संबंधित प्राधिकरणों को किए जाएंगे जो या तो जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
161.	178	राजधानी क्षेत्र में दीर्घ आवधिक जलापूर्ति के समाधान के लिए अर्से से लम्बित रेणुका बांध का निर्माण प्राथमिकता आधार पर किया जाएगा। इसके लिए बजट में आरम्भिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।	50 करोड़ रुपए की राशि, एआईबीसी आवंटनों में से संबंधित प्राधिकरणों को जारी की जाएगी जो परियोजना को जल संसाधन, ग्रामीण विकास और गंगा संरक्षण अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित करेंगे।
162.	179	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदूचेरी की संचार सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।	बजट घोषणा के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने संघराज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बजट में 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन कर दिया है। इस राशि को बीएसएनएल को सौंपा जाना है ताकि बैंडविड्थ की क्षमता को बढ़ाकर 1 जीबीपीएस करने के लिए अपेक्षित संख्या में ट्रांसपोंड भाड़े पर लिए जा सकें। 28.6.2014 को बीएसएनएल ने एमईएसएटी, जो 90 एमबीपीएस बैंडविद्थ देगा, से दो ट्रांसपोंडर भाड़े पर लेने के लिए डीओएस/इसरो के समक्ष औपचारिक अनुरोध रखा। तथापि, बोली लगाने के बाद, एन्ट्रिक्स ने जाना कि एमईएएसएटी के पास सी-बैंड ट्रांसपोंडरों की अतिरिक्त क्षमता नहीं है। 10/08/2014 को डीओएस/इसरो ने बीएसएनएल को, एन्ट्रिक्स के साथ पैनल में शामिल विदेशी उपग्रहों से ट्रांसपोंडर भाड़े पर लेने हेतु स्वीकृति संबंधी

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			वार्तातय दरें एवं शर्तें बताई। यह पाया गया कि ट्रांसपोंडर एशिया सेट-5 में उपलब्ध थे, लेकिन उनका खर्च इसरो ट्रांसपोंडरों के मुकाबले 4-5 गुना अधिक था। इसलिए, बीएसएनएल ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का मुख्यभूमि और अन्तः द्वीप दूरसंचार संपर्क सुधारने के लिए अतिरिक्त उपग्रह ट्रांसपोंडर भाड़े पर लेने के लिए बीएसएनएल को दिए जाने अनुदान के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) हेतु ज्ञापन 9.10.2014 को डीओटी को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव की जांच की जाए और प्रस्ताव के वित्तीय निहितार्थ के संबंध में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
163.	180	बजट में आपदारोधी तैयारियों की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पुद्दुचेरी को 188 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।	पुद्दुचेरी सरकार ने पुद्दुचेरी में तटीय आपदा जोखिम उपशमन परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में 88,98,62,132/- रुपए की राशि जारी करने का अनुरोध किया। यह राशि 17.10.2014 को जारी कर दी गई है।
164.	249	विद्यमान 24x7 सीमा-शुल्क समाशोधन सुविधा सभी निर्यात-वस्तुओं के संबंध में 13 और हवाई अड्डों में तथा निर्दिष्ट आयात-निर्यात माल के संबंध में 14 और बंदरगाहों में, देने के उपाय शुरु किए जा रहे हैं।	अधिकतर एजेंसियों द्वारा 24x7 प्रचालनों के लिए स्टाफ संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। 17.10.2014 को 24x7 प्रचालनों के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की एक मास्टर सूची बनाने का निर्णय लिया गया था। इस व्यापार-क्षेत्र को सूचित किया जाएगा। संबंधित मुख्य आयुक्तों से 24x7 प्रचालनों के लिए सीमाशुल्क कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।
165.	250	व्यापार को सुकर बनाने के लिए बजट में "भारतीय कस्टम सिंगल विंडों प्रोजेक्ट" कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव किया गया। इसके अंतर्गत, आयातक और निर्यातक अपने समाशोधन दस्तावेजों को केवल एकल केंद्र पर दर्ज कराएंगे। यदि किसी अन्य विनियामक एजेंसियों से कोई अनुमति लेनी अपेक्षित हुई तो उसे ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा तथा व्यापारी को इन एजेंसियों से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क करके, कारबार करने में लगने वाले समय एवं लागत कम हो जाएगी।	संबंधित मंत्रालयों के सचिवों से संचालन समूह में अधिकारियों को नामित करने और परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना प्रबंधन यूनिटे स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। संचालन समूह ने 12.11.2014 को अपनी बैठक की और पादप संगरोध प्राधिकरण के साथ प्रायोगिक परियोजना को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ संदेशों के आदान-प्रदान का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया गया। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

अनुबंध जारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
166.	*	खाद्य पार्कों के रूप में जाने जा रहे कृषि-प्रसंस्करण एककों, को कम महंगा ऋण देने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए की विशेष निधि स्थापित करना।	आरबीआई ने 26.8.2014 को नाबार्ड को 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए। नाबार्ड को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस निधि के तौर-तरीकों अंतिम रूप देने की सलाह दी गई है। नाबार्ड ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को दिशानिर्देश अग्रेषित कर दिए हैं।
167.	*	वित्त विधेयक में संशोधन करके पवन ऊर्जा हेतु त्वरित ह्रास लाभ की बहाली करना।	कार्रवाई पूर्ण। 1.4.2014 को या उसके बाद पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 80 प्रतिशत की दर पर त्वरित ह्रास (एडी) की बहाली की अधिसूचना 16.9.2014 को जारी कर दी गई है।
168	*	पंजाब में और देश के अन्य भागों में 50 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान से ड्रग नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना।	इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

* ये घोषणाएं संसद में बजट भाषण पर चर्चा के दौरान शामिल की गई थीं।

1. मुख्य संकेतक

मदें	2012-13	2013-14	प्रतिशत परिवर्तन 2012-13	प्रतिशत परिवर्तन 2013-14	अप्रैल-सितम्बर 2013-14	अप्रैल-सितम्बर 2014-15	अप्रैल-सितम्बर प्रतिशत परिवर्तन 2013-14	अप्रैल-सितम्बर प्रतिशत परिवर्तन 2014-15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वर्तमान कीमतों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ '000 करोड़)	9389 [1सं.अ.]	10473 [अ.]	11.9	11.5	4897	5417	11.7	10.6
अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक	171.3	182.4	7.1	6.5	179.6	188.3	6.4	4.8
2004-05 की कीमतों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ '000 करोड़)	5482 [1सं.अ.]	5742 [अ.]	4.5	4.7	2727	2878	4.9	5.5
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 2004-05 की कीमतों पर - (₹ '000 करोड़)	765 [1सं.अ.]	801 [अ.]	1.4	4.7	336	348	4.5	3.5 [अ.]
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)	172.2	172.0	1.1	-0.1	167.0	171.7 [अ.]	0.5	2.8 [अ.]
उत्पादित बिजली (बिलियन के डब्ल्यू एच)	912.1	967.2	4.0	6.0 [अ.]	482.0 [अ.]	532.0 [अ.]	6.0 [अ.]	10.4 [अ.]
थोक मूल्य सूचकांक (बिंदु-दर-बिंदु) 2004-05=100	167.6	177.6	7.4	6.0	175.2	183.6	5.7	4.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला) 2001=100	123.3	135	10.2	9.5	132.1	142.3	9.6	7.7
मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) (₹ '000 करोड़)[1]	8389.8	9497.33	13.6	13.2	8833.1	9959.4	13.0	12.8
वर्तमान कीमतों पर आयात[3] (₹' करोड़)	26,69,162	27,15,434	13.8	1.7	13,55,762	14,09,467	4.9	4.0
(मिलियन अमरीकी डालर)	4,90,737	4,50,200	0.3	-8.3	2,30,479	2,34,100	-2.5	1.6
वर्तमान कीमतों पर निर्यात[2] (₹' करोड़)	16,34,319	19,05,011	11.5	16.6	9,10,883	9,72,272	15.2	6.7
(मिलियन अमरीकी डालर)	3,00,401	3,14,405	-1.8	4.7	1,53,755	1,61,493	6.3	5.0
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (₹' करोड़)	14,18,339	16,72,942	6.3	18.0	15,65,932	17,91,486	14	14.4
(मिलियन अमरीकी डालर)	2,60,775	2,78,361	0.01	6.7	2,49,444	2,90,360	-4.3	16.4
विनिमय दर (₹/अमरीकी डालर)[3 और 4]	54.4	60.5	-11.9	-10.1	59.1	60.2	-7.5	-1.8

1. सं.अ.-पहला संशोधित अनुमान; (अ): अनन्तिम आंकड़े; [1] कॉलम 2 और 3 के आंकड़े संबंधित वित्त वर्ष के मार्च-अंत के लिए हैं; [2] डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार । [3] अमरीकी डालर के संदर्भ में रुपए के मूल्य में वृद्धि (+)/कमी (-) को दर्शाता है। [4] वार्षिक/अर्धवार्षिक औसत विनिमय दर (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा खरीद और बिक्री का औसत)। मई 2012 से बाद की विनिमय दर भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरें हैं।

अनुबंध जारी

अनुबंध जारी

2. 2013-14 और 2014-15 की पहली छमाही के दौरान भारत के भुगतान शेष की मुख्य-मुख्य मदें

(बिलियन अमरीकी डालर)

मदें	2012-2013 (अं.सं.)	2013-2014 (आ.)	2013-2014 (आ.)	2014-2015 (आ.)
	पूरा वर्ष	पूरा वर्ष	एच1 (अप्रैल-सित. 2013)	एच1 (अप्रैल-सित. 2014)
निर्यात	306.6	318.6	155.2	167.0
आयात	502.2	466.2	238.9	240.2
व्यापार शेष	**-195.7**	**147.6**	**-83.8**	**-73.2**
निवल अदृश्य मदें	107.5	115.2	56.8	55.3
चालू खाता शेष	**-88.2**	**-32.4**	**-26.9**	**-17.9**
विदेशी सहायता (निवल)	1.0	1.0	0.1	0.6
वाणिज्यिक उधार (निवल)	8.5	11.8	2.5	3.4
एफडीआई (निवल)	19.8	21.6	14.6	16.2
पोर्टफोलियो	26.9	4.8	-6.8	22.2
अल्पावधिक ऋण	21.7	–5	0.6	0.1
एनआरआई जमाराशियां	14.8	38.9	13.7	6.5
पूंजी खाता शेष	**89.3**	**48.8**	**15.8**	**38.5**
भूल-चूक	2.7	-.09	0.5	-2.5
पूंजी खाता शेष (भूल चूक सहित)	**92**	**47.9**	**16.3**	**36.0**
समग्र शेष	3.8	15.5	-10.7	18.1
प्रारक्षित निधि में घट-बढ़ (वृद्धि - / कमी + दर्शाता है) (भुगतान शेष आधार पर)	-3.8	-15.5	10.7	-18.1
ज्ञापन स.घ.उ. के अनुपात के रूप में (%)				
व्यापार शेष	-10.5	-7.9	-9.5	-7.6
निवल अदृश्य मदें	5.8	6.1	6.5	5.8
चालू खाता शेष	**-4.7**	**-1.7**	**-3.1**	**-1.9**
निवल पूंजी प्रवाह	**4.8**	**2.6**	**1.8**	**4.0**

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

आ.: आरंभिक, अंसं: अंशतः संशोधित

नोट :- पूर्णांकन के कारण जोड़ मिल नहीं पाएगा।

अनुबंध जारी

3. मौद्रिक समीक्षा

मदें	बकाया शेष				प्रतिशत परिवर्तन			
					पूरा वर्ष		वर्षानुवर्ष	
	2012-13*	2013-14*	नवम्बर 29, 2013 (₹ करोड़)	नवम्बर 28, 2014	2012-13	2013-14	नवम्बर 29, 2013	नवम्बर 28, 2014
स्थूल मुद्रा	83,89,819	94,97,326	9,182,498	10,191,862	13.6	13.2	14.9	11.0
मुद्रा स्टाक के संघटक								
जनता के पास मुद्रा	11,41,061	12,48,344	1,207,836	1,306,920	11.5	9.4	11.1	8.2
बैंकों में कुल जमाराशि	72,45,518	82,47,016	7,966,719	8,876,992	14.0	13.8	15.4	11.4
रिजर्व बैंक में अन्य जमाराशियां	3,240	1,965	7,943	7,949	14.8	-39.3	234.4	0.1
एम3 के स्रोत								
सरकार के निवल बैंक ऋण	27,09,011	30,38,602	3,001,923	3,116,702	14.1	12.2	14.9	3.8
सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	5,90,578	6,98,708	6,58,386	5,56,815	-	-		
सरकार को अन्य बैंक ऋण	21,18,434	23,39,895	2343,537	2,559,886	15.3	10.5	12.9	9.2
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	56,67,867	64,42,483	6,083,701	6,724,767	13.5	13.7	13.7	10.5
वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	3,058	8,839	3,887	4,214	-22.8	189.0	-28.7	8.4
वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण	56,64,809	64,33,643	6,079,814	6,720,553	13.6	13.6	13.8	10.5
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	16,36,659	19,23,948	1,872,841	2,038,198	6.0	17.6	15.7	8.8
जनता के प्रति सरकार की निवल मुद्रा देनदारी	15,340	17,336	16,743	18,262	14.1	13.0	13.7	9.1
अन्य मदें (निवल)	16,39,058	19,25,044	1,792,710	1,706,067	6.5	17.4	12.0	-4.8
ज्ञापन मदें								
निवल घरेलू परिसंपत्तियां	67,53,160	75,73,378	7,309,657	8,153,665	15.6	12.1	14.7	11.5
प्रारक्षित मुद्रा (एम$_0$)	15,14,886	17,32,739	1,616,515	1,748,447	6.2	14.4	12.1	8.2

कृपया नोट करें कि स्रोत पक्ष पर मद v बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा-भिन्न देनदारियां हैं, स्रोत पक्ष पर, एम 3 I, II व III और IV मदों को जोड़कर तथा मद v घटाकर निकाला गया है।

* आंकड़े संबंधित वित्त वर्ष के मार्चांत से संबंधित हैं।

अनुबंध जारी

4. अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां तथा सार्वभौमिक अन्तरवर्ती मदें

(प्रतिशत)

				अप्रैल-सितम्बर	
उद्योग	**2011-12**	**2012-13**	**2013-2014**	**2013-14**	**2014-15**
मुख्य अवसंरचना उद्योग					
बिजली उत्पादन	8.1	4.0	5.8	5.8	10.0
कोयला	1.3	4.6	0.8	2.2	7.2
इस्पात	10.3	4.1	8.3	12.9	2.3
कच्चा तेल	1.0	-0.6	-0.2	-1.3	-1.2
शोधनशाला उत्पाद	3.1	29.0	1.6	5.1	-2.6
सीमेंट	6.7	7.7	3.0	4.5	9.70
प्राकृतिक गैस	-8.9	-14.5	-13.0	-16.5	-5.9
उर्वरक	0.4	-3.4	1.5	2.5	0.0
समग्र सूचकांक	**5.0**	**6.5**	**3.4**	**5.0**	**4.0**
परिवहन एवं संचार					
मुख्य पत्तनों पर लादा-उतारा गया माल	-1.7	-2.6	1.8	2.3	4.2
रेल का राजस्व अर्जक माल भाड़ा यातायात	5.2	4.1	4.3	6.2	4.2
नागर विमानन					
लादा-उतारा गया निर्यात माल	-2.2	0.5	5.5	3.6	10.4
लादा-उतारा गया आयात माल	-1.6	-10.2	-1.6	-5.5	6.6
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर संचलित यात्री	7.6	5.2	9.6	12.0	8.8
घरेलू हवाई हड्डों पर संचलित यात्री	15.0	-4.4	5.5	6.1	10.4
दूरसंचार					
मोबाइल फोन	-52.7	0.0	0.0	-122.2	835.1

स्रोत : *(i) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय-मुख्य अवसंरचना उद्योग के लिए*
(ii) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय-परिवहन एवं संचार के लिए।

अनुबंध जारी

5. कर राजस्व

(₹ करोड़)

	विवरण	2014-2015			2013-2014		
		ब.अ.	वास्तविक 09/2014 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2013 तक	%
1	निगम कर	4,51,005.0	1,62,269.4	36%	4,19,520.0	1,53,728.3	37%
2	आय पर कर	2,84,266.0	1,12,622.7	40%	2,47,639.0	99,985.4	40%
	निगम कर के अतिरिक्त						
	आय पर कर	2,78,275.0	1,09,412.2	39%	2,40,919.0	97,772.5	41%
	अनुषंगी लाभकर	0.0	-12.4		0.0	2.7	
	प्रतिभूति लेनदेन कर	5,991.0	3,222.9	54%	6,720.0	2,210.1	33%
3	धन कर	950.0	507.5	53%	950.0	515.6	54%
4	सीमा शुल्क	2,01,819.0	87,407.6	43%	1,87,308.0	83,027.1	44%
5	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,07,110.0	60,547.1	29%	1,97,554.0	61,928.3	31%
6	सेवा कर	2,15,973.0	65,201.1	30%	1,80,141.0	57,102.1	32%
7	अन्य कर	3,401.4	2,062.9	61%	2,758.1	1,885.1	68%
	प्रत्यक्ष कर	...	11.8	...	...	11.5	...
	अप्रत्यक्ष कर	...	2,051.1	...	...	1,873.6	...
	सकल कर राजस्व	**13,64,524.4**	**4,90,618.2**	36%	**12,35,870.1**	**4,58,171.8**	37%
	जिसमें से व्यय को घटा कर (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के लिए वित्तीय प्रबंध हेतु अधिभार)	5,050.0	2,012.5	40%	4,800.0	1,872.0	39%
	शेष सकल कर राजस्व	**13,59,474.4**	**4,88,605.7**	**36%**	**12,31,070.1**	**4,56,299.8**	**37%**
	घटाइये *राज्यों को सुपुर्दगी*	3,82,215.9	1,65,414.6	43%	3,46,991.8	1,48,711. 0	43%
	निवल कर राजस्व	**9,77,258.5**	**3,23,191.1**	**33%**	**8,84,078.3**	**3,07,588.8**	**35%**

अनुबंध जारी

6. कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2014-2015			2013-2014		
	ब.अ.	वास्तविक 09/2014 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2013 तक	%
क. ब्याज प्राप्तियाँ	43,572.4	15,337.5	35%	32,990.4	25,089.7	76%
घटाएं- - *(i) उधार की लागत में कमी होने पर लिए गए बाजार उधार से प्रासंगिक हुई प्राप्तियां*	22,871.3	8,040.3	35%	14,316.0	15,648.9	109%
(ii) ब्याज माफी	950.0	950.0	100%	910.0	910.0	100%
निवल ब्याज प्राप्तियाँ	**19,751.1**	**6,347.2**	**32%**	**17,764.4**	**8,530.8**	**48%**
ख. लाभांश एवं लाभ	**90,229.3**	**61,388.2**	**68%**	**73,866.4**	**49,158.0**	**67%**
ग. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	**1,110.7**	**568.7**	**51%**	**1,165.9**	**580.6**	**50%**
घ. अन्य कर-भिन्न राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं	168.2	208.9	124%	87.8	72.7	83%
अन्य सामान्य सेवाए	26,834.8	12,219.9	46%	25,380.8	10,320.0	41%
घटाएं-ऋणों को बट्टे खाते में डालने.हेतु उपयोग में लाई गई अन्य प्राप्तियां आदि	1,005.2	5.2	1%	1,006.1	5.2	1%
निवल-अन्य सामान्य सेवाएं	25,829.6	12,214.7	47%	24,374.7	10,314.9	42%
सामाजिक सेवाएं	4,850.6	1,099.6	23%	2,684.4	768.7	29%
आर्थिक सेवाएँ	95,608.5	22,258.6	23%	77,388.3	20,946.9	27%
घटाएं- - *ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए उपयोग में लाई गई प्राप्तियां*	4.5	4.2	93%	4.5	4.3	95%
निवल आर्थिक सेवाएं	95,604.0	22,254.4	23%	77,383.8	20,942.7	27%
सहायता अनुदान एवं अंशदान	2,404.5	426.5	18%	1,456.1	544.6	37%
कुल अन्य कर-भिन्न राजस्व	**1,28,856.9**	**36,204.1**	**28%**	**1,05,986.9**	**32,643.5**	**31%**
घटाएं: वाणिज्यिक विभाग	27,443.3	9,803.6	36%	26,531.2	8,598.4	32%
निवल अन्य कर-भिन्न राजस्व	**1,01,413.6**	**26,400.5**	**26%**	**79,455.7**	**24,045.1**	**31%**
निवल कर-भिन्न राजस्व (क+ख+ग+घ)	**2,12,504.6**	**94,704.6**	**45%**	**1,72,252.4**	**82,314.5**	**48%**

अनुबंध जारी

7. पूंजी प्राप्तियाँ

(₹ करोड़)

क्र.स.	विवरण	2014-2015 ब.अ.	2014-2015 वास्तविक 09/2014 तक	%	2013-2014 ब.अ.	2013-2014 वास्तविक 09/2013 तक	%
1 (क)	अल्पावधिक उधार सहित बाजार ऋण	4,95,757.5	3,15,214.4	64%	5,03,844.5	3,18,239.6	63%
(ख)	एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)	20,000.0	0.0	0%	20,000.0	0.0	0%
(ग)	राजकोषीय हुंडियां (14 दिन)	0.0	-24,852.1		0.0	-68,372.9	
2	लघु बचत के एवज में प्रतिभूतियां	8,228.5	-621.6	-8%	5,797.5	-621.6	-11%
3 (i)	विदेशी ऋण						
	सकल उधार	28,175.0	13,105.0	47%	27,646.3	9,706.6	35%
	घटाएँ-अदायगियाँ	22,441.3	9,967.4	44%	17,086.2	8,893.8	52%
	निवल उधार	5,733.8	3,137.7	55%	10,560.1	812.8	8%
(ii)	परिक्रामी निधि		-2.2			13.3	
	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां (4 और 5)						
4	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ						
	सकल वसूलियाँ	22,817.2	7,018.3	31%	22,054.0	6,561.2	30%
	घटाएँ-सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों तथा ऋण की वसूलियां	12,290.0	1,808.2	15%	11,400.0	981.8	9%
	ऋणों एवं अग्रिमों की निवल वसूलियाँ	10,527.2	5,210.1	49%	10,654.0	5,579.3	52%
5	विविध पूँजी प्राप्तियाँ	63,425.0	121.6	0%	55,814.0	1,478.7	3%
	जमा पूंजी	43,425.0	121.6	0%	40,000.0	1,478.7	4%
	बोनस शेयरों का निर्गम	0.0	0.0		0.0	0.0	
	अन्य विविध प्राप्तियाँ	20,000.0	0.0	0%	15,814.0	0.0	0%
6	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	2.0	22,281.1		-7.6	28,770.2	
	लघु बचत, लोक भविष्य निधियां	24,885.8	7,395.1	30%	14,880.0	7,392.5	50%
	प्रतिभूतियों में निवेश	-3,430.5	8,181.4	-238%	3,531.9	11,570.9	328%
	एनएसएसएफ की आय और व्यय	-21,453.3	6,704.7	-31%	-18,419.6	9,806.8	53%
7	राज्य भविष्य निधियाँ	12,000.0	488.0	4%	10,000.0	272.3	3%
8	सरकारी खाता (एसपीएफ एवं एनएसएसएफ को छोड़कर)	-4,251.7	32,894.2		15,387.6	-1,210.5	-8%
9	अन्य आन्तरिक ऋण प्राप्तियां	-3,453.8	-3,638.6	105%	-3,083.4	52,699.4	-1709%
10	अर्थोपाय अग्रिम		0.0			0.0	
11	अधिशेष नकद का निवेश (-)/ विनिवेश (+)		30,251.0			13,978.0	
12	नकद शेष राशि में कमी (भा.रि.बैं. एवं खाते के बीच अंतर सहित)	17,160.4	63,673.7		-	67,507.8	
13	एमएसएस के अंतर्गत धारित नकद	-20,000.0	0.0	0%	-20,000.0	0.0	0%
	कुल	**6,05,129**	**4,44,157.1**	**73%**	**6,08,966.6**	**4,19,146.4**	**69%**

अनुबंध जारी

8. आयोजना व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2014-2015			2013-2014		
		ब.अ.	वास्तविक 09/2014 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2013 तक	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कृषि मंत्रालय		**28,198.0**	**14,412.7**	**51%**	**27,049.0**	**14,278.6**	**53%**
	कृषि और सहकारिता विभाग	22,309.0	11,650.1	52%	21,609.0	11,587.8	54%
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3,715.0	1,696.5	46%	3,415.0	1,697.4	50%
	पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग	2,174.0	1,066.1	49%	2,025.0	993.4	49%
परमाणु ऊर्जा विभाग		**5,880.0**	**2,244.7**	**38%**	**5,880.0**	**2,039.2**	**35%**
	परमाणु ऊर्जा	4,910.0	2,244.7	46%	5,163.9	1,912.1	37%
	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	970.0	-	-	716.1	127.1	18%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		**514.0**	**80.8**	**16%**	**1,657.0**	**1,066.7**	**64%**
	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	207.0	62.1	30%	1,200.0	1,049.3	87%
	उर्वरक विभाग	100.0	1.1	1%	269.0	1.0	0%
	भेषज विभाग	207.0	17.6	8%	188.0	16.4	9%
नागर विमानन मंत्रालय		**6,720.0**	**4,755.8**	**71%**	**5,200.0**	**5,035.6**	**97%**
	नागर विमानन मंत्रालय	6,720.0	4,755.8	71%	5,200.0	5,035.6	97%
कोयला मंत्रालय		**550.0**	**327.7**	**60%**	**450.0**	**395.3**	**88%**
	कोयला मंत्रालय	550.0	327.7	60%	450.0	395.3	88%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		**3,926.0**	**1,762.2**	**45%**	**3,727.0**	**1,604.0**	**43%**
	वाणिज्य विभाग	2,226.0	1,069.5	48%	2,226.0	1,180.4	53%
	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,700.0	692.7	41%	1,501.0	423.7	28%
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		**12,115.0**	**3,048.5**	**25%**	**9,600.0**	**3,343.6**	**35%**
	डाक विभाग	800.0	67.2	8%	800.0	98.2	12%
	दूरसंचार विभाग						
	कुल	11,037.0	1,366.6	12%	8,800.0	3,718.6	42%
	घटाएं : वसूलियां	3,537.0	53.6	2%	3,000.0	1,764.8	59%
	निवल	7,500.0	1,313.0	18%	5,800.0	1,953.8	34%
	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3,815.0	1,668.3	44%	3,000.0	1,291.6	43%
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		**550.0**	**123.5**	**22%**	**500.0**	**200.2**	**40%**
	उपभोक्ता मामले विभाग	220.0	37.5	17%	241.0	77.7	32%
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	330.0	86.0	26%	259.0	122.5	47%
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		**24.0**	**10.2**	**42%**	**34.0**	**8.1**	**24%**
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	24.0	10.2	42%	34.0	8.1	24%
संस्कृति मंत्रालय		**1,835.0**	**943.9**	**51%**	**1,435.0**	**798.4**	**56%**
	संस्कृति मंत्रालय	1,835.0	943.9	51%	1,435.0	798.4	56%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**2,306.0**	**558.3**	**24%**	**2,006.0**	**960.9**	**48%**
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय						
कुल	2,476.0	576.2	23%	2,176.0	999.1	46%
घटाएं : वसूलियां	170.0	17.8	10%	170.0	38.2	22%
निवल	2,306.0	558.3	24%	2,006.0	960.9	48%
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	**15,260.0**	**4,471.6**	**29%**	**15,260.0**	**4,942.6**	**32%**
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	15,260.0	4,471.6	29%	15,260.0	4,942.6	32%
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**1,281.0**	**495.0**	**39%**	**1,281.0**	**528.1**	**41%**
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,281.0	495.0	39%	1,281.0	528.1	41%
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**2,043.0**	**804.3**	**39%**	**2,430.0**	**907.1**	**37%**
पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,043.0	804.3	39%	2,430.0	907.1	37%
विदेश मंत्रालय	**5,100.0**	**2,191.8**	**43%**	**3,000.0**	**1,669.1**	**56%**
विदेश मंत्रालय	5,100.0	2,191.8	43%	3,000.0	1,669.1	56%
वित्त मंत्रालय	**96,367.0**	**34,106.9**	**35%**	**1,23,089.0**	**38,658.4**	**31%**
आर्थिक कार्य विभाग						
कुल	11,427.0	3,233.1	28%	5,142.5	1,749.3	34%
घटाएं : वसूलियां	1,496.0	374.0	25%	1,102.5	551.2	50%
निवल	9,931.0	2,859.1	29%	4,040.0	1,198.1	30%
वित्तीय सेवाएं विभाग						
कुल	25,300.0	1,550.0	6%	30,088.0	1,828.0	6%
घटाएं : वसूलियां	11,200.0	-	-	14,000.0	-	-
निवल	14,100.0	1,550.0	11%	16,088.0	1,828.0	11%
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	72,332.0	29,695.8	41%	1,02,957.0	35,631.3	35%
व्यय विभाग	4.0	2.0	50%	4.0	1.0	25%
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**770.0**	**456.0**	**59%**	**708.0**	**366.1**	**52%**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	770.0	456.0	59%	708.0	366.1	52%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**34,225.0**	**14,483.5**	**42%**	**32,745.0**	**15,593.8**	**48%**
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	30,645.0	13,122.8	43%	29,165.0	14,078.6	48%
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,069.0	233.6	22%	1,069.0	347.5	33%
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	726.0	394.3	54%	726.0	395.6	54%
एडस नियत्रंण विभाग	1,785.0	732.9	41%	1,785.0	772.0	43%
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	**809.0**	**196.5**	**24%**	**595.0**	**443.1**	**74%**
भारी उद्योग विभाग	800.0	194.3	24%	585.0	439.6	75%
सरकारी लोक उद्यम विभाग	9.0	2.2	24%	10.0	3.6	36%
गृह मंत्रालय	**12,678.0**	**4,590.0**	**36%**	**12,247.8**	**3,701.0**	**30%**
गृह मंत्रालय	794.0	237.6	30%	1,361.0	96.3	7%
पुलिस						
कुल	10,577.0	3,840.0	36%	26,085.2	2,795.1	11%
घटाएं : वसूलियां	150.0	-	-	17,424.2	-	-
निवल	10,427.0	3,840.0	37%	8,661.0	2,795.1	32%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	318.0	36.9	12%	478.0	224.8	47%
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	1,139.0	475.5	42%	1,747.8	584.8	33%
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	**6,000.0**	**1,714.0**	**29%**	**1,460.0**	**512.3**	**35%**
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	6,000.0	1,714.0	29%	1,460.0	512.3	35%
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**68,728.0**	**28,091.2**	**41%**	**65,857.0**	**32,622.0**	**50%**
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग						
कुल	79,408.0	21,703.2	27%	74,088.0	26,185.0	35%
घटाएंः (प्रारंभिक शिक्षा कोष/ राष्ट्रीय निवेश निधि)	27,580.0	-	-	24,429.0	-	-
निवल	51,828.0	21,703.2	42%	49,659.0	26,185.0	53%
उच्च शिक्षा विभाग	16,900.0	6,388.0	38%	16,198.0	6,436.9	40%
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**1,005.0**	**487.3**	**48%**	**905.0**	**441.5**	**49%**
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1,005.0	487.3	48%	905.0	441.5	49%
श्रम और रोजगार मंत्रालय	**2,448.6**	**562.7**	**23%**	**2,446.1**	**772.4**	**32%**
श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,448.6	562.7	23%	2,446.1	772.4	32%
विधि और न्याय मंत्रालय	**1,103.0**	**372.8**	**34%**	**1,103.0**	**644.5**	**58%**
विधि और न्याय	1,103.0	372.8	34%	1,103.0	644.5	58%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**3,327.0**	**795.4**	**24%**	**2,977.0**	**1,323.7**	**44%**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	3,327.0	795.4	24%	2,977.0	1,323.7	44%
खान मंत्रालय	**567.0**	**172.8**	**30%**	**454.0**	**406.9**	**90%**
खान मंत्रालय	567.0	172.8	30%	454.0	406.9	90%
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**3,711.0**	**1,536.2**	**41%**	**3,511.0**	**1,162.5**	**33%**
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	3,711.0	1,536.2	41%	3,511.0	1,162.5	33%
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	**941.0**	**1,102.0**	**117%**	**1,519.0**	**787.6**	**52%**
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय						
कुल	2,519.0	1,106.6	44%	1,519.0	787.6	52%
घटाएं : वसूलियां	1,578.0	4.7	0%	-	-	-
निवल	941.0	1,102.0	117%	1,519.0	787.6	52%
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	**20.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	20.0	-	-	-	-	-
पंचायती राज मंत्रालय	**7,000.0**	**1,960.5**	**28%**	**7,000.0**	**1,279.2**	**18%**
पंचायती राज मंत्रालय	7,000.0	1,960.5	28%	7,000.0	1,279.2	18%
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**279.0**	**87.9**	**32%**	**279.0**	**96.1**	**34%**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	279.0	87.9	32%	279.0	96.1	34%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**43.0**	**-**	**-**	**43.0**	**-**	**-**
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	43.0	-	-	43.0	-	-
योजना मंत्रालय	**2,515.0**	**767.7**	**31%**	**8,000.0**	**711.6**	**9%**
योजना मंत्रालय	2,515.0	767.7	31%	8,000.0	711.6	9%
विद्युत मंत्रालय	**9,642.0**	**3,181.9**	**33%**	**9,642.0**	**2,589.2**	**27%**
विद्युत मंत्रालय						
कुल	10,558.0	3,257.1	31%	10,116.0	2,664.5	26%
घटाएं : वसूलियां	916.0	75.2	8%	474.0	75.3	16%
निवल	9,642.0	3,181.9	33%	9,642.0	2,589.2	27%
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**28,881.0**	**19,125.0**	**66%**	**25,859.9**	**11,347.9**	**44%**
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय						
कुल	51,481.4	28,923.1	56%	43,284.1	19,389.8	45%
घटाएंः वसूलियां (केन्द्रीय सड़क निधि तथा पुल शुल्क निधि)	22,600.4	9,798.1	43%	17,424.2	8,041.9	46%
निवल	28,881.0	19,125.0	66%	25,859.9	11,347.9	44%
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**83,793.0**	**45,049.8**	**54%**	**80,194.0**	**39,430.5**	**49%**
ग्रामीण विकास विभाग						
कुल	1,18,192.2	43,102.6	36%	1,13,256.2	37,695.1	33%
घटाएंः (क) वसूलियां (एनईजी निधि / सीआर निधि)	38,149.2	-	-	38,827.2	-	-
निवल	80,043.0	43,102.6	54%	74,429.0	37,695.1	51%
भूमि संसाधन विभाग	3,750.0	1,947.2	52%	5,765.0	1,735.4	30%
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**6,725.0**	**3,420.1**	**51%**	**6,275.0**	**3,473.3**	**55%**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3,125.0	1,694.6	54%	2,777.0	1,768.9	64%
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,100.0	1,003.0	48%	2,013.0	903.5	45%
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,500.0	722.6	48%	1,485.0	800.8	54%
पोत परिवहन मंत्रालय	**899.0**	**127.1**	**14%**	**846.0**	**165.5**	**20%**
पोत परिवहन मंत्रालय	899.0	127.1	14%	846.0	165.5	20%
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**6,165.0**	**2,655.9**	**43%**	**6,625.0**	**1,105.8**	**17%**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	6,165.0	2,655.9	43%	6,625.0	1,105.8	17%
अशक्तता कार्य विभाग	**565.0**	**156.8**	**28%**	**-**	**-**	**-**
अशक्तता कार्य विभाग	565.0	156.8	28%	-	-	-
अंतरिक्ष विभाग	**6,000.0**	**2,782.5**	**46%**	**5,615.0**	**2,018.4**	**36%**
अंतरिक्ष विभाग						
कुल	6,000.0	2,782.5	46%	5,615.0	2,018.8	36%
घटाएं : वसूलियां	0.0	-	-	0.0	0.4	
निवल	6,000.0	2,782.5	46%	5,615.0	2,018.4	36%
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**4,478.0**	**1,285.5**	**29%**	**4,586.0**	**2,127.5**	**46%**
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4,478.0	1,285.5	29%	4,586.0	2,127.5	46%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
इस्पात मंत्रालय	**20.0**	**0.7**	**3%**	**46.0**	**-**	**-**
इस्पात मंत्रालय	20.0	0.7	3%	46.0	-	-
कपड़ा मंत्रालय	**4,831.0**	**1,893.3**	**39%**	**4,631.0**	**1,869.8**	**40%**
कपड़ा मंत्रालय	4,831.0	1,893.3	39%	4,631.0	1,869.8	40%
पर्यटन मंत्रालय	**1,882.0**	**262.1**	**14%**	**1,282.0**	**530.9**	**41%**
पर्यटन मंत्रालय	1,882.0	262.1	14%	1,282.0	530.9	41%
जनजातीय कार्य मंत्रालय	**4,479.0**	**2,229.5**	**50%**	**4,279.0**	**2,141.0**	**50%**
जनजातीय कार्य मंत्रालय	4,479.0	2,229.5	50%	4,279.0	2,141.0	50%
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	**4,737.0**	**1,825.6**	**39%**	**4,483.3**	**1,958.5**	**44%**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,100.0	828.9	39%	1,862.5	856.8	46%
चंड़ीगढ़	813.0	253.3	31%	876.1	204.0	23%
दादरा और नगर हवेली	703.0	382.8	54%	672.4	425.3	63%
दमन और दीव	657.0	233.7	36%	630.1	318.7	51%
लक्षद्वीप	464.0	126.9	27%	442.3	153.6	35%
शहरी विकास मंत्रालय	**16,984.4**	**5,532.0**	**33%**	**7,566.9**	**3,042.8**	**40%**
शहरी विकास विभाग	16,508.1	5,437.8	33%	7,312.5	2,978.5	41%
लोक निर्माण	476.3	94.2	20%	254.4	64.3	25%
जल संसाधन मंत्रालय	**13,237.0**	**854.4**	**6%**	**1,500.0**	**281.9**	**19%**
जल संसाधन मंत्रालय						
कुल	14,762.0	866.5	6%	1,512.0	289.3	19%
घटाएं : वसूलियां	1,525.0	12.1	1%	12.0	7.4	61%
निवल	13,237.0	854.4	6%	1,500.0	281.9	19%
महिला और बाल विकास मंत्रालय	**21,100.0**	**12,618.1**	**60%**	**20,350.0**	**13,155.6**	**65%**
महिला और बाल विकास मंत्रालय	21,100.0	12,618.1	60%	20,350.0	13,155.6	65%
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	**1,643.0**	**524.7**	**32%**	**1,093.0**	**577.6**	**53%**
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	1,643.0	524.7	32%	1,093.0	577.6	53%
रेलवे	**30,100.0**	**15,050.0**	**50%**	**26,000.0**	**13,000.0**	**50%**
कुल		17,158.7			17,682.2	
घटाएं : प्राप्तियों से पूरा किया गया व्यय		3.3			11.2	
प्रारक्षित निधियों से पूरा किया गया व्यय		2,105.3			4,671.0	
निवल	30,100.0	15,050.0	50%	26,000.0	13,000.0	50%
कुल जोड़	***5,75,000.0***	***2,46,288.9***	***43%***	***5,55,322.0***	***2,36,116.0***	***43%***

अनुबंध जारी

9. आयोजना-भिन्न व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2014-2015 ब.अ.	2014-2015 वास्तविक 09/2014 तक	%	2013-2014 ब.अ.	2013-2014 वास्तविक 09/2013 तक	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कृषि मंत्रालय	**2,864.9**	**1,654.9**	**58%**	**2,723.8**	**1,522.7**	**56%**
	कृषि और सहकारिता विभाग	343.3	162.4	47%	324.5	114.4	35%
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2,429.4	1,412.6	58%	2,314.2	1,346.9	58%
	पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग						
	कुल	572.3	261.7	46%	536.2	220.8	41%
	घटाएं : प्राप्तियां	480.0	181.9	38%	451.1	159.4	35%
	निवल	92.3	79.8	86%	85.2	61.4	72%
	परमाणु ऊर्जा विभाग	**4,566.6**	**2,780.2**	**61%**	**3,953.3**	**2,573.4**	**65%**
	परमाणु ऊर्जा						
	कुल	6,339.4	3,526.6	56%	5,585.8	3,166.9	57%
	घटाएं : प्राप्तियां	2,264.9	802.4	35%	2,102.8	816.6	39%
	वसूलियां	247.5	69.7	28%	197.2	61.4	31%
	निवल	3,827.0	2,654.5	69%	3,285.8	2,288.9	70%
	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं						
	कुल	3,927.5	2,001.3	51%	3,524.7	1,974.9	56%
	घटाएं : प्राप्तियां	3,187.9	1,875.7	59%	2,857.1	1,690.4	59%
	निवल	739.6	125.7	17%	667.5	284.5	43%
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**73,104.6**	**48,758.5**	**67%**	**66,183.3**	**45,737.0**	**69%**
	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	63.7	20.1	32%	143.0	26.3	18%
	उर्वरक विभाग						
	कुल	77,100.0	49,758.4	65%	70,614.2	46,771.5	66%
	घटाएं : वसूलियां	4,100.0	1,038.2	25%	4,614.2	1,080.4	23%
	निवल	73,000.0	48,720.2	67%	66,000.0	45,691.1	69%
	भेषज विभाग	40.9	18.2	45%	40.3	19.6	49%
	नागर विमानन मंत्रालय	**658.0**	**236.9**	**36%**	**682.2**	**224.1**	**33%**
	नागर विमानन मंत्रालय						
	कुल	658.0	237.0	36%	682.2	224.1	33%
	घटाएं : वसूलियां	0.0	0.0	100%	0.0	-	0%
	निवल	658.0	236.9	36%	682.2	224.1	33%
	कोयला मंत्रालय	**50.0**	**459.9**	**920%**	**47.7**	**29.7**	**62%**
	कोयला मंत्रालय						
	कुल	1,697.0	459.9	27%	97.7	71.2	73%
	घटाएं : वसूलियां	1,647.0	-	0%	50.0	41.5	83%
	निवल	50.0	459.9	920%	47.7	29.7	62%
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	**3,873.0**	**1,753.7**	**45%**	**3,380.3**	**2,170.5**	**64%**
	वाणिज्य विभाग						
	कुल	3,631.0	1,629.3	45%	3,171.3	2,058.0	65%
	घटाएं : वसूलियां	3.0	4.1	136%	6.3	1.6	26%
	निवल	3,628.0	1,625.3	45%	3,165.0	2,056.3	65%
	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	245.0	128.4	52%	215.3	114.2	53%
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**14,054.9**	**10,338.9**	**74%**	**12,682.2**	**8,717.3**	**69%**
	डाक विभाग						
	कुल	17,859.9	9,061.6	51%	16,509.5	8,050.9	49%
	घटाएं : प्राप्तियां	10,281.9	2,370.3	23%	9,101.8	2,233.1	25%
	वसूलियां	665.2	9.9	1%	680.6	19.6	3%
	निवल	6,912.8	6,681.5	97%	6,727.1	5,798.3	86%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दूरसंचार विभाग	7,028.1	3,563.1	51%	5,903.1	2,886.5	49%
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	114.1	94.3	83%	52.0	32.6	63%
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**1,15,402.6**	**74,514.5**	**65%**	**91,091.5**	**68,962.6**	**76%**
उपभोक्ता मामले विभाग						
कुल	90.8	43.1	47%	361.7	169.7	47%
घटाएं : वसूलियां	15.0	-	0%	45.8	-	0%
निवल	75.8	43.1	57%	315.9	169.7	54%
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग						
कुल	1,25,954.3	74,677.0	59%	1,01,469.6	69,168.0	68%
घटाएं : प्राप्तियां	10,000.0	-	0%	10,000.0	-	0%
वसूलियां	627.5	205.6	33%	694.1	375.1	54%
निवल	1,15,326.8	74,471.4	65%	90,775.6	68,792.9	76%
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	**231.3**	**121.2**	**52%**	**221.3**	**107.8**	**49%**
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	231.3	121.2	52%	221.3	107.8	49%
संस्कृति मंत्रालय	**676.0**	**376.4**	**56%**	**627.0**	**360.9**	**58%**
संस्कृति मंत्रालय	676.0	376.4	56%	627.0	360.9	58%
रक्षा मंत्रालय	**2,85,202.9**	**1,33,394.3**	**47%**	**2,53,345.9**	**1,26,482.1**	**50%**
रक्षा मंत्रालय						
कुल	16,577.9	7,624.4	46%	17,293.8	6,435.2	37%
घटाएं : प्राप्तियां	11,375.0	5,335.4	47%	12,120.0	4,352.7	36%
निवल	5,202.9	2,289.1	44%	5,173.8	2,082.6	40%
रक्षा पेंशन	51,000.0	29,084.3	57%	44,500.0	20,423.7	46%
रक्षा सेवाएं						
रक्षा सेवाएं-थल सेना	**2,29,000.0**	**1,02,020.9**	**45%**	**2,03,672.1**	**1,03,975.8**	**51%**
कुल	95,337.8	49,987.3	52%	83,935.3	44,174.0	53%
घटाएं : प्राप्तियां	2,623.5	866.3	33%	2,055.3	710.8	35%
वसूलियां	45.0	-	0%	46.1	-	0%
निवल	92,669.3	49,121.1	53%	81,833.9	43,463.2	53%
रक्षा सेवाएं-नौसेना						
कुल	14,175.8	6,231.7	44%	12,394.4	5,755.3	46%
घटाएं : प्राप्तियां	200.0	429.9	215%	200.0	91.2	46%
निवल	13,975.8	5,801.7	42%	12,194.4	5,664.0	46%
रक्षा सेवाएं-वायु सेना						
कुल	21,206.8	10,003.9	47%	18,900.4	9,458.2	50%
घटाएं : प्राप्तियां	700.0	2,287.9	327%	605.3	577.9	95%
निवल	20,506.8	7,715.9	38%	18,295.1	8,880.3	49%
रक्षा आयुध फैक्ट्रियां						
कुल	14,316.7	2,759.2	19%	1,714.5	3,804.5	222%
घटाएं : प्राप्तियां	1,660.5	606.8	37%	2,059.1	565.6	27%
वसूलियां	11,380.8	-	0%	600.0	-	0%
निवल	1,275.4	2,152.4	169%	-944.6	3,238.9	-343%
रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास						
कुल	6,039.7	2,713.7	45%	5,597.6	2,468.6	44%
घटाएं : प्राप्तियां	55.0	29.4	54%	45.0	25.3	56%
निवल	5,984.7	2,684.2	45%	5,552.6	2,443.4	44%
रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	94,588.0	34,545.6	37%	86,740.7	40,286.0	46%
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**26.8**	**15.6**	**58%**	**25.0**	**15.1**	**61%**
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	26.8	15.6	58%	25.0	15.1	61%
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	**6.9**	**4.0**	**59%**	**5.7**	**3.6**	**64%**
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	6.9	4.0	59%	5.7	3.6	64%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**418.0**	**220.2**	**53%**	**409.0**	**203.7**	**50%**
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय						
कुल	421.2	220.7	52%	412.7	205.0	50%
घटाएं : वसूलियां	3.2	0.5	14%	3.7	1.2	33%
निवल	418.0	220.2	53%	409.0	203.7	50%
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**213.0**	**146.4**	**69%**	**200.2**	**103.5**	**52%**
पर्यावरण और वन मंत्रालय						
कुल	467.5	151.1	32%	454.7	205.5	45%
घटाएं : प्राप्तियां	254.5	4.7	2%	254.5	101.9	40%
निवल	213.0	146.4	69%	200.2	103.5	52%
विदेश मंत्रालय	**9,630.4**	**4,768.4**	**50%**	**8,719.0**	4,413.1	**51%**
विदेश मंत्रालय	9,630.4	4,768.4	50%	8,719.0	4,413.1	51%
वित्त मंत्रालय	**5,44,037.2**	**2,31,306.4**	**43%**	**5,07,116.9**	2,05,840.0	**41%**
आर्थिक कार्य विभाग						
कुल	10,565.9	3,987.7	38%	70,131.6	2,534.1	4%
घटाएं : प्राप्तियां	2,002.5	391.8	20%	2,145.0	300.4	14%
वसूलियां	1,688.3	1,647.5	98%	42,149.2	799.7	2%
निवल	6,875.1	1,948.4	28%	25,837.4	1,433.9	6%
वित्तीय सेवाएं विभाग	7,536.1	4,003.0	53%	7,281.4	4,598.6	63%
ब्याज अदायगियां						
कुल	4,49,882.7	1,93,710.4	43%	3,85,000.5	1,75,675.9	46%
घटाएं : प्राप्तियां	22,871.3	8,040.3	35%	14,316.0	15,648.9	109%
निवल	4,27,011.4	1,85,670.1	43%	3,70,684.5	1,60,027.0	43%
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण						
कुल	76,100.0	22,599.2	30%	73,059.4	26,188.0	36%
घटाएं : प्राप्तियां	6,050.0	2,012.5	33%	5,800.0	1,872.0	32%
वसूलियां	5,050.0	310.1	6%	4,800.0	1,022.6	21%
निवल	65,000.0	20,276.7	31%	62,459.4	23,293.4	37%
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण						
कुल	200.0	51.6	26%	225.0	70.4	31%
घटाएं : प्राप्तियां	375.0	160.7	43%	400.0	182.1	46%
निवल	-175.0	-109.1	62%	-175.0	-111.7	64%
कर्ज की अदायगी						
कुल (एमएसएस को छोड़कर)	40,64,025.0	18,03,687.8	44%	40,14,248.6	17,92,654.1	45%
घटाएं : प्राप्तियां	40,64,025.0	18,03,687.8	44%	40,14,248.6	17,92,654.1	45%
निवल	-	-		-	-	
व्यय विभाग	151.9	65.4	43%	136.1	62.7	46%
पेंशन						
कुल	24,778.0	13,451.5	54%	21,049.0	10,767.4	51%
घटाएं : प्राप्तियां	1,000.0	-	0%	1,000.0	-	0%
निवल	23,778.0	13,451.5	57%	20,049.0	10,767.4	54%
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग						
कुल	3,337.1	1,625.6	49%	2,804.5	1,519.1	54%
घटाएं : वसूलियां	213.5	56.0	26%	180.7	42.2	23%
निवल	3,123.6	1,569.6	50%	2,623.9	1,476.9	56%
राजस्व विभाग						
कुल	832.9	265.8	32%	10,217.9	275.5	3%
घटाएं : प्राप्तियां	339.0	105.9	31%	347.7	142.9	41%
वसूलियां	56.0	0.6	1%	52.1	0.5	1%
निवल	437.9	159.2	36%	9,818.1	132.1	1%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रत्यक्ष कर						
कुल	5,094.9	2,065.5	41%	4,361.9	2,177.9	50%
घटाएं : वसूलियां	2.0	22.1	1107%	2.0	5.7	287%
निवल	5,092.9	2,043.4	40%	4,359.9	2,172.1	50%
अप्रत्यक्ष कर						
कुल	5,155.8	2,216.3	43%	3,979.5	1,977.8	50%
घटाएं : वसूलियां	0.5	1.4	278%	0.5	0.4	72%
निवल	5,155.3	2,215.0	43%	3,979.0	1,977.4	50%
विनिवेश विभाग	50.0	13.2	26%	63.2	10.2	16%
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**15.9**	**7.9**	**50%**	**11.1**	**6.4**	**57%**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	15.9	7.9	50%	11.1	6.4	57%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**5,012.8**	**3,897.3**	**78%**	**4,585.0**	**2,422.7**	**53%**
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग						
कुल	7,800.8	3,928.8	50%	6,709.9	3,033.1	45%
घटाएं : वसूलियां	3,282.8	318.0	10%	2,596.9	881.3	34%
निवल	4,518.0	3,610.8	80%	4,113.0	2,151.8	52%
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	203.2	75.0	37%	190.0	66.9	35%
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	291.7	211.5	73%	282.0	204.0	72%
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	**453.4**	**34.9**	**8%**	**453.4**	**232.7**	**51%**
भारी उद्योग विभाग	443.6	28.9	7%	444.0	228.3	51%
लोक उद्यम विभाग	9.8	5.9	60%	9.4	4.5	48%
गृह मंत्रालय	**53,067.3**	**29,262.9**	**55%**	**46,993.8**	**26,046.1**	**55%**
गृह मंत्रालय	850.7	359.3	42%	812.9	408.5	50%
मंत्रिमंडल	433.5	116.2	27%	403.0	109.8	27%
पुलिस						
कुल	49,326.8	27,691.7	56%	43,843.8	24,590.4	56%
घटाएं : वसूलियां	303.0	138.7	46%	240.0	110.6	46%
निवल	49,023.8	27,553.0	56%	43,603.8	24,479.7	56%
गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2,171.8	941.9	43%	1,587.2	804.3	51%
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	587.5	292.5	50%	587.0	243.8	42%
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	**8.6**	**4.8**	**55%**	**8.0**	**4.5**	**56%**
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	8.6	4.8	55%	8.0	4.5	56%
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**14,043.1**	**6,500.2**	**46%**	**13,594.0**	**7,134.9**	**52%**
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	3,287.1	1,596.2	49%	3,042.0	1,575.6	52%
उच्च शिक्षा विभाग	10,756.0	4,904.0	46%	10,552.0	5,559.3	53%
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**2,311.0**	**1,650.6**	**71%**	**2,130.7**	**1,502.8**	**71%**
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	2,311.0	1,650.6	71%	2,130.7	1,502.8	71%
श्रम और रोजगार मंत्रालय	**3,159.7**	**2,597.7**	**82%**	**2,635.1**	**2,204.6**	**84%**
श्रम और रोजगार मंत्रालय						
कुल	3,354.7	2,597.7	77%	2,828.3	2,242.2	79%
घटाएं : वसूलियां	195.0	0.0	0%	193.2	37.6	19%
निवल	3,159.7	2,597.7	82%	2,635.1	2,204.6	84%
विधि और न्याय मंत्रालय	**1,147.6**	**578.5**	**50%**	**910.4**	**528.9**	**58%**
निर्वाचन आयोग	69.0	39.7	58%	68.5	32.2	47%
विधि और न्याय	944.3	455.0	48%	712.5	424.8	60%
भारत का उच्चतम न्यायालय	134.4	83.8	62%	129.4	71.8	56%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**375.3**	**182.8**	**49%**	**312.7**	**151.1**	**48%**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	375.3	182.8	49%	312.7	151.1	48%
खान मंत्रालय	**537.3**	**306.0**	**57%**	**537.1**	**275.9**	**51%**
खान मंत्रालय	537.3	306.0	57%	537.1	275.9	51%
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**23.0**	**9.4**	**41%**	**20.0**	**9.2**	**46%**
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	23.0	9.4	41%	20.0	9.2	46%
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	**15.4**	**7.5**	**49%**	**14.6**	**6.8**	**46%**
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	15.4	7.5	49%	14.6	6.8	46%
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	**129.0**	**28.9**	**22%**	**115.8**	**36.6**	**32%**
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	129.0	28.9	22%	115.8	36.6	32%
पंचायती राज मंत्रालय	**0.7**	**0.2**	**33%**	**0.7**	**0.3**	**43%**
पंचायती राज मंत्रालय	0.7	0.2	33%	0.7	0.3	43%
संसदीय कार्य मंत्रालय	**14.4**	**7.0**	**49%**	**13.3**	**5.8**	**43%**
संसदीय कार्य मंत्रालय	14.4	7.0	49%	13.3	5.8	43%
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**791.4**	**414.2**	**52%**	**740.9**	**389.0**	**52%**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	791.4	414.2	52%	740.9	389.0	52%
केंद्रीय सतर्कता आयोग	**20.4**	**11.8**	**58%**	**-**	**-**	
केंद्रीय सतर्कता आयोग	20.4	11.8	58%	-	-	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**63,500.0**	**48,814.7**	**77%**	**65,145.4**	**54,286.9**	**83%**
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	63,500.0	48,814.7	77%	65,145.4	54,286.9	83%
योजना मंत्रालय	**91.9**	**48.6**	**53%**	**81.5**	**42.8**	**52%**
योजना मंत्रालय	91.9	48.6	53%	81.5	42.8	52%
विद्युत मंत्रालय	**-98.1**	**67.7**	**-69%**	**431.1**	**593.5**	**138%**
विद्युत मंत्रालय						
कुल	166.8	77.8	47%	707.9	607.1	86%
घटाएं : प्राप्तियां	224.6	-	0%	240.6	-	0%
वसूलियां	40.3	10.2	25%	36.2	13.6	38%
निवल	-98.1	67.7	-69%	431.1	593.5	138%
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	**1,094.4**	**490.6**	**45%**	**1,033.5**	**498.5**	**48%**
राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	38.3	20.6	54%	34.5	19.6	57%
लोकसभा	562.9	216.6	38%	536.0	246.7	46%
राज्यसभा	318.6	140.0	44%	301.3	139.3	46%
संघ लोक सेवा आयोग	170.8	111.3	65%	157.9	91.2	58%
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	3.8	2.1	54%	3.8	1.7	46%
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	**5,464.2**	**1,963.0**	**36%**	**5,442.2**	**1,527.8**	**28%**
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय						
कुल	5,564.2	1,993.8	36%	5,582.2	1,553.9	28%
घटाएं : वसूलियां	100.0	30.8	31%	140.0	26.1	19%
निवल	5,464.2	1,963.0	36%	5,442.2	1,527.8	28%
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**59.5**	**27.1**	**46%**	**56.5**	**27.3**	**48%**
ग्रामीण विकास विभाग	50.3	21.9	44%	48.7	22.7	47%
भूमि संसाधन विभाग	9.1	5.2	57%	7.9	4.5	58%
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**2,043.4**	**1,037.0**	**51%**	**1,982.3**	**1,005.3**	**51%**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग						
कुल	442.1	226.7	51%	418.4	222.9	53%
घटाएं : वसूलियां	23.1	2.6	11%	11.1	5.2	47%
निवल	419.0	224.1	53%	407.3	217.7	53%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,607.2	803.6	50%	1,558.0	778.4	50%
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	17.2	9.3	54%	17.1	9.2	54%
पोत परिवहन मंत्रालय	**509.7**	**437.6**	**86%**	**866.7**	**467.5**	**54%**
पोत परिवहन मंत्रालय						
कुल	875.7	521.1	60%	1,204.7	590.1	49%
घटाएं : प्राप्तियां	240.0	82.1	34%	220.0	113.3	52%
वसूलियां	126.0	1.4	1%	118.0	9.4	8%
निवल	509.7	437.6	86%	866.7	467.5	54%
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**47.7**	**28.0**	**59%**	**100.3**	**59.8**	**60%**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	47.7	28.0	59%	100.3	59.8	60%
अशक्तता कार्य विभाग	**67.9**	**32.9**	**48%**	**-**	**-**	
अशक्तता कार्य विभाग	67.9	32.9	48%	-	-	
अंतरिक्ष विभाग	**1,238.0**	**833.1**	**67%**	**1,177.0**	**659.0**	**56%**
अंतरिक्ष विभाग	1,238.0	833.1	67%	1,177.0	659.0	56%
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**445.9**	**242.4**	**54%**	**365.7**	**212.5**	**58%**
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	445.9	242.4	54%	365.7	212.5	58%
इस्पात मंत्रालय	**67.7**	**25.6**	**38%**	**66.9**	**32.9**	**49%**
इस्पात मंत्रालय						
कुल	72.9	30.8	42%	73.0	38.1	52%
घटाएं : प्राप्तियां	5.2	5.2	100%	6.1	5.2	85%
निवल	67.7	25.6	38%	66.9	32.9	49%
कपड़ा मंत्रालय	**866.4**	**414.2**	**48%**	**800.6**	**464.0**	**58%**
कपड़ा मंत्रालय	866.4	414.2	48%	800.6	464.0	58%
पर्यटन मंत्रालय	**84.7**	**38.6**	**46%**	**75.3**	**35.3**	**47%**
पर्यटन मंत्रालय	84.7	38.6	46%	75.3	35.3	47%
जनजातीय कार्य मंत्रालय	**19.0**	**11.4**	**60%**	**16.9**	**10.4**	**62%**
जनजातीय कार्य मंत्रालय	19.0	11.4	60%	16.9	10.4	62%
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	**4,402.0**	**2,919.0**	**66%**	**4,253.2**	**2,525.5**	**59%**
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह						
कुल	1,513.4	922.7	61%	1,440.9	869.1	60%
घटाएं : वसूलियां	168.6	26.5	16%	115.3	55.1	48%
निवल	1,344.8	896.2	67%	1,325.6	814.0	61%
चंडीगढ़						
कुल	2,730.3	1,589.9	58%	2,615.6	1,302.0	50%
घटाएं : वसूलियां	432.9	66.4	15%	422.2	63.8	15%
निवल	2,297.3	1,523.5	66%	2,193.3	1,238.2	56%
दादरा और नगर हवेली						
कुल	141.9	70.3	50%	132.5	61.1	46%
घटाएं : वसूलियां	15.9	3.5	22%	10.2	2.8	28%
निवल	126.0	66.9	53%	122.3	58.3	48%
दमन और दीव						
कुल	982.1	495.0	50%	929.5	592.2	64%
घटाएं : वसूलियां	852.6	395.2	46%	802.6	508.6	63%
निवल	129.5	99.8	77%	126.9	83.6	66%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लक्षद्वीप						
कुल	601.6	348.3	58%	582.4	344.4	59%
घटाएं : वसूलियां	97.3	15.6	16%	97.3	12.9	13%
निवल	504.4	332.7	66%	485.1	331.5	68%
शहरी विकास मंत्रालय	**3,025.1**	**1,356.4**	**45%**	**2,796.9**	**1,621.2**	**58%**
शहरी विकास विभाग						
कुल	1,120.5	478.6	43%	984.3	563.6	57%
घटाएं : वसूलियां	0.0	-	0%	0.0	0.0	75%
निवल	1,120.5	478.6	43%	984.2	563.6	57%
लोक निर्माण						
कुल	1,871.7	834.4	45%	1,775.4	1,043.1	59%
घटाएं : वसूलियां	46.3	1.8	4%	56.7	5.7	10%
निवल	1,825.5	832.6	46%	1,718.7	1,037.3	60%
लेखन-सामग्री और मुद्रण						
कुल	279.1	136.3	49%	261.2	130.1	50%
घटाएं : वसूलियां	200.0	91.1	46%	167.3	109.7	66%
निवल	79.1	45.2	57%	93.9	20.3	22%
जल संसाधन मंत्रालय	**599.6**	**315.9**	**53%**	**576.6**	**297.6**	**52%**
जल संसाधन मंत्रालय						
कुल	613.7	327.1	53%	590.7	311.0	53%
घटाएं : वसूलियां	14.1	11.2	80%	14.1	13.4	95%
निवल	599.6	315.9	53%	576.6	297.6	52%
महिला और बाल विकास मंत्रालय	**93.9**	**46.4**	**49%**	**90.0**	**47.5**	**53%**
महिला और बाल विकास विभाग	93.9	46.4	49%	90.0	47.5	53%
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	**126.0**	**66.2**	**53%**	**126.0**	**85.9**	**68%**
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	126.0	66.2	53%	126.0	85.9	68%
रेल मंत्रालय						
रेल मंत्रालय						
कुल	1,64,955.4	76,977.0	47%	1,46,626.0	66,649.5	45%
घटाएं : प्राप्तियां	1,64,955.4	70,591.0	43%	1,46,626.0	51,750.2	35%
प्रारक्षित निधि	-	6,386.0		-	14,899.3	
निवल	-	-		-	-	
आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय		194.8			7.7	
कुल जोड़	**12,19,892.0**	**6,15,764.0**	**50%**	**11,09,975.3**	**5,72,933.8**	**52%**

अनुबंध जारी

10. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित संसाधन

(₹ करोड़)

विवरण	2014-2015			2013-2014		
	ब.अ.	वास्तविक 09/2014 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2013 तक	%
करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	**3,82,216**	**1,65,415**	**43%**	**3,46,992**	**1,48,711**	**43%**
आयोजना-भिन्न अनुदान एवं ऋण	**70,019**	**24,324**	**35%**	**77,060**	**28,575**	**37%**
अनुदान	69,936	24,288	35%	76,980	28,545	37%
ऋण	83	36	43%	80	30	38%
अर्थोपाय अग्रिम (निवल)				-		
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता	**3,29,712**	**1,40,301**	**43%**	**1,27,802**	**44,148**	**35%**
अनुदान	3,17,712	1,33,652	42%	1,16,802	39,652	34%
ऋण	12,000	6,649	55%	11,000	4,496	41%
केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायता	**5,851**	**6,915**	**118%**	**43,776**	**28,762**	**66%**
अनुदान	5,851	6,915	118%	43,776	28,762	66%
ऋण						
कुल अनुदान और ऋण	**4,05,582**	**1,71,540**	**42%**	**2,48,638**	**1,01,485**	**41%**
अनुदान	3,93,499	1,64,855	42%	2,37,558	96,959	41%
ऋण	12,083	6,685	55%	11,080	4,526	41%
***घटाइए*:- ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली**	**8,832**	**4,348**	**49%**	**8,548**	**4,187**	**49%**
राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित निवल संसाधन	**7,78,966**	**3,32,607**	**43%**	**5,87,082**	**2,46,009**	**42%**
(i) जिसमें राज्य सरकारें	7,74,799	3,31,054	43%	5,83,809	2,44,967	42%
(ii) जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	4,167	1,553	37%	3,273	1,042	32%

अनुबंध जारी

11. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

(₹ करोड़)

विवरण	2014-2015			2013-2014		
	ब.अ.	वास्तविक 09/2014 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2013 तक	%
सामान्य सेवाएं						
व्यय	*11,250.0*	*5,110.2*	*45%*	*11,902.0*	*4,367.0*	*37%*
प्राप्तियां	*11,375.0*	*5,335.4*	*47%*	*12,120.0*	*4,352.7*	*36%*
निवल	*-125.0*	*-225.2*	*180%*	*-218.0*	*14.3*	*-7%*
कैंटीन स्टोर विभाग						
व्यय	*11,250.0*	*5,110.2*	*45%*	*11,902.0*	*4,367.0*	*37%*
प्राप्तियां	*11,375.0*	*5,335.4*	*47%*	*12,120.0*	*4,352.7*	*36%*
निवल	*-125.0*	*-225.2*	*180%*	*-218.0*	*14.3*	*-7%*
आर्थिक सेवाएं						
व्यय	*22,256.1*	*11,257.0*	*51%*	*20,420.0*	*10,172.8*	*50%*
प्राप्तियां	*16,068.3*	*4,468.3*	*28%*	*14,411.2*	*4,245.7*	*29%*
निवल	*6,187.8*	*6,788.7*	*110%*	*6,008.9*	*5,927.1*	*99%*
दिल्ली दुग्ध योजना						
व्यय	*480.0*	*216.5*	*45%*	*451.1*	*177.8*	*39%*
प्राप्तियां	*480.0*	*181.9*	*38%*	*451.1*	*159.4*	*35%*
निवल	*0.0*	*34.6*		*0.0*	*18.4*	
अफीम और अल्क्लायड कारखाने						
व्यय	*223.6*	*91.0*	*41%*	*220.0*	*130.8*	*59%*
प्राप्तियां	*339.0*	*105.9*	*31%*	*347.7*	*142.9*	*41%*
निवल	*-115.3*	*-15.0*	*13%*	*-127.8*	*-12.1*	*9%*
बदरपुर ताप विद्युत केंद्र						
व्यय	*1.0*	*-*	*0%*	*10.0*	*-*	*0%*
प्राप्तियां	*224.6*	*-*	*0%*	*240.6*	*-*	*0%*
निवल	*-223.6*	*-*	*0%*	*-230.7*	*-*	*0%*
ईंधन संविधान फैसिलिटी						
व्यय	*1,276.1*	*791.8*	*62%*	*1,180.9*	*683.5*	*58%*
प्राप्तियां	*2,264.9*	*802.4*	*35%*	*2,102.8*	*816.6*	*39%*
निवल	*-988.8*	*-10.6*	*1%*	*-921.9*	*-133.1*	*14%*
राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र						
व्यय	*-*	*-*		*79.0*	*19.6*	*25%*
प्राप्तियां	*-*	*-*		*-*	*-*	*0%*
निवल	*-*	*-*		*79.0*	*19.6*	*25%*
फ्यूल इन्वेन्ट्री						
व्यय	*2,884.7*	*1,048.9*	*36%*	*2,471.7*	*1,016.3*	*41%*
प्राप्तियां	*2,237.9*	*925.7*	*41%*	*1,947.1*	*780.4*	*40%*
निवल	*646.8*	*123.3*	*19%*	*524.5*	*235.9*	*45%*
लाइट हाउस और लाइटशिप						
व्यय	*200.9*	*57.1*	*28%*	*188.6*	*114.3*	*61%*
प्राप्तियां	*240.0*	*82.1*	*34%*	*220.0*	*113.3*	*52%*
निवल	-39.1	-25.0	64%	-31.4	1.0	-3%
डाक सेवाएं						
व्यय	*17,189.7*	*9,051.7*	*53%*	*15,818.9*	*8,030.5*	*51%*
प्राप्तियां	*10,281.9*	*2,370.3*	*23%*	*9,101.8*	*2,233.1*	*25%*
निवल	*6,907.8*	*6,681.4*	*97%*	*6,717.1*	*5,797.4*	*86%*
कुल व्यय	***33,506.1***	***16,367.1***	***49%***	***32,322.0***	***14,539.8***	***45%***
कुल प्राप्तियां	***27,443.3***	***9,803.6***	***36%***	***26,531.2***	***8,598.4***	***32%***
निवल	***6,062.8***	***6,563.5***	***108%***	***5,790.9***	***5,941.4***	***103%***